(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4) सप्तम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 7 वां दिवस संख्या 5)

शुक्रवार

दिनांक 26 फरवरी, 1982

विधान सभा की बैठक म: पू: 11·00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

मंत्रिगण द्वारा की गयी यात्राओं पर व्यय

97. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा), **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम), एवं **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत वर्ष किस किस मंत्री, राज्य मंत्री व उपमंत्री ने कितनी कितनी यात्रायें किस किस साधन से की हैं ?

(2) यात्राओं के कारण प्रत्येक मंत्री पर कितना कितना व्यय हुआ है तथा प्रत्येक मंत्री ने यात्रा व्यय भत्ता एवं दैनिक भत्ते के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(व्यवधान)

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, कितने शर्म की बात है कोई मंत्री नहीं है....

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सारी बेंचें खाली पड़ी हैं। कोई भी मंत्री नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : विधान सभा को ये लोग पता नहीं क्या समझ बैठे हैं.....

श्री नाथूसिंह : इससे अशोभनीय बात और क्या हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : अब आ गये हैं ।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम इनको ताड़ना तो दें । इसका मतलब यह है कि इन पर कोई अंकुश नहीं है ।

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्नसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह क्षमा याचना कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : दिल्ली से टेलीफोन पर बात कर रहे थे। एक मिनट टेलीफोन सुन लिया तो क्या हो गया।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट की देरी हुई, इसके लिये क्षमा चाहता हूं।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : भविष्य में देरी नहीं होगी, यह भी कहें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को 15 दिन के लिये स्थगित कर दिया जाय। इसमें काफी लम्बी जानकारी चाही गयी है।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इसलिये ही नहीं आ रहे थे हाउस में।

श्री अध्यक्ष : 15 दिन का समय अधिक होगा। इतने समय में तो काफी सूचना एकत्र की जा सकती है। अगले टर्न तक के लिये स्थगित किया जा सकता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। 15 दिन का समय दे दे तो ठीक है। इस प्रश्न को मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने पढ़ लिया है।

अगले सप्ताह तक के लिये स्थगित किया जाता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अगले सप्ताह तो, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : काफी है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अगले शुक्रवार तक के लिये स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल।

केवला देव घना पक्षी अभयारण्य, भरतपुर

98. **श्री कैलाशचन्द मेघवाल (अजमेर पूर्व) व श्री यदुनाथसिंह (नदबई)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर के घना अभयारण्य को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो जाने के बाद भी वन राज्य मंत्री के आदेश से वहां पशुओं की चराई जारी रखी गई, जिससे उद्यान की सुरक्षा व संरक्षण में बाधा उपस्थित हुई? यदि हां, तो क्यों और किस नियम के अन्तर्गत?

(3) क्या यह भी सही है कि इस उद्यान के इर्दगिर्द बसे 20 गांव के निवासियों द्वारा उद्यान क्षेत्र में से कटाई की जाती है उसकी रोक का भी पुख्ता व प्रभावी प्रबन्ध नहीं है?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(4) क्या यह भी सही है कि वहां पर रख रखाव के अभाव एवं अव्यवस्था तथा पशुओं की चराई से जो स्थिति बनी है, उस कारण पक्षियों का आना भी कम हो गया है ?

(5) पार्क भरतपुर में पक्षियों की कितनी जातियां पाई जाती हैं ? उनमें से कितनी स्थानीय हैं तथा कितनी विदेशी हैं तथा कहां कहां की ? क्या घना पक्षी विहार में पक्षियों के अतिरिक्त अन्य वन्य जीव भी पाये जाते हैं ? यदि हां, तो प्रमुख कौन कौन से एवं कितनी संख्या में ? कृपया सूची सदन को मेज पर रखें ।

(6) क्या साइबेरियन क्रेनों की ब्रीडिंग के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(7) क्या यहां पर जल मानुष भी पाये जाते हैं ? यदि हां, तो कितने हैं ?

राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करने के लिए पहले भी मैंने निवेदन किया था । कुछ दिन देने के बावजूद भी इसके आंकड़े एकत्र नहीं हो सके हैं । इसलिये इस प्रश्न को स्थगित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : इस की जानकारी तो समय पर प्राप्त हो जानी चाहिए ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के विरुद्ध है यह सारा प्रश्न । असल बात यह है ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इसमें छोटी छोटी जानकारी मांगी गयी है । वहां पर जो छोटी से छोटी चिड़ियां है उससे लेकर के जलमानुष तक की जानकारी मांगी गयी है इसलिये यह सम्भव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह तक ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : यह तो स्थगित सरकार हो गई ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है । मैं उसका आदर करता हूं और आदरपूर्वक कहता हूं कि आपने एक सप्ताह का समय दिया, कोई बात नहीं है, पर जरा आप इस प्रश्न को देख लें । मुझे आपकी व्यवस्था से कोई एतराज नहीं है पर इसमें ऐसी कोई बड़ी जानकारी नहीं चाही गयी है ।

श्री अध्यक्ष : भाग (5) पढ़ें । इसमें यह है "पार्क भरतपुर में पक्षियों की कितनी जातियां पायी जाती हैं ? उनमें से कितनी स्थानीय हैं तथा कितनी विदेशी तथा कहां कहां की ? क्या घना पक्षी विहार में पक्षियों के अतिरिक्त अन्य वन्यजीव भी पाये जाते हैं ?" इसीलिए इसको एक सप्ताह के लिए स्थगित किया जाता है ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ नहीं है । यह सारी जानकारी तो यह जो लिट्रेचर प्रकाशित करते हैं उसमें प्रकाशित रचना से दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह तक दे देंगे ।

श्री कैलाश मेघवाल: अध्यक्ष महोदय, कुछ ताड़ना तो दे दें।

श्री अध्यक्ष: मैंने दे दी है।

अगला प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

लघु उद्योगों पर विद्युत कटौती का प्रभाव

99. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में लघु उद्योगों पर पिछले कुछ समय से शत प्रतिशत बिजली की कटौती लागू की है? यदि हां, तो किस किस उद्योग पर?

(2) लघु उद्योगों पर 1 अप्रेल, 1981 से लेकर 31 दिसम्बर, 1981 तक कितनी कटौती कितने समय तक लागू रही? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में लघु उद्योगों में एक लाख मजदूर कार्य करते हैं और उन पर पांच लाख व्यक्ति आश्रित हैं? इस प्रकार पांच लाख व्यक्ति बिजली की कटौती के कारण से भुखमरी के शिकार हो रहे हैं?

(4) इस बिजली कटौती के कारण से लघु उद्योगों में अनुमानतः कितने रुपयों की उत्पादकता का ह्रास हुआ तथा कितने उद्योग पूर्णतया बन्द हो गये व कितने कार्य दिवसों की हानि हुई है?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्नसिंह): (1) लघु उद्योगों पर शत प्रतिशत बिजली की कटौती लागू नहीं है, अतः उद्योगों के वर्गीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। तीन लाख से अधिक श्रमिक लघु उद्योगों में कार्यरत हैं।

औसत 5 व्यक्ति प्रति परिवार के आधार पर 15 लाख व्यक्ति आश्रित हैं। बिजली कटौती के कारण उद्यमियों व श्रमिकों को असुविधा अवश्य हुई है। मगर भुखमरी का प्रश्न नहीं उठता।

(4) उत्पादन ह्रास के कार्य दिवस, हानि के आंकड़े उद्योग विभाग द्वारा संकलित नहीं किये गये हैं, किन्तु लघु उद्योग कटौती के कारण बन्द नहीं हुए हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री घनश्याम तिवाड़ी: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि पिछले दो साल से बिजली कटौती से लघु उद्योगों के उत्पादन में करीब 20 अरब का नुकसान हुआ है। क्या यह सही है कि दो महीने तक लगातार शत प्रतिशत बिजली कटौती होने से लघु उद्योगों में एक लाख लोगों को ले आफ करके छुट्टी दे दी गयी जिससे पांच लाख व्यक्ति आज भुखमरी के कगार पर हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न माननीय सदस्य का लघु उद्योग के बारे में है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने लघु उद्योग के बारे में ही प्रश्न पूछा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझ से पूछा गया है वही में तैयारी करके आया हूं। श्रीमान, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, 20 अरब का नुकसान हुआ है। पता नहीं 20 अरब के नुकसान के आंकड़े कहां से प्राप्त हुए हैं। मैं तो यह काल्पनिक आंकड़ा ही मानता हूं। जो माननीय सदस्य की जानकारी में ही है, सरकार की तो जानकारी में नहीं है। माननीय सदस्य ने लघु उद्योगों की विद्युत कटौती के अप्रेल से दिसम्बर तक के आंकड़े चाहे थे। उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत कटौती हुई है। मैंने स्टेटमेंट में बताया है कि शत प्रतिशत कटौती नहीं हुई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बता दें कि लघु उद्योगों को कितने मेगावाट बिजली की आवश्यकता थी और कितनी उनको दी गयी है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने पूछा है लघु उद्योगों को कितनी बिजली चाहिए? लघु उद्योगों का वर्गीकरण राजस्थान राज्य विद्युत मंडल ने किया है, उसमें 25 हार्स पावर तक के उद्योगों को लघु उद्योगों की श्रेणी में माना गया है। फिगर्स जो मैंने आपको दिये हैं, उसमें है अप्रेल से दिसम्बर तक। उसके अनुसार 16 घंटे तक शहरी क्षेत्रों में दी गयी है लेकिन रूरल एरिया के अन्दर जरूर काश्तकारों के साथ साथ बिजली दी जा रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि जिन उद्योगों को आप लघु उद्योग मानते हैं उनको कितनी बिजली की आवश्यकता थी और कितनी दी गई?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग की परिभाषा में लघु उद्योग वह है जिन उद्योगों के अन्दर बीस लाख रुपये तक की मशीनरी और सम्पत्तियों का विनियोजन हो। उनको लघु उद्योगों की श्रेणी में माना गया है। उनकी वर्किंग कैपीटल और बिल्डिंग इससे अलग है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह नहीं पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि 16 घंटे बिजली लगातार दी जा रही है और मैं कहता हूं कि एक मिनट भी नहीं दी जा रही।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास टोटल रिक्वायरमेन्ट है 96 लाख यूनिट की। उसके अन्दर से लघु उद्योगों का मेरे पास ब्रेक अप नहीं है कि लघु उद्योगों की लिमिट कितनी है? इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेण्ट के बजाय आप पावर डिपार्टमेण्ट से पूछते तो उचित रहता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब ट्रान्सफर करा दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लेकिन अब तो आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, 96 लाख यूनिट की टोटल आवश्यकता है, 30 दिसम्बर को। उसके बारे में रिक्वायरमेण्ट मीट आउट कर रहे हैं तो यह प्रश्न कहां उठता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने यह किया है कि बड़े उद्योगों को डाइरेक्ट लाइन से बिजली दी है और लघु उद्योगों के लिए फीडर से लाइन काट दी है। दो महीने से लगातार एक मिनट भी बिजली नहीं दी है।

(6)

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा एक प्रश्न यह है कि जितने लघु उद्योगों को आप बिजली दे रहे हैं उनमें आपने कोई सीमा तय कर रखी है ? एक-एक घन्टे से बिजली काट-काट कर देते हैं, इसका उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमुवा-रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि 25 हार्स पावर तक की जो मोटरों से चल रहे हैं उनको इन्होंने लघु उद्योग माना है। जो साढ़े तीन, पांच और साढ़े सात हार्स पावर की किसान की मोटर चलती हैं उनको इन्होंने बड़ा भारी उद्योग मान रखा है। क्या यह बेईमानी नहीं है किसानों के साथ ? ऐसे उद्योग को फिर परिभाषित करेंगे ?

श्री दीपेन्द्रसिंह : विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या जोधपुर के लघु उद्योगों की कटौती नहीं की गयी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आप प्रश्न के भाग (2) को देखें, यह लघु उद्योगों का बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न है। "लघु उद्योगों पर 1 अप्रेल, 1981 से लेकर 31 दिसम्बर, 1981 तक कितनी कटौती कितने समय तक लागू रही है ?" मैंने मूल प्रश्न के सन्दर्भ में ही सप्लीमेण्ट्री तैयार कर ली थी। आज क्या स्थिति है मुझे इसकी जानकारी नहीं है ? अगर सेपरेट नोटिस दें तो प्रश्न का जवाब दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : क्या कृषि को भी उद्योगों की श्रेणी में लिया गया है ?

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, कृषि के साथ कैसा भेदभाव ? जहां तीन घण्टे है उनको दो घण्टे बिजली दी जाती है और लघु उद्योगों को 16 घण्टे। मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इस पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इसको उद्योग मानने के लिए तैयार हैं या नहीं ?

श्री चन्दन मल बैद : कुल 25 हार्स पावर की मोटरों से चलने वाले उद्योगों को ही लघु उद्योगों की परिभाषा में मण्डल मानता है। उनमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की है, लगातार बिजली दी जाती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जोधपुर की बात।

श्री चन्दनमल बैद : जोधपुर का प्रश्न, कृषि उद्योगों में सम्मिलित किया जाना, अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोक सिंह : यह बर्दाश्त के बाहर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये। आर्डर प्लीज। जिन माननीय सदस्य का नाम पुकारा है वही प्रश्न पूछें।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि अभी खण्ड (4) के उत्तर में उन्होंने कहा है कि लघु उद्योगों में कितना नुकसान हुआ इसके आंकड़े संकलित नहीं किये गये हैं ? क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु उद्योगों का कारपोरेशन एक कार्मशियल आर्गेनाइजेशन है ? इसमें कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, क्या इसकी जानकारी उद्योग विभाग को नहीं होनी चाहिए ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह स्पष्ट नहीं है। यह कारपोरेशन के बारे में पूछा है····

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या इसकी जानकारी मन्त्री महोदय को है कि शत प्रतिशत बिजली में कटौती नहीं की गयो है ? मंत्री महोदय ने गलत बयानी की है। झालावाड़ में केवल 4 घंटे लघु उद्योगों को बिजली दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर, श्री नाथू सिंह।

अकाल राहत कार्य

100. **श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर** (मावली), **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : **क्या** अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि 30 अगस्त, 1981 के बाद भी निरन्तर अकाल राहत कार्य चलते रहे हैं ? अलग-अलग जिलों में कितने कितने रुपयों के अकाल राहत कार्य अब तक हुए हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि कुछ जिलों में अकाल राहत कार्य निरन्तर चले और कुछ में नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

(3) क्या राजकीय आदेश काम जारी रखने के थे और जिला अधिकारियों ने काम प्रारम्भ नहीं रखे ? यदि ऐसा है तो अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(4) अकाल से निपटने हेतु राज्य सरकार ने केन्द्र से कितनी सहायता की मांग की थी ? उसमें से कुल कितनी सहायता अब तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गयी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) राज्य सरकार ने केन्द्र से सहायता कब मांगी व केन्द्र सरकार द्वारा सहायता कब दी गयी ?

राज्य मंत्री, अकाल राहत (श्री चेतराम मीणा) : (1) जी हां। राज्य सरकार ने 31-8-81 के बाद जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर में

(श्री चेतराम मीणा)

अकाल राहत कार्य निरन्तर चलाते रहने का निर्णय लिया था।

समय-समय पर वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा जहां-जहां राहत कार्य चालू रखना नितान्त आवश्यक था वहां ही निरन्तर राहत कार्य चालू रखे हैं। उपरोक्त जिलों में अकाल राहत कार्यों पर 31-12-81 तक हुए व्यय की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जिन–जिन जिलों में वर्षा की स्थिति ठीक थी उन जिलों में राहत कार्य बन्द करने तथा जहां समुचित वर्षा नहीं हुई थी वहां कार्य चालू रखने का निर्णय लिया गया था।

(3) उपरोक्त 7 जिलों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों को निरंतर चालू रखने का निर्णय लिया गया था। अतः जिलाधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) सं0 2038 की अभाव स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार से 255·13 करोड़ रुपये की मांग की थी। दिनांक 1–10–81 से 31–3–82 तक की अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अग्रिम योजना सहायता के अन्तर्गत 36 करोड़ 16 लाख, 50 हजार रुपये की व्यय सीमा निर्धारित की है। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(5) चालू अभाव स्थिति सं0 2038 से निपटने हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24–11–81 को केन्द्र सरकार को अपना ज्ञापन प्रेषित किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा वितन्तु संदेश दिनांक 6–2–82 द्वारा अग्रिम आयोजना सहायता के अन्तर्गत व्यय सीमा सूचना राज्य सरकार को 8–2–82 को प्राप्त हुई।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री दीपेन्द्रसिंह : प्रभाकर जी को गायब कर दिया क्या?

श्री अध्यक्ष : आप तैयार नहीं हैं क्या?

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, अकाल से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले क्रमवार कौन से हैं? पहला कौन सा है, दूसरा कौनसा है? दूसरे, जैसा आपने कहा कि जहां बरसात नहीं हुई है। बरसात होने का क्राइटेरिया क्या है? आपने सात जिलों में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने का निश्चय किया, क्या आपने इसकी जांच करायी? क्या दूसरे जिले बाकी नहीं रहे?

अकाल राहत मंत्री (परसराम मदेरणा) : जहां तक अकाल से पीड़ित जिलों का प्रश्न है जिन 6 जिलों का उल्लेख किया गया उनके नामों का समावेश प्रश्न के भाग (1) में किया गया है उनमें किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते क्योंकि पिछले तीन सालों से वहां अकाल चला आ रहा है। जहां तक दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बाकी रह गये हैं, उनको कलेक्टर के डिस्क्रिशन पर, उनके विवेक पर छोड़ दिया गया है। जहां बरसात होती गई वहां कार्य बन्द कर दिये व जहां बरसात नहीं हुई वहां पर कार्य प्रारम्भ रखे गये। पक्षपात का प्रश्न नहीं है।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास अकाल राहत कार्यों में जितना पैसा खर्च किया गया है उसकी सूची है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर जिलों में ज्यादा अकाल पड़ा है लेकिन आप सूची देखेंगे तो जोधपुर जिले में कुल 33 लाख 70 हजार रुपये के आसपास पाली में 3 करोड़ 70 लाख रुपये के आसपास, इसी तरह से भीलवाड़ा जिले के अन्दर 6 करोड़ 60 लाख रुपये के लगभग खर्च किये गये। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी से और माननीय अकाल राहत मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि भीलवाड़ा से मुख्य मंत्री जी आते हैं, इसलिए वहां 30 अगस्त से आज तक 65 हजार मजदूर काम कर रहे हैं जब कि पूरे राजस्थान में किसी भी जिले में इतने मजदूर काम नहीं कर रहे हैं? सबसे ज्यादा पैसा भीलवाड़ा जिले पर खर्च किया गया। अध्यक्ष महोदय, पहाड़िया जी की सरकार थी उस समय आरोप लगाया जाता था कि भरतपुर जिले में ज्यादा खर्च किया जा रहा है। अब जो मुख्य मंत्री बने हैं, सारा पैसा भीलवाड़ा जिले में खर्च किया जा रहा है। क्या भीलवाड़ा के ही मुख्य मंत्री हैं या राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक खर्चे का प्रश्न है, भीलवाड़ा में ज्यादा खर्चा हुआ है। दूसरी बात, स्थिति को देखते हुए कलेक्टर्स के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी गई, उनके विवेक पर। इसलिए जहां जहां आवश्यकता समझी गई काम प्रारम्भ रखे गये। पिछले सत्र के बाद में मन्त्रिमण्डल में निर्णय लिया गया था। उसी के अनुसार यह अनुभव किया गया कि पूरे राज्य में अकाल की स्थिति है, इसलिए अकाल राहत कार्य खोले जायें। कहीं ज्यादा कार्य खोले गये, इसलिए खर्चा ज्यादा हो गया। यह नहीं कि कहीं पक्षपात किया गया।

श्री नाथूसिंह : क्या यह सही है कि विभिन्न जिलों में राज्य सरकार द्वारा जिला लेवल पर कमेटी बनी हुई है जिसमें कलेक्टर होता है, एम. एल. ए. भी होता है, उस कमेटी की रिपोर्ट आती है कि हमारे जिले में अकाल है इसलिए अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जायं? जयपुर जिले के विधायक यहां पर बैठे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। कई बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कराकर भेजा गया। कलेक्टर भी मौजूद था, मंत्री महोदया कमलाजी भी थीं, यह कहा गया कि भयंकर अकाल है और अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जाने चाहिये लेकिन नहीं किये गये और भीलवाड़ा में किये गये। अब आप कहते हैं, दूसरी कमेटी है जो रिकमण्डेशन भेज रही है और कलेक्टर ही निर्णय करेगा। सरकार आप चला रहे हैं या कलेक्टर चला रहे हैं? यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों?

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले की शिव.......

(व्यवधान)

(10)

श्री अध्यक्ष : पहले इसका उत्तर आने दीजिये ।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, लगातार वहाँ पर बरसात नहीं होती है । वहां पर चलते हुए कार्य जिलाधीश ने सरकार के तार पर बन्द किये या ने अपनी मर्जी पर ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले का प्रश्न है, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी है, उसका प्रस्ताव सरकार को भेज दें । टैस्ट वर्क्स का जहां तक सवाल है सभी जिलों में तहसील लेवल पर चार टैस्ट वर्क्स खोलने के आदेश दिये गये लेकिन जयपुर के लोग आये नहीं । कई दूसरे जिलों में स्थिति को देखते हुए मानता हूं कि जयपुर में अकाल की इन्टेन्सिटी इतनी नहीं है जितनी दूसरे जिलों में........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ।

एक माननीय सदस्य : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले से लोग पंजाब और हरियाणा में चले गये और यहाँ पर कोई टैस्ट वर्क्स नहीं खोले गये ।

श्री नाथूसिंह : केन्द्रीय सरकार से 36 करोड़ 16 लाख 50 हजार की स्वीकृति प्राप्त हुई और 17 करोड़ 32 लाख का खर्चा किया । इसकी अन्तिम तिथि 31.3.82 है । इतने लम्बे समय में आधा पैसा ही खर्च कर पाये । इसको अब तक खर्च क्यों नहीं किया ?

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार ने जो सीलिंग निर्धारित की, वह प्लान के मद के अन्तर्गत है । जो पंचायत समितियों के और दूसरे प्रोग्राम हैं, जहां तक एम्प्लायमेन्ट जनरेशन का सवाल है टोटल अमाउण्ट जो दिया है, वह केवल उसी के लिए नहीं है । 16 करोड़ रोड्स के लिए, 5 करोड़ इरिगेशन के लिये, सोइल कन्जर्वेशन के लिए 2 लाख 80 हजार, एम्प्लायमेन्ट जनरेशन का 1 लाख 80 हजार रखा है, 16 लाख नहीं........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह ।

(व्यवधान)

जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारूं, कृपया वह ही बोलें ।

श्री परसराम मदेरणा : जैसलमेर में लगातार कार्य प्रारम्भ रहा है, वहां पर दस हजार के करीब लेबर लगा रहे हैं, बाड़मेर जिले के अन्दर........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्य का नाम पुकारू, कृपया वह ही बोलें ।

श्री देवीसिंह भाटी ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जैसा बताया, सात ज़िलों में अनावृष्टि के कारण

(श्री देवीसिंह भाटी)

राहत कार्य निरन्तर चालू रखने के लिए आदेश दिये गये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान में निरन्तर अनावृष्टि की स्थिति बनी हुई है, उन जिलों में इस प्रकार के आदेश क्यों नहीं दिये गये ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : बरसात का औसत भी बता दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : आदेश 7 जिलों के लिये सामान्य थे। कलेक्टर के डिस्क्रिशन पर छोड़ा गया। जहां बरसात हो गई हो वहां काम चलाने की आवश्यकता नहीं है, ताकि जहां बरसात नहीं हुई वहां काम जारी रख सकें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। लम्बी चर्चा इस पर नहीं होगी।

एक-एक पूरक प्रश्न की इजाज़त दे रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : बीकानेर में जुलाई के महीने में बाढ़ आ गई थी।

श्री देवीसिंह भाटी : वह गांव के अन्दर आई थी।

श्री तेजपाल यादव (चौमू) : जिला भीलवाड़ा और पाली के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले साल बरसात कितनी हुई और अब कितनी ? जोधपुर और बाड़मेर में कितनी बरसात हुई ? क्या यह सही है कि जोधपुर और बाड़मेर के कलेक्टर ने आपसे वहां राहत कार्य चालू रखने के लिए कहा था उसके बावजूद भीलवाड़ा और पाली में तो उसको चालू रखा और इन जिलों के अन्दर मानवीय दृष्टिकोण बनाये नहीं रखा? क्या कारण है कि पाली और भीलवाड़ा के अन्दर अगस्त के महीने में यह बन्द कर दिये गये ? इन जिलों के अन्दर कितने मजदूर काम कर रहे थे और जोधपुर में कितने काम कर रहे थे ? आप यह बतायें।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक भीलवाड़ा, पाली और जोधपुर का सवाल है राज्य सरकार के स्तर पर इस प्रकार कोई भेदभाव रखने के लिए कोई भी आदेश नहीं दिया। कलेक्टर, जोधपुर ने 15 अगस्त से काम बन्द कर दिया, यह उसके विवेक पर छोड़ दिया गया था। कलेक्टर ने 15 अगस्त के बाद राज्य सरकार को नहीं लिखा कि वह काम प्रारम्भ करना चाहते हैं। जहां तक बरसात का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य को सूचना देता हूं कि जो बरसात हुई है उसके आंकड़े मेरे पास हैं। मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सड़क और स्कूल का प्रश्न होता तो हम आपसे नहीं कहते लेकिन मानवीय दृष्टिकोण का प्रश्न है। किस आधार पर कलेक्टर ने वहां काम करना बन्द करवा दिया ? वहां के लोग भूखे मरने लगे हैं। जो मजदूर वहां काम करते थे, उनकी आमदनी का जरिया खो गया।

(व्यवधान)

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने

(12)

(श्री अमराराम चौधरी)

जिलाधीशों को कार्य बन्द करने के लिए टेलीग्राम दिया, पाली और भीलवाड़ा में ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य । विपक्ष के नेता कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री अमराराम चौधरी : क्या बाड़मेर में भी कलेक्टर ने अपने विवेक के आधार पर काम बन्द कर दिया या ....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर ने अपने विवेक पर बन्द किया था ।

(व्यवधान)

श्री तेजपाल यादव : कितने राहत कार्य खोले गये ? राज्य सरकार ने टेलीग्राम से क्यों आदेश दिया बन्द करने के लिए ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार ने तो चालू रखने का निर्देश दिया था । जैसा कि मैंने अभी बताया, 15 अगस्त को सात जिलों के लिए कहा गया था । मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो प्रतिवेदन है वह भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया था, जिसका अभी उल्लेख किया गया है, परिशिष्ट (ख) की सूची में, वह सदन के पटल पर रखा है । उसमें भारत सरकार ने निर्देश दिया कि 16 जिलों में बरसात को देखते हुए स्थिति काफी गम्भीर है, इसलिए जहां तक हो सके, 16 जिलों में कार्य चालू रखा जाय । जहां तक बाड़मेर का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि बाड़मेर के कुछ हिस्सों के अन्दर स्थिति गम्भीर है लेकिन माननीय सदस्य भी इस बात को महसूस करेंगे कि बाड़मेर में कुछ जिलों से अच्छी बरसात हो गई थी । राज्य सरकार ने कलेक्टर को यह आदेश नहीं दिया था कि कार्य बन्द कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता कुछ कहना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार को जो ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन के पहले जो प्रारम्भिक रिपोर्ट दी गई उसमें यह उल्लेख नहीं था कि 6 जिलों में काम चालू रखना पड़ रहा है ?

श्री परसराम मदेरणा : क्योंकि 6 जिलों में काम चालू रखना पड़ रहा था इसलिए राज्य सरकार ने यह देखते हुए कि खर्चा ज्यादा हो रहा है, एक अतिरिक्त मेमोरेंडम दिया और केन्द्रीय सरकार को कहा कि इन जिलों में काम चालू रखना पड़ रहा है । जो भारत सरकार ने सीलिंग 29 करोड़ की निर्धारित की थी उससे ज्यादा खर्च हो रहा था । भारत सरकार ने जो ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था, वह पैसा दिया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा प्रश्न यह नहीं था । मेरा प्रश्न यह था कि भारत सरकार को जो ज्ञापन दिया उस ज्ञापन के

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

पहले आपने एक प्रारम्भिक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भेजी थी, उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि हमें जिलों में निरन्तर काम चालू रखना पड़ रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री जी ने जो मेमोरेण्डम दिया था, मेरे पास वह अभी नहीं है। उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी थी, वह ऐसे मेमोरेण्डम पेश नहीं करते हैं। इसलिये मेरे पास कोई जानकारी नहीं। मैं बाद में आपको बता दूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय अकाल एवं राहत मंत्री जी ने ज्ञापन का उल्लेख किया। उसमें जो स्टडी टीम यहां आई थी उस स्टडी टीम ने जो सीलिंग निर्धारित की उसका उल्लेख किया। कितनी वर्षा हुई, इसका उल्लेख किया। हमारे पास वह कापी है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि सरकार ने जो ज्ञापन तैयार किया है उसकी प्रति सदन की मेज पर रखी जाय ताकि मैम्बर्स को जानकारी हो जाय। वैसे भी नियमों के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि अगर मैम्बर चाहें तो आपको चाहिये कि वह सदन की मेज पर रखें।

श्री परसराम मदेरणा : जो स्टडी टीम यहां आई थी, उसका रेफरेंस दिया गया है। जो छोटे मेमोरेण्डम होते हैं उन्हें यहां रखा जाता है। इस डाकूमेंट को नियमों के अन्तर्गत यहां नही रखा जा सकता है। विपक्ष के नेता जानते हैं कि जब वह सरकार में थे तब भी इसी तरह का डाकूमेंट सदन की मेज पर रखने के लिये उनसे कहा गया था, लेकिन उन्होंने उसे सदन की मेज पर नहीं रखा। जो सैंट्रल गवर्नमेंट से राशि मांगी जाती है उसके मेमोरेण्डम की प्रति सदन की मेज पर नहीं रखी जाती।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया था कि ज्ञापन सदन में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, उसका शार्ट नोट तैयार करके असेम्बली की मेज पर रखा जायेगा। मंत्री महोदय ने नहीं कहा, इस पर बहस कराना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी मुझसे चैम्बर में बात कर लेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मंत्री जी की बात खतम नहीं होती।

श्री परसराम मदेरणा : मैं विपक्ष के नेता महोदय के साथ बात करूंगा। अध्यक्ष महोदय से प्राइवेट बात नहीं है। तीनों बैठकर बात करेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : प्राइवेट बात हो तो भी आपत्ति नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : 1952 से अकाल पड़ता रहा है। सदन की मेज पर मुख्य मंत्री ने कभी नहीं रखा है। अब रखना चाहते हैं या नहीं, मुख्य मंत्री ज्ञापन नहीं रखते हैं तो उसकी जिस्ट रखनी है, उस संबंध में बात करेंगे।

(14)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, काफी समय हो गया है ।

श्री नन्दलाल मीणा, श्री भैरू सिंह गुर्जर, श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम का विस्तार

101. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़), **श्री भैरू सिंह गुर्जर** (खारची), एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को पूरे राज्य में लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या राज्य सरकार ने नवम्बर, 1981 की घोषणानुसार कोई राज्य स्तरीय समिति गठित की है जो राज्य सरकार को मिलावट रोकने के प्रयत्न के सम्बन्ध में राय प्रस्तुत करेगी ? यदि हां, तो इस समिति का गठन कब किया, समिति में कौन-कौन सदस्य हैं, समिति की अब तक कितनी बार बैठकें हो चुकी हैं और सरकार को क्या कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

(3) अभी यह अधिनियम प्रदेश के किन कस्बों में व नगरों में लागू है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उप मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती कमला भील : (1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) वर्तमान में यह नियम राज्य के 209 कस्बों/नगरों में लागू है । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि यह सूची है जिसमें राजस्थान की 209 नगरपालिकाओं और बड़े कस्बों के नाम हैं । सम्पूर्ण राजस्थान में यह अधिनियम क्यों नहीं लागू हुआ जब कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस बात की घोषणा की थी कि इसके लिये राज्य स्तर पर समिति का गठन किया जायेगा, समिति सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी उसके आधार पर सम्पूर्ण राजस्थान में इस अधिनियम को लागू किया जायेगा ? क्या यह नहीं मानते कि खाद्यान्न सामग्री में मिलावट की वजह से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री सी.एल. कंवरिया) : अध्यक्ष महोदय, प्रिवेन्शन आफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट अभी फिलहाल 209 टाउन एरियाज पर लागू है । 1965 के पूर्व यह एक्ट सारे राजस्थान में लागू था लेकिन 1965 में उस वक्त सरकार ने पुनर्विचार किया कि रूरल एरियाज में जो एक्ट लागू किया गया है गांवों में छोटे-छोटे दुकानदार और अन्य

(श्री सी. एल. कंवरिया)

लोग इससे काफी दुखी हो रहे हैं। तो 1965 में इस पर सरकार ने पुनर्विचार किया कि सारे राजस्थान से इस एक्ट को हटाकर केवल 209 टाउन एरियाज में ही लागू किया जाय। तो इस समय 209 टाउन एरियाज में यह नियम लागू है। दूसरी बात जो आपने कही, कान्फ्रेंस ग्रान प्रिवेन्शन आफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के संबंध में नवम्बर, 1981 में कान्फ्रेंस हुई थी उसमें भारत सरकार की एक टीम भी आई थी। उसने इस बात को रिकमंड किया। उस कान्फ्रेंस में मैं भी उपस्थित था। मैंने उस कान्फ्रेन्स की रिकमंडेशन्स के आधार पर यह घोषणा अवश्य की थी कि इसको समूचे राजस्थान में अब लागू किया जाय, पुनः लागू किया जाय या नहीं, इस संबंध में एक कमेटी गठित की जायेगी। तो वह कमेटी अभी तक तो गठित नहीं हुई है लेकिन जल्दी ही गठित की जायेगी। वह कमेटी इस बात को देखेगी कि सारे राजस्थान में यह एक्ट लागू किया जाय या नहीं। इस पर जल्दी ही विचार किया जाकर कमेटी गठित कर दी जायेगी और उस कमेटी की रिकमंडेशन्स के आधार पर फिर तय किया जायेगा कि सारे राजस्थान में लागू किया जाय या नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रिवेन्शन आफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत राजस्थान में कुल कितने इन्सपेक्टर्स हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री कैलाश मेघवाल : सेम्पल लेने के अधिकार किस किस को दे रखे हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि कुल कितने इन्सपेक्टर्स हैं और कितनों को सेम्पल लेने के अधिकार दे रखे हैं ?

श्री महेन्द्रसिंह (सांगरिया) : उस सम्मेलन में मंत्री के रूप में गये थे या अधिकारी के रूप में ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री नाथूसिंह : क्या कारण है कि जब कमला जी जवाब देती हैं तो श्री नन्दलाल मीणा बोलने लग जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय उत्तर देती हैं। आप उनको अयोग्य क्यों समझते हैं ?

श्री भैरूसिंह गुर्जर : खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए जिला स्तर पर सक्षम अधिकारी कौन होता है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : अलग प्रश्न नहीं है। मिलावट का प्रश्न है। आप जवाब तो देने दीजिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मंत्री महोदय कौन से प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हैं ?

श्री भैरूसिंह गुर्जर : मंत्री महोदय को पता नहीं, जिला स्तर पर कौन सक्षम अधिकारी है। इन्होंने तो आंख मींचकर बदलियां की हैं। आप इनको जवाब नहीं देने दे रहे हैं। इनको पता होगा, जिले में कौन सक्षम

(16)

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

अधिकारी हैं, जो उसकी जांच करा सकता है ? आखिर आपने बदलियां की हैं, कुछ ध्यान होगा।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न पूछा गया है उसकी परिधि में पूरक प्रश्न नहीं आता है। इनकी हालत देखकर इनको बचाया जा रहा है।

श्री बुला राम : मंत्री जी ने एक जिक्र किया उसके बारे मे सवाल करूंगा। आपने आदेश दे दिया कि वह अलग से है। अलग से हो सकता है लेकिन मंत्री जी ने भाषण में उसका विवरण दिया है उसके लिए निवेदन कर रहा हूं। मंत्रीजी जिस अधिवेशन में गये थे उसमें एज ए मिनिस्टर गये थे या एम० एल० ए० या एज अधिकारी गये थे ? अगर एज अधिकारी गये थे तो विधान सभा में जिक्र करना जरूरी है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : सदन में बात आती है, सदस्य बोलते हैं तो उस रेफरेन्स में जवाब देना पड़ेगा।

श्री सी० एल० कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी जो बात कही, मेरा निवेदन है पिछला सम्मेलन हुआ उसमें मुझे मंत्री के रूप में बुलाया गया था और उस सम्मेलन में मैंने उस हिसाब से भाग लिया था। तो अधिकारी के रूप में शामिल होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री बुलाराम : आप कौन से सन् की बात कर रहे हैं ?

श्री सी. एल. कंवरिया : नवम्बर 1981 में कान्फ्रेंस हुई है।

एक माननीय सदस्य : आपने 1965 की बात कही है। क्या आप 1965 में मंत्री थे ?

श्री सी० एल० कंवरिया : मैंने राज्य सरकार का बैकग्राउण्ड बताया है कि 1965 से पूर्व यह एक्ट समूचे राजस्थान में लागू था। 1965 में सरकार ने इसलिए रिवाइज किया कि सारे रूरल एरियाज मे इसको लागू कर दिया गया था और छोटे मोटे दुकानदारों का इससे हरेसमेंट होने लगा था।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हीरा लाल आर्य। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

किसान रैली के संदर्भ में निगम की बसों के बकाया किराये का भुगतान

102. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा), एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गत वर्ष किसान रैली के लिए राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसों को किराये पर ले जाया गया था ? यदि हां, तो क्या उनका कुल किराया प्रदेश कांग्रेस कमेटी से वसूल किया जाना था ? उसमें से कितना कितना किराया किन स्थानों का कब प्राप्त हुआ तथा कितना किराया अभी बाकी है ? यदि बाकी है, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री जयकृष्ण शर्मा) : जी हां। इसका कुल किराया 44, 37, 761·22 रु. प्रदेश कांग्रेस कमेटी से वसूल किया जाना था उसमें से निम्न प्रकार 37, 60,000.00 रुपये प्राप्त हो चुके हैं तथा शेष 6,77,761·22 रुपये किराया राशि अभी बाकी है। उक्त राशि में से 4,98, 636.25 प्रदेश कांग्रेस कमेटी विवादास्पद मानती है। पत्र व्यवहार चल रहा है। शेष शीघ्र ही जमा कराने का पत्र लिखा है। निम्न राशि प्राप्त हो चुकी है :—

प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई)	जयपुर	का	1 लाख
जिला कांग्रेस कमेटी	चित्तौड़	का	2 लाख
,, ,,	ग्रामीण, जयपुर	का	3 लाख
,, ,,	जयपुर	का	1 10 लाख
,, ,,	जयपुर शहर	का	2.75 लाख
,, ,,	भीलवाड़ा	का	1 लाख
,, ,,	भरतपुर	का	9 लाख
,, ,,	धौलपुर	का	1 लाख
,, ,,	!	का	1 लाख
,, ,,	अलवर	का	1 लाख
,, ,,	अलवर ग्रामीण	का	1 लाख
,, ,,	सीकर	का	2·50 लाख
,, ,,	अजमेर शहर	का	2 लाख
,, ,,	जोधपुर शहर	का	1·25 लाख
,, ,,	जोधपुर ग्रामीण	का	1·25 लाख
,, ,,	झुंझुनू	का	1 लाख
,, ,,	सवाईमाधोपुर	का	2 लाख
,, ,,	टोंक	का	0·75 लाख
,, ,,	गंगानगर	का	3 लाख
			37.60 लाख

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह जो 4,98,636.25 रुपया विवादास्पद मानते हैं तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किस प्रकार के रुपये को विवादास्पद माना ? विवादास्पद क्या है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : विवाद यह है कि बसेज डेस्टीनेशन पर पहुंचनी थी। डेढ़ रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो खाली बसेज को लगाया गया था, वह विवादास्पद है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने इस समय भी क्या 4,98,636 रुपया विवादास्पद माना है ? और नहीं मान रखा है तो किस धारा के तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वसूल नहीं कर रहा है ? प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने माना, वह अलग बात है । यह सवाल पूछना चाहता हूं ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम इसको विवादास्पद मानता है या नहीं मानता है परन्तु प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसको विवादास्पद माना है । जो शुरू में इनके बीच में और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बीच में एग्रीमेन्ट हुआ है, उस एग्रीमेन्ट की भाषा के आधार पर उन्होंने इसको विवादास्पद माना है । विवादास्पद मामले का सवाल उस निगम के अधिकारी और कांग्रेस कमेटी के व्यक्ति बैठकर तय करेंगे । इसलिए मैं तो जैसा मैंने बताया, इस स्थिति में नहीं हूं कि अभी कुछ कह सकूं । उन्होंने इसको विवादास्पद माना है । दोनों ही तरफ से जब तक निपटाया नहीं जाय तब तक कुछ कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुमारी पुष्पा । आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक सवाल किया है । माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने इस पैसे को विवादग्रस्त नहीं माना है....

श्री जयकृष्ण शर्मा : नहीं, मैंने यह नहीं कहा । आप इसका गलत मत कहिये ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपने कहा कि कांग्रेस कमेटी ने विवादास्पद माना है, बिलकुल ठीक है । कांग्रेस कमेटी, एक पक्ष, विवादास्पद कह सकती है । राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने क्या इस पैसे को विवाद ग्रस्त माना है ? अगर नहीं माना है, तो आप यातायात विभाग के मंत्री हैं, आप यह बतायें कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यातायात के किस नियम के तहत वसूली नहीं कर रहा है ?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय सदस्य जब कोई बात कहते हैं तो हम सुनते हैं, तो जब हम कहते हैं उसको भी उन्हें सुनना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में आपने आरोप लगाया था कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पैसा वसूल नहीं करना चाहता है । आपने पहले ही सत्र में यह प्रश्न पूछा था । जब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से राजस्थान सरकार के मंत्री ने 37 लाख 60 हजार रुपये वसूल कर लिये हैं तो यह मानें कि....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

क्या दे× × ×दी आपने ? वह तो वसूल करना ही है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की नीयत पर शंका नहीं हो सकती, क्योंकि राजस्थान सरकार....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह तो हमारा दबाव था जिससे वसूली हुई।

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कोई× × ×जनता का पैसा है....

(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जब हम उनकी बात सुनते हैं तो हमारी बात सुनने की भी आदत माननीय सदस्यों को डालनी चाहिए। वह माननीय सदस्य बात कहते हैं तो हम सुनते हैं तो हमारी बात सुनने की भी उनको आदत डालनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था वह यह था, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एक व्यापारिक संस्थान है तो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे व्यक्ति हो या संस्था हो उससे एग्रीमेन्ट करता है तो क्या वह विवादास्पद मामला दोनों तरफ से होगा तभी माना जायेगा ? एक तरफ से विवादास्पद कैसे हो सकता है ? दोनों तरफ से ही हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिए।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जो बसेज किराये पर रैली के लिए ली गयी थीं उसका एक एग्रीमेन्ट लिखा गया था कांग्रेस कमेटी और परिवहन निगम के बीच में ...

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : What is tbat ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : बता तो रहा हूं। वह किस प्रकार से किराये पर देंगे, कैसे किराया वसूल करेंगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, विस्तार में नही जायें।

श्री जय कृष्ण शर्मा : पिछली बार आप ही कहते थे कि एक पैसा भी जमा करने वाले नहीं हैं। तो 37 लाख60 हजार रुपये जमा हो गए। जो बिल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने बनाकर भेजा उस बिल के अन्दर से 4 लाख 94 हजार रुपये का उनकी. तरफ से

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

विवाद खड़ा करके कहा गया, हमारे और आपके बीच में भेजने का तय हुआ था उसमें डेस्टीनेशन का था। खाली बसेज जैसे भरतपुर डिपो में भिजवाई, अलवर डिपो में भिजवाई और जयपुर डिपो में भिजवाई उसका डेढ़ रुपया प्रति किलोमीटर जो आपने चार्ज किया वह हमारे और आपके बीच में तय नहीं हुआ था। उन्होंने यह विवाद खड़ा किया। अब उस की जांच करवा लेंगे। यह बात ठीक नहीं पाई गई तो जब 37 लाख 60 हजार ही वसूल हो गया है तो 4 लाख 98 हजार भी वसूल हो जायेगा। और अगर ठीक पाया जायेगा तो यह तो व्यापारिक संस्थान है सरकार भी अगर कोई बिल बनाती है वह बिल गलत बनता है तो सरकार भी अमेण्ड कर देती है। वैसे ही मैंने आपको कह दिया कि अगर यह गलत होगा तो 4 लाख 98 हजार भी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वसूल कर लेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुमारी पुष्पा। आर्डर आर्डर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल किया था, क्या उसके जवाब से आप सन्तुष्ट हैं? मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से जिस समझौते की चर्चा माननीय मंत्री महोदय ने की है उस से सम्बन्धित कौन सी पंक्ति है जो नहीं पढ़ी। दूसरे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का नियम है कि जो पैसे का कोटेशन देते हैं वह जमा कराना होता है, एडवान्स में जमा कराना होता है। अगर कोई विवाद हो उसका, अगर पक्ष में फैसला हो गया तो फैसला होने पर वापस रिफण्ड किया जाता है। माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि 37 लाख 60 हजार जमा हो गया तो यह तो हमारा दबाव था, राजस्थान विधान सभा का दबाव था, जिसके कारण आपने जमा कराया। वह नियम बतायें कि जिस नियम के तहत आप वसूली नहीं कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्या को पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दी है। कृपया स्थान ग्रहण करें। कुमारी पुष्पा।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या यह सच है कि पिछले विधान सभा सत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरी बकाया राशि विधान सभा के इस सत्र के होने से पूर्व जमा करवाने का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो उस समय मुख्य मंत्री जी यह मुद्दा क्यों नहीं सदन के नोटिस में लाये कि यह राशि विवादास्पद है, जमा कराने में शायद कठिनाई आ सकती है? अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि कांग्रेस पार्टी

(सुश्री पुष्पा जैन)

को अब नया विवाद उठाकर पैसा जमा करवाने से बचाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : No. No.

एक माननीय सदस्य : उस समय भी विवादास्पद की बात कही थी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मुख्य सचेतक।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूतपूर्व यूनियन होम मिनिस्टर श्री चरणसिंह की रैली के समय आप बिजली के मिनिस्टर थे आपने जो राशि उठाई थी उसका आपने हिसाब नहीं :या....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपकी सरकार है जांच करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कहा था कि विधान सभा आने से पहले पूरा पैसा जमा करा दिया जायेगा। पूरा पैसा जमा नहीं करवाया। यह विधान सभा की अवमानना है....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

काफी चर्चा हो चुकी इस प्रश्न पर। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, यह इन्होंने कहा है किXXX यह शब्द कार्यवाही से निकाले जाने चाहिये।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या ब्याज की रकम कांग्रेस पार्टी से ली जायगी, इसका उत्तर मंत्री महोदय दें ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री भंवरलाल शर्मा : 6 लाख बकाया बताया है, 4 लाख का विवाद है, बाकी दो लाख का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, निगम पहले से ही घाटे में चल रहा है। जनता के ऊपर रोजाना कर भार बढ़ाया जा रहा है। हर तीसरे महीने 10 प्रतिशत किराया बढ़ाया जा रहा है। ऐसे हालात के अन्दर कांग्रेस पार्टी को नाजायज फायदा देकर क्या निगम को घाटे में नहीं डाला जा रहा है ?

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : जिसके कारण यह निगम बार बार घाटे में जा रहा है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय को तुरन्त अभी इस्तीफा दे देना चाहिये।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला जैसलमेर का भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का मुख्यालय

63. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का मुख्यालय बाड़मेर में है? क्या यह सही है कि इस विभाग का कोई कर्मचारी/अधिकारी इस जिले में कार्यरत नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इस विभाग की शाखा या कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक खोल दिया जावेगा?

उत्तर

जिला जैसलमेर, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, चौकी बाड़मेर के कार्यक्षेत्र में आता है और बाड़मेर से ही इस क्षेत्र का नियंत्रण किया जाता है। जैसलमेर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का अलग से कोई अधिकारी या कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

जैसलमेर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की चौकी स्थापित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

डकैतियों की घटनायें

64. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) एवं **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1981 तक राज्य में कितनी डकैतियां हुईं? कृपया स्थान, दिनांक, कितना माल लूटा गया सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन डकैतियों में से कुछ का पता लगा है? यदि हां, तो कौन-कौनसी का? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में राज्य में कुल कितने डाकू पकड़े गये, कितने मारे गये व उनसे कुल कितना माल बरामद हुआ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) इन डाकुओं पर किन किन धाराओं के अन्तर्गत कितने मुकदमे दर्ज थे?

उत्तर

(1) जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1981 तक राजस्थान में डकैती के कुल 265 अभियोग पंजीकृत हुए। वांछित सूची संलग्न है।

(2) जी हां। संलग्न सूची के कालम 9 में इस सम्बन्ध का ब्यौरा अंकित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

मिनी सीमेन्ट फैक्ट्रीज की मांग

65. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में छोटी सीमेन्ट फैक्ट्रीज के लगाने के लिए भारी संख्या में प्रार्थना-पत्र केन्द्र एवं राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है ?

(2) क्या सरकार छोटी सीमेन्ट फैक्ट्री के लाइसेन्स दिये जाने के खिलाफ है ? अब तक कुल कितनी छोटी सीमेन्ट फैक्ट्रीज को लाइसेन्स दिए गए हैं ? उनमें कितनी पूंजी का नियोजन होगा तथा कितने लोगों को काम मिलेगा ?

उत्तर

(1) मिनी सीमेन्ट प्लांट लगाने हेतु कुल 8 इकाइयों को 66,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता के आशय-पत्र प्राप्त हो चुके हैं। इनमें दो सफेद सीमेन्ट विनिर्माण के आशय पत्र भी सम्मिलित हैं। दो इकाई द्वारा मिनी सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित किये जाने हेतु डी० जी० टी० डी० में पंजीयन हो चुका है। दो इकाइयों के आवेदन भारत सरकार को आशय-पत्र प्रेषित करने हेतु राज्य सरकार की सिफारिश कर भिजवाये जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त केवल चार पार्टियों के आवेदन डी० जी० टी० डी० में पंजीयन हेतु विचाराधीन हैं, जिनके सम्बन्ध में खनिज विभाग से चूने के पत्थर की उपलब्धता का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी नहीं। अब तक मिनी सीमेन्ट प्लांट स्थापित करने हेतु आठ इकाइयों को आशय-पत्र एवं दो को डी० जी० टी० डी० पंजीयन प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 157 इकाईयों को छोटी सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने हेतु उद्योग विभाग द्वारा अस्थायी पंजीकृत किया जा चुका है। इनमें लगभग 59·40 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन होगा तथा 7491 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

चालू वित्तीय वर्ष की योजना पर व्यय

66. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वित्तीय वर्ष में कुल कितनी योजना राशि खर्च करने का प्रावधान है ? 30 दिसम्बर, 1981 तक कुल राशि का कितना प्रतिशत खर्च किया गया है ? इसमें केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई तथा राज्य सरकार ने अपने वित्तीय स्रोतों से कितनी धनराशि खर्च की ?

(2) 31 मार्च, 1982 तक क्या सरकार इस सम्बन्ध में पूर्ण राशि खर्च करने का विचार रखती है ? क्या यह सही है कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य के ओवर ड्राफ्ट के कारण से इस वर्ष के योजना व्यय में कटौती की गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये योजना आयोग द्वारा मूल रूप में 340

(२४)

(योजना मंत्री)

करोड़ रु० की वार्षिक योजना अनुमोदित की गई। राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किये गये आय व्ययक 1981-82 में योजनान्तर्गत 360.06 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया। जिसमें राहत के लिये भारत सरकार से अग्रिम योजना सहायता के रूप में सम्भावित 17 करोड़ रुपये की राशि और 3.06 करोड़ रुपये योजना अधिक्य की राशि सम्मिलित थी। 340 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना के विरुद्ध संशोधित प्रावधान 345.53 करोड़ रुपये आंका गया है। भारत सरकार से राहत कार्यों के लिये अग्रिम योजना सहायता के रूप में माह सितम्बर तक व्यय हेतु 29.90 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये। इसके अतिरिक्त 37.16 करोड़ रुपये की राशि राहत कार्यों के लिये 1-10-81 से 3-3-82 तक व्यय हेतु केन्द्र सरकार द्वारा और स्वीकृत की गई है। वार्षिक योजना 81-82 के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 81 तक लगभग 58 प्रतिशत व्यय होना अनुमानित है। इसी प्रकार अग्रिम योजना सहायता (राहत कार्य) हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 81-82 के लिये स्वीकृत कुल राशि 6 .06 करोड़ रु० दिसम्बर, 81 तक शत प्रतिशत उपयोग की जा चुकी है। योजना व्यय में भारत सरकार तथा राज्य सरकार के वित्तीय साधनों से खर्च का अलग अलग कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता है। वार्षिक योजना 81-82 के लिये 123.60 करोड़ रु० य सहायता उपलब्ध होगी तथा अग्रिम योजना सहायता की पूरी राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) जी हां। जैसा मूल प्रश्न भाग (1) के उत्तर से आभास होगा कि मूल रूप में स्वीकृत वार्षिक योजना के आकार में कोई कटौती नहीं है।

जिला झुन्झुनू की गोचर एवं सिवाय चक भूमि पर जंगलात का अवैध कब्जा

67. **श्री मालाराम (खेतड़ी)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला झुन्झुनू में कितनी गोचर भूमि और कितनी सिवाय चक भूमि पर जंगलात का अवैध कब्जा है और इनको वन विभाग से मुक्त कराने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

झुंझुनू जिले की गोचर व सिवाय चक भूमि पर जंगलात विभाग का कोई अवैध कब्जा नहीं है।

बड़गांव की नहर से सिंचाई सुविधा

68. **श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बड़गांव की नहर द्वारा ग्राम आजोदरा, सोगावास, डोडवादीया, वगैरह को सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या पानी तमाम किसानों को समान रूप से दिया जाता है ?

(श्री रतनाराम चौधरी)

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त गांवों के अनुसूचित जनजाति के व अन्य गरीब काश्तकारों को उनके हिस्से का पानी बराबर नहीं मिल पाता है ?

(3) यदि हां, तो सरकार गरीबों को भी बराबर पानी मिले ऐसी कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। किसानों को सिंचाई हेतु पानी, जल वितरण कमेटी के निर्णय के अनुसार नहर से छोड़ा जाता है।

(2) जी नहीं। इस सम्बन्ध में किसी काश्तकार से सिंचाई विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(3) प्रश्न नहीं उठता। सरकार हमेशा सभी काश्तकारों को उनके हिस्से का पूरा पानी मिले उसके लिए भरसक प्रयत्न करती है।

पंचायत समिति जसवंतपुरा व रानीवाड़ा के सिंचाई के बांध

69. **श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति जसवंतपुरा के किन किन गांवों में कितने सिंचाई के बांधों के काम चालू हैं ?

(2) जसवंतपुरा पंचायत समिति में कौन कौनसे नये बांधों की सर्वे की जा चुकी है तथा कितने बांधों का प्रस्ताव तैयार किया गया है ?

(3) रानीवाड़ा पंचायत समिति में कितने पुराने बांध टूटे हुए अधूरे पड़े हैं ? क्या टूटे हुए बांधों को फिर से बंधाने का सरकार विचार रखती है ?

(4) रानीवाड़ा पंचायत समिति में कितने बांधों की सर्वे की जा चुकी है और किन किन बांधों का निर्माण कार्य चालू है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति जसवंतपुरा में वर्तमान में कोई भी सिंचाई का बांध निर्माणाधीन नहीं है।

(2) जसवंतपुरा पंचायत समिति में भीनमाल नहर, मागी पिकअप वियर बान्द्री तेन्दरा, मोदरा तालाब तथा मृहतरासिली तालाब नहर के सर्वे का कार्य पूर्ण किया चुका है। प्रथम दो कार्यों के प्रस्तावों की विभाग द्वारा जांच की जा रही है। तृतीय कार्य के प्रस्ताव की जांच केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की जा रही है। अन्तिम दो प्रस्ताव राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधीश के विचाराधीन हैं।

(3) रानीवाड़ा पंचायत समिति में सिर्फ एक करवाड़ा बांध टूटा हुआ है। जिसका पुनः निर्माण लाभदायक नहीं है, (बी. सी. रेश्यो एक से कम है) अतः इसके निर्माण का प्रश्न नहीं उठता है।

(सिंचाई मंत्री)

(4) रानीवाड़ा पंचायत समिति में निम्नलिखित सात बांधों की सर्वे की जा चुकी है तथा अन्तिम पांच कार्यों के आंकलनों की जांच की जा रही है। प्रथम दो दौलपुरा नहर योजना एवं सिलवासन बांध को ऊंचा कराने के कार्य प्रारम्भ करवा दिये गये हैं।

1. दौलपुरा नहर योजना
2. सिलवासन बांध को ऊंचा करना
3. केर सिंचाई योजना
4. बड़गांव पिकअप वियर
5. जैतपुरा सिंचाई योजना
6. करड़ा बांध
7. मालवाड़ा बांध

बौंली, बामनवास तहसील (सवाई माधोपुर) में अकाल राहत कार्य

70. **श्री कुन्जीलाल** (बामनवास) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत के अन्तर्गत जिला सवाई माधोपुर की तहसील बौंली, बामनवास में कार्य हो रहे हैं ? यदि हां, तो कहां कहां क्या क्या कार्य करवाये जा रहे हैं?

(2) उक्त अकाल राहत कार्यों में कितने बेरोजगार लाभान्वित हो रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। तहसील बौंली एवं बामनवास में अकाल राहत के अन्तर्गत विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से राहत कार्य कराये जा रहे हैं।

(2) उक्त अकाल राहत कार्यों में बेरोजगार लाभान्वित व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ठ 6 देखें)

ग्राम कालावाड़ (जयपुर) के मृतक श्री रामपाल के परिवार को मदद

71. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सच है कि जयपुर जिले में आई बाढ़ के कारण दिनांक 18-7-1981 को ग्राम कालावाड़ (तहसील जयपुर) के श्री रामपाल कुमावत मिस्त्री की कालावाड़ में बांडी नदी के भयंकर बहाव के कारण बह जाने से मृत्यु हो गई ?

(2) क्या यह भी सच है कि उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट तहसीलदार, जयपुर ने करीब एक सप्ताह के अन्दर जिलाधीश, जयपुर को दे दी थी ?

(3) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने अभी तक श्री रामपाल पर आश्रित उसके परिवार को किसी तरह की कोई मदद नहीं दी है ?

(4) क्या यह सच है कि मृतक के परिवार में उसकी विधवा स्त्री व पांच नाबालिग बच्चे हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त परिवार को कोई मदद देने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री)

(2) जी, हां। तहसीलदार जयपुर से 20. 8. 81 को रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी।

(3) जी, नहीं। मृतक श्री रामपाल की विधवा श्रीमती गेंटी उर्फ प्रभाती को 5 हजार रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(4) जी, हां।

(5) राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार आवश्यक मदद दी जा चुकी है।

शाहपुरा कस्बे (भीलवाड़ा) को बनास नदी से जलप्रदाय

72. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे को बनास नदी से पीने का पानी उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि हां, तो इस योजना पर कब से कार्य प्रारम्भ हुआ व कुल कितना खर्चा आयेगा ? कितनी लम्बी पाइप लाइन डाली जायेगी तथा काय कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे को बनास नदी से पीने का पानी उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना पर 1977–78 से कार्य प्रारम्भ हुआ था। इस योजना की स्वीकृत लागत 54·85 लाख रुपये थी जो जनवरी, 1982 तक खर्च हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 6·00 लाख रुपये और खर्च होने की सम्भावना है। योजना के अनुसार बनास नदी में स्रोत का निर्माण कर लगभग 23 किलोमीटर लम्बी लाइन डाली गयी है। योजना के स्रोत का सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा पूरी लाइन भी बिछाई जा चुकी है। पाइप लाइन का टेस्टिंग का कार्य अन्तिम चरणों में है तथा ग्रीष्म ऋतु से पहले पहले शाहपुरा नगर को बनास स्रोत से पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा।

तहसील कोलायत के गांवों का विद्युतीकरण

73. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील कोलायत के कितने गांव विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये गये हैं और उनमें से कितने गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1981–82 में इस क्षेत्र के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना सरकार के विचाराधीन है ? कृपया ग्राम–वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना कितने समय से बाकी है ?

(4) तहसील कोलायत को पूर्णतः कब तक विद्युतीकृत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) कोलायत तहसील के कुल 192

(28)

(ऊर्जा मंत्री)

ग्राम विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 57 ग्रामों का विद्युतीकरण माह जनवरी, 1982 के अन्त तक किया जा चुका है। सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1981-82 में इस क्षेत्र के 38 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है। ग्राम-वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त 38 ग्रामों का विद्युतीकरण स्वीकृत योजनाओं के प्रथम वर्ष (1980-81) में प्रस्तावित था।

(4) कोलायत तहसील के शत प्रतिशत विद्युतीकरण की अभी कोई योजना स्वीकृत नहीं है। अतः इसके बारे में निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राजस्थान नहर, चम्बल व जाखम सिंचाई परियोजनाओं पर छोटे पन बिजलीघर

74. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान विद्युत मण्डल, राजस्थान नहर, चम्बल व जाखम सिंचाई परियोजना पर छोटे पन बिजलीघर बनाने का विचार कर रहा है?

(2) यदि हां, तो ये पन बिजलीघर कितने मेगावाट बिजली पैदा करेंगे तथा किन किन स्थानों पर बनाये जायेंगे?

(3) क्या इन पन बिजलीघरों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां हो चुकी हैं तथा क्या योजना आयोग ने इनकी मंजूरी दे दी है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्थान नहर की अनूपगढ़ शाखा पर प्रस्तावित बिजलीघरों की क्षमता 9 मेगावाट तथा चम्बल की दाईं मुख्य नहर पर प्रस्तावित बिजलीघर की क्षमता 6 मेगावाट होगी। राजस्थान नहर की सूरतगढ़ व चारनवाली शाखाओं पर तथा जाखम सिंचाई परियोजना पर प्रस्तावित बिजलीघरों की क्षमता पूर्ण सर्वेक्षण के पश्चात् ही निर्धारित होगी।

(3) राजस्थान नहर की अनूपगढ़ शाखा तथा परियोजना की दायीं मुख्य नहर पर स्थापित होने वाले बिजलीघरों के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अनूपगढ़ शाखा पर स्थापित होने वाले बिजलीघर के लिए योजना आयोग से भी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

राज्य विद्युत मण्डल के वर्कचार्ज्ड श्रमिक

75. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस समय राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में कितने वर्कचार्ज्ड श्रमिक कार्य कर रहे हैं?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) क्या राज्य विद्युत मण्डल वर्कचार्ज्ड श्रमिकों को नियमित करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो किस तिथि को कितने श्रमिकों को नियमित किया जायेगा ?

उत्तर

(1) दिनांक 31.3.81 को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में डेली वेजेज पर नियुक्त कंजुअल श्रमिकों की संख्या 1990 थी एवं इसके अलावा 14,302 वर्कचार्ज्ड श्रमिक ऐसे थे जो दैनिक अथवा मासिक वेतन पर मण्डल में कार्यरत थे।

(2) जी हां। डेली वेजेज पर नियुक्त श्रमिकों को नियमित करने के लिए पहले से ही एक प्रक्रिया निर्धारित है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक दैनिक वेतन भोगी श्रमिक 2 वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि पूर्ण कर लेने पर अगली एक अप्रेल को नियमित वेतन शृंखला में नियमित किये जाने का पात्र हो जाता है। नियमितिकरण उसके अन्यथा योग्य होने एवं रिक्त पद अथवा नये पद भरने की आवश्यकता होने पर सम्भव होता है। "सिंह-संचेती" अवार्ड के अधीन विद्युत मण्डल द्वारा ऐसे सभी श्रमिकों को, जिन्होंने 1.4.1980 तक 2 वर्ष का निरन्तर सेवाकाल पूर्ण कर लिया था, नियमित वेतनमान में नियमित किया जा चुका है तथा जिन्होंने दिनांक 1.4.1981 तक 2 वर्ष का निरन्तर सेवाकाल पूर्ण कर लिया है उन्हें नियमित वेतनमान में नियमित किये जाने की प्रक्रिया चालू है। इससे दिनांक 1.4.81 से लगभग 6000 श्रमिकों के नियमित वेतन शृंखला में नियमितिकरण किये जाने की सम्भावना है।

अजमेर स्थित मेडिकल कालेज के छात्रों द्वारा हड़ताल

76. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नवम्बर, 1981 में अजमेर के मेडिकल छात्रों ने हड़ताल की तथा सरकार को मांगों के सम्बन्ध में ज्ञापन दिया ? यदि हां, तो कृपया ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मेडिकल छात्रों ने हाउस जॉब देने में सामान्य पूल प्रणाली को समाप्त करने की मांग की है तथा क्या सरकार हाउस जॉब देने में पूल प्रणाली को समाप्त करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) छात्रों की मांगों में एक मांग यह भी थी कि पूल प्रणाली लागू की जावे या सब कालेजों में हाउस जॉब में बराबर अवसर किया जावे।

पूल प्रणाली के सम्बन्ध में इस वर्ष नये गाइड लाइन निकाल दिये गये हैं।

(ज्ञापन के लिए कृपया परिशिष्ट x देखें)

जयपुर एवं उदयपुर नगरों में दस्तकारों के लिए पृथक बस्तियां

77. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर एवं उदयपुर में दस्तकारों के लिए अलग से बस्ती बनाने का सरकार विचार कर रही है ?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) इस प्रकार की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

रामगंज मण्डी गोवर्धनपुरा (कोटा) की भूमि का आवासन प्रयोजनार्थ अवाप्तिकरण

78. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की रामगंज मण्डी गोवर्धनपुरा की भूमि आवासन मण्डल हेतु सरकार ने अवाप्त की थी ? यदि हां, तो कितनी भूमि और क्या आवासन मण्डल ने वहां कार्य प्रारम्भ कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) कितनी जमीनें सरकार अवाप्त कर चुकी है ? आवासन मण्डल के मकानों हेतु अब तक कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो चुके हैं ?

(3) आवासन मण्डल द्वारा मकान बनाने का कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

(4) क्या सरकार रामगंज मण्डी से जुल्मी रोड पर रामगंज मण्डी के पास की सरकारी भूमि को आवासन मण्डल को देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि कोटा जिले के रामगंज मण्डी के गोवर्धनपुरा गांव में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही आवासन मण्डल हेतु राज्य सरकार ने आरम्भ की है। यह भूमि 69 बीघा 14 बिस्वा है। अवाप्ति की कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है, अतः कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है।

(2) उपरोक्त उत्तर संख्या 1 की भूमि के अतिरिक्त रामगंज मण्डी में 18 बीघा 19 बिस्वा भूमि अलग से अवाप्त करने की कार्यवाही भी चल रही है। आवासन मण्डल को दिसम्बर, 1981 तक 369 प्रार्थना-पत्र मकान बनाने हेतु रामगंज मण्डी में प्राप्त हो चुके हैं।

(3) मकान बनाने का कार्य इस वर्ष 1982 के अन्त तक आरम्भ हो सकेगा। बशर्ते कि भूमि अवाप्त होकर कब्जा प्राप्त हो जावे।

(ग्रावासन मंत्री)

(4) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पाली-सोजत मार्ग पर चालित बसेज को मारवाड़ जंक्शन तक चलाना

79. **श्री भैरूंसिंह गुजर्र** (खारची) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार पाली से सोजत के बीच चलने वाली राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को मारवाड़ जंक्शन तक चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या इस रास्ते का सर्वे कराया जा चुका है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। सर्वे शीघ्र कराया जा रहा है।

कोटा-बारां मार्ग पर चालित बसेज

80. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) एवं **श्री हीरालाल ग्रार्य** (पीपल्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा-बारां मार्ग पर गत दो मास में निर्धारित समय पर चलने वाली बसों का क्या प्रतिशत है ?

(2) क्या यह सच है कि उस मार्ग पर चलने वाली बसों की शिकायत पुस्तिका में शिकायतें लिखने के उपरान्त भी शिकायतकर्ता को विभाग की ग्रोर से कोई सूचना नहीं दी जाती है ?

(3) क्या यह भी सच है कि कोटा-बारां मार्ग पर बसेज रद्द करने के पश्चात् बस स्टेशन पर यात्रियों को इसकी सूचना नहीं दी जाती है ?

उत्तर

(1) कोटा-बारां मार्ग पर 2 मास (दिसम्बर, 81 जनवरी, 82) में संचालित किये गये परिचक्रों में से निर्धारित समय पर संचालित हुए परिचक्रों का प्रतिशत 75·57 है।

(2) जी नहीं। इस सम्बन्ध में माह नवम्बर, 81 से फरवरी, 82 की ग्रवधि में 3 लिखित शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें एक शिकायत स्थानीय विधायक महोदय की भी थी। दो शिकायतकर्ताग्रों को जिनकी सूचना पत्र दि. 19-11-81 एवं 9-2-82 द्वारा दी गई थी। एक शिकायतकर्ता का पूर्ण पता उपलब्ध न होने के कारण सूचना प्रेषित नहीं की जा सकी।

(3) जी नहीं। कोटा केन्द्रीय बस स्टैण्ड पर स्थित पूछताछ शाखा एवं बारां में पदस्थापित डयूटी ग्राफिसर द्वारा यांत्रिक दोषों के कारण रद्द की जाने वाली बसों की सूचना यात्रियों को बस स्टेशन पर दी जाती है।

बीकानेर नगर में सी. टी. एस. बसेज चलाना

81. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री देवीसिंह भाटी)

(1) क्या बीकानेर नगर में सी. टी. एस. बसेज चलाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो ये बसेज कब तक चला दी जायेंगी ?

(2) क्या उक्त सी. टी. एस. बसेज सरकार द्वारा चलाई जायेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में चार निजी बसे चलाई जा रही हैं तथा चार परमिट नगर विकास न्यास को स्वीकृत किये गये हैं जो अप्रेल, 1982 तक चलाने की सम्भावना है।

(2) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

केशोरायपाटन (बूंदी) में निगम की बसों हेतु बस स्टैण्ड की व्यवस्था

82. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि केशोरायपाटन जिला बूंदी में राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के ठहरने के लिये उचित बस स्टैण्ड नहीं है ? यदि हां, तो निगम द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जमीन आवंटन हेतु प्रयत्न जारी है। जमीन के आवंटन एवं हस्तानान्तरण हो जाने पर बस के ठहराव स्थल की समुचित व्यवस्था की जा सकेगी।

जिला झालावाड़ क्षेत्र में ताम्बे पर आधारित उद्योग की स्थापना करना

83. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य के झालावाड़ जिले के चारों ओर ताम्बे के भण्डार का पता चला है ? यदि हां, तो यह भण्डार कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं तथा इनमें कितना प्रतिशत ताम्बा है ? यह ताम्बा किस श्रेणी का है ? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(2) क्या राज्य सरकार ताम्बे पर आधारित कोई उद्योग इस क्षेत्र में लगाने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) झालावाड़ कस्बे के पास ताम्र खनिज के केवल संकेत मिले हैं।

(2) पूर्व में राज्य के खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया गया था किन्तु भू रासायनिक सर्वेक्षण में उत्साहजनक परिणाम नहीं मिलने से कोई खनन योजना विचाराधीन नहीं है।

जिला सिरोही में टंगस्टन धातु के भण्डार

84. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला सिरोही में टंगस्टन के अनेक नये भण्डारों की खोज इस साल की गई ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) यदि हां, तो कितने लम्बे क्षेत्र में टंगस्टन पाया गया है तथा इसकी कितनी चौड़ाई है ? क्या इसका खनन कार्य प्रारम्भ हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह धातु किस काम में आती है ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में वर्ष 1977–78 में बाल्डा के पास भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने टंगस्टन के भण्डारों की प्रारम्भिक खोज की थी। इन भण्डारों की विस्तृत खोज का कार्य वर्ष 78–79 से अब तक किया जा रहा है। इसके अलावा देव का बेरा, खेरा उपरेला व आसपास के क्षेत्रों में भी टंगस्टन धातु के संकेतों के आधार पर भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य इस वर्ष प्रारम्भ किया है।

(2) बाल्डा क्षेत्र में टंगस्टन धातु करीब 2·5 कि० मी० लम्बे व 500 मी० चौड़े क्षेत्र में पाई गई है परन्तु जो धारियां पाई गई हैं वह बहुत ही सूक्ष्म हैं व इनमें खनिज की मात्रा भी बहुत कम (0·13%) है। इस क्षेत्र में व्यवसायिक खनन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है क्योंकि खनिज की धारियां इस तरह से बिखरी हुई हैं कि खनन के पूर्व प्रायोगिक (Exploratory Mining) खनन आवश्यक है। इस कार्य हेतु भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, खनिज गवेषण निगम, नागपुर व राजस्थान खनिज विकास निगम, सामूहिक रूप से योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे। इसके पश्चात् खनिज के नमूनों के परिष्करण (बेनीफिसियेशन) सम्बन्धी प्रयोग पूरे होने पर व्यवसायिक तौर पर खनन कार्य किया जा सकेगा। इस क्षेत्र का खनन पट्टा अभी किसी भी संस्था को नहीं दिया गया है।

अलवर नगर न्यास द्वारा स्वीकृत भिन्न-भिन्न आवासीय योजनाओं में आवंटन योग्य भूखंडों की रिजर्व प्राइस

85. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सन् 1975 से सन् 1980 तक अलवर नगर न्यास द्वारा स्वीकृत भिन्न-भिन्न आवासीय योजनाओं में आवंटन योग्य भू-खण्डों की क्या 'रिजर्व प्राइस' तय की गई ? कृपया प्रत्येक योजना के अनुसार रिजर्व प्राइस का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवासीय योजनाओं में नीलाम द्वारा बेचे गये भूखण्डों में निम्नतम एवं उच्चतम बोली क्या लगी ? प्रत्येक योजनानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सन् 1975 से सन् 1980 तक न्यास द्वारा अवाप्त की गई कृषि भूमि का मुआवजा कृषकों को किस-किस दर से दिया गया ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 व 2) अलवर नगर विकास न्यास

नगर आयोजना मंत्री)

की विभिन्न योजनाओं के आवंटन योग्य भूखण्डों की योजनावार तयशुदा रिजर्व प्राइस तथा नीलामी में प्राप्त न्यूनतम एवं उच्चतम बोली की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

(3) वर्ष 1975 में काश्तकारान को 5,000/- रुपये प्रति बीघा मुआवजा दिया गया।

(4) वर्ष 1976 से 1980 तक चाही भूमि का मुआवजा रु. 12,000 प्रति बीघा व बारानी भूमि का रु. 10,000 प्रति बीघा मुआवजा दिया गया।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

चुंगी की दरों में एकरूपता लाना

86. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार सम्पूर्ण प्रदेश में चुंगी की दरों में एकरूपता लाने का विचार कर रही है ?

(2) क्या राज्य सरकार चुंगी दर का निर्धारण तौल के आधार पर करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो ये कब से लागू करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) चुंगी दरों का मामला अभी विचाराधीन है। निर्णय होने के पश्चात् ही बतलाया जा सकेगा।

ग्राम गिराब व भिन्भनीयाली को ग्रेवल्ड रोड को बी. टी. रोड में परिणत करना

87. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के ग्राम गिराब की आबादी बहुत बढ़ी है और उसमें पुलिस थाना है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर का गांव भिन्भनीयाली भी बहुत बड़ा ग्राम है और उसमें पुलिस थाना भी है ?

(3) क्या गिराब से भिन्भनीयाली दोनों जिलों की तरफ से एडवान्स प्लान में इस ग्रेवल्ड रोड को बी. टी रोड किये जाने का सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में गिराब गांव की आबादी (जनगणना वर्ष 1971 के अनुसार) 2197 है। यहां पुलिस थाना भी है।

(2) जैसलमेर जिले में भिन्भनीयाली गांव की आबादी (जनगणना वर्ष 1971 के अनुसार) 1048 है। वहां पर भी पुलिस थाना है।

(3) बाड़मेर जिले में गिराब डांमर की सड़क से जुड़ा हुआ है व जैसलमेर जिले

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

में झिन्झनीयाली गांव तक ग्रेवल की सड़क बन चुकी है। धनाभाव के कारण दोनों गांवों को सीधे सड़क से जोड़ने की योजना विचाराधीन नहीं है।

जिला कोटा में अन्ता से काचरी तक पक्की सड़क का निर्माण

88. **श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा में अन्ता से काचरी (ग्राम पंचायत केन्द्र) तक की सड़क कब तक पक्की बना दी जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि रेलवे फाटक के बाद यह सड़क हमेशा मुख्य नहर के झरते पानी से भरी रहती है जो किसानों के लिए संकट पूर्ण होती है ?

(3) क्या सरकार के ध्यान में है कि काचरी का थाना, चिकित्सालय, तहसील, कृषि उपज मण्डी, विद्युत विभाग सभी अन्ता में हैं और उक्त सड़क के पक्का न होने के कारण लोगों को काफी कठिनाई होती है ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में अन्ता से काचरी (ग्राम पंचायत केन्द्र) तक सड़क बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) रेलवे फाटक के पास काचरी (जनसंख्या वर्ष 1971 के अनुसार 576) जाने का रास्ता दाईं मुख्य नहर के झरते हुए पानी से कभी-कभी भरा रहता है ऐसी स्थिति में यातायात के लिए कठिनाई होना स्वाभाविक है।

(3) जी हां।

पक्की सड़क न होने से कठिनाई स्वाभाविक है।

अलवर में रेलवे क्रासिंग पर उपरि पुल का निर्माण

89. **श्री जीतमल जैन (अलवर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर के बढ़ते हुये ट्रैफिक को देखते हुये क्या रेलवे क्रासिंग पर ओवर हैड ब्रिज की सरकार आवश्यकता महसूस करती है ?

(2) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई योजना विचारधीन है ?

(3) यदि हां, तो उस पर अमल कब से प्रारम्भ हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

जयपुर में श्रीजी की मोरी स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के मकानात

90. **श्री मनफूलराम, केसरीसिंहपुर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री मनफूल राम)

(1) क्या यह सही है कि त्रिपोलिया बाजार, जयपुर में श्रीजी की मोरी के अन्दर सार्वजनिक निर्माण विभाग के मकानात हैं ? यदि हां, तो कितने कितने और किन किन कब्जे में हैं और कितने मकानों के मामले न्यायालय में चल रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि भवन संख्या 976 सार्वजनिक निर्माण विभाग का है ? यदि हां, तो वर्तमान में यह किसके पास है ? क्या इस भवन का कोई मामला न्यायालय में चल रहा है ? यदि हां, तो कृपया पार्टी का नाम बतायें ।

उत्तर

(1) यह सही है कि श्रीजी की मोरी के अन्दर कुछ सरकारी मकानात हैं । जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

सम्पत्ति नं. **नाम निवासी**

1-पी-91 राजस्थान ट्रंक कम्पनी जयपुर (श्रीमती रानी रवि किरण कुमारी द्वारा रखा हुआ किरायेदार)

2-पी-92 दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि० (सा० नि० वि० द्वारा किरायेदार) ।

3-पी-93 श्रीमती रानी रवि किरण कुमारी

4-पी-95 श्री मोहम्मद शहीद (किरायेदार विभाग)

5-पी-96 श्री मोहम्मद शहीद (किरायेदार विभाग)

6-पी-97 श्री मोहम्मद सलाम (किरायेदार विभाग)

7-पी-98 श्री मोला बक्श (किरायेदार विभाग)

8-पी-104 श्रीमती रानी रवि किरण कुमारी द्वारा रखे गये निम्न किरायेदार—

1. श्री किशन सहाय
2. श्री केसर लाल
3. श्री श्याम सुन्दर

9. नोहरा जयपुर साइकिल एण्ड पार्ट्स (खुली जमीन) इंडस्ट्रीज (रानी रवि किरण कुमारी द्वारा किरायेदार ।)

उपरोक्त सम्पत्तियों में से क्रम सं० 1, 3, 8 व 9 का मुकदमा राज० उच्च न्यायालय, जयपुर में चल रहा है । क्रम सं० 4 व 5 का मुकदमा सम्पदा अधिकारी, वृत्त प्रथम, जयपुर के निर्णय के पश्चात् डिस्ट्रिक्ट जज के न्यायालय में चल रहा है एवं क्र. सं. 6 का फैसला सम्पदा अधिकारी के यहां से हो चुका है और कब्जा लेने की कार्यवाही की जा रही है ।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग का नोहरा न० पी-104 श्रीजी की मोरी के अन्दर स्थित है जिस पर नगर परिषद् का नं० 976 लगा हुआ है । पैरा न० 1 के उत्तर में लिखा जा चुका है कि इस सम्पत्ति का मुकदमा अन्य तीन के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय में चल रहा है ।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

पार्टी का नाम राजस्थान सरकार बनाम श्रीमती रवि किरण कुमारी एवं अन्य ।

जिला बाड़मेर में गडरा रोड राणासर बीरों के फार्म्स में पौधों के संरक्षण की व्यवस्था

91. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अक्टूबर, 1981 में जिला बाड़मेर के गडरा रोड बड़ा फार्म में पौधों को पानी पिलाने के लिए 8, 000/–रुपये व्यय किए गए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला बाड़मेर के राणासर बीड में भी पौधों को पानी पिलाने के लिए 4, 000/–रुपया व्यय हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि गडरा रोड नर्सरी में सिर्फ दो मजदूर हैं जबकि मस्टर रोल में सात नाम हैं ?

(4) गडरा रोड-राणासर-बीरों में पौधों को पानी पिलाने के लिए कितने मजदूर रखे गए थे और किस अधिकारी द्वारा कितना कितना भुगतान किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। गडरा रोड नर्सरी के मस्टर रोल में माह अक्टूबर, 1981 में 5 श्रमिक कार्यरत थे।

(4) गडरा रोड-राणासर बीटों में, पुराने क्षेत्र होने के कारण, पौधों को पानी पिलाने के लिए कोई मजदूर नहीं लगाये गए। इसलिए भुगतान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के नन्दराय ग्राम में महिलाओं तथा जन समूह पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के विषय में।

(2) श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीमाधोपुर तहसील के कस्बा अजीतगढ़ में गत 30 जनवरी को नसबन्दी करते समय एक रैगर हरिजन महिला की मृत्यु हो जाने के विषय में।

(3) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बांसवाड़ा के पीपल्दा ग्राम के लुहारिया थाने में पुलिस की पिटाई से खातिया आदिवासी की मृत्यु हो जाने के विषय में।

(4) श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के भवानी मण्डी कस्बे में लेडी डाक्टर तथा

(श्री अध्यक्ष)

रायपुर कस्बे में डाक्टर नहीं होने के विषय में।

(5) सुश्री पुष्पा जैन व श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 23 व 24 फरवरी को गांधी सागर बांध में हुए विस्फोटों से जन साधारण में आतंक उत्पन्न हो जाने के विषय में।

(6) श्री गुलाबचंद कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत राज कर्मचारी संघ द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के विषय में।

(7) श्री चुन्नीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर की तहसील बौंली के थाना मलारना डूंगर के ऐदलकी के मेले में असामाजिक तत्वों द्वारा गत 8 फरवरी को की गई लूटपाट की घटना के विषय में।

(8) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर में गत वर्षों से आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार से मिली सहायता के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कोई धनराशि का प्रावधान नहीं करने के विषय में।

(9) सर्व श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, नाथूसिंह, घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले में आसपुर से 8 किलोमीटर दूर सोम कामला अम्बा बांध पर खुदाई करते समय मिट्टी गिरने से करीब 20 मजदूर दबने तथा इनमें से 12 की मृत्यु हो जाने के विषय में।

(10) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, राजस्थान विधान सभा की ओर से कल 25 फरवरी को विधान सभा में आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित एक प्रश्न के उत्तर में दिये गये मुद्दों से सम्बन्धित पत्रावलियां गायब करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि विभाग में उप निदेशकों के पद पर गत 12 फरवरी को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में हुई कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) सर्वश्री अनंगकुमार जैन, हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से ए० एस० आई० कम्पनी, रामगंजमण्डी, कोटा द्वारा खनिज भूमि पर नाजायज कब्जा करने के सम्बन्ध में।

यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है, अत: मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री बंसीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की तहसील भीलवाड़ा व अन्य तहसीलों में विद्युत न मिलने से फसलों को हो रहे नुकसान के विषय में।

इस प्रश्न को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस के समय उठाया जा सकता है।

(श्री अध्यक्ष)

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) **सुश्री पुष्पा जैन**–भरतपुर के सर्राफा बाजार में श्रीमती जमुना बाई की हत्या। सरकार ने सूचित किया है कि इस अभियोग का अन्वेषण अपर पुलिस अधीक्षक, भरतपुर के सुपरविजन में किया जा रहा है और मुल्जिमों की तलाश जारी है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(2) **सर्व श्री मेघराज तावड़, त्रिलोक सिंह व यदुनाथ सिंह**—गत 23 जनवरी को सीकर जिले में कालेज के छात्रों पर लाठी चार्ज।

सरकार ने सूचित किया है कि छात्र आन्दोलन समाप्त हो गया है और नगर में स्थिति सामान्य है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): लाठी चार्ज के लिए क्या कहा गया है?

श्री अध्यक्ष: विस्तृत रिपोर्ट आयी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: हुआ कि नहीं हुआ?

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर): स्थगन प्रस्ताव जो हमने रखा था, लाठी चार्ज के बाद आन्दोलन शान्त हो गया या नहीं?

श्री अध्यक्ष: विस्तृत जानकारी चाहिए तो आज तथ्य रखे गये हैं, वे निवेदन कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: माननीय सदस्यों ने लाठी चार्ज का आरोप लगाया, तो लाठी चार्ज हुआ या नहीं हुआ?

श्री अध्यक्ष: इसकी जानकारी मैं कुछ समय के पश्चात् दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: इस पर कुछ व्यवस्था दें। आप तो इसको खारिज कर रहे हैं। उनका आरोप है कि लाठी चार्ज हुआ है।

श्री अध्यक्ष: लाठी चार्ज होने से कौन सी व्यवस्था में फर्क पड़ता है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: एडजोर्नमेन्ट मोशन में कहा है, छात्रों पर लाठी चार्ज। आप कह रहे हैं, शांति है। तो हमेशा ही लाठी चार्ज थोड़े ही होता है। जिस घटना में हुआ....

श्री अध्यक्ष: मैं अभी व्यवस्था नहीं दूंगा यह समझा जाय। इस पर कल व्यवस्था दूंगा।

(3) **श्री गोपाल पचेरवाल**—जिलाधीश कार्यालय, बूंदी पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल।

सरकार द्वारा सूचना दी गई है कि भूख हड़ताल समाप्त हो गई है और श्रमिक कार्य पर आ गये हैं।

(4) **श्री कैलाश मेघवाल**—बेरी वेतन आयोग की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा निर्णय न लेने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि बेरी वेतन आयोग की रिपोर्ट पर गठित सचिवीय समिति ने प्रतिवेदन 27 जनवरी, 1982 को प्रस्तुत किया है, जो अब मन्त्रि-मण्डल के समक्ष विचाराधीन है।

(5) **श्री रामकिशोर मीणा**—पंचायत समिति, सिकराय के विकास अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए प्राप्त धनराशि के वितरण में अनियमितताएं।

सरकार ने सूचित किया है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है।

(श्री अध्यक्ष)

(6) **श्री गुलाब चन्द कटारिया**--उप वैद्यों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में किये जा रहे आन्दोलन के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि कर्मचारियों की मांगों पर समय समय पर विचार किया जाता रहा है और कुछ मांगों को स्वीकार भी कर लिया गया है। अतः मैं उक्त स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा--राज्य में बिजली की भारी कटौती।

इस विषय पर सरकार से प्राप्त उत्तर का अध्ययन किया जा रहा है और उस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

जिन सभी माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार हो गये हैं, वह माननीय सदस्य अपनी बात दो-दो मिनट में सदन में कह सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था। सहकारी समितियों के चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ है, गलत चुनाव हुए हैं, उसके बारे में मैंने अपना स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : पहले आपने कौन से दिये थे? स्थगन प्रस्ताव जिस दिन प्राप्त होते हैं, उन पर उसी दिन अथवा दूसरे दिन व्यवस्था दे दी जाती है। शायद....

श्री मोहनलाल मोदी : नहीं, व्यवस्था तो दे दी गयी। सरकार से जवाब भी आया है। जवाब में जब....

श्री अध्यक्ष : जवाब जो सरकार से प्राप्त हुए हैं, वह मैंने सदन के समक्ष निवेदन कर दिये। आज यदि व्यवस्था में हों तो कहें। उसका कोई जिक्र नहीं है तो इसका मतलब है कि जवाब नहीं आया है। जवाब आते ही बता दिया जायेगा।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, हमने एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया, वह डूंगरपुर में जो मजदूर मर गये, दब गये, उसके बारे में दिया था। अच्छी बात है कि आपने सरकार को भेज दिया है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, अब भी सरकार पता करे कि कितने मजदूर मर गये, दब गये। सरकार के पास सारे साधन मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सब तथ्य आ गये हैं। विस्तार में अभी चर्चा नहीं होगी।

श्री नाथूसिंह : नहीं, चर्चा नहीं। अध्यक्ष महोदय, आप एक समय निश्चित कर दीजिए, आज ही।

श्री अध्यक्ष : सूचना आ जाने दीजिए, उसके बाद में····

श्री नाथूसिंह : सरकार के पास सारे साधन उपलब्ध हैं, अध्यक्ष महोदय, सरकार उसको....

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार, ए० एस० आई० कम्पनी, रामगंज मण्डी के बारे में।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर होता है तो जान बूझकर के कांग्रेस के सदस्य इधर से जाते हैं। इनको ताड़ना दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर हो तो कोई माननीय सदस्य अपने स्थान से बहिर्गमन नहीं करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी मंत्री महोदय चन्दन मल जी यहां आये हैं और खड़े होकर बात कर रहे हैं। आपके....

श्री नाथूसिंह : मजदूर मर गये, गरीब मजदूर....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री नाथू सिंह : नहीं, भाषण नहीं। सारे साधन मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : सूचना आने दीजिए, उसके बाद समय दिया जायेगा। आर्डर प्लीज।

श्री नाथू सिंह : सूचना दे दी सरकार को कि मजदूर मर गये।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य। हमको भी दुःख है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। श्री अनंग कुमार।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में भी इसी प्रकार हमने स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी और आपने कहा था कि विभाग से जानकारी मंगायी जा रही है। उसके बाद 7-7, 8-8 दिन तक भी जानकारी नहीं आयी और हम इन्तजार में बैठे रहे। आसन से व्यवस्था दे दी गई जब जानकारी आ जायेगी तब आप अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे किन्तु न तो जानकारी आयी और न....

श्री अध्यक्ष : सत्रावसान हो गया था उससे पूर्व इसलिए आपको अवसर नहीं दे सका, वरना मैं अवश्य आपको अवसर देता।

श्री देवी सिंह भाटी : इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, अध्यक्ष महोदय, कम से कम एक समय निर्धारित किया जाय कि 4 दिन के अन्दर सूचना आ जाय। जब लम्बे समय तक सूचना नहीं आती....

श्री अध्यक्ष : आपके सुझाव का ध्यान रखूंगा। श्री अनंग कुमार।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, ए. एस. आई. कम्पनी लिमिटेड, जिसका प्रधान कार्यालय रामगंज मण्डी के अन्दर है, के मालिक कह लीजिए या मैनेजिंग डायरेक्टर कह लीजिए श्री ए. आर. किदवई हैं, वह एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं....

श्री अध्यक्ष : किसी व्यक्ति का नाम नहीं लें, कम्पनी का नाम आपने लिया है, कम्पनी का जिक्र करें।

श्री अनंगकुमार जैन : तो, अध्यक्ष महोदय, इस कम्पनी के द्वारा वहां पर लाइम स्टोन की खुदाई काफी लम्बे चौड़े एरिया में की जा रही है। एक लम्बे अर्से से इनके पास कुछ एरिया की लीज है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारा एरिया है जिसमें वहां के अधिकारियों, उच्च स्तरीय अधिकारियों और राज्य सरकार से मिल करके अवैधानिक खुदाई काफी अर्से से चल रही है। उस

(42)

(श्री अनंगकुमार जैन)

एरिया के अन्दर से कुछ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग यदि खनन पट्टे लेने के लिए लिए एप्लाई करते हैं तो उनको यह कह कर इन्कार कर दिया जाता है कि यह एरिया खान के लिए उपयुक्त नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप इस बात की जांच करवायेंगे तो मालूम होगा वहां पर जो खनिज एरिया है, उसके पट्टे नहीं दिये जाते हैं और दूसरी ओर उसी एरिया के अन्दर ए०एस०आई० कम्पनी के द्वारा अवैधानिक खुदाई चालू कर रखी है जिसकी वजह से राज्य सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। यही नहीं इस कम्पनी के द्वारा इस पत्थर का भाव पिछले एक वर्ष के अन्दर तीन गुना कर दिया गया है। इसके पीछे भी राज्य सरकार की पूरी मन्शा है, राज्य सरकार का पूरा हाथ है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार मेरे मित्र ने आरोप लगाया था कि प्रद्युम्न सिंहजी जब से गृह राज्य मंत्री बने हैं, डाकुओं ने अपना कार्य क्षेत्र भरतपुर से पूरा राजस्थान कर दिया है। उसी प्रकार जब से खनिज राज्य मन्त्री बने हैं, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने क्योंकि इस लीज होल्डर से चुनाव के अन्दर करोड़ों रुपये चन्दा लिया है उसको पूरा करने के लिए उस ए०एस०आई० कम्पनी के मालिक के आस पास के लम्बे चौड़े एरिया के अन्दर अवैधानिक रूप से खनन कार्य करने के अधिकार दिये हैं। इनको रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बार शिकायत भी की, कई बार पत्र लिखे, इस बारे में क्वेश्चन भी उठाये लेकिन आज तक इस बारे में कोई जांच नहीं की गयी। उस एरिया में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उन्होंने एक कोआपरेटिव सोसाइटी बना रखी है, उसके माध्यम से उन्होंने लीज लेने के लिए एप्लाई किया है, बल्कि यदि वे किसी प्रकार....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं वैसे ही कम बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : लम्बी चर्चा नहीं होगी। आप काफी बोलते हैं आजकल।

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनको खनन का पट्टा दिया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं, खनिज मन्त्री महोदय से मांग करता हूं कि जिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने जिस भूमि पर पट्टे के लिए एप्लाई कर रखा है उस भूमि पर ए०एस०आई० कम्पनी द्वारा अवैधानिक खुदाई का काम चालू है। इस काम को रुकवाकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को खनन पट्टा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री बंसीलाल पटवा, भीलवाड़ा तहसील में विद्युत संकट के सम्बन्ध में।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा तहसील और जिले में बिजली की व्यवस्था की गई है उस सम्बन्ध में मेरा मत है कि चार घंटे मुश्किल से बिजली दी जाती है। इसके अतिरिक्त लोगों को जो बिजली दी जाती है उसकी ऐसी व्यवस्था है जिससे न उद्योगों को लाभ हुआ और न कृषकों को लाभ हुआ। सर्दी के दिनों में जो चार घंटे बिजली दी गई वह पर्याप्त मात्रा में नहीं दी गई। किसानों को जितनी बिजली दी जाने वाली थी वह नहीं दी गई इसके परिणाम स्वरूप खेती करने और पानी खेत में ले जाने में कठिनाई उत्पन्न हुई। आज जो ताजा स्थिति है उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि किसानों ने जो फसलें बोई हैं वह अंतिम स्थिति में हैं फिर भी चार घंटे भी किसानों को भीलवाड़ा तहसील और भीलवाड़ा जिले में बिजली नहीं दी जा रही है। यह कैसा निर्णय है चार घंटे का ? यदि चार घंटे भी बिजली दी जाय तो उनका काम पूरा हो सकता है। लेकिन बिजली नहीं देने से पानी के अभाव में फसलें झुलस गई हैं, किसानों में हाहाकार मचा है। पिछले वर्ष भी अकाल पड़ा था। इसके बाद भी जो कुछ फसलें उन्होंने बोई हैं उनको पर्याप्त पानी फसलों के अन्तिम दिनों में नहीं मिल पाता है तो उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और किसानों की फसलों का नुकसान होगा। आज किसान दाने दाने को तरस रहा है। भीलवाड़ा जिले की बड़ी दयनीय स्थिति है। पानी के अभाव में फसलें झुलस रही हैं। लोग इधर उधर भटक रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी स्थिति है, जो कुछ समय तय किया है बिजली का, इस नियत समय में उनको पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जाय, उनके साथ भेदभाव नहीं बरता जाय और इस प्रकार बिजली सप्लाई की जाय कि जो फसलें बोई हैं उनका उनको लाभ हो अन्यथा पानी नहीं मिलने से फसलें उजड़ जायेंगी। मेरा निवेदन है कि अन्तिम समय जो फसलों का है उसमें पानी अवश्य दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन, भरतपुर के सर्राफा बाजार में श्रीमती जमुना बाई की हत्या।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे शिकायत आपकी व्यवस्था से नहीं है लेकिन सरकार से अवश्य है क्योंकि 23 तारीख को मैंने एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया था, आपके चाहने के बावजूद भी कि सरकार उसका जवाब दे, सरकार ने जवाब देना आवश्यक नहीं समझा। सरकार आवश्यक समझेगी भी नहीं। यदि सरकार लोगों के दुःख दूर करना चाहती और जागरूक होती तो शायद यह स्थिति नहीं आती।

अध्यक्ष महोदय, भरतपुर शहर में सर्राफा गली में जमुना देवी पत्नी श्री विश्वम्भर दयाल अर्जीनवीस की हत्या हुई। 15 फरवरी के दिन के 10 बजे के करीब जब विश्वम्भर दयाल जी अदालत गये तो वे अपनी पत्नी को खाना बनाते हुए छोड़ कर गये थे। पीछे से दिन के 11-12

(सुश्री पुष्पा जैन)

बजे गुण्डों ने चाकुओं से प्रहार कर उनकी पत्नी की हत्या कर दी। मुझे अफसोस है कि इतने दिनों बाद भी सरकार उनको पकड़ नहीं सकी और महज इतना सा कह दिया कि तफतीश चालू है।

अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में यह कोई पहली बार बात नहीं है। इससे पहले 9 दिसम्बर, 1981 को भरतपुर में बीनाराण गेट के समीप भरतपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट के मालिक श्री राम किशन खण्डेलवाल की कुल्हाड़ी जैसे हथियार से हत्या कर दी गई और नकदी आदि चोरी कर ले गये। अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में ही नीलकमल सिनेमा के निकट श्री गंगाप्रसाद वैश्य की उनके घर पर चाकुओं से हत्या कर हत्यारे उनकी चल सम्पत्ति को लूट कर ले गये। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह अगस्त, 1980 को समको के श्री जगदीश सिंह की पत्नी मुख-बीरा को गोली मार कर हत्या कर दी थी तथा उनकी सम्पत्ति को लूट कर ले गये। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जून, 1980 में मास्टर दुर्गा शंकर की पत्नी सरोज देवी को मारकर शव को नहर में डाल गये और अभी तक पता नहीं चला। अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में क्यों राज्य सरकार की बहुत तारीफ की है और उन्नति के गुण गाये हैं। दिन दहाड़े जो हत्याएं हो रही हैं उसमें अगर राज्य सरकार जागरूक नहीं रही अगर कोई तवज्जोह नहीं दी तो राजस्थान सरकार एक दिन जिस तरह से....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, समाप्त करने वाली हूं।

राज्य सरकार ने इन बढ़ते हुए जुल्मों को नहीं रोका तो राज्य की हालत बहुत बदतर हो जायेगी। अगर आप शासन नहीं संभाल सकते हैं और राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं तो आप अपना इस्तीफा देकर खुद चले जाइये ताकि हमें मजबूर न होना पड़े और आपको कुछ कहने के लिए विवश न होना पड़े। मुझे बड़ा दुःख है कि माननीय गृह राज्य मंत्री बड़ी मुस्कराहट के साथ बैठे हुए हैं। उन्हें यदि किंचित भी दुःख होता तो मुझे इस बात की खुशी होती। अगर उनके चेहरे पर जरा भी दुःख की रेखा देख पाती तो भी मुझे खुशी होती लेकिन आज भी उनके मन में इस बात का कतई दुःख नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करूंगी कि यह कोई मामूली विषय नहीं है। यह मजाक का विषय नहीं है। यह मखौल की बात नहीं है।

इसी तरह बांसवाड़ा जिले में पुलिस थाने में आदिवासी की हत्या कर दी गई और चोरी के आरोप में उसको पकड़ा गया...

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहो हैं, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : यह हालत है इनके जुल्मों की।

श्री अध्यक्ष : आप इसे किसी अन्य अवसर पर उठा लेना।

सुश्री पुष्पा जैन : ठीक है, मैं किसी अन्य अवसर पर उठा लूंगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एडजोर्नमेंट मोशन है उसके उत्तर में कहा गया है कि तफतीश जारी है। मुझे फख होगा अगर इसी चलते हुए सत्र में आप जवाब दें। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का जवाब सुनने की इच्छा रखूंगी। मेरा यही निवेदन है कि उन दोषी व्यक्तियों को शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाय और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल! बेरी वेतन आयोग की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा निर्णय न लेने के सम्बन्ध में। इस पर क्या चर्चा करेंगे, लम्बा चौड़ा विषय है।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिये मैं चाहता था और आपकी व्यवस्था का आदर करते हुए सोचता था कि सरकार बेरी वेतन आयोग के बारे में क्या सोच रही है वह बता देती। बेरी आयोग की रिपोर्ट 15 सितम्बर को पेश हुई। मैं विनम्र निवेदन करूंगा, सरकार से बयान तो दिलवा दें कि क्या करना चाहती है या फिर आप कहें तो मैं कुछ बोल लूं। एक बयान आ जाता तो बहुत अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष : मैंने तो अपनी व्यवस्था दे दी। आप कहना चाहें तो दो तीन मिनट में कह दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जनता पार्टी के राज्य में बेरी आयोग अपाइन्ट हुआ तब से लगा कर अभी तक, विधान सभा के गत सत्र में भी यह प्रश्न उठाया गया था। उस समय भी सरकार ने कई तरह की आना कानी की और लगातार, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब भी करती जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आप भी समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, कर्मचारी नेताओं के बयान आ रहे हैं इस बेरी आयोग के बारे में। जैसी मेरी सूचना है 20-8 को निर्णय लेने का कर्मचारी नेताओं को लिखकर दे रखा है। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर असुन्तष्ट कर्मचारी वर्ग से यह सरकार क्या चाहती है? वर्क टू रूल की स्थिति चल रही है। अब स्थिति क्या है? आखिर आपकी इच्छा क्या है? जब 15 सितम्बर को बेरी वेतन आयोग की रिपोर्ट मिल चुकी है, अभी जैसी सूचना दी गई 29 जनवरी को सब-कमेटी की रिपोर्ट भी दे दी गई। अब खुद मन्त्रिमण्डल को निर्णय लेना है। मैं कहता हूं एक भी शब्द राज्यपाल महोदय ने इस बारे में नहीं कहा है....

श्री अध्यक्ष : आपके भाषण में तो जिक्र है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं बताऊं, बेरी वेतन आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास जाने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा है। 15 सितम्बर को इनको रिपोर्ट मिल चुकी है। क्या निर्णय लेना चाहते हैं? राजस्थान की जनता पर कितनी लायबिलिटीज आई हुई हैं, इसके आधार पर क्या बजट आ रहा है, आखिर कुछ मालूम तो पड़े कि इस विषय पर सरकार कब तक निर्णय ले लेगी? आम कर्मचारी को उकसाया क्यों जा रहा है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बेरी वेतन आयोग पर निर्णय लेना है उस निर्णय को न लेकर आप कर्मचारियों को चुनौती दे रहे हैं कि वह संघर्षरत हों। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने देखा है यहां कर्मचारीगण वर्क टू रूल पर आ गये हैं। अगर यह होता है तो सारी विधान सभा की कार्यवाही को चलाने में दिक्कत उठानी पड़ेगी। सारे राजस्थान में चार लाख कर्मचारी यह जानने को बेचैन हैं कि आखिर सरकार क्या करना चाह रही है। महंगाई बराबर बढ़ रही है उसमें सरकार हमारे लिये क्या सोच रही है। उसकी कौनसी डेट दी जायेगी, फिक्सेशन किस प्रकार किया जायेगा, महंगाई सूचकांक को कैसे जोड़ा जायेगा—यह सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में बेरी वेतन आयोग ने सिफारिशें की हैं। रोज अखबारों में आ रहा है कि बेरी वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करें।

पहले वे पांच फरवरी को हड़ताल करने वाले थे लेकिन आपने उनको आश्वासन दे दिया था कि जल्दी निर्णय ले लेंगे। आप कर्मचारियों को टालते चले जायेंगे? उनको असंतुष्ट करके आप राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे को तोड़ने की स्थिति में क्यों लाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, वह बतायें तो सही कि जब मंत्रिमण्डल में विचारार्थ ले ली गई तो शायद सोचा होगा कि क्या निर्णय लेना है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उनको यह बताने में क्या एतराज है कि कब तक मंत्रिमण्डल इस विषय पर निर्णय ले लेगा? क्या आप इसको महत्वपूर्ण विषय नहीं मानते हैं? क्या आप कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं रखना चाहते हैं? जो नया बजट वर्ष चालू होने वाला है उसमें कितना असर पड़ेगा, कितना भार बढ़ेगा, इस वजह से क्या नई स्थिति होगी, उसको विधान सभा में नहीं रखना चाहते हैं? आखिर कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है? आपके कर्मचारियों के हित की बात है। अपने कर्मचारियों को सन्तुष्ट करने की बात है। आप घोषणा क्यों नहीं करते कि कब तक हम लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी सामने बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप विचार करेंगे कि

(श्री कैलाश मेघवाल)

अगर आपके कर्मचारी असंतुष्ट होंगे, कर्मचारियों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासनिक ढांचा चल नहीं सकता और प्रशासनिक ढांचा चरमरा जाएगा। उसकी जिम्मेदारी, उसका दुःख, उसका कष्ट सारे राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ेगा। यह चिन्ता मेरी है और यह चिन्ता सारे सदन की भी हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी भी है और मंत्रिमण्डल की भी होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी यह तो घोषणा करें कि निर्णय कब तक लागू किया जाएगा जिससे कर्मचारियों को कुछ तो संतोष, राहत महसूस हो सके। कुछ तो सन्तोष हो पाए कि यह कब तक लागू कर दी जाएगी। आप भी जब विधान सभा में पधारते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : कर्मचारियों की मांगें, अध्यक्ष महोदय, वाजिब मांगें हैं। आज पेट नहीं भर रहा है कर्मचारियों का, आज कर्मचारी दुःख में हैं, आज कर्मचारियों को सुविधायें मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : तो मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि अभी यह बजट सत्र एक महीने तक चलेगा। क्या आप यह चाहते हैं कि आप जब आते जाते रहें तो जिन्दाबाद मुर्दाबाद, जिन्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगें पूरी करो, यह सब नारे सुनने के बाद ही मांग पूरी करेंगे। यह क्रम चलता रहा है। आखिर सरकार यह स्थिति क्यों लाना चाहती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के कर्मचारियों के हित में आप घोषणा करें कि बेरी वेतन आयोग ने सिफारिशें क्या रखी हैं और कब से लागू करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज जिस ढंग से आपने इसको रिजेक्ट किया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली विधान सभा के बजट सत्र में आसन ने भी यह बार बार मंत्री महोदय को कहा था कि आप जो कुछ कह रहे हैं, जिन बातों को आपने स्वीकार किया है, आप उनकी पालना करेंगे या नहीं। उसके बाद भी आज, लगभग 19 मार्च की वह बात थी, वापस मार्च का बजट अधिवेशन आ गया। समझौता हुआ था, 12 अगस्त, 1982 के दिन और उस समझौते को लागू नहीं किया। फिर से आखिर मार्च के अधिवेशन के समय आन्दोलन किया। आपके द्वारा मंत्री महोदय को इस बात के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिए मजबूर किया गया था कि वह ग्रपना रिप्लाई दे। उस रिप्लाई की मेरे पास यह प्रति है, जो उस समय के मंत्री थे, प्रभारी मंत्री घासीरामजी यादव, उन्होंने जिस प्रकार से जिन मांगों को स्वीकार किया, उन मांगों को ग्राज भी, जैसा ग्रापने कहा, मान लीजिए। ग्राज भी कह रहे हैं, उन मांगों को केवल कागजों पर स्वीकार कर रखा है। उसके ग्रादेश ग्राज की तारीख तक जारी नहीं हुए हैं। तो मेरी इतनी ग्रक्ल कम है कि मैं यहां फालतू बकूं ग्रौर जो बाहर बैठे हुए धात्री उपवैद्य लोग राजस्थान के विभिन्न कोनों से ग्राये हैं वह यहां पैसा बर्बाद करें। उनकी मांग यह है कि जो मांग स्वीकार कीं उनके ग्रादेश प्रसारित करें। जो मांगे हैं, श्रीमान, वह इतनी छोटी-छोटी हैं मै ग्रापको पढ़कर सुनाता हूं। घासीरामजी यादव ने स्वयं ने कहा है, मांग संख्या 1, 6 ग्रौर 8 के बारे में राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि जनवरी,81 से पूर्व एक साल का विभागीय प्रशिक्षण समाप्त होने पर ढाई साल का प्रशिक्षण ही शुरू किया जाएगा। उनकी मांग यह थी कि ग्राप यह एक साल का जो छोटा प्रशिक्षण है वह न करें। उसको उन्होंने स्वीकार किया था कि नहीं करेंगे। उसमें मिनिमम क्वालिफिकशेन मैट्रिक ग्रौर हायर सैकन्डरी रहेगी। उसको स्वीकार करने के बाद भी ग्रादेश नहीं किये। श्रीमान्, यही नहीं, ग्राप देखिये, मांग संख्या 5 मे स्वीकार किया है कि एक माह में ग्रादेश जारी कर दिये जायेंगे। यह 19-3-81 का इस विधान सभा में दिया गया मंत्री द्वारा ग्राश्वासन है जिसके ग्राज की तारीख तक ग्रादेश जारी नहीं हुए। श्रीमान्, यही नहीं, ग्राप देखिये, मांग संख्या 11 में स्वीकार किया है कि एक वर्षीय प्रशिक्षण ग्रौर ग्राठ वर्ष का कार्यानुभव धात्री उप-वैद्य को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला योग्य मान लेने के एक माह में ग्रादेश जारी कर दिये जायेंगे। वह ग्रादेश कहां है ? श्रीमान्, ग्रापके शब्दों को कह रहा हूँ, इस तरह हाउस में दिए गए ग्राश्वासनों के बारे में इतने लापरवाह हैं। मुझे ग्रफसोस इस बात का है कि ग्रापने इनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कोई भी इस विभाग से सम्बन्धित मंत्री, उपमंत्री ग्रथवा राज्य मंत्री यहाँ नहीं हैं। मतलब इतना इग्नोर कर रहे हैं, इस हाउस का घोर ग्रपमान कर रहे हैं। ग्रापके शब्द मैं पढ़ कर सुना रहा हूं। मैं निवेदन कर दूं कि प्रश्न इतना स्पष्ट है, पुराने वाला ग्रौर नया वाला जो वक्तव्य है, जो घोषणा मंत्री महोदय ने की है उसको सरकार पालना कर देती है तो ग्राप संतुष्ट हैं। मंत्री महोदय, ग्रापने घोषणा की है, उसकी ग्राप पालना करेंगे ? यह ग्रापके शब्द हैं। इस पर घासीरामजी यादव कहते हैं, "ग्रध्यक्ष महोदय, कई बातों का पालन कर दिया गया है ग्रौर बहुत सी बातों पर कार्यवाही चल रही है। इस पर ग्रापने फिर कहा है, ग्रभी ग्रापने जो घोषणा की है उसका पूरा पालन किया जाएगा ? इस पर वह कहते हैं, पूरा पालन किया जाएगा।

ग्रफसोस इस बात का है कि इसके ..

श्री ग्रध्यक्ष : ऐसी ग्रवस्था में स्थगन

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव के माध्यम से इस प्रश्न को नहीं उठाया जाना चाहिए था। उसके लिये तो और भी विकल्प हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं उस समय बोलूंगा। जो बाहर आकर कर्मचारी बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं....

श्री अध्यक्ष : उसके लिए यह विधि ठीक है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : राजस्थान के जिन लोगों को आज स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए वह स्वास्थ्य की सुविधायें नहीं मिल रही हैं और उन्हें सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, केवल एक छोटी सी गलती के कारण। मैं कहता हूं कि दो वर्ष से यह काम चल रहा है, जिसको स्वीकार किया हुआ है, जिसको इस विधान सभा में माना है। उसके आदेश प्रसारित नहीं होने का कारण क्या है ? मेरी जानकारी यह है कि विभाग के जो डायरेक्टर हैं, इस समय वह यह चाहते नहीं हैं इसलिए जान-बूझकर टाला जा रहा है। बार बार इधर से उधर कागजों को घुमाया जा रहा है। मंत्री महोदय ने स्वयं लिख कर भेज रखा है। इसके कागजों को डुलाया जा रहा है। यह इस सरकार की स्थिति है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर तुरन्त एक्शन लें, जिसके कारण कम से कम राजस्थान के लोगों का विश्वास जम सके कि हाउस में कही हुई बात का अक्षरशः पालन होता है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वित्त मंत्री जी बैठे हैं, वह बता दें कि इसका करेंगे क्या ? और तो कोई आयुर्वेद वाला मंत्री नहीं है। आप बता दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वैद्य तो वह भी हैं।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : तबीयत दिखाने मत आ जाना।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र। श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, इस सत्र के अन्दर मेरा एक भी स्थगन प्रस्ताव नहीं आया है। आज भी मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, एक महिला की आपरेशन टेबल पर मृत्यु....

श्री अध्यक्ष : सरकार से जानकारी चाही है।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने 23 को दिया, 24 को दिया, 25 को दिया। आज तक मेरे किसी स्थगन प्रस्ताव का जवाब नहीं आया है, न बोलने का अवसर दिया है। क्या इसका सरकार जवाब देगी, अध्यक्ष महोदय ? आप मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद में सरकार को जो कुछ करना हो....

श्री अध्यक्ष : हमारे पास बात आ गई,

(श्री अध्यक्ष)

उसमें जानकारी कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : मुझे बोलने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष : जब सरकार से उत्तर आ जाएगा तब अवसर देंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : 23 को दिया उसका उत्तर नहीं आया, 24 को दिया उसका उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ जाएगा, माननीय सदस्य, धैर्य रखिये।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, हमारे स्थगन प्रस्ताव हैं, हमें अपनी बात हाउस में कहनी है। हमको कहने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, अगर आप कोई बात कहने के लिए ही स्थगन प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो वह उचित नहीं होगा। इसलिए....—

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : महत्वपूर्ण बात है, अध्यक्ष महोदय। दूसरी तरफ आपरेशन टेबल के ऊपर महिला की हत्या हो जावे, उसकी मृत्यु हो जाय, उसके बारे में........

श्री अध्यक्ष : मृत्यु और हत्या में फर्क है।

श्री मोहनलाल मोदी : मृत्यु हो जाय, आपरेशन टेबल पर मृत्यु हो जावे तो कहां जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जानकारी मंगाई है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : यह कुल मिलाकर मेडिकल की बात है। डाक्टर के ट्रांसफर के कारण तकलीफ हो रही है।

श्री मोहनलाल मोदी : आप गलत बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आपको कोई शिकायत हो तो अलग से मिलने का कष्ट करिये।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, अलग से भी मिल लूंगा। लेकिन आपरेशन टेबल पर मृत्यु हो गई महिला की, ऐसे मामले में तो कुछ कहने का अवसर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि मैं आपको अवसर दूंगा। आप अलग से मिल लीजिए। मैं इस पर तुरन्त जानकारी मंगा लूंगा और आपको अवसर भी दे दूंगा।

सदन पटल पर रखा गया पत्र

अधिनियम का परिशोधित पाठ

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र।

श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज भाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 का परिशोधित पाठ सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

याचिका समिति का तृतीय प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन का उपस्थापन ।

श्री नारायणसिंह, सभापति, याचिका समिति ।

श्री नारायण सिंह (सभापति, याचिका समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति 1981-82 के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षायें मार्च में आयोजित न किये जाने की घोषणा एवं विधि संकाय (राजस्थान विश्वविद्यालय) के परीक्षा परिणाम घोषित करने में विलम्ब

श्री अध्यक्ष : मंत्री द्वारा वक्तव्य । श्री चन्दनमल बैद, शिक्षा मंत्री, निम्नांकित विषयों के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे:—

1. राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों के बारे में,

2. राजस्थान विधि संकाय की परीक्षाओं के बारे में ।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मंत्री) : माननीय सदस्यों द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की तिथियों की बाबत रखे गये स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दिनांक 15 फरवरी, 1982 को विश्वविद्यालय के कुलपतियों की समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जायें तथा परीक्षा परिणाम भी निश्चित अवधि में घोषित हों तथा आगामी शैक्षणिक सत्र, सात जुलाई, 1982 से प्रारम्भ हो जाये । राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाएं मार्च, 1982 से प्रारम्भ हो रही हैं । संक्षेप में परीक्षा का कार्यक्रम निम्न प्रकार है:–

पी० यू० सी० विज्ञान–मार्च 1982; पी० यू० सी० कला एवं वाणिज्य व विज्ञान की स्नातक स्तर की परीक्षा–अप्रेल, 1982; स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाएं–मई, 1982 ।

विश्वविद्यालय परीक्षा कार्यक्रम शीघ्र ही प्रकाशित करेगा ।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मार्च, 1982 से प्रारम्भ की जा रही हैं । यह स्वाभाविक है कि विभिन्न स्तरों की परीक्षाएं पूर्ण होने में लगभग दो ढाई महीने का समय लगता है । विधि संकाय के परीक्षा परिणाम बाबत माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विधि संकाय की परीक्षाओं के परिणाम निम्नलिखित तिथियों तक घोषित करने की पूर्ण सम्भावना है :

विधि प्रथम वर्ष–मार्च, 1982; विधि द्वितीय वर्ष–15 मार्च, 1982 । विधि तृतीय वर्ष–25 फरवरी 1982 को घोषित हो चुका है ।

(श्री मन्दनमल बैद)

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विधि की प्रथम वर्ष परीक्षा मई, 1982 में कराये जाने की संभावना है। चूंकि प्रथम वर्ष में प्रवेश पहले से ही हो चुके हैं, विधि के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश 1981 के परीक्षा परिणाम घोषित होने के तत्काल बाद प्रारम्भ हो जायेगा। इनकी परीक्षा 1982 तक होगी। इस बारे में अभी निश्चित बताना संभव नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी को इस बात के लिये तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्थगन प्रस्ताव आने के पश्चात् महीनों की कम से कम यहां पर घोषणा कर दी। तिथियां तो इन्होंने नहीं बताईं, किन्तु मैं अधिकृत रूप से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, जो माह घोषित किये हैं उन माहों पर डटे रहें। कहीं ऐसा न हो कि 15 फरवरी की मीटिंग जिसमें स्वयं आप अध्यक्ष थे, में, मार्च से शुरू करवाने वाली बात कही गई थी और घोषणा आपने मार्च में केवल पी० यू० सी० की ही की। इसमें नम्बर आफ स्टूडेन्ट्स कितने हैं ? कितने कम हैं as compared to other students in other classes ? मैं कहना चाहता हूं, मेरी आशंका है, आपने अभी जो घोषणा की है, उसके अनुसार आप परीक्षाएं नहीं करा पायेंगे। उसका कारण बता रहा हूं, उसको ठीक कर लीजिये। आगे इस प्रकार की अवस्था न आ जाय, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कुछ सवाल रखना चाहता हूं जिसका आप जवाब दें। और यह तय करें उसी के अनुसार, जैसी घोषणा की है कि आप उन तिथियों में परीक्षाएं निश्चित रूप से करा लेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 लाख रुपया पिछले साल खर्च किया गया, केवल इसलिये कि परीक्षायें ठीक समय पर हो जायें, परीक्षाओं के रिजल्ट ठीक समय पर आ जायं। मैं बताना चाहता हूं, वैसे तो 15 मार्च की घोषणा की विधि संकाय के लिये। चार हजार विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के हैं, 4200 विद्यार्थी सैकण्ड ईयर के हैं, और चार हजार विद्यार्थी थर्ड ईयर के हैं। 12 हजार दो सौ में से किसी के भी परीक्षा-फल नहीं आये हैं, सप्लीमेंट्री परीक्षा जो हो गई, अक्टूबर, 1981 में। कामर्स के 16,215 विद्यार्थी होंगे, जिन्होंने परीक्षा दी थी, जिसमें पी.यू.सी. के 386 के रिजल्ट आये। आपने पी० यू० सी० मार्च में शुरू कराने वाली बात कही। कितने स्टूडेण्ट्स हैं? आर्ट्स के 28,813 विद्यार्थी हैं, 500 लोगों के रिजल्ट आये हैं। साइंस में 6,250 विद्यार्थी हैं, जिसमें सौ लोगों के रिजल्ट्स आये हैं। कैसे परीक्षाएं करायेंगे, कितनी परीक्षाएं करायेंगे ? रिवेल्युएशन जिन विद्यार्थियों ने कराया है, 17 हजार विद्यार्थियों ने रिवेल्यु-एशन के लिए एप्लाई किया है। आठ हजार के रिजल्ट्स आ पाये हैं, शेष रिजल्ट्स नहीं आ पाये। एक हजार कापियां तो मिल ही नहीं रही हैं। हॉल में चली गई, वहां से निकलकर नहीं आईं। एग्जामिनर के पास

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

नहीं पहुंचीं। उनका पता नहीं है। विश्वविद्यालय इस प्रकार चल रहा है। वहां पर सारी स्थिति इस प्रकार है।

लास्ट डेट फार्म भरने की दी थी, 23.1.82, बढ़ाकर 6.2.82 कर दी। 6 फरवरी लास्ट डेट की है। अभी और एक्सटेण्ड हो गई, वह 15 फरवरी हो गई है। आप परीक्षाएं कराना चाहते हैं? पता है आपको, फार्म भरने के पश्चात् कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? एनरोलमेन्ट लिस्ट बनती है, सब्जेक्ट्स होते है, एग्जामिनेशन पेपर्स छपते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अभी तो बीच में ही फार्म खतम हो गये। दिसम्बर में फिर फार्म छपाने पड़े। यह यूनिवर्सिटी चला रहे हैं? एक बड़ा गोदाम हो गया है। स्थिति यह है कि न परीक्षा के फल आये, न उनके नतीजे आये। विद्यार्थी ऐसे ही देख रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विद्यार्थियों ने स्वयं आन्दोलन पूरे सैक्शन्स में कर दिया। वह कहते हैं, हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में नहीं बताया कि स्टडी पूरी हो गई है। परीक्षाएं स्टूडेंट्स की कराने के लिये जितने कोर्सेज पूरे होने चाहिये, वह हो गये। फिर आन्दोलन होगा, फिर झुकेंगे आप। आप उनकी स्टडी पूरी नहीं करा पायेंगे, आप रिजल्ट नहीं निकाल पायेंगे, आपका समन्वय बेकार है। ठीक है, वह आटोनामस इंस्टीट्यूशन है, उसको सुचारू रूप से काम करना चाहिये। मैं उसमें किसी प्रकार की बाधा डालना नहीं चाहता हूं। किन्तु एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से जो 25 लाख रुपया पिछले साल दिया है, उसका क्या हुआ? आपने लोग बुलाये थे, परीक्षा फल निकालने के लिये, उसके बाद यह हिसाब है। मैं चाहता हूं, मंत्री महोदय जवाब दें कि हां, परीक्षा फल बाकी पड़े हैं रिवेल्युएशन के, उनकी कापियां नहीं मिल रही हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले साल परीक्षा फल निकाले, 500 कापियां नहीं मिलीं, एवरेज मार्क्स दे दिये गये। यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की हालत बन गई है। वाइस चांसलर बदले जा रहे हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पता नहीं। कौन से वाइस चांसलर चल रहे हैं? जो अभी बनाये हैं वह आयेंगे या नहीं आयेंगे? वह डर रहे हैं, उन पर तलवार लटकी हुई है। कमीशन जो बैठा हुआ है, उसकी कई फाइण्डिंग्स हैं। दुबारा बना दिये हैं। पता नहीं, किसको बुलाना चाहते हैं? स्थिति क्या बनाई है, सारा भट्टा बैठा दिया है दो साल में विश्वविद्यालयों का।

उदयपुर विश्वविद्यालय में आन्दोलन चल रहा है। वहां पर परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। मैं आपके हाथ मजबूत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, परीक्षा फल निकालने के लिये दबाव डालें, वहां के कोर्सेज पूरे कराने के लिये दबाव डालें, ठीक समय पर परीक्षाएं प्रारम्भ करें। केवल मात्र पी. यू. सी. से काम नहीं चलेगा। मंत्री महोदय, आपको मार्च में फर्स्ट ईयर की परीक्षा प्रारंभ करानी चाहिये। कौन सा कारण है, 25 लाख रुपया छोड़ेंगे उन शिक्षार्थियों पर? इसलिये मैं कहना चाहता

(54)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हूं, यह सवालात हैं इनका जवाब दें। सवाल का जवाब देने के पश्चात् जो तिथियां बतायी हैं, कम से कम उन पर डटे रहेंगे, इस बात की गारन्टी आप दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कई ऐसे सवाल उठाये जिनका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन परीक्षाओं से तो सम्बन्ध है।

श्री चन्दनमल बैद : वह तो मैं कह रहा हूं, परीक्षाओं के बारे में बात कर रहा हूं।

आपने अभी कहा, 25 लाख रुपये खर्च हो गये। उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह सारी बातें कही हैं, उसका मैं जवाब नहीं देना चाहता। मैं परीक्षाओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जब यह स्थगन प्रस्ताव यहां आया, उस समय हमने तीनों विश्वविद्यालयों की जानकारी की। राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने लिखित रूप में दिया है, 25 फरवरी को हमारे पास उनका पत्र आया है, कल ही पत्र आया है, जो मैंने इस समय स्टेटमेन्ट में कहा है। उसके अनुसार वह परीक्षाएं करायेंगे। यह कहीं भी निर्णय नहीं हुआ था कि सारी परीक्षाएं मार्च में हो जायेंगी। निर्णय यह लिया गया था कि दशहरे की छुट्टियां 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक होंगी; इसी तरह शीतकालीन अवकाश 20 दिसम्बर से 1 जनवरी तक होगा; 15 मार्च से 15 मई तक दो महीने में सारी परीक्षाएं संपूर्ण कर दी जायेंगी और परीक्षा फल 30 जून, 82 को घोषित कर दिये जायेंगे; ग्रीष्मावकाश 16 जून से शुरू होगा और विश्वविद्यालय 7 जुलाई को पुनः प्रारंभ कर दिये जायेंगे।

इसके अलावा तीनों विश्वविद्यालयों के प्रिंसिपल्स ने मिलकर यह निर्णय किया है कि तीनों विश्वविद्यालय साथ साथ खुल जायं जिससे विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकार में न पड़े। सरकार तीनों विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स को सहयोग करना चाहती है ताकि वह समय पर परीक्षाएं करवायें। उनको जितना भी सहयोग होगा, हम देंगे। जैसा कि आपने खुद कहा कि विश्वविद्यालय अलग बाडीज हैं, वह खुद निर्णय करते हैं, उनकी एकेडेमिक कौंसिल्स हैं, उनकी खुद की कमेटीज बनी हुई हैं। इसके बावजूद वह हमसे मदद चाहते हैं, तो हमने निर्णय लिया है कि हम पूरी मदद करने के लिये तैयार हैं। लेकिन जो कुछ फाइनल फैसला होगा वह तो उन्हीं को करना है। मुझे उन्होंने जो कुछ कह दिया है और जो समाचार मैंने प्राप्त किये हैं उनसे मुझे इस बात का विश्वास है कि परीक्षाएं समय पर होंगी, इसमें कोई खतरा नहीं है। रिजल्ट्स भी समय पर निकल जायेंगे और 7 जुलाई को तीनों विश्वविद्यालय वापस खुल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक बात मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। विश्वविद्यालयों से लेकर तारीखों की घोषणा अभी से कर दें ताकि अनिश्चितता की स्थिति विद्यार्थियों, अभिभावकों और टीचर्स में किसी प्रकार की नहीं रहे। केवल मार्च या अप्रेल का मतलब 1 अप्रेल से 30 अप्रेल तक होता है। कृपया तारीख घोषित कर दें, क्योंकि दो ढाई-महीने तो लगते ही हैं, प्रक्रिया में।

श्री चन्दनमल बैद : यह अपने स्टेटमेंट में उन्होंने खुद ने कहा है कि तारीखें जल्दी घोषित कर दी जायेंगी।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : यह जो परिणाम नहीं आते हैं परिक्षाओं के, क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि हड़ताल के दौरान जिन कर्मचारियों को लगाया गया था उन्होंने गलत नम्बर चढ़ा दिये, इसलिये दुबारा सारी कापियों की जांच की जा रही है? क्या इसलिये परिणाम आने में देरी नहीं हो रही है?

श्री चन्दनमल बैद : परिणाम के बारे में केवल लॉ की परीक्षाओं के परिणाम के बारे में पूछा गया है। जो मैंने बता दिया कि एक साल के परिणाम जरूर स्थगित किये गये थे। बाकी जो दो तीन सालों के परिणाम हैं उनको घोषित करने की तारीखें भी मैंने आपको बता दी थीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य किस ईयर के विद्यार्थी हैं?

श्री नाथूसिंह : मैंने तो फाइनल की बात कही है, अध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय सत्य को छुपा रहे हैं। उनको यह मालूम नहीं है कि वहां पर जिन कर्मचारियों को लगाया गया था उन्होंने गलत नम्बर चढ़ा दिये। इसलिये उनकी दुबारा जांच की जा रही है और परिणाम नहीं निकाले जा रहे हैं। सारी वित्तीय हालत खराब हो रही है विश्वविद्यालयों की। इस सम्बन्ध में थोड़ी जांच करवायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहती हूं....

श्री चन्दनमल बैद : इसमें दो राय नहीं है कि परीक्षाएं देर से हुई और रिजल्ट भी देरी से आये। इसका कारण यही है कि परीक्षाएं देर से हुईं, बार-बार परीक्षा फल स्थगित किये जाते रहे इसलिये हमने निर्णय किया कि प्रायः सारी परीक्षाएं समय पर करा देंगे ताकि विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकार में न रहे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय को क्या यह जानकारी है कि अंक तालिका बनाने के लिये कापियां भेजीं वह अभी तक दुबारा नहीं आई? क्या उनकी अंक तालिका मिल जायेगी जो कापियां आपके यहां पिछले वर्ष की नहीं आई हैं?

श्री चन्दनमल बैद : यह कहना बड़ा

(श्री चन्दनमल बैद)

मुश्किल है कि किस की कापियां आई हैं और किस की नहीं आई हैं ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : परीक्षा परिणाम निकल गये, दुबारा परीक्षाएं करायेंगे क्या ? क्या इस बीच में सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं होंगी ? इसमें जो व्यावहारिक कठिनाई है उसको आप दूर करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंसिह गुर्जर ।

श्री भैरूंसिह गुर्जर (खारची) : मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो अनियमितताएं हुई हैं, परीक्षाओं के बारे में और जो नई नियुक्तियां की गई वह आपको पच नहीं रही हैं इसलिये.......

विधायी कार्य : विधेयक का पुरः स्थापन

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । अलग प्रश्न है ।

विधायी कार्य । पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक । श्री रामपाल उपाध्याय ।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री रामपाल उपाध्याय (मंत्री, सहकारिता) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर : स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करता हूं ।

मैं, प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश सं० 14 सन् 1981) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 12वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं— कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाकार समिति के 12 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

सहमति प्रकट की गई।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री चन्दनमल बैद : यह तालियां पंचायती राज चुनावों में हार के कारण हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं बताऊंगा किसके कारण हैं। हम तो चुनावों में हार गये लेकिन जीतने वाले भी चले गये।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और उस प्रसंग में प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रस्तावक महोदय ने इस प्रस्ताव का समर्थन जिन शब्दों से आरम्भ किया है मैं उस बात का समर्थन करूंगा। उन्होंने अपने भाषण में यह बात कही कि राजस्थान के लिये यह वर्ष बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, यह शब्द मेरे नहीं हैं, प्रस्तावक महोदय के हैं इसलिये मैं इस बात का तो समर्थन करूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उन्होंने आगे के सेंटेंस में यह कहा था कि अकाल की वजह से और बाढ़ की वजह से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने यह भी कहा था कि खेतसिंहजी चीफ व्हिप हो गये इसलिये भी दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय, 28 पेज का अभिभाषण है, इसको आगे से लेकर अन्त तक पढ़ें तो एक भी उपलब्धि का इसमें उल्लेख नहीं है। एक लाइन भी सफलता की द्योतक नहीं है। भाषण लम्बा है, नीरस है यह तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस भाषण को देने वाले थक गये और सुनने वाले भी, बल्कि जिस समय अभिभाषण हो रहा था उस समय कई सदस्य तो सो भी गये। मैं ऐसा समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमें इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा कि हमारे यहां कार्यवाहक गवर्नर ने यह अभिभाषण दिया, जो 8-8-1981 को कार्यवाहक बनाये गये लेकिन 6 महीने निकल गये राजस्थान में कोई राज्यपाल नहीं।

अब मैं इसकी शिकायत मुख्य मंत्री जी से करूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस सरकार की सारी प्रक्रिया और व्यवस्था के ऊपर चिन्तन जरूर किया जा सकता है कि देश में क्या गवर्नर के लिये कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है जिसको इस पद पर नियुक्त किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में 16 जजेज की आवश्यकता है। 16 स्वीकृत पद हैं उनमें 6 खाली हैं। दस पदों में से एक गवर्नर बन गये। 9 जज इस समय काम कर रहे हैं। राजस्थान में मामले लगभग 25-26 हजार उच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन हैं। इसलिये इस बात की आवश्यकता का अनुमान लगाया जा सकता है कि गवर्नर की नियुक्ति कितनी जल्दी होनी चाहिए थी ताकि राजस्थान के चीफ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जस्टिस जो गवर्नर के पद को सुशोभित कर रहे हैं, वह वापस मुख्य न्यायाधीश बनते और मुकदमों का डिस्पोजल करने में किसी प्रकार का योगदान करते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि राजस्थान में सरकार किसकी है ? माननीय विधायक कहेंगे कांग्रेस पार्टी की है। मैं इसको स्वीकार करता हूं। तकनीकी दृष्टि से कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इस सरकार का मुख्य मंत्री उनका नेता है लेकिन मुख्य मंत्री का दायित्व, रेस्पांसिबिलिटीज किस के प्रति हैं ? विधायकों के प्रति है। कहने की आवश्यकता नहीं है। विधायकों का मन टटोलें तो वह एक ही बात कहेंगे कि ऊपर से बनाये हुए मुख्य मंत्री हैं।

(व्यवधान)

आप बीच में न बोलें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। शान्त रहिये, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, अगर मन टटोला जाय विधायकों का तो अपने आप एक बात निकलेगी कि हमारे में से चयन नहीं है। मोटी, तकनीकी खाना-पूर्ति हो गई। इस सदन के प्रति या राजस्थान की जनता के प्रति रेस्पान्सिबिलिटीज हैं, इसमें सन्देह है। सन्देह इसलिये है, अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान में चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, चाहे विरोधी पक्ष की सरकार रही हो, राजस्थान के हितों का बलिदान करने का सौभाग्य यदि किसी व्यक्ति को मिला, यदि राजस्थान के हितों को बलिदान करने का किसी ने कीर्तिमान स्थापित किया तो वह सौभाग्य राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्री को मिला है। वह इस कारण से मिला है कि विधायकों के चुने हुए होते तो उनके पास ताकत होती, विधायकों का उनको समर्थन होता और विधायकों के आधार के ऊपर वह दिल्ली, चाहे दिल्ली का कोई मंत्री हो, उससे राजस्थान के हितों की चर्चा करते समय किसी प्रकार से पीछे नहीं रहते। लेकिन उनके मन में है कि जिस व्यक्ति ने मुझे मुख्य मंत्री बनाया है, मुझे तो केवल उसी के प्रति रेस्पांसिबल रहना है, मुझे तो केवल उसी को प्रसन्न रखना है। उनको प्रसन्न रखना अपने पद को सुरक्षित बनाये रखने के लिये बहुत आवश्यक है। इस कारण मैं कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हितों का बलिदान बहुत ढंग से किया है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने नव वर्ष का उपहार देते हुए रावी-व्यास का समझौता किया। इससे राजस्थान के हितों का बहुत ही संरक्षण हुआ, इस प्रकार की चर्चा हुई। मैं, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले सदन को यह निवेदन करना चाहूंगा कि रावी-व्यास के पानी के बंटवारे का विवाद

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हरियाणा और पंजाब के बीच में था, राजस्थान तो उसमें पार्टी ही नहीं था राजस्थान का कोई प्रश्न विवादग्रस्त नहीं था। 1966 में पंजाब रि-आर्गेनाइजेशन एक्ट के मातहत प्रधान मंत्री ने एक अवार्ड दिया, वह अवार्ड इस बात का था कि जो 7·20 मिलियन एकड़ फीट वाटर पंजाब के हित में तय हुआ था, हरियाणा के उसमें से निकलने के बाद, हरियाणा और पंजाब में कितना बंटवारा हो, उन्होंने यह तय कर दिया कि 0·20 मिलियन एकड फीट पानी दिल्ली के लिये रखा जा कर बाकी 7 मिलियन एकड़ फीट पानी में से साढ़े तीन मिलियन एकड़ फीट पंजाब और साढ़े तीन मिलियन एकड़ फीट हरियाणा का हो। 1966 में इस प्रकार उन्होंने अवार्ड दिया था, उस समय इमर्जेन्सी थी। इमर्जेन्सी के बारे में जब मैं कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इमर्जेन्सी में हमारे हितों पर कुठाराघात किया गया तो आप नहीं मानते हैं, लेकिन पंजाब के मुख्य मन्त्री और हरियाणा के मुख्य मंत्री, दोनों ने भारत सरकार पर यह आरोप लगाया। इस रूप में आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय में रिट चल रही है। उस रिट में लिख कर दिया है कि इमर्जेन्सी के दबाव के कारण हम नहीं बोल सके। यह एक स्टेट कहता है कोई आदमी नहीं कहता है, विरोधी दल का आदमी नहीं कहता है हरियाणा के मुख्य मंत्री कहते हैं, उस समय बनारसी दास गुप्ता मुख्य मंत्री थे। वह इमर्जेन्सी में प्रधान मंत्री से डरते थे। प्रधान मंत्री ने जो अवार्ड दिया वह उन्होंने डरते हुए स्वीकार किया। इमर्जेन्सी की बात जाने दीजिये लेकिन विवाद उन दोनों के बीच में था। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी, आपने राजस्थान को इसमें पार्टनर कैसे बना लिया? राजस्थान को आपने कैसे इन्वाल्व कर लिया? राजस्थान को इन्वाल्व क्यों कर लिया, मेरी समझ में नहीं आता? जब झगड़ा यह था, हरियाणा यह कह रहा था कि हमें पानी ज्यादा दिया जाय, पंजाब कह रहा था कि हमें ज्यादा पानी दिया जाय, हरियाणा और पंजाब के ..

श्री शिवचरण माथुर : उनका तो यह कहना है कि अवार्ड को इम्प्लीमेंट किया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट की गई है, उसकी बात कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : रिट में तो रमेडी सीक की गई है........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। समझौता है। पंजाब और हरियाणा को कम पानी मिला। हरियाणा और पंजाब ने उसके खिलाफ रिट की है। जो 1976 का अवार्ड दिया, आप चाहें तो आपको एग्रीमेन्ट का प्रिएम्बल पढ़ कर सुना देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहे। अध्यक्ष महोदय, यह नया एग्रीमेन्ट हुआ है :

(60)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

Whereas the Central Government issued a notification on 24th March, 1976, allocating 3.5 MAF of the waters becoming available as a result of Beas Project to Haryana and the balance not exceeding 3.5 MAF to Punjab out of the total surplus Ravi–Beas waters of 7·2 MAF falling to the share of erstwhile State of Punjab after setting aside 0·2 MAF for Delhi drinking water supply; and

Whereas the Punjab Government sought a review of the aforesaid notification for increasing the allocation to Punjab and linked this matter to the construction of the Sutlaj-Yamuna Link Canal; for Haryana in Punjab territory and

Whereas the Government of Haryana filed a suit in the Supreme court praying inter-alia that a directive be issued to Punjab for expeditiously undertaking construction of the Sutlaj-Yamuna Link Canal in Punjab territory and for declaring that the notification of the Government of India allocating the waters becoming available as a result of the Beas Project issued on 24th March, 1976 is final and binding; and

Whereas the Punjab Government also filed a suit in the Supreme Court challenging the competence of the Central Government to enact Section 78 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 & notwithstanding this, questioning the notification issued under sec. 78 of the said Act; and

अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि यह जो विवाद था वह हरियाणा और पंजाब के बीच में था, राजस्थान पिक्चर में नहीं था। राजस्थान को पिक्चर में क्यों लाया गया? राजस्थान पिक्चर में क्यों आया? मुख्य मंत्री जी यह कहना चाहेंगे कि राजस्थान पिक्चर में इसलिए आया कि इसमें एक बात लिखी है कि रावी-ब्यास में यदि पानी बढ़ेगा तो बढ़े हुए हिस्से में राजस्थान को हिस्सा मिलेगा। यह नया एग्रीमेंट है। यह आपने, अध्यक्ष महोदय, नये समझौते में लिखा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि धोखे में रहने की आवश्यकता नहीं है, 1955 का जो एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट में क्लाज (1) है उसमें लिखा है कि:—

"In case of any variation in total supplies, the share shall be changed pro-rata on the above allocation, subject to the condition that no change shall be made in the allocation for Kashmir state which shall remain at 0·6 M. A. F."

तो राजस्थान को उसकी चिन्ता ही नहीं थी। रावी–ब्यास के 15·85 मिलियन एकड़ फीट पानी का बंटवारा हुआ, बाद में सर्वे के अनुसार 20·56 मिलियन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एकड़ फीट पानी हो गया। उसमें जैसे मुख्य मंत्री जी ने समझौता किया, प्रि-पार्टीशन कमिटमेंट का डिडक्शन और लाइन लॉसेज को निकालकर 17·17 मिलियन एकड़ फीट का समझौता किया है। हमें जितना पानी मिलना चाहिए 1955 के एग्रीमेंट के अनुसार, भारत सरकार हो या चाहे और कोई हो रावी-व्यास नदियों में जो पानी होता है उसका प्रो-राटा बंटवारा जो पहले 1955 का एग्रीमेंट है उसके आधार पर होता। यह स्थिति है। तो, हम इसमें इन्वाल्व क्यों हुए यह समझ में नहीं आता है? हम इन्वाल्व हुए और अब सदन और सारे राजस्थान की जनता को यह मुगालते में रखा जा रहा है कि 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी ज्यादा ले रहे हैं। आप नहीं ले रहे हैं यह 1955 का एग्रीमेंट है जो लेकर आया है। उस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन में आप को पानी मिलता। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सदन को जानकर ताज्जुब होगा कि जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है उसके अनुसार इन नदियों का पानी 20·56 मिलियन एकड़ फीट है उसके अनुसार उस एग्रीमेंट का जो क्लाज है प्रि-पार्टीशन कमिटमेंट के डिडक्शन के बाद और लाइन लॉसिज के बाद में 17.17 मिलियन एकड़ फीट है। आप कहते हैं, गलत है। आज भी 20·56 मिलियन एकड़ फीट पानी है जो पहले 15·85 मिलियन एकड़ फीट था उसमें प्रि-पार्टीशन कमिटमेंट का डिडक्शन और लाइन लॉसेज को तो खैर केलकूलेट किया जा सकता है, कैनाल लासेज को केलकूलेट किया जा सकता है लेकिन यहां डिडक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। पर यह कहकर डिडक्शन करना ही था। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको यह समझौता करने की आवश्यकता ही क्या थी? क्यों समझौता किया? अध्यक्ष महोदय, मुझे स्पष्ट शब्दों में कहना पड़ेगा कि समझौता करने का प्रश्न इसलिये पैदा हो गया कि पंजाब में आन्दोलन चला, पंजाब में खालिस्तान की मांग की जा रही है उस मांग में एक मांग यह भी है कि पंजाब के साथ नदियों के पानी के बंटवारे में अन्याय हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। अब उस मांग को कैसे पूरा किया जाय? अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी इसलिये वह समझौता करके आये हैं। सदन को ताज्जुब होगा until such time as Rajasthan is in a position.... यह मुख्य मंत्री जी ध्यान से सुनें।

श्री शिवचरण माथुर : मैं सुन रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : "Until such time as Rajasthan is in a position to utilise its full share, Punjab shall be free to utilise the waters surplus to Rajasthan's requirements. As Rajasthan will soon be able to utilise its share Punjab shall make adequate alternative arrangements expeditiously for irrigation of it's own lands by the time Rajasthan is in a position to utilise its full share. ...."

(62)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, यह सबको मालूम है कि राजस्थान को जितना पानी मिलना चाहिए उतना हम पोटेंशियलिटी क्रियेट नहीं कर पाये है। यह मुख्य मंत्री जी कहते है और मुझे भी इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : पाकिस्तान को जो पानी जा रहा था अगर वह पंजाब में रह गया तो क्या आपत्ति है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या आपको पता है कि पाकिस्तान जा रहा है? यह आप क्या कह रहे हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या जवाब देंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या जवाब देंगे, जिनको पता ही नहीं है, वह क्या जवाब देंगे। जानकारी नहीं है, अध्यक्ष महोदय, इसी बात का तो दुख है कि जानकारी नहीं है। बड़ा मुगालता दे रहे हैं मुख्य मंत्रीजी कि पानी पाकिस्तान जा रहा है। किसी बात की जानकारी नहीं है, इसी बात का तो मुझे अफसोस है इसीलिये तो यह फैसला किया है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने गौर से सुना हो तो हीरालालजी देवपुरा ने सदन मे एक बात कही थी मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा था कि 8.6 मिलियन एकड़ फीट की यदि हम पोटेंशियलिटी क्रियेट नहीं कर पाये तो पंजाब में पोटेंशियलिटी क्रियेट हो जायेगी और पंजाब हमको पानी नहीं देगा। यह सब ने सदन ने सुना है। मैं उनका समर्थन करता हूं और, अध्यक्ष महोदय, उनकी बात का समर्थन ही नहीं करता हूं, मैं मुख्य मंत्रीजी की बात का भी समर्थन करता हूं। मुख्य मंत्रीजी पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने जो रिपोर्ट सदन में रखी है उस रिपोर्ट मे मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं, वह मैं सदन म पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि आप हमारे मुख्य मंत्रीजी की विवशता को समझ लें कि उन पर दया करना या न करना, यह तो सदन की मर्जी पर है लेकिन यह समझ ले कि हमारे मुख्य मंत्री जी कितने विवश रहे है दिल्ली मे। समिति कह रही है, मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं। समिति ने कहा कि "मुख्य प्रश्न यह आ रहा है कि बीच के पानी का क्या होगा? पंजाब में खेतों तथा नहरों के आस पास के क्षेत्र का जिस तरह विकास हो रहा है, वहां बहुत अधिक क्षेत्रों को कमाण्ड में ले लिया गया है। चावल, जिसमे अधिक पानी की आवश्यकता होगी, की फसल शुरू हो गई है। पंजाब सेंट्रल पूल को देने में मेजर सप्लायर बन गया है। ऐसी स्थिति में हमारा कमाण्ड जैसे-जैसे डवलप होता जायेगा वैसे-वैसे हमारी पानी की मांग बढ़ती जायेगी। पांच या छः मिलियन एकड़ फीट पानी जब हम यूज कर पायेंगे उस वक्त पानी हमें उपलब्ध नहीं होगा।" इसके लिये समिति ने भी चिन्ता प्रकट की है कि पानी सीमित है जो कभी और बढ़ेगा नहीं। शासन सचिव ने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

समिति को जानकारी दी है कि "पंजाब वाले इस सम्बन्ध में जब सुनते हैं तो वह लोग यह कह सकते हैं कि हमने तो फेसिलिटीज डवलप कर ली हैं। इसका जवाब हमारे हक में क्या हो सकता है, जिससे राजस्थान को पानी मिल सके, वह हम ढूंढ रहे हैं। पंजाब को कितना पानी दिया जाय और राजस्थान को कितना पानी मिले यह सब हैडवर्क्स के ऊपर है।" एक लाइन और सुन लीजिये। "समिति इसे अत्यन्त गम्भीर मानती है क्योंकि अनुबन्ध की धारा 51 के अन्तर्गत आर्बिट्रेशन के प्रावधान का लाभ तो दूसरा है।" until such time as Rajasthan is in a position to utilise its full share........यह आप पेज 52 पर देखें, उस पर आप कह रहे हैं "प्रारम्भ में यदि स्थिति मजबूत होती तो अधिनियम के अन्तर्गत हमारे अधिकार और हित सुरक्षित रह सकते थे। राजस्थान ने अपेक्षाकृत एक कम सम्पन्न राज्य होते हुए भी इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि जुटाई।"·········यह सुखाड़िया जी के राज की बात है जब कि आप पावर मिनिस्टर थे और परसराम जी, आप, इरिगेशन के मंत्री थे। उस वक्त के लिये आपके मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं "यदि स्थिति मजबूत होती तो ···" मुझे पता नहीं नहीं है कि उस समय आपकी सरकार को क्या घुन लगा हुआ था। "प्रारम्भ मे यदि स्थिति मजबूत होती तो अधिनियम के अन्तर्गत हमारे अधिकार और हित सुरक्षित रह सकते थे, राजस्थान ने अपेक्षाकृत एक कम सम्पन्न राज्य होते हुए भी इन परियोजनाओं के लिये आवश्यक धनराशि जुटाई है उसके बावजूद भी राज्य के हित सुरक्षित रहें इसकी व्यवस्था नहीं हो सकी है। सन् 1959 के अनुबन्ध में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि राजस्थान को भी उसके अन्दर उचित स्थान मिलना चाहिए। इसलिये समिति ने आशंका प्रकट की कि जिस प्रकार पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप कर रहा है और हैडवर्क्स पर पंजाब का नियंत्रण है, हमें डर है कि राजस्थान कैनाल को एक दिन एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा।" यह आपके मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह पी० यू० सी० के चेयरमैन कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पता नहीं आप कहां रहते हैं शायद आपको पता नहीं है है कि यह पी. यू. सी. के चेयरमैन थे मुख्य मंत्री बनने के पहले। आप इनको बचाने की कोशिश करके इनको फंसाने की बात करना चाहते हैं। इस बात को हम समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, फिर लिखा है "समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अनुबन्ध करते समय राजस्थान के प्रतिनिधियों ने··· "सुनिये, परसराम जी, यह आप पर चार्ज क्या कह रहे हैं आपके मुख्य मंत्रीजी। "समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अनुबन्ध करते समय राजस्थान के प्रतिनिधियों ने अपने हितों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जिसके परिणाम स्वरूप आज तक

(64)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। इतना ही नहीं इन कठिनाइयों के उत्पन्न होने पर सरकार ने समय पर इन्हें दूर करवाने की कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जिससे आज हमारे द्वारा इन परियोजनाओं में विनियोजित धन के अनुपात में हमारे हिस्से का लाभ नहीं मिल पा रहा है।" यह मुख्य मंत्रीजी ने अपनी रिपोर्ट में, जो इसी सदन में प्रस्तुत की है, चेयरमैन के नाते लिखा है।

इसका मतलब तो साफ है कि जो पोर्टेंशियलिटी क्रियेट होगी उसके लिये उतना पानी नहीं मिल पायेगा, यह मुख्य मंत्रीजी को सन्देह है, मुझे भी सन्देह है और सारे सदन को सन्देह होना चाहिए। फिर वह किस प्रकार का एग्रीमेंट कर आये ? उन्होंने जो समझौता किया जिसका कि उल्लेख किया है उस समझौते में लिखा है, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गहराई से सुनें कि 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी जब तक आप यूज करने की क्षमता नही पा लेंगे तब तक पंजाब पानी नहीं देगा। इस समय 4.4 मिलियन एकड़ फीट इस्तेमाल कर रहा है वह करता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, यह सदन जानता है कि जब खेती शुरू होगी, सिंचाई शुरू होगी तो आज के लोकतन्त्र में किसी क्षेत्र को आप 10 साल तक पानी देंगे और ग्यारहवें साल कह दें कि पानी नहीं देंगे, इस प्रकार की स्थिति नहीं बन सकती। पंजाब का इसमें राइट बन जायेगा और किसानों का इसमें राइट बन जायेगा। हमारे एग्रीमेन्ट में यह लिखा है कि 8.6 मिलियन एकड़ फीट का फुल शेयर जब तक यूज नहीं कर पायेंगे, उस समय तक पंजाब को जो पानी दे रहे हैं वह देते रहेंगे। मैं समझता हूं, कोई भी पूछ ले, पंजाब फुल शेयर का फायदा उठायेगा और जब तक 8.6 मिलियन एकड़ फीट का यूज करने की क्षमता नहीं बनती तब तक राजस्थान अपने शेयर का हक नहीं मांगेगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज, मुख्य मंत्रीजी, 1955 मे जो सुखाड़िया जी ने समझौता किया, उसमें गलतियां निकालें, 1959 के भाखड़ा एग्रीमेंट, जो भूतपूर्व सरकार ने समझौता किया, 1966 में पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट बना, में राजस्थान का ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया उसमें गलतियां निकालें। मैं कहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, आपने अपनी कुर्सी के लिए राजस्थान के हितों का बलिदान किया। मैं मानता हूं आपको मजबूर किया गया। आप नहीं चाहते थे, आपसे दस्तखत कराये गये। आपसे कोई कन्सलटेशन नहीं हुआ। आप जिस दिन कम्पनी अफेयर्स मिनिस्ट्री के सचिवालय में गये, वहां पर पी. ए., प्राइवेट असिस्टेण्ट के कमरे में हमारे मुख्य मंत्रीजी को ले गये। विधि मंत्री जी को ले गये। दो घंटे तक बन्द रखा। इन्दिरा गांधी से धमकी दिलवायी और धमकी दिलाने के बाद शिवचरणजी दस्तखत करके आ गये। किसी प्रकार का चारा नहीं था।

श्री परसराम मदेरणा : आप टेबल के नीचे थे क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप आ गये। मुझे जाने की जरूरत नहीं है। टेबल के नीचे तो आप सब आ गये। मैं इस सदन को भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुख्य मंत्री रहेंगे। मेरी पार्टी की सरकार आने वाली नहीं है। शिवचरण जी जायेंगे तो दूसरे आयेंगे। पहाड़िया जी गये थे शिवचरण जी आये। शिवचरण जी जायेंगे परसराम जी मदेरणा आयेंगे। लेकिन मैं आपसे निश्चित रूप से कह कर जाता हूं कि राजस्थान की जनता का जितना अहित वर्तमान मुख्य मंत्री ने किया है वह राजस्थान के इतिहास में कोई मुख्य मंत्री नहीं कर पायेगा। आज चाहे आप इसको लोक लाज के नाते स्वीकार नहीं करें, मुख्य मंत्री जी के मुंह पर इसकी चर्चा नहीं करें। लेकिन राजस्थान के हितों का बलिदान किया है। अध्यक्ष महोदय, पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट में साफ लिखा है कि तीनों हैडवर्क्स के ऊपर कब्जा भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का होगा। उस एक्ट की धारा पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि मुख्य मंत्री जी यह न कह दें कि मैंने कोई अचीवमेण्ट किया है। धारा 79 में लिखा है पार्ट सी में :

"The Central Government shall constitute a Board to be called the Bhakhra Management Board for the administration, maintenance and operation of the following works namely—

Irrigation headworks at Ropar, Harika and Ferojaipur.

तीनों हैड वर्क्स का ट्रान्सफर बी. एम. बी. को होना चाहिए। हमारे मुख्य मंत्री जी ने पब्लिकली स्टेटमेण्ट दिया, उसमें कहा कि फिजीकल कन्ट्रोल तो तीनों के कब्जे में होता रहेगा लेकिन मैनेजमेण्ट और मेण्टीनेंस, यह सारा का सारा बी. एम. बी. को चला जायेगा। मुख्य मंत्री जी, आप जिस समय चेयरमैन थे उस समय आपके आफिसर्स ने आपको नहीं बताया। उस रिपोर्ट में लिखा है, मैं उदाहरण देकर समय नहीं लेना चाहता, जिसमें आपने कहा कि जब तक फिजीकल कन्ट्रोल हमारे हाथ में नहीं होगा, मेंटीनेंस करने से काम नहीं चलेगा। आप ने यह कहा कि बी. बी. एम. बी. से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैनेजमेण्ट होगा। मैनेजमेण्ट उसके हाथ में जाने पर आपने क्या किया? एक्ट में हमारे लिए प्रावधान था, हमारे राइट्स की गारंटी थी जिसके लिए हमें कोर्ट में जाना चाहिए, भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिए। आपने समझौता कर लिया कि तीनों हैड वर्क्स का कन्ट्रोल पंजाब के हाथ में रहेगा और एडमिनिस्ट्रेशन मेंटीनेंस, मीटर रीडिंग सारा का सारा बी. एम. बी. कर सकता है। मैं आपकी रिपोर्ट के आधार पर कह सकता हूं कि जो समझौता किया है वह आलरेडी बी. एम. बी. कर रहा है। बी. एम. बी. आज भी यह करता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है

(66)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि मुख्य मंत्री जी चले कहां गये थे उस समय, राजस्थान को भूल गये थे, कुर्सी की याद रह गयी थी जिससे कि उन्होने वहं एग्रीमेण्ट कर लिया। वही बात आज इस समय भी बी. एम. बी. कर रहा है। मेरी मांग यह थी कि यदि इसी आधार पर राजस्थान को डुबाना चाहते थे तो एक शब्द तो मंजूर करवा लिया होता कि जिस समय राजस्थान को पानी की आवश्यकता होगी उस समय उतना पानी राजस्थान को मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, आंकड़े पूरे करने के लिए जिस समय राजस्थान में बाढ़ आयी हो, अतिवृष्टि होती हो, उस समय राजस्थान कैनाल में ज्यादा पानी डिस्चार्ज मे आता है। उस समय कोई हमारी मांग नहीं होती। क्योंकि हैडवर्क्स पंजाब के हाथ म है इसलिए वह जितना चाहे उतना छोड़ता है। हमारे यहां दलदल होता है, वाटर लोगिंग की प्राब्लम होती है। इस एग्रीमेंट मे कहीं भी यह नहीं लिखा है जिस समय राजस्थान को जितने पानी की आवश्यकता होगी वह मिलेगा। इस बात का इसमे कोई उल्लेख नहीं है। किस बात का समझौता किया? इस बात का किया कि पंजाब जो पानी यूज कर रहा है, आज तक जो अनधिकृत रूप से कर रहा था हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पंजाब को लीगल राइट दे दिया। मुख्य मंत्री जी देकर आये हैं। आइन्दा जब तक टोटल 8·6 मिलियन एकड़ फीट को यूज नहीं करेंगे, मुख्य मंत्रीजी, आप को पानी मिलने वाला नहीं है। मैं इसलिए कहता हू कि मैंने एक बार जोधपुर में भाषण दिया। हमारे मंत्री कहने लगे कि मुझे यह बात नहीं करनी चाहिए। मैं कोई आलोचना, दुर्भावना या अपमान की दृष्टि से नहीं कह रहा हू लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में गुलाम वंश का 1207–1210 से लेकर 1290 तक राज रहा उसका दर्शन हमें फिर × × × में राजस्थान की सरकार के रूप में करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा × × × कोई कर ही नहीं सकता, न ही राजस्थान के हित अपनी कुर्सी के लिए बेच सकता है। मैं विधान सभा के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा, फिर रिपीट करना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी आत्मा से बोलेंगे, इतिहास इस बात का साक्षी होगा, आज जयचंद का नाम याद करते हैं, मीर जाफर को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उन्होने हिन्दुस्तान की आजादी के साथ खिलवाड़ किया था अपने स्वार्थों के लिए। मैं समझता हूं कि शिवचरण माथुर जी ने × × चाहिए तो यह था; चंदन मलजी, मैं आप के सामने बात नहीं करता जिस समय बजट आयेगा उस समय कर लेना।

श्री चन्दनमल बैद : समझ का ठेका तो आपने ले रखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे पास ठेका नहीं लेकिन आपकी जो बीच में इन्ट्रप्ट करने की आदत है, मैं भी उसका जवाब दे सकता हू।

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री चन्दनमल बैद : पीछे वालों ने किया है मैंने नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोलिये। मुझे कोई आपत्ति नहीं। हम सुनते हैं। कल जो आपने 28 मिनट बोला था हम ने सुना था।

मैं निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान के इतिहास में सुखाड़िया जी ने 1955 के अन्दर जो समझौता किया 'उसका यदि सबसे बड़ा खराब असर''....कह कर सुखाड़िया जी की आलोचना करते हैं, इन्डाईरेक्टली कि राजस्थान के हितों का 1955 के समझौते में ध्यान नहीं रखा गया। मैं कहना चाहता हूं, श्रीमान जी, 1955 में जिस समय राजस्थान कैनाल की केवल कल्पना थी, गंगासिंह जी ने योजना बनायी थी, वह केवल कागजों पर थी उस समय उसको कार्य रूप में परिणत करने की कोशिश की। 1955 का समझौता ऐतिहासिक था जिसमें आप कमियां प्रकट करते हैं। मैं समझता हूं कि आपके कामों ने राजस्थान को डुबाया है। आप चाहे कितने दिनों तक मुख्य मंत्री बने रहें, मुख्य मंत्री आते और जाते हैं। मुझे याद है कि पहाड़िया जी कहते थे कि बिलकुल फौलाद की तरह बैठा हूं। फौलाद पिघल गया। माथुर साहब, मैं समझता हूं कि आप फौलाद के तो नहीं हो पिघलने में आपको भी देर नहीं लगेगी। विधायकों की गिनती के आधार पर मुख्य मंत्री नहीं बनाये जाते हैं। दिल्ली के दरबार में कौन कितने समय सलाम करता है, और उस सलाम में किस प्रकार की अदा होती है, उसके आधार पर मुख्य मंत्री बनाये जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने राजस्थान का नुकसान किया तो × × इतिहास में शिवचरण माथुर का भी नाम लिखा जायेगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इसलिए मैं सदन से कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को आप पास करें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन विधायकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इतना साहस रखिये कि विधान सभा में इसके सम्बन्ध में प्रस्ताव लाकर इस प्रस्ताव को रिजेक्ट करें। इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट में हैडवर्क्स ट्रान्सफर की बात आयी वह, भारत सरकार करेगी, पंजाब की सरकार करेगी। हरियाणा अभी नहीं बोलेगा वह कुछ दिनों में बोलेगा, जब पानी का संकट खड़ा होगा। मुख्य मंत्री जी फीडर के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे? पानी मिल जायेगा? कितना पानी मिल जायेगा? पानी तो आप देकर आये हैं। इसका तालमेल बैठायेंगे कुछ पता नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान के मुख्य मंत्री ने रावी-व्यास समझौता कर राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया है, वह इतना भयंकर है कि राजस्थान इसका खामियाजा किसी भी रूप में पूरा कर नहीं कर सकता है। पंजाब में जो पानी चला गया वह राजस्थान में नहीं आ सकता है।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल के मंत्री महोदय यहां नहीं हैं....

श्री नरेन्द्रसिह भाटी : बैठा हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बैठे हैं।

एक योजना बनाई और योजना यह बनाई कि राजस्थान कैनाल का विस्तार और विकास खेती के लिए नहीं चरागाह और फलोद्यान की योजना के लिये होगा। खेती के लिए नहीं होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नया आइडिया नहीं है। लेकिन मैं सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं यह आइडिया आपका नहीं है, इसके पीछे दूसरी ताकत काम कर रही है। वह ताकत दिल्ली में है। दिल्ली में बैठी वह ताकत चाहती है कि राजस्थान कैनाल में यह स्थिति पैदा हो कि वह कहने लगे कि राजस्थान कैनाल में 1·6 मिलियन एकड़ फीट पानी की आवश्यकता नहीं है। वह योजना प्रस्तुत करते समय आप समझ रहे हैं आप कोई नया विचार रख रहे हैं, क्रांतिकारी प्रस्ताव इस सदन में या इस सदन के बाहर रखा है, ऐसी बात नहीं है। आपसे गलती जान-बूझकर करवायी जा रही है ताकि राजस्थान की सरकार यह कह दे कि राजस्थान कैनाल का पानी खेती के काम में नहीं आयेगा। यह सारा आपका जो असेसमेन्ट है, यह गलत हुआ है। 1·6 मिलियन एकड़ फीट का जो कमाण्ड एरिया बना हुआ है उसके लिए पानी चाहिये। यह योजना खेती के लिए बनाई गई है, यह मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मेरे को इन्स्ट्रक्शन्स मिले तब आप खड़े थे ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : जरूरत ही नहीं इन्स्ट्रक्शन्स की। आंख दिखाने की जरूरत है। आप केबिनेट में तो नहीं, किचन केबिनेट में जा सकते हैं, किचन में जा सकते हैं। उस किचन की हवा में मंत्री बने हैं, अपनी योग्यता के आधार पर नहीं। आप धोखे में मत रहना।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपको सब पता है। और लोग नहीं जानते।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह शायद और भी जानते हैं, सब को पता है। आप मुख्य मंत्री बन रहे थे, यह भी पता है। लगातार समाचार पत्रों में समाचार छपवाया गया, मुख्य मंत्री बन रहा हूं। शिवचरण जी आपसे होशियार निकले। योग्यता के आधार पर मंत्री नहीं बनाया है आपको इसलिए कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कौन कर रहा है ? सबके पीछे एक ऐसी एजेन्सी वर्क कर रही है, जो एजेन्सी चाहती है कि राजस्थान की सरकार ऐसी भूल कर जाय और कह दे कि हमें खेती के लिए पानी नहीं चाहिये, हम तो उससे फल उगायेंगे। फिर पानी को कैसे देंगे ? पानी के लिए वह कह सकते हैं, राजस्थान को राजस्थान कैनाल के लिए 1·6 मिलियन एकड़ फीट पानी की आवश्यकता नहीं है, यह तो चरागाह लगा रहे हैं या फलोद्यान लगा रहे हैं इनको लिमिटेड वाटर चाहिये इसलिये लिमिटेड वाटर इनको दीजिये बाकी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के पानी के लिए पंजाब को छूट देनी चाहिये। मैं मुख्य मंत्री जी को एक जानकारी देना चाहता हूं। आज से कुछ महीने पहले हमारे एक केन्द्रीय मंत्री सूरतगढ़ गये. वहां पर एक डेपुटेशन आया और डेपुटेशन केवल इस बात के लिए आया कि राजस्थान कैनाल वेस्ट में क्यों जा रही है? राजस्थान कैनाल बीकानेर क्यों जा रही है? गंग कैनाल और भाखड़ा का कमाण्ड एरिया अभी तक अन-कमाण्ड एरिया है, उसमें पानी क्यों नहीं? गंग कैनाल और भाखड़ा की इन्टेन्सिटी 90 से आप 110 कर रहे हैं ताकि जितना पानी राजस्थान कैनाल का आज जा रहा है उस का कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर सकें। इसके पीछे एक षड़यन्त्र है, यह काश्तकारों की मांग है कि कैनाल का कन्स्ट्रक्शन बन्द हो। कैनाल का कन्स्ट्रक्शन बन्द कर दिया तो राजस्थान कैनाल को पानी नहीं मिलेगा। इस षड़यन्त्र से श्रीमान जी ने खेती की नहीं चरागाह और फलोद्यान की योजना बनाई। सदन को इसके प्रति सावधान रहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यह रावी-व्यास का मामला है, पिछले दिनों दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, मध्य प्रदेश के एक मंत्री यहां पर बैठे हैं, मुझे बोलने में संकोच है और संकोच इसलिए हो रहा है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी बार बार यह बात कहते थे कि इण्टर स्टेट एग्रीमेण्ट में एक्सपर्ट हूं, जब वह पी. यू. सी. के चेयरमैन थे तो इस पर बहुत चर्चा किया करते थे। चम्बल के सम्बन्ध में एक समझौता किया। समझौता वह कुछ करें मुझे आपत्ति नहीं। एक तो हम पर यहां आरोप लगाया करते थे कि जिस समय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय चम्बल कमाण्ड एरिया के अन्दर मध्य प्रदेश की सरकार ने छोटे-मोटे बांध बनाकर एक मिलियन एकड़ फीट पानी का इन्टरवेन्शन किया। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, मुख्य मंत्री जी को अब डाइरेक्शन्स चले गये होंगे, अधिकारियों को नहीं। इन्होंने चम्बल जोइण्ट कण्ट्रोल बोर्ड बनाया जिसके मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री चेयरमैन हैं। दो पॉइन्टस पर समझौता किया: एक तो यह समझौता किया कि चम्बल के सारे बेसिन में जो इस प्रकार के इन्टरवेन्शन्स हुए, दोनों तरफ के इन्जीनियर्स मिल कर उसकी जांच करें। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आप के इन्जीनियर्स दो बार गये, क्या उनको उस क्षेत्र में घुसने दिया? दोनों बार वापस आये। जो समझौता किया उस का पालन नहीं किया। लेकिन राजस्थान के हितों पर दूसरा कुठाराघात, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह किया कि वहां तो लड़ रहे हैं हैडवर्क्स हमें दिया जाय और वहां समझौता कर लिया कि चम्बल बैराज से पानी डिस्चार्ज होता है उसके ऊपर राजस्थान और मध्य प्रदेश का जोइन्ट कण्ट्रोल हो। मुझे अफसोस इस बात का ज्यादा नहीं, अध्यक्ष महोदय, अफसोस इस बात का है कि राजस्थान के हितों को बेचने का काम जिस प्रकार से हमारे मुख्य मंत्रीजी कर रहे हैं, इसको नहीं रोका

(श्री भैरोंसिंह शेखावत) ।

जायेगा तो राजस्थान का भयंकर अहित होगा। हमको यह कह दिया जाय कि पार्वती और कौल बांध के लिए, पार्वती और कौल प्रोजेक्ट के लिए मैंने हिमाचल प्रदेश से समझौता कर लिया है। वह समझौता आपका धरा रहेगा। आप इस सदन में बोल देंगे या आपके सिंचाई मंत्रीजी सदन में बोल देंगे। नाथपा-झाकड़ी के मामले में आप सब लोगों ने पहले इस सदन में भाषण दिया। आप मुख्य मंत्री हैं, आप सिंचाई मंत्री हैं मुझे यह बतावें, नाथपा झाकड़ी में राजस्थान का हिस्सा कहां है? आपको दस पर्सेन्ट बिजली दी जायेगी। आप ग्राहक होंगे, वह देने वाले हैं। आप का कोई राइट नहीं है। यह किसने किया? तीसरा अपराध राजस्थान के मुख्य मंत्री ने एक और किया। हम नाथपा-झाकड़ी के हितों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, यहां पर मुझे याद है सिंचाई मंत्री जी ने उस कोने में से बोला था, बोलते भी अकड़ कर हैं, आवाज भी भगवान ने अच्छी दी है, कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटायेंगे। आज आप मुख्य मंत्रीजी के दरवाजे खटखटा रहे हैं या अदालत के दरवाजे खटखटा रहे हैं? हाउस को वह दिन याद है। सर्वोच्च न्यायालय में जाइये, नाथपा झाकड़ी में जो हमारा हिस्सा है वह लाओ। वह हिस्सा आप ले नहीं सके। इसके लिए न इनके पास कौड़ी है, न हिमाचल की सरकार के पास कौड़ी है, न प्लानिंग कमीशन की अप्रूवल है, न इनके बजट में एक पैसा है, न हिमाचल प्रदेश के बजट में एक पैसा है और कहते हैं यहां इस प्रकार से लागू कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा कि थीन डम का मामला था। थीन डेम के मामले में राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं क्या किया? अटार्नी जनरल की रिपोर्ट राजस्थान के पक्ष में आ गई। वह प्रधान मन्त्री के पास पड़ी है। आप कहते हैं, प्रभाव है। चमत्कारिक हैं, योग्य हैं राजस्थान के हितों का संरक्षण करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं थीन डेम के मामले में भारत सरकार से फैसला क्यों नहीं करवाते? अध्यक्ष महोदय, आज मैं कहता हूं, सदन में मेरी बात को मानें या नहीं, रावी-व्यास का समझौता किया, नाथपा-झाकड़ी में राजस्थान के हितों का बलिदान किया। यह दो ऐसे उदाहरण हैं जिनसे स्पष्ट है कि राजस्थान कैनाल का पानी नहीं मिलेगा। आगे जाकर थीन डेम में जो हमारा हिस्सा है वह हिस्सा भी हमको नहीं मिलेगा।

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, सारे समझौते पानी के ही नहीं, बिजली के भी हैं। आज भाखड़ा से जो बिजली हमें मिलती है, बाकी विद्युत योजनाओं से मिलती है उनमें बेस है। अध्यक्ष महोदय, पानी 1·6 मिलियन एकड़ फीट हमारा बेस है, उस बेस के आधार पर हमें बिजली मिलनी चाहिये। लेकिन अब बेस 1.6 मिलियन एकड़ फीट नहीं रहा, अब

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

केवल 4 मिलियन एकड़ फीट रहा। परसरामजी कहते हैं, 6 महीने बाद अगर बिजली का दावा प्रस्तुत करें तो अब आप पानी के हिसाब से बिजली ले लो।

श्री परसराम मदेरणा : सतलज का अलग है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मुझे मालूम है। रावी अलग है, व्यास भी अलग है, पोंग डेम भी अलग है। यह सब अलग हैं।

श्री शिवचरण माथुर : सारी बातें आपको पता हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उनकी जानकारी के लिए कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कह रहा हूं कि बिजली का समझौता भी वहां पर है। एक यूनिट 52 पर्सेंट और दूसरी 16 पर्सेंट लगी हैं लेकिन आधार पानी है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर पानी का आधार हमारा खतम हो गया तो आज आप महसूस नहीं कर रहे, कुछ दिनों के बाद इस प्रश्न को उठाया जायेगा। इसलिये मैं कहता हूं कि जो पानी के सम्बन्ध में आपने समझौते किये हैं, मैं समझता हूं कि आपने राजस्थान के हितों का बलिदान किया है और उसका आपने ऐसा भयंकर अहित किया है जिसका इस राजस्थान में कहीं उदाहरण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणायें करने में बड़े प्रवीण हैं। जहां जाते हैं इनकी जेब में 10-20 प्लांट्स होते हैं। अलवर में गये 60 मेगावाट, भीलवाडा में गये तो न्यूक्लिअस प्लांट, बूंदी में गये सीमेंट का प्लांट। जहां जाते हैं प्लांट लेकर जाते हैं जैसे वन महोत्सव में फारेस्ट अधिकारी प्लांट लेकर जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी घोषणाओं का संकलन किया है, 3200 मेगावाट बिजली के प्लांट लगाने की घोषणा कर चुके हैं। राजस्थान में 3200 मेगावाट बिजली के प्लांट लग जायें तो मुझे कहने की जरूरत नहीं की महाराष्ट्र और गुजरात के सारे उद्योगपति भागकर राजस्थान आयेंगे। मैंने इनसे कहा कि आपने क्या इनके लिए बजट में प्रावधान किया है? तो कहीं कुछ नहीं। मेरे स्टेटमेंट के बाद यह जरूर फर्क आया कि उसके बाद इन्होंने घोषणायें नहीं कीं। नहीं तो जहां जाते थे, प्लांट लेकर जाते थे। मैं समझता हूं कि आप इनके बजाय जहां जायें गोबर गैस प्लांट की घोषणा करें। हमें कोई आपत्ति नहीं गोबर गैस प्लांट में ज्यादा खर्चा नहीं लगता। गोबर नहीं है तो मंगवा दिया जायेगा, प्लांट नहीं तो उसकी व्यवस्था कर देंगे, यह सारा काम हो जायेगा, लेकिन इस प्रकार की घोषनायें करने से काम नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं, इसके अलावा इन्होंने राजस्थान में कुछ कीतिमान स्थापित किये। मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लोग कहते हैं 340 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट हो गया। वित्त मंत्रीजी पुराने आंकड़े देकर कहेंगे राजस्थान में आज तक कभी भी इतना बड़ा ओवर ड्राफ्ट नहीं हुआ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए मैं आपको भी और मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके बारे में इन्होंने क्या हल निकाला, यह बजट पर जब चर्चा होगी तब मैं बताऊंगा कि ओवर ड्राफ्ट किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता था और कैसे नहीं किया गया? अतिरिक्त खर्चा किस प्रकार से किया गया? यह ग्रलग बात है।

दूसरा कीर्तिमान, गत वर्ष की वार्षिक योजना में केवल 340 करोड़ रुपये और इस वर्ष की वार्षिक योजना में केवल 340 करोड़ रुपये। 15 पर्सेंट का ग्रसेस्ड किया। ग्रसेस्ड होने के बाद यह योजना, 280 करोड़ रुपये की रह गई। कहां 340 करोड़ की योजना, 280 करोड़ रुपये की और, अध्यक्ष महोदय, इस पूरी स्टेट में जो सारी योजनायें हैं वह 9900 करोड़ की हैं। 10 ग्ररब की समझ लीजिये। पूरे 10 ग्ररब की योजना में राजस्थान को 200–340 करोड़ रुपये मिले और हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि अभी तक मंजूर नहीं हुई। मंजूर हो चुकी है। 340 से ऊपर आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। यह तय हो चुका है।

आपने यह भी एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आपका कितना प्रभाव है इसका पता इस बात से लगेगा। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का दिल्ली में कितना प्रभाव है। इसका पता इससे लगेगा कि जयपुर उद्योग को लिये जाने की कार्यवाही पूरी हो चुकी थी, जनता पार्टी के शासन में बिल भी इस सम्बन्ध में पेश कर दिया गया था संसद में। बिल में आदेश था कि भारत सरकार इसको ले ले। हमने प्रधान मंत्रीजी से बात की और तय किया कि राजस्थान सरकार इसको लेने के लिए तैयार है। मैं कहता हूं कि इसके आज 70 करोड़ रुपये के ग्रसेट्स हैं। कमेटी की रिपोर्ट और कानून के अन्तर्गत दिये अवार्ड के अनुसार हमें 10 करोड़ रुपये मिलते थे, जिसकी पेमेंट हमको नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी ने मैं जानना चाहूंगा कि जयपुर उद्योग को लेने के सम्बन्ध में आपने क्या किया? यह 60–70 करोड़ रुपये की पूंजी न आपके कब्जे में आई और और न भारत सरकार के कब्जे में आई और न उस आदमी के कब्जे में आई जिसकी यह थी। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि आपने एक बार पाली में भाषण दिया कि समाजवाद बिना खूनी क्रान्ति के नहीं आ सकता। यहां तो खूनी क्रान्ति की आवश्यकता नहीं है, कलम चलाने की आवश्यकता है। खूनी क्रांति में खून तो बाद में बिखेरना, पहले कलम की स्याही बिखेरिये। उस पर भी आप राजस्थान के जयपुर उद्योग पर अपना कब्जा नहीं कर सके। जयपुर उद्योग का तो सवाल ही नहीं उठता आप तो जयपुर मेटल्स को वापस दे रहे हैं जिसको कितनी मेहनत से, कितनी पूंजी लगा कर राजस्थान सरकार ने बनाया इस जयपुर मैटल को और आप वापस दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को याद होगा, हरिदेव जोशी जी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यहां पर नही है, उनको अच्छी तरह से याद होगा, मैंने कई दफा इस सदन में और बाहर, जब मैं राज्य सभा का सदस्य था, यह बात कही थी कि हिन्दुस्तान साल्ट से साम्भर साल्ट निकाल लो । साम्भर साल्ट को निकालने के बाद हमारी आय कितनी बढ़ेगी, वित्त मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा । वह कहेंगे कि जब मैं मुख्य मंत्री था उस समय मैंने स्वयं क्यों नहीं अपने हाथ में लिया । आपकी यह आपत्ति बिलकुल सही है, आप आरोप लगा सकते हैं । मैंने, अध्यक्ष महोदय, इसके लिये भारत सरकार से अनुमति ले ली थी, मौखिक रूप से अनुमति ले ली, लेकिन....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी तो मोरारजी देसाई मानते ही कहां थे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मौखिक रूप से, किसी की एवीडेंस नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बताता हूं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कोई जरूरत नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि × × × की कमी नहीं है ।

श्री चन्दनमल बैद : बात राजस्थान के अन्दर है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जिस आदमी को वेतन इस बात का मिलता हो कि कोई भी बात सदन के अन्दर कहो, अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है कि आपने उस का समर्थन कर दिया और उसके कारण से वह जब चाहें बोल जाते हैं । कभी कहते हैं मोरारजी देसाई कहना नहीं मानते हैं, कभी कहते हैं, इन्दिरा गांधी उनको रोकती हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपका प्रभाव नहीं था, आप खुद कहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कब कहा कि मेरा प्रभाव था ? प्रभाव तो आपके आगे जो बैठे हैं उनका है । जो दो घण्टे तक प्रधान मंत्री के घर में बैठ कर सिर्फ दस्तखत कर के लौट आये । इसलिये मैं कह रहा हूं कि सांभर साल्ट के मामले में भारत सरकार का हिन्दुस्तान साल्ट का काम चल रहा है । एक गुजरात की खाराखोड़ी और एक यह । यह दोनों मिल कर चलते हैं, लेकिन इसमें घाटा होता है, साम्भर की कमाई से उसकी पूर्ति होती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय मैं इसको लेने का विचार कर रहा था, दुर्भाग्य से सांभर में भयंकर बाढ़ आई । रेलवे लाइन टूट गई झपाडू डेम टूट गया । उसका करोड़ों रुपये का खर्चा था । मैंने निवेदन किया कि भारत सरकार इसको बना दे, उसके बनने के बाद ही साम्भर साल्ट पर कब्जा किया जाय तो राजस्थान को ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं । मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं वही स्थिति आज है । रेलवे लाइन पूरी हो चुकी है, डेम पूरा हो चुका है । यदि आप इसको कब्जे में ले लेते हैं तो राजस्थान का बहुत बड़ा हित होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं अभी कुछ दिन

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पहले समाचार-पत्रों में आया उस से भी आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि मुख्य मंत्री जी का कितना प्रभाव है। यह शायद प्रद्युम्न सिंह जी भी मानेंगे। आप रिपोर्ट लेकर देखें, तत्कालीन मंत्री श्री बहुगुणा जी ने एक पत्र लिखा जिसमें लिखा है कि राजस्थान को दो गैस बेस्ड फर्टिलाइजर्स कारखाने मिलेंगे। अभी भारत सरकार ने फैसला किया कि केवल एक मिलेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका तो बहुत प्रभाव खेतसिंहजी बताते हैं, उस प्रभाव के अनुसार आप एक फर्टिलाइजर काम्पलेक्स लेकर राजी क्यों हो गये ? आखिर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बम्बई या गुजरात में कहां खाद बनती है ?

खाद का उपयोग करने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हैं। खाद बनती है बम्बई में और वहां से यहां नहीं आ सकती। आने में ट्रांसपोर्ट के बाटलनेक्स बहुत इतने हैं कि समय पर खाद नहीं ला सकते। गैस को ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा चीपर है, ज्यादा सुविधाजनक है बनिस्पत इसके कि खाद को यहां ट्रांसपोर्ट किया जाय। इस आधार पर हमने क्लेम किया, गुजरात से और बम्बई से संघर्ष हुआ। ताप्ती के सम्बन्ध में बातचीत हुई, बम्बई हाई के संबंध में बातचीत हुई और कहा कि दो-दो प्लांट्स राजस्थान, मध्य प्रदेश और यू० पी० को मिलेंगे। अब जितने भी गैस बेस्ड प्लांट्स बनेंगे, वह उन स्टेट्स में होंगे जहां फर्टिलाइजर का सब से ज्यादा कन्जम्पशन है। अध्यक्ष महोदय, कन्जम्पशन के नाते हम सब स्टेट्स के बराबर आते हैं। मध्य प्रदेश में दो होने चाहिये थे लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान को एक दिया और जो बेलेन्स था उसे गुजरात को दिया। गुजरात वालों ने फिर गैस बेस्ड प्लांट और स्वीकार करा लिया। मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से, और पहाड़िया जी से, आपको दो वर्ष राज करते हो गये राजस्थान में, केन्द्रीय सरकार का जो आज तक इन्वेस्टमेंट है, सुखाड़िया जी और जोशी जी के जमाने का, उसमें आप एक नए पैसे की वृद्धि नहीं करा सके। दिल्ली में आपके प्रभाव का अन्दाज तब लगता जब आप कहते कि राजस्थान में सेन्ट्रल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, सेन्ट्रल प्लांट्स आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर अपना एक्सपेन्शन करना चाहता है, 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा किन्तु हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर का एक्सपेन्शन यहां नहीं आ रहा है, वह साउथ में जा रहा है। किसलिए यहां नहीं आ रहा है? बिजली की वजह से। खेतड़ी कापर सिरोही जिले में जहां पूरा बना हुआ है, एम्पायर तो नहीं कहना चाहिए, उस एन्क्लेव के अन्दर 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। केवल यह कहते हैं कि टंगस्टन हमें लीज पर दे दिया जाय। मुझे मालूम है टंगस्टन की क्या स्थिति है, जैसे हमें मिला है, हम कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, क्या उसका हमें प्राफिट मिल रहा है ? सिरोही जिले में टंगस्टन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मिला । अगर टंगस्टन चाहते हैं कि हमें दे दिया जाय तो खेतड़ी कापर वाले अपनी मशीनों से भी काम करेंगे। वह यह भी कहते हैं कि इसे जोइंट सैक्टर में ले लो। खेतड़ी कापर शामिल हो जाय, गवर्नमेंट भी शामिल हो जाय, दोनों मिल कर एक्सपेन्शन कर लें, वह हो तो आपको दिक्कत क्या है ? खेतड़ी वाला आप कर सकते हैं। लीज देने के साथ ही 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में होगा और सिरोही जिले में जहां पर सारा एपरेटस बनेगा, जहां सारी व्यवस्था होगी वह अपने आपमें छोटा कानपुर बन जायेगा, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स बनेगा। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हुं कि जिद मत करो, टंगस्टन की लीज खेतड़ी कापर को दे दो, 20-25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वह करना चाहते हैं, वह इन्वेस्टमेंट राजस्थान में कराओ और जिंक स्मेल्टर के एक्सपेन्शन का काम जो विशाखापटनम और साउथ में जा रहा है, उसको रोको तो पता लगेगा कि मुख्य मंत्री की बहुत बड़ी ताकत है।

अध्यक्ष महोदय, कल एक प्रश्न के उत्तर में यहां कह दिया कि हम भारत सरकार से जितनी चीनी की मांग कर रहे हैं उतनी नहीं मिलती है। शक्कर उतनी नहीं मिलती, सीमेन्ट उतनी नहीं मिलती। मैं समझता हूं, प्रभाव कहां गया ? चंदनमलजी ने एक बार सदन में स्टेटमेन्ट दिया था कि हम ने जितना मांगा उतना दिया। आप को याद होगा जोश में भाषण दिया, जितनी शक्कर मैंने मांगी उतनी दी, जितनी सीमेंट मैंने मांगी उतनी मिली, जितना कोयला मांगा उतना दिया, जितना कैरोसिन मांगा उतना कैरोसिन मिला, जितना गेहूं मांगा उतना मिला। मुख्य मंत्रीजी ही तो बदले हैं। पहाडिया जी के राज में पूरा कोयला मिल सकता है, पहाड़ियाजी के राज में पूरी शक्कर मिल सकती है, पहाड़ियाजी के राज में पूरा कैरोसिन मिल सकता है, तो, मुख्य मंत्रीजी, आप इतने कमजोर कहां से हो गये ? न आपको कोयला जलाने को मिलता है। लोग कहते हैं। कि आप पहाड़ियाजी से बहुत स्ट्रांग हैं। मैं समझता हूं, यह आंकडे अपने आप बता रहे हैं, कहां पहाड़िया जी और कहां शिवचरण जी। आकाश पाताल का अंतर है। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात क्यों कही है ? मैंने इसलिए ही है कि लोग पहाड़िया जी की प्रशंसा सुनने को तैयार नहीं हैं, उनकी प्रशंसा करूंगा तो सब हंसेंगे, मुख्य मंत्रीजी भी हंस रहे हैं। पहाड़ियाजी की प्रशंसा से आप तो हंस रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी, मुझे अफसोस है कि वह उदास हैं। ऐसी स्थिति में जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान सरकार का कोई प्रभाव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक प्रभाव की बात चली। फिर कहेंगे, रिकार्ड में नहीं है, मैंने प्रत्यक्ष किया, मैं कोई अभिमान नहीं करता, गलतियां भी की हैं, काम भी किये हैं। मैंने एक प्रयत्न किया कि बीकानेर हाउस पर राजस्थान सरकार का कब्जा हो। भारत सरकार से समझौता करके तय करवाया कि अप्रेल

(76)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

1980 में भारत सरकार बीकानेर हाउस खाली कर देगी और बीकानेर हाउस अपने पजेशन में आयेगा। मैं जब मुख्य मंत्री था, दिसम्बर माह में, आपने सामान हटाना शुरू कर दिया और फरवरी, मार्च तक प्रेक्टिकली उन्होंने खाली कर दिया। केवल कब्जा करने का सवाल पैदा हुआ उस समय पहाड़ियाजी मुख्य मंत्री थे, यह सरकारी मकान में फंस गये तो निकलना नहीं चाहते थे, मैं जिस में मंत्री बन कर रह गया तो खाली नहीं करूंगा। किसी पंडितजी ने कह दिया कि इस मकान में जब तक रहोगे तब तक मुख्य मंत्री बने रहोगे। प्रधान मंत्री ने कहा, इसमकान को खाली कर दो, बीकानेर हाउस दे दूंगी। पंडित ने इतना नुकसान कर दिया, न मकान खाली किया न बीकानेर हाउस हमारे पास आया। बीकानेर हाउस हमारे कब्जे में नहीं है। उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, वरचुअली पजेशन में ले लिया, ताला लगा दिया। भारत सरकार के अधिकारी पुलिस लेकर गये। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्क्वाड लेकर गया, अलीगढ़ के सब ताले पर एक एक और लगा दिये। राज्य सरकार का कब्जा नहीं है। हम समझते थे, पहाड़िया के बाद शिवचरण माथुर आये हैं, अब अलीगढ़ के ताले खुलेंगे और बीकानेर हाउस पर राजस्थान का कब्जा होगा। लेकिन माथुर आये, बीकानेर हाउस में जितने भी किवाड़, खिड़किया और तार और ताले थे वह सब ले गये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ताले तो अब भी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो आप देखते फिरते हो, मुझे पता नहीं। मुझे बताया गया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि एक मुख्य मंत्री ने ताले लगवाये दूसरे मुख्य मंत्री आये उन के जमाने में किवाड़, खिड़कियां, तार ले गये, जितना सामान था सब ले गये। मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप बतायें, बीकानेर हाउस की रिपेयर्स आपसे पूछ कर की जा रही हैं? आपसे कभी पूछा है? आपने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिख दिया, राजस्थान की 32 करोड़ की प्रापर्टी पड़ी है वह हमें वापस दे दो। यह चिट्ठियां सुखाड़िया जी ने, हरिदेव जी ने लिखीं, बरकत साहब ने बहुत लिखीं। मैं हर पन्द्रहवें दिन चिट्ठी लिखता था, उन चिट्ठियों का असर नहीं होने वाला है, मैं तो मंजूर करता हूं लेकिन सारी स्थितियों के बावजूद बीकानेर हाउस खाली कराने में मुझे सफलता मिल गई थी। आप दोनों ने करोड़ों की सम्पत्ति फिर भारत सरकार के कब्जे में दे दी। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि राजस्थान में चाहे कुछ भी हो, हमारी सरकार का दिल्ली में नाममात्र का भी प्रभाव नहीं है।

अब, मैं राजस्थान की स्थिति पर आऊंगा। आपने कीर्तिमान कायम किया है, मुख्य मंत्री जी, उसके लिये आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं जयपुर शहर में पिछले 35 वर्ष से रह रहा हूं। मैंने कभी बिजली की हालत यह नहीं देखी। 8 बजे से लेकर 6 बजे तक बिजली नहीं मिलती, 8 बजे से 6 बजे तक नलों में पानी नहीं आता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप को बधाई लेने की आवश्यकता हो तो बधाई देना चाहता हूं जयपुर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है। किसानों के बारे में आप मान कर चलें, भगवान किसानों की मदद करना चाहती थी, समय समय पर थोड़ा पानी बरस गया, नहीं तो किसान त्राहि त्राहि करके उस फसल को देख कर मर जाता। या तो फसल को देख कर मर जाता या शिवचरण जी की शक्ल देख कर मर जाता, दोनों में से एक होता। इसलिये राजस्थान में, जैसा हीरालालजी देवपुरा ने कहा दुर्भाग्यशाली वर्ष रहा है, वास्तव में दुर्भाग्यशाली वर्ष रहा है। हमारे साथी ने कहा, 7 हजार करोड़ रुपये का उत्पादन कम हो गया। अब आंकड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने कीर्तिमान कायम किया है। इस समय जितने उद्योग बन्द हैं राजस्थान में कभी भी बंद नहीं हुये हैं। उद्योगों को बिजली नहीं मिली व उद्योग बंद हैं। ले-आउट नहीं कर सकते, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी डीजल सैट्स लगाओ, 50 पर्सेन्ट सब्सिडी मिलेगी। मैंने उन रूल्स को देखा। अध्यक्ष महोदय, लघु उद्योग 50 पर्सेन्ट सब्सिडी पर डीजल सैट्स लगायें। कैसे लगायेंगे? पहले डीजल सैट्स खरीदें, खरीद कर लगायें, उसके बाद एप्लीकेशन दें तब 50 पर्सेंट सब्सिडी लें। किसके पास इतनी पूंजी है? उद्योगों में उत्पादन नहीं है, जिन्होंने लिया है वह रो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहता है तुम डीजल सैट्स लगाओ जो कुछ मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वह मिलेगी। मैं समझता हूं बिजली का राजस्थान में जो वातावरण बना हुआ है, उसने राजस्थान को पूरी तरह से डुबोया है।

राजस्थान में आंकड़ों के आधार पर 5400 करोड़ रुपये का उत्पादन नहीं हुआ। अब इस उत्पादन का सैल्स टैक्स का हिसाब लगायें, इनकम टैक्स का हिसाब लगायें, एक्साइज ड्यूटी का हिसाब लगायें, आक्ट्राय का हिसाब लगायें और बाकी के हिसाब से कितने कारखाने चलते हैं, और कितना उत्पादन होता है, उसका हिसाब लगायें, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जबर्दस्त नुकसान हुआ है जिसका केलकुलेशन नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने इस संबंध में भी एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उस कीर्तिमान के लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई दूंगा और तो मैं कुछ कह नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं सूक्ष्म में कुछ बातें कहना चाहता हूं। अहमदाबाद रेलवे लाइन के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी ने बड़े जोर-शोर से भाषण दिया कि अहमदाबाद की ब्राडगेज लाइन बनेगी। आज सेठी साहब आने वाले थे, शायद नहीं आये।

श्री शिवचरण माथुर : आ चुके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां आने वाले थे।

श्री शिवचरण माथुर : यहां भी आ चुके थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां विधान सभा में आने वाले थे। आप यहां लाते नहीं

(78)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है, यहां लाते मैं आपकी बुराई नहीं करता अगर मुझे कहते तो ।

मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कोटा में श्री केदार पांडे भाषण दे रहे हैं कि अहमदाबाद रेलवे लाइन के सम्बन्ध में जल्दी ही काम शुरू होने वाला है । श्री मल्लिकार्जुन आते हैं जयपुर में तो वह कहते हैं पैसा ही नहीं है इसलिए काम शुरू नहीं कर सकते । और मुख्य मंत्रीजी घोषणा कर रहे हैं कि काम शुरू होने वाला है । मैं पूछना चाहता हूं कि काम कब शुरू होगा ? इस बजट में भी कोई प्रावधान नहीं है । जो बजट पेश किया है उसमें भी सारा मामला लाखों तक सीमित है, करोड़ों में नहीं । आपने शुरू में भाषण दिया, मेरे पास है, आप चाहें तो मैं कटिंग निकालूं जिसमें आप ने कहा कि इन चीजों के लिए प्रयास जारी हैं । प्रयास में तो सफलता मिल गई लेकिन पिछले साल जितना पैसा इस अहमदाबाद ब्राडगेज लाइन के लिए रखा गया था उतना पैसा भी इस साल के लिए नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से वित्त मंत्रीजी को एक बात कहना चाहूंगा । यह बेचारे, सॉरी, यह बहुत दुखी हैं । दुखी इसलिए हैं कि राजस्थान की फाइनेन्शियल पोजीशन बड़ी टाइट है । दुखी तो होना ही चाहिए । वित्त मंत्री के लिए तो ऐसी हालत होती ही है । कोई भी वित्त मंत्री खर्चे में कटौती करता है तो सारी विरोध करते हैं और यदि कटौती नहीं करता तो बजट बेलेन्स नहीं होता । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार घोषणा करते हैं, गरीबों के सम्बन्ध में, कच्ची बस्तियों के संबंध में, हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज के सम्बन्ध में । आज, अध्यक्ष महोदय, यदि राजस्थान का बजट उठा कर आप देखें तो एक तरफ डी-एक्वीजिशन के नोटिस निकाल रहे हैं जिस जमीन को हम ने सावजनिक हित के लिए एक्वायर किया था आज उसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए उसको डी-एक्वायर किया जाय । दूसरी तरफ नोटिफिकेशन निकालते हैं कि इस जमीन को एक्वायर किया जाय । मैं आप से पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, 900 बीघा जमीन जयपुर की है जिसकी सारी कार्यवाही लैण्ड एक्वीजिशन की पूरी हो गई है । मुझे याद नहीं है उसका 52 (1) का नोटिस या 52 का नोटिस निकल चुका है और दूसरा नोटिस जो फाइनल एक्वायर करने का नोटिस है, वह मुख्य मंत्री जी लेकर बैठ गये, उसको पहाड़ियाजी लेकर बैठ गये गये थे । अब पता नहीं, पहाड़ियाजी पर किसका दबाव था । मैंने सुना है कि वह उस नोटिफिकेशन का इम्प्लीमेन्टेशन करना चाहते थे लेकिन दिल्ली वालों ने नहीं करने दिया, लेकिन वह कागज अभी तक मुख्य मंत्रीजी, आपके पास पड़े हैं । लैण्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही का फाइनल नोटिस राजस्थान की सरकार को निकालना था वह नहीं निकल रहा है और इस बीच में आप ने लोगों को कह दिया, बना लो, सब को रेगुलेराइज कर दिया जायेगा ।

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं उस सारे प्रसंग में नहीं जाना चाहता हूं । मैं आपसे निवे-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दन करना चाहता हूं, बेरी कमीशन ने लैण्ड ग्रेब के सम्बन्ध में एक इन्क्वायरी की। मैं जिस समय तक मुख्य मंत्री था उस समय तक 9 रिपोर्ट्स बेरी कमीशन ने पेश कर दीं और लगभग 4 हजार बीघा जमीन के लिए बेरी साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जिन लोगों को जमीन दी गई है वह उनको नहीं दी जा सकती थी, उनको अलाटमेंट किया गया वह गलत था क्योंकि उन्होंने फ्राडुलेन्ट तरीके यूज करके जमीन को अपने कब्जे में किया। अपने पद का दुरुपयोग करके उस जमीन पर अपना कब्जा किया। मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बेरी कमीशन की रिपोर्ट पर क्या हुआ। और वित्त मंत्री जी, आपको कहना चाहता हूं कि वह जमीन किसी की नहीं है चाहे भूतपूर्व मंत्री हो या कोई हो, वह जमीन राजस्थान की जनता की है और उस जमीन की कीमत का मोटे रूप से असेसमेन्ट करें तो 50 करोड़ रुपये की जमीन है। 50 करोड़ के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आई है उसको मुख्य मंत्रीजी दबा कर बैठे हैं।

मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं आप यदि बड़े बड़े आदमियों की जमीन, जो उन्होंने ग्रेब की है, ग्रेब नहीं कर सकते तो आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि गरीब काश्तकारों की जमीन को एक्वायर करें। एक तरफ आप नोटिस दे रहे हैं, लोगों को अदालतों में भगा रहे हैं, उनकी जमीन लेकर उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं और दूसरी तरफ नेता और सरकारी अधिकारियों, जिन्होंने जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा कर रखा, से जमीन को आप वापस नहीं ले सकते। इसलिये आपका नैतिक अधिकार नहीं रह जाता कि आप गरीबों की जमीन लें। मैं चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी, इस रिपोर्ट के बारे में आप जवाब दें कि इसमें कितनी जमीन इन्वाल्व्ड है? क्या किसी भी जमीन के लिए, अध्यक्ष महोदय, उसमें नहीं लिखा है? कई जमीनों के बारे में शिकायतें आईं जो रिजेक्ट की गईं लेकिन उनकी जांच करने के बाद बेरी साहब ने कहा कि सारी की सारी जमीन सरकार की है और सरकार को यह जमीन लेनी चाहिए। लेकिन सरकार उस जमीन को नहीं ले रही है और नहीं ले रही तो वह लोग अपनी जमीनों को बेच रहे हैं।

आज जयपुर में हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटीज के नाम पर, लैण्ड ग्रेब के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किये जाने से इस प्रकार की स्थिति बनी है, मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में न भूतो न भविष्यति। आज वह गलती कर रहे हैं कि विधान सभा के प्रांगण पर आकर कब्जा नहीं करते। यदि इस पर भी कब्जा कर लें तो कहेंगे कि यह नहीं हटाया जा सकता। हमको हटा देंगे प्रहरी को बुला कर, अध्यक्ष महोदय, लेकिन किसी ने झोंपड़ी बना ली उसको हटाना बहुत मुश्किल है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जयपुर में एक सिलसिला चला, बरामदे खाली करो। बरामदे खाली हों या नहीं हों यह बहुत ही विवादास्पद है। एक कमीशन नियुक्त किया जा....

(2.07 म० प०)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आपके पदासीन होने पर तालियों से स्वागत किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, बरामदे खाली कराने की घोषणायें रोज होती हैं कि 24 घंटे में बरामदे खाली होंगे, नोटिस लगा दिये और दूसरे दिन स्टेटमेन्ट आ गया कि बरामदे खाली नहीं होंगे। फिर तीसरे दिन ज्ञापन में मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे कि बरामदे खाली हों। मैं पूछता हूं कि आपने उस कमीशन को क्यों रोक दिया काम करने से? क्या जरूरत थी आपको? मैं समझता हूं कि बड़ा टिकलिश क्वेश्चन है। खाली कराये जायं या नहीं कराये जायं, पब्लिक की क्या ओपिनियन है, जो दुकनदार हैं उन की क्या ओपीनियन है, उन बरामदों का किस प्रकार से उपयोग हो सकता है–इन सारे प्रश्नों के ऊपर जांच करने के लिए कमीशन नियुक्त किया था उस कमीशन से तो आपने पूछा नहीं और आपने फैसला कर दिया कि बरामदे खाली कराये जायं। मैं समझता हूं आज वह हैं नहीं, मुझे कहना नहीं चाहिए वाकई कुछ मामलों में तो वह सुपर चीफ मिनिस्टर हैं। मुख्य मंत्रीजी को पता नहीं कि कब घोषणा हुई। वह घोषणायें करते रहते हैं और मुख्य मंत्री जी का कितना कन्ट्रीब्यूशन है कह नहीं सकता लेकिन घोषणायें बराबर होती रहती हैं कि बरामदे खाली होंगे। बरामदे खाली नहीं होंगे, चौबीस घंटों में खाली होंगे, बरामदे खाली नहीं होंगे। मैं पूछता हूं कि यह हिसाब क्या है? आखिर सरकार बोलती है, कोई मंत्री नहीं बोलता है। सरकार की जुबान में कहीं न कहीं तो मजबूती होनी चाहिए कि क्या कह रही है लेकिन रोज बोलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा होगा, जोधपुर का किस्सा तो आप को याद ही होगा 'भूखण्ड हड़पो'। बड़ा नाम दिया है और कल हमारे खेतसिंह जी साहब कहने लगे कि हम ने कोई जमीन नहीं ली। मैं जमीन लेने और देने के मामले की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है किसी ने अर्जी नहीं दी हो, हो सकता है किसी ने लेने की इच्छा प्रकट नहीं की हो, मैं, मुख्य मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस बोर्ड ने फैसला किया क्या उसने दुराचरण नहीं किया? उस बोर्ड के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया?

आज वह लोगों की नजरों में आ गई, हो सकता है नजर में नहीं आती....

श्री उपाध्यक्ष : वह रिजोल्यूशन वापस ले लिया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कह दिया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि रिज़ोल्यूशन वापस ले लिया, आप ने मेरी बड़ी मदद की।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह कोई मुफ्त में नहीं ले रहे थे 61 रुपये गज के हिसाब से पैसा दिया जा रहा था। आप ने जवाहर लाल नेहरू कालोनी में कैसे बंगला ले लिया, चतुर्वेदी जी ने प्लाट ले लिया। आप तो ले सकते हैं, हम अगर पैसा देकर भी ले रहे हैं तो हम गड़बड़ कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि खेतसिंह जी तो लैन्ड सीलिंग से बचे हुए हैं, यही गुंजाइश है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरे पास लैण्ड सीलिंग से ज्यादा नहीं है और न यह प्लाट लेने वाला हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप का नहीं है। आपने कई लोगों के नाम से ले रखे हैं, सवाल यह है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप ने सब बातें की हैं। कान सिंह कमीशन बैठाया है, मेरे खिलाफ बेरी जी को खुद बुला कर कहा, इस के खिलाफ जांच करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेत सिंह जी नाराज हो गये। मैंने कोई कमीशन अपाइन्ट नहीं किया। खेतसिंह जी, मुझे जानकारी है, किस किस के नाम से है, आप वाला कमीशन।

श्री खेत सिंह राठौड़ : मेरा कौन सा कमीशन था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ने बैठाया है

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने आप के खिलाफ कोई कमीशन नहीं बैठाया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतनी बात कहना चाहता था कि सारे प्रसंग को केवल इस सीमा तक नहीं देखा जाय कि खेतसिंह जी ने नहीं लिया, परसराम जी ने नहीं लिया। उपाध्यक्ष महोदय, आपने नहीं लिया, यह आपका बड़प्पन था कि आपने मना कर दिया। मैं तो इतना कह सकता हूं कि अगर परसराम जी लेते, अहमदबक्श सिंधी लेते तो खेतसिंहजी क्यू में खड़े हो जाते, फिर लैण्ड सीलिंग की चिन्ता नहीं होती। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए कहना चाहता हू मुख्य मंत्री के नाते आपका दायित्व यह है कि प्रस्ताव पास कैसे किया है ? लोगों ने लिए नहीं That is a different thing. यह बिलकुल अलग विषय है। यह प्रस्ताव पास कैसे किया ? उनके खिलाफ एक्शन हुआ ?

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : हम लोगों ने मांग की थी, जिन के पास नहीं उन्होंने मांग की थी। हमारे ऊपर आरोप लगाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिनके पास नहीं है उनको मिलनी चाहिये लेकिन प्रस्ताव यह हो गया सब को मिल जाय,

श्री दूलाराम : इनमें चार पांच लोगों के पास है सब के पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं कहता हूं जिन के पास नहीं है उनको दो । अगर राम सिह जी के पास नहीं है तो उनको दो, आपके पास नही है तो आप लो । लेकिन खेतसिह जी को किस बात का ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस बात का नोटिस लेंगे । बोर्ड या कारपोरेशन ऐसी गलती करता है तो उसको करेक्ट करना चाहिये । वह तो समाचार पत्र ने खोल दिया वरना हो सकता है....

श्री खेतसिह राठौड़ : वह आप का ही है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : कौन है मेरा?

श्री खेत सिंह राठौड़ : वह समाचार पत्र ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पत्रिका ?

श्री खेतसिह राठौड़ : मैं काहे के लिये नाम लूं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : उसी में दम है छाप दिया । नहीं तो इस समय तो वह जमीन एक हजार में आप की जमीन होती । पत्रिका को बददुआयें दो, उस ने आप का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां लॉ एण्ड आर्डर के लिये कहा गया कि राजस्थान में शांति और व्यवस्था है । उपाध्यक्ष महोदय, यहां कहा गया, यहां कहीं साम्प्रदायिक तनाव किसी प्रकार का नहीं है । मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, साम्प्रदायिक दंगे हुए । मैं नहीं कहता लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि 14 दंगे हुए, दो आदमी मारे गये । साम्प्रदायिक तनाव नहीं हो, इस पक्ष में मैं भी हूं । वातावरण इस प्रकार का बनाना चाहिये कि किसी प्रकार का साम्प्रदायिक तनाव नहीं होना चाहिये । अगर हुआ है तो उसको रोक थाम के लिये कोशिश करनी चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन के आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, पुलिस की डिमाण्ड आयेगी तब आंकड़ों के आधार पर कहूंगा । मैं यहां आज केवल एक एप्लीकेशन पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, एक घटना को कोट करना चाहूंगा जिससे सदन अनुमान लगा सकेगा कि राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन क्या है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ दिन पहले बारां में था, सायंकाल मुझे मालूम हुआ कि यहां पर से सिंगी निकलाने वाले हैं जो गधों के ऊपर सामान लेकर चलते हैं । बारां से कोई 10 मील की दूरी पर है । तीन पुलिस वाले राइफल लेकर गये और उन से कहा कि कौन हो ? उन्होंने कहा कि हम तो सिंगी लगाते हैं, गरीब आदमी हैं रोज मजदूरी करते हैं । उन को खेड़ा गांव के पास ले गये, वहां ले जाकर बहुत बुरी तरह से पीटा । गांव वालों ने विरोध किया । विरोध किया तो वे सारे लोगों को, औरतों को, बच्चों को, मर्दों को एक मील दूर ले गये और, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन का बड़ा दुर्भाग्य होगा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जब मैं यह कहूंगा कि उन को एक लड़की को उन्होंने पकड़ा और पकड़ कर लड़की के बाप से कहा या तो 500 रुपया दो नहीं तो लड़की को ले जायेंगे और इसके साथ रेप करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जब उस लड़की का हाथ खींच कर पुलिस सिपाही खींचने लगे तो 60 वर्ष का उसका बाप उस लड़की के ऊपर पड़ कर कहने लगा, इस को ले जाने नहीं दूंगा। उसको गोली मार दी। वह बारां के अस्पताल में पड़ा रहा और तीन दिन के बाद उस की मौत हो गई। इस से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति क्या है ? किस के हाथ में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति है ? पुलिस के तीन सिपाही, तीनों आर्म्ड, कोई बड़े आदमी से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, जो गांवों में गरीब काम करते हैं, अपना सामान लाद कर घूमते रहते हैं उन को महिला किसी तरह उन के कब्जे में आ जाय तो पांच सौ रुपये दो और पांच सौ रुपये नहीं दो तो गोली मार दी जाय। मैंने स्वयं जा कर अस्पताल में देखा है। यह तो कहना पड़ेगा कि मैंने कहा गिरफ्तार करो, गिरफ्तार किया, मैंने कहा हथियार जब्त किये जाय, हथियार जब्त किये गये। दूसरे दिन यहां आने के बाद मैंने कलेक्टर को फोन किया कि बारां में आपरेशन नहीं हो, कोटा में आपरेशन हो। कोटा में आपरेशन कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समय उस के पास दवाई के लिये पैसे नहीं थे। मेरी जेब में 100, सवा सौ रुपये थे, 100 रुपये उसे दिये। मैंने मुख्य मंत्री जी के सचिव को टेलीफोन किया कि आप जितनी जल्दी हो सके कलेक्टर से कहकर पैसे दिलवायें। यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि पैसे उन को दिये गये।

श्री उपाध्यक्ष : 100 रुपये आप को वापस मिले या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 100 रुपये नहीं मिले। मैं कहना चाहूंगा, मुझे उस की आवश्यकता नहीं है। आप ने बड़ी उदारता दिखाई इस बात के लिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं खेतसिंह नहीं हूं। खेतसिंह जी होते तो 100 रुपये वापस भी ले लेते। मैं निवेदन कर रहा था कि इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि पुलिस के सिपाही यदि घूमते हुए लोगों के साथ इस प्रकार का अत्याचार करें तो लॉ एण्ड आर्डर की किस प्रकार की सिचुएशन होगी।

मैं, मुख्य मंत्री जी, एक घटना की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बहरोड़ में एक हरिजन लड़की को उठा ले गये। उस लड़की के बाप ने थाने में जा कर शिकायत की कि मेरी लड़की को उठा कर ले गये, रिपोर्ट दर्ज करो। नामजद रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट के आधार पर मुल्जिम को गिरफ्तार कर के लड़की को बरामद करो। थानेदार ने रिपोर्ट नहीं लिखी। वह व्यक्ति राज्य मंत्री के पास गया, पहले

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एस. पी. साहब के पास गया, एस. पी. ने नहीं सुनी, आई. जी. के पास गया, वहां सुनवाई नहीं हुई। वह राज्य मंत्री के पास आया। राज्य मंत्री के कहने से केस रजिस्टर हुआ। केस रजिस्टर होने में जितनी चालाकी एस. एच. ओ. से हो सकती थी उसका एफ. आई. आर. रिपोर्ट देखने से और उस की ओरिजनल रिपोर्ट देखने से अन्दाजा हो जायेगा कि मुल्जिम को बचाने में षडयन्त्र आरम्भ से किया गया है, अभियान चला। फिर सवाल आया कि लड़की बरामद क्यों नहीं हुई ? उस आदमी ने कहा, लड़की दिल्ली में है, मुल्जिमान दिल्ली में हैं, तब पुलिस के ऊपर फिर दबाव पड़ा। वहां हरिजनों ने मीटिंग की और मीटिंग कर के दिल्ली जाने लगे तो पुलिस क्या षड़यन्त्र करती है कि वहां एस. एच. ओ. जा कर मुल्जिमान के साथ रहा। दूसरे दिन लड़की जिन्दा बरामद नहीं हुई, उपाध्यक्ष महोदय, उस लड़की की लाश मिली। पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराता तो शायद लड़की जिन्दा मिल जाती। उपाध्यक्ष महोदय, उसी का प्रतिनिवेदन है, इस सदन में पढ़ कर सुनाना चाहूंगा, जिस से मालूम होगा कि कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है—

"निवेदन है कि मेरी लड़की शकुन्तला उर्फ घमोल उम्र 14 वर्ष का दिनांक 29-1-82 को दिन के दो बजे विजय पुत्र मोहर सिह यादव व जयप्रकाश पुत्र सम्पत यादव ने बहला फुसला कर अपहरण कर लिया तथा दिल्ली में ले जा कर दिनांक 14-2-82 को हत्या कर दी। वह लड़की अपने साथ घर का पूरा जेवर गहना भी साथ ले गयी जिस की कीमत करीब 15,000) रुपये है।

दिनांक 29-1-82 को मै घर नहीं था, जब घर आया तो घर पर लड़की नहीं मिली तो आस पडोस में पूछ कर सीधा थाना बहरोड में आया और एस० एच० ओ. बहरोड़ से सारी घटना का बयान कर रिपोर्ट दर्ज कराने की अर्ज की तो एस. एच. ओ. बहरोड़ ने साफ मना कर दिया और कहा कि यहां थाने में तुम्हारी लड़की थोड़े ही बैठी है। उक्त लफ्ज सुन कर हम गृह मंत्री, राजस्थान सरकार से मिले व आप बीती सुनायी तथा हमारे प्रार्थना पत्र को फारवर्ड करने की अर्ज की तब मंत्री महोदय ने उसे फारवर्ड कर के दी। फिर पुनः बहरोड़ पहुंचे तब दिनांक 9-2-82 को हमारी रिपोर्ट दर्ज की गई।

उक्त रिपोर्ट हमने विजय पुत्र मोहर सिंह यादव व जय प्रकाश पुत्र सम्पतराम यादव के खिलाफ नामजद लिखायी थी किन्तु एस. एच. ओ., बहरोड़ हमारे गांव जसराना में आते व सरपंच से मिल कर चले जाते जब कि मुल्जिम विजय उन्हीं के सामने उपस्थित रहता था। इस प्रकार एस. एच. ओ. की सरपंच से मिलीभगत होने से एस. एच. ओ. ने कोई कार्यवाही नही की, क्योंकि मुल्जिम जय प्रकाश पुत्र

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सम्पतराम यादव सरपंच के परिवार से हैं तथा सरपंच ने एस. एच. ओ., बहरोड़ को अपने रिश्तेदार·······" जब आगे नाम नहीं लूंगा ।

अतः इसमें एस. एच. ओ. की शिथिलता देख कर पुनः गृह मंत्री, राजस्थान सरकार व श्रीमान् मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, व आई. जी. साहब, राजस्थान सरकार व पुलिस अधीक्षक, अलवर आदि सभी से अपनी प्रार्थना की तब भी एस. एच. ओ., बहरोड़ ने इस प्रकरण में किसी प्रकार की तत्कालीन कार्यवाही नहीं की । सरपंच जसराना श्री खुशी राम यादव जिस के पुत्र श्री सत्यवृत यादव दिल्ली पुलिस में एस. एच. ओ. के पद पर हैं तथा जय प्रकाश यादव मुल्जिम स्वयं भी दिल्ली पुलिस में कान्स्टेबल हैं । एस. एच ओ., बहरोड, सरपंच खुशीराम के साथ जिस दिन दिल्ली पहुंचे थे तब सत्यवृत्त एस. एच. ओ., दिल्ली के पास ही ठहरे । वहीं उन्होंने कुछ मंत्रणा की जिस का परिणाम दूसरे दिन दिनांक 15–2–82 को उस लड़की की लाश के रूप में मिला ।"

अध्यक्ष महोदय, घटना थी 29–1–82 को और लाश मिली है 15–2–82 को. अब मैं समझता हूं जिस राज्य में यह घटना होती है उस राज्य के राज्यपाल महोदय को यह नहीं कहना चाहिये कि राज्य में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति कायम है । शान्ति और व्यवस्था के लिये मैं कोई आंकड़ों के आधार पर नहीं कह सकता हूं लेकिन जनता में किस प्रकार की स्थिति है । आज चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो और चाहे बीकानेर हो, किसी भी शहर में जायं, लोगों में आतंक है । डकैतियां हो रही हैं । शहरों में पहले डकैतियां नहीं होती थीं । उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही एडजोर्नमेंट मोशन के रूप में भरतपुर की दर्दनाक घटनाओं का जिस प्रकार उल्लेख किया गया उस को सुनने के बाद कौन कह सकता है कि राजस्थान में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति है । मैं समझता हूं, कोई भी इस बात को कहने की हिम्मत नहीं कर सकता है लेकिन हमारी सरकार की ओर से जो उत्तर दिया गया है, उस उत्तर में इस प्रकार की बात निकलती है कि राजस्थान में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि यह गरीबों के साथ जो अन्याय हुआ है जो आप के नोटिस में भी नहीं आया है, यह नीचे के स्तर पर ही डरा, धमका कर किसी तरह उस को खतम कर देते हैं ।

मैं दो मामले दे रहा हूं । एक मामले में तो विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है । आप पुलिस को आगाह करके चलें कि पुलिस इस प्रकार के जघन्य अपराध नहीं करे और दूसरी बात बहरोड़ के मामले में कहना चाहूंगा कि आप इन्क्वायरी करायें । कहां एस. एच. ओ. है ? जिस व्यक्ति ने अर्जी दी है उस ने कई लोगों के नाम लिखाये हैं । मैं स्वयं भी जांच करूंगा और आवश्यकता हुई तो जिस पर आरोप

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

आते हैं, इस सदन में किसी प्रकार की कहने की कसर नहीं रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहूंगा, अभी शिक्षा मंत्री जी यूनिवर्सिटीज के बारे में कुछ चर्चा का उत्तर दे रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी की हालत सारे देश में जिस प्रकार की है वह सबके लिये सोचनीय है। कोई राजस्थान मे ही स्थिति ऐसी हो, ऐसी बात नहीं है, सब जगह ऐसी है लेकिन जैसे गवर्नर साहब के पास इसके लिये कोई व्यक्ति नहीं है। वैसे आज हालत यह हो गई है कि वाइस चान्सलर के लिये उन के पास कोई व्यक्ति नहीं है। उदयपुर मे वाइस चान्सलर एक आई. ए. एस. को बना रखा है। मैं पूछता हूं हिन्दुस्तान में क्या ऐसे विद्वानों की कमी आ गई है जो वाइस चान्सलर होने को तैयार नहीं हैं। एक आई. ए. एस. आफिसर को बना दिया है। जिस समय यूनिवर्सिटी बिल पर चर्चा होगी उस समय कहूंगा कि उदयपुर यूनिवर्सिटी में किस प्रकार की नियुक्तियां हुई हैं और किस प्रकार की कार्यवाहियां हो रही हैं। लेकिन मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर में यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर श्री पाण्डे को नियुक्त किया है। आप को जनता पार्टी से नारजगी हो सकती लेकिन मैं समझता हूं जिस व्यक्ति को आप ने वाइस चान्सलर बनाया है, उस व्यक्ति के खिलाफ एक कमीशन बैठा था और उस कमीशन ने उस की जांच की थी। कमीशन की रिपोर्ट में 77 चार्जेज उन के खिलाफ साबित हुए। एक दो चार्ज नहीं 77 चार्जेज साबित हुए। आप जनता पार्टी का बदला लेने के लिये भले ही पाण्डे जी को नियुक्त करें लेकिन आप जनता पार्टी से नहीं बल्कि बदला उस छात्र समुदाय से ले रहे हैं जिस की मांग पर कमीशन नियुक्त किया गया था। जिस छात्र समुदाय को उन्होंने परेशान किया, जिन कर्मचारियों को उन्होंने परेशान किया, लेक्चरार्स और प्रोफेसर्स को जिस प्रकार उन्होंने तंग किया, उन सारी बातों के लिये इन्क्वायरी हुई। मैं चन्दन मल जी से कहना चाहूंगा कि यह इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जस्टिस जगत नारायण जी, जो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे, ने दी थी। आप अन्दाज लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति पर किसी का प्रभाव नहीं है, उस व्यक्ति ने जांच की थी, और जांच करने के बाद 77 चार्जेज एस्टेब्लिश किये। वही व्यक्ति आज राजस्थान यूनिवर्सिटी का वाइस चान्सलर बनता है तो यह सरकार के सोचने की बात है। उदयपुर यूनिवर्सिटी में वाइस चान्सचर राजनाथ सिंह को सस्पैन्ड कर दिया था, मामूली चार्ज पर जैसे एक चपरासी को सस्पैन्ड करते हैं। सस्पैन्ड करने के बाद न उनकी इन्क्वायरी होती है, न कोई डिसमिसल होता है और न किसी तरह की चार्जशीट दी जाती है। मैं समझता हूं इस से ज्यादा पक्षपात का मामला और कोई हो नहीं सकता है। यूनिवर्सिटी की आटोनोमी में अगर अन-ड्यू इन्टरफियरेन्स

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की कोई बात हो सकती है तो इस से अधिक नहीं हो सकती है ।

मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर प्रधान मंत्री जी का दबाव पड़ता है कि पाण्डे को वाइस चान्सलर नियुक्त किया जाय तो थोड़ा रेसिस्ट करें। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप नहीं कर सकते हैं। यह डोर और कहीं से हिलाई जा रही है। पाण्डे जी कल चार्ज ले रहे हैं या परसों चार्ज ले रहे हैं एक बार आप विचार कर लें। आप यह कहेंगे कि मेरे पास कोई चारा नहीं है जो सलेक्शन कमेटी बैठी थी उस ने 9 आदमियों के नाम भेजे हैं। अगर 9 आदमियों में से आपको कोई भी पसन्द नहीं था तो दोबारा चयन कमेटी अपाइन्ट कर देते, आप का काम चल जाता लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और इस का परिणाम यह निकला

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के माननीय नेता महोदय, आपकी पार्टी का टाइम खतम हो गया है। आप जल्दी से समाप्त करने की कृपा करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक आप बैठे हैं तब तक हमारा टाइम खतम होता ही नहीं है इसलिए उसकी तो हमें चिन्ता नहीं है। भगवान आप को विराजमान रखें, यही कामना है।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी से समाप्त करने की कृपा करें।

श्री खेतसिंह राठौड़: यह आप × × × की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप की × × × करने में मुझे कोई रंज नहीं है लेकिन जैसी खेतसिहजी × × × करते है वैसा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, राजस्थान में कुछ माननीय सदस्यों ने इलेक्शन की चर्चा की। पंचायत और नगरपालिकाओं के चुनावों का माननीय सदस्यों ने विश्लेषण किया है। मैं उस सम्बन्ध में अभी नही जाऊंगा। दो बिल आ रहे हैं, उन पर व्यापक चर्चा होगी और सारा नक्शा सामने आ जायेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसमें ज्यादा बोलने की गुंजाइश नहीं है, हार गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हार गये, अरे भाई, मैंने पहले ही कहा है कि हारने वाले टिकते है और जीतने वाले भागते हैं। पहाड़िया जी इस बात के गवाह हैं। वैर में जीते थे. पता नहीं है। जीतने वाले सब इस लाइन में आते हैं।....

(व्यवधान)

नहीं, जरूरत ही नहीं है। माननीय शिवचरण जी माथुर जीते हैं, इस बात की तो खुशी है लेकिन कितने दिन तक इस

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

जीत का लाभ इन को मिलता रहेगा, देखने का सवाल यह है। यह जब जीते उस उस समय सारे अखबारों में आया था कि जमानत जब्त हुई दो–तीन हजार वोट मिले थे, उपाध्यक्ष महोदय, इन को मिले 60–65 हजार। पापूलेरिटी का सितारा आसमान में पहुंच गया था। विधायकों का पूरा समर्थन, बहुमत इन के साथ फिर भी चले गये। यहां तो बहुमत काम का ही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : चले गये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : चले नहीं गये, इन्तजार में बैठे हैं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि उस जीत हार का तो अभी विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कैसे चल रही है। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, इस सदन में उसमें मुख्य मंत्री जी नहीं हैं। यह मुख्य मंत्री जी एक पट्टा है, पहला फोटो इन्दिरा गांधी का है, दूसरा फोटो है शिवचरण जी माथुर, तीसरा फोटो है श्रीराम गोटेवाला, चौथा फोटो है राधेश्याम—

श्री उपाध्यक्ष : चौथा किसका है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : राधेश्याम, यू० आई० टी० चेयरमैन। अब वहां यू० आई०टी० जो पट्टे इश्यू करती है वह फोटो के साथ करती है। यह पट्टा है। आपने, माथुर साहब, राजा महाराजाओं का राज देखा है, बहुत आलोचना की है। हमने भी राजा महाराजाओं का राज देखा है, जागीरदारों का राज देखा है। अनपढ़ भी होते थे। मोटे से मोटा पट्टा लिखा जाता था। यह सही है लेकिन महाराजा की फोटो नहीं होती थी, मानसिंह जी की फोटो नहीं होती थी, महाराणा उदयपुर भोपालसिंह जी की फोटो नहीं होती थी।

एक माननीय सदस्य : तब टैक्नोलोजी डवलप नहीं थी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह बिल्कुल सही है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि यह टैक्नोलोजी डवलप अब हुई है। इस टैक्नोलोजी का फायदा सबसे पहले राजस्थान की सरकार के एक यू०आई०टी० के चेयरमैन ने उठाया। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, शिवचरण जी की फोटो, श्रीराम जी की फोटो लगायें लेकिन उनके ऊपर एक प्रेस लाइन दी है। आपत्ति किस बात की है ? यू०आई०टी० के पट्टे हैं, उन पर प्रेस लाइन है। कहीं यह कह दें कि यह पट्टा तो किसी ने छाप दिया होगा। जो पट्टे इश्यू किये हैं, उसकी फोटो स्टेट कापी है उससे आप मान लेंगे कि जो पट्टे चल रहे हैं उन पट्टों पर चारों की फोटो है। फोटो मैं समझता हूं सलेक्टेड हैं, फोटो लगाकर पट्टे इश्यू किये जा रहे हैं तो आप कैसे राजस्थान सरकार की तारीफ करवाना चाहते हैं। यह पट्टे इश्यू करने से राजस्थान सरकार की तारीफ हो जाय, ऐसा मुझे नहीं लगता।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, वह तो अपने आपमें नीरस है ही, उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अभिभाषण में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, वह सारा जैसे ललित किशोर जी ने कहा कि भावनाओं का, आशाओं का एक पुलिन्दा है, वास्तविकता उस में नाम मात्र की भी नहीं है। लेकिन उस में जिन बातों का उल्लेख किया है और जिन का मैंने यहां उल्लेख किया है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूँ कि राजस्थान सरकार की इस पिछले एक वर्ष में कोई परफारमेन्स नहीं रही, कोई काम नहीं हुआ, जिस का यहां पर उल्लेख किया जाय, जिक्र किया जाय। इसलिए मैं सदन से एक बार पुनः, यह कहना चाहता हूँ कि रावी-व्यास के समझौते पर पार्टी का मतभेद भुला दो। यह बात भुला दो कि यह बात भैरोंसिंह कह रहा है या और कोई कह रहा है। रावी-व्यास का समझौता निरस्त हो, इस प्रकार की सदन में बात कर के प्रधान मंत्री के ऊपर दबाव डालें ताकि राजस्थान के हितों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं हो। इसमें सदन से यह अपील करते हुए जो अभिभाषण माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया है जिस के सम्बन्ध में देवपुरा जी ने प्रस्ताव रखा है, उस का विरोध करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुन्दरलाल।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब खतम करो, अब क्या बोलना है।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में दिया, उस के लिए मैं कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं कुछ मेरे क्षेत्र के, कुछ दूर के। आपने काश्तकारों की बिजली के लिए कहा है कि 4 घण्टे काश्तकार को बिजली मिले और 24 घण्टे के पैसे चार्ज करें, यह बहुत ही गलत बात है। हमारे दिमाग में यह बात थी कि राजस्थान के बिजली मन्त्री काश्तकार की बात को सुनने वाले, जानने वाले हैं, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों पर, बिजली बोर्ड के अधिकारियों पर नियन्त्रण रख कर के राजस्थान का फायदा करेंगे। राजस्थान में विद्युत मन्त्री लोगों के, हमारे खुद के भी विश्वासपात्र, बहुत मजबूत आदमी हैं इसलिये बिजली में काश्तकारों को फायदा मिल सकेगा। इस साल राजस्थान में बिजली 4 घण्टे कुछ गांवों में कुछ जगह मिलती है, कुछ काश्तकारों को 4 घण्टे भी बिजली नहीं मिल पाती इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के काश्तकारों को 4 घण्टे भी बिजली नहीं दी जा सकती तो फिर उस फसल का क्या होगा? इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि बिजली बोर्ड ऐसा बना हुआ है लेकिन वह न तो किसी की सुनता है, न काश्तकारों को बिजली मिलती है। चार घण्टे बिजली नहीं दे सकते, तो इस का क्या फायदा हो सकता है?

दूसरी बात हरिजनों के लिए बतायी। कहते हैं कि हरिजनों का बहुत फायदा हो गया। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जो कहा जा रहा

(श्री सुन्दरलाल)

है उतना फायदा नहीं हो सका है। मैं आपको बताना चाहूंगा—

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी के 5 मिनट बाकी हैं। 5 मिनट में समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : एक मिनट तो आपने ही ले लिया।

श्री सुन्दर लाल : हमें तो टाइम ही नहीं मिलता और मिला तो कहते हैं कि 5 मिनट ही बाकी हैं। जो बोल गये उन को तो कहते हो कि 40 मिनट की जगह 45 मिनट ले लो।

एक माननीय सदस्य : पहली दफा बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पार्टी का टाइम अलाट किया गया है, उससे मैं पाबन्द हूं। बोलिये, आप।

श्री सुन्दर लाल : हरिजनों के लिए कहा जाता है कि उन को हम फायदा देंगे। कहीं कोई किताब में छपवा कर फायदा कर रखा हो तो पता नहीं, वैसे कोई फायदा हो नहीं रहा। गांवों और शहरों में जाकर देख लो कोई जादू मन्तर करके फायदा करते हों तो पता नहीं पर फायदा नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि फायदा किया जा रहा है। किसी एक व्यक्ति को दे दिया हो तो समझ में नहीं आता पर किसी भी आदमी को जितना कहा जाता है उतना फायदा नहीं मिला, दुसरी बात।

तीसरी बात यह है कि राजस्थान सरकार के कांग्रेस (आई) के लोग यह चाहते हैं कि अपके 26 जिला प्रमुख हो गये इसलिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पट्टा प्रकरण की बात है इन 26 प्रमुखा का फोटो छपवा लो और लगवा दो और काम करो नहीं। आपने तय कर लिया कि 26 जिला प्रमुख बन गये इसलिये काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप यह भी ध्यान मे रखिये कि गरीबों के नाम से, हरिजनों के नाम से रोज यहां भाषण दिये जाते हैं कि हम भला करेंगे। हमारी समझ में इनका भला नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो कुछ उन के लिए कहा जाता है, कुछ किया भी जाना चाहिए।

मैं मेरे क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र मे सौ मील हरियाणा लगता है, उसमे 12 घण्टे बिजली मिलती है। यह कौन सा न्याय है? वहां नहर भी है, उसके बावजूद भी बिजली 12 घण्टे मिले और हमारे का 4 घण्टे मिले, यह कितना बड़ा अन्याय है। सौ मील का एरिया हरियाणा का लगता है।

मेरे क्षेत्र मे पशु औषधालय 210 गावों मे एक भी नहीं है। मेरे क्षेत्र में पशुओं का रकबा हरियाणा से मिलता हुआ है, जहां सब से अधिक पशु आते है। हमने कई बार सरकार को लिखा है पर आज तक पशुओं का औषधालय नही है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में इस बात पर भी ध्यान दें।

(श्री सुन्दरलाल)

इसके अलावा जो भी मैंने बात पहले बतायी हैं, अब भी बताना चाहता हूं। इस सदन में कई लोगों ने दो-दो सौ किलोमीटर लम्बी सड़क का जिक्र किया है, सन् 1952 से सन् 1982 तक सूरतगढ़ क्षेत्र में 13 किलोमीटर सड़क बनी है। 14 किलोमीटर नहीं बनी, 13 किलोमीटर बनी है। मेरे क्षेत्र से लगे जितने हरियाणा के गांव हैं, वहां ऐसा एक भी गांव नहीं है जिसमें सड़क नहीं हो। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से, उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में लोगों की जो समस्या है उस के बारे में मैंने 2-3 बातें बतायी हैं। पहले मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा मेरे क्षेत्र से लगता है वहां पशुओं की बीमारी हो जाती है तो वह हमारे क्षेत्र में भी फैलती है और लोग बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं इसलिए आप इस ओर ध्यान दें। दूसरा, मैं आप से पूरी आशा करता हूं कि हमारे क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था जरूर हो। बिजली काश्तकारों को बहुत कम मिलती है। चार घण्टे मिलती है। आप टेलीफोन करके पता लगा लीजिए कि मेरे क्षेत्र में चार घण्टे भी बिजली नहीं मिलती है। क्योंकि वहां लम्बी लाइन पड़ती है, कभी जल जाती है, कभी मिलती नहीं है। काश्तकारों को दो-दो घण्टे ही बिजली मिल पाती है। कल भी चिट्ठियां मेरे पास आई हैं कि बिजली की व्यवस्था बहुत ही खराब है। इसलिए मैं आप से निवेदन करूंगा कि बिजली की व्यवस्था के लिए आप प्रयास करें। हमारा विश्वास है कि आप काश्तकारों को अच्छी तरह से समझते हैं, फिर भी आप काश्तकारों का भला नहीं कर सकेंगे तो दूसरा कुछ नहीं कर सकेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आपको कहा है कि यह काम है इन सब को ध्यान में रख कर करना है।

दूसरी बात हमारे यहां एक चिकित्सालय, औषधालय, हास्पिटल सन् 1962 में सुखाड़िया जी ने खोला था। 1962 से ले कर 1982 तक तीन महीने छोड़ कर कभी हास्पिटल में डाक्टर नहीं लगा। जिस चिकित्सालय पर दस लाख रुपया पहाड़िया जी ने खर्च किया हमने सरकार से काफी प्रयास किया कि डाक्टर भेजो, डाक्टर भेजो लेकिन आज तक डाक्टर नहीं लगा। 1962 में सुखाड़िया जी ने हास्पिटल खोल दिया लेकिन दस लाख रुपया खर्च करने के बाद वह पहाड़िया जी ने कृपा करके खर्च कर दिया, आज तक डाक्टर नहीं भेजा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि दस लाख रुपया हास्पिटल में खर्च हुआ है वहां डाक्टर नहीं है, बीस-बीस माइल के एरिया में कोई दूसरा हास्पिटल नहीं है। एक हास्पिटल खुले उस में डाक्टर ही नहीं लगे, यह ठीक नहीं है। इसलिये आप इस पर भी ध्यान दें।

और आखिर में आपको धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता हूं। जो कुछ बातें ठीक थीं वह बता दीं। मैं इतनी ही बात करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूर्यकुमार।

(92)

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में हम जी रहे हैं। प्रजातन्त्र और वह भी संसदीय प्रजातंत्र जिसकी एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण परम्परा है महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण। उस परम्परा का निर्वाह राजस्थान की इस विधान सभा ने दिनांक 20 फरवरी को किया। उसी परम्परा के निर्वाह में अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर यह वाद विवाद चल रहा है, प्रस्ताव का समर्थन और प्रस्ताव का विरोध। मैं भी उसी धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार प्रकट करने के लिए आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूं। अभी थोड़ी ही देर पहले विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कुछ ही लोग होते हैं। जिनको "कन्फ्यूजन को मोर कन्फाउण्डेड" करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है और मुझे संकोच नहीं है यह कहने में कि विरोधी पक्ष के नेता महोदय को "कन्फ्यूजन को मोर कन्फाउण्डेड" करने में एक बेमिसाल कामयाबी हासिल हुई है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को उन्होंने केवल कुछ ही पंक्तियों में उड़ा दिया। या मैं यों कहूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को उन्होंने पढ़ने की तकलीफ गवारा नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ भी नहीं है। मुझे इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कह कर दुष्यन्त की दो पंक्तियां ही याद आती हैं। दुष्यन्त ने कहा—

"रोशन हुए चिराग
तो रोशनी नहीं रही।
अंधों को रोशनी का
गुमां और भी खराब है।।"

हमने देखने की कोशिश नहीं की उसके बावजूद हमने नाटक यह किया कि जैसे अभिभाषण को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है और उसको पढ़ने के बाद उसकी आलोचना की है। मैं इस सदन का ध्यान, उपाध्यक्ष महोदय, वापस अभिभाषण के उन्हीं पृष्ठों की ओर ले जाना चाहता हूं। अभिभाषण के पहले ही पृष्ठ पर है कि यह वर्ष उपलब्धियों का वर्ष रहा है। मैं इससे इत्तफाक करता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि उपलब्धियों का वर्ष रहा न रहा, इस सम्बन्ध में विवाद इस सदन में हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से यह वर्ष राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार के लिए परीक्षाओं का वर्ष अवश्य रहा है। परीक्षायें कुछ सिद्धान्तों की हैं, परीक्षायें कुछ सामर्थ्य की हैं, परीक्षायें इस बात की हैं कि जो घोषणाएं की हैं उन की क्रियान्विति की दिशा में हम कितना आगे बढ़ पाये, कितना आगे बढ़ सकते थे, कितना आगे बढ़ सके हैं, कितना आगे बढ़ सकेंगे। परीक्षाओं का नतीजा राज्यपाल महोदय के साढ़े 27 पृष्ठों और लगभग सात हजार शब्दों के इस अभिभाषण में है। आपको मालूम है, पूरे राजस्थान को मालूम है कि राजस्थान सरकार की यह विकास यात्रा गत वर्ष दिनांक 1 अप्रेल से आरम्भ हुई और यह भी हमें मालूम है कि जो विकास की यात्रा आरम्भ हुई उसकी पीठ के पीछे लदा हुआ

(श्री सूर्य कुमार)

था भीषण अकाल का बोझ, उसके सिर पर रखी हुई थी 155 करोड़ रुपये के ओवर ड्राफ्ट की भीषण गठरी। अकाल और ओवर ड्राफ्ट के बोझ को लिए हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष की वह विकास यात्रा आरम्भ हुई और हमने देखा कि वह कुछ कदम ही चल पाई थी, कुछ महीने ही गुजरे थे, अकाल तो चल ही रहा था कि बाढ़ ने राजस्थान को घर दबोचा। लेकिन यह हमारी खुश किस्मती थी कि राजस्थान की सरकार का नेतृत्व, समाजवाद में अटूट आस्था रखने वाली श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में वास्तविक आस्था रखने वाले कांग्रेस विधायक दल के नेता, श्री शिवचरण जी माथुर के हाथ में था। उनका जो लक्ष्य था, उनके जो कंसेप्शन्स थे, उनको जो काम करने की एक लालसा थी, उसने इस बाढ़ की परवाह नहीं की। जैसा हम देखते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, चाहे कितनी ही बाढ़ आए, चाहे कितना ही प्रवाह जल का हो लेकिन एक प्रकार की घास होती है जो उस प्रवाह को सामने झुकाकर उस प्रवाह को आगे बढ़ा देती है और अपने अस्तित्व को बनाए रखती है, ठीक उसी प्रकार से मैं कहूं कि वर्तमान कांग्रेस सरकार का जो संकल्प था राजस्थान को विकास के रास्ते पर आगे ले आगे ले जायें, समाजवाद के रास्ते पर आगे बढ़ें, कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए और हरिजनों के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करें, वह संकल्प उस बाढ़ के प्रवाह में बह नहीं सका, वह संकल्प अपने पावों को जमा कर जमीन पर खड़ा रहा। उस संकल्प ने जन्म लिया ठीक जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन भगवान ने जन्म लिया उस दिन राजस्थान सरकार की कोख से बीस संकल्पों के कार्यक्रम ने जन्म लिया। बीस संकल्प भी चर्चा का विषय रहा, लेकिन बीस संकल्प की चर्चा करने वाले विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने बीस संकल्पों को देखने की चेष्टा तक नहीं की। अगर वह आरम्भ के कुछ पृष्ठों को ही पढ़ लेते तो राज्य सरकार, कांग्रेस सरकार के जो मंसूबे थे, जो उद्देश्य थे, उनके प्रति वह सावधान हो जाते। कुछ पंक्तियां जो पृष्ठ-भूमि के प्रष्ठ दो पर अंकित हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का, विशेषतः विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों का ध्यान उनकी ओर ले जाना चाहता हूं। पृष्ठ दो पर तीसरी पंक्ति है :--

"योजनाओं के बारे में सन्देह नहीं है परन्तु ठीक तरह से क्रियान्विति करने के बारे में सर्वत्र एक बहुत भारी सन्देह है। विकास का मुख्य अभिशाप आज आस्था-हीनता है और सरकारी क्षमता के बारे में पूर्ण निराशा है। हम सरकार की साख, उसका विकास का सामर्थ्य जुटाना चाहते हैं।"

यदि इन पंक्तियों को भी विरोधी पक्ष पढ़ लेता तो मैं समझता हूं कि बीस संकल्पों की आलोचना करने वाला विरोधी पक्ष निश्चित रूप से कांग्रेस की वर्तमान सरकार के जो सही उद्देश्य हैं, सही मकसद

(श्री सूर्यकुमार)

हैं, उन के बारे में समझने की कोशिश करता। कल जैसा मैंने निवेदन किया कि विरोधी पक्ष केवल अभिभाषण के पृष्ठों को कोई पढ़ न ले, इस सदन के माध्यम से उस अभिभाषण में जो पंक्तियां लिखी हैं, जो विकास यात्रा की कहानी है, वह जनता तक पहुंच न जाय, इसलिये इस अभिभाषण से अलग अलग ही बातें यहां करते रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान अभिभाषण के उन पृष्ठों की ओर ले जाना चाहता हूं, जिनमें प्रकृति की निष्ठुरता और निर्ममता के बारे में लिखा है। बादलों का जो संदेश इस धरती को हरियाली और धरती की उत्पादकता के लिए धाराओं के जरिये आता है, वह संदेश प्रकृति की निष्ठुरता व निर्ममता ने नहीं आने दिया। इस धरती की हरियाली और उत्पादकता को कुछ क्षणों के लिये छीना। लेकिन राजस्थान का किसान निराश नहीं हुआ। राजस्थान के किसान ने जागती जोत की भांति अपने खेतों में काम किया। खेतों की उत्पादकता को निरन्तर बनाये रखने के लिये वह प्रयत्नशील रहा। कहा भी है :

"हुवे पगां रे पाण, जगत् जद सौवे है,
रात ढली परभात, खेत में होवे है,
सदा पुराणी पाग ऊंची सी धोती है,
कामगार किरसाण, जागती जोत है।"

राजस्थान के इसी किसान के लिये, गोरां धोरां की धरती को उत्पादकता और हरियाली की हरी भरी चूनर से सजाने के लिये, कल कल गूंजती स्वर लहरी से इस धरती पर सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए, इस धरती की प्यास बुझाने के लिए और धरती की हरियाली और सुन्दरता की रक्षा करने के लिये वृक्षों के प्रोग्राम का उल्लेख अभिभाषण के पृष्ठों में कहीं न कहीं अंकित है।

यदि विरोधी पक्ष अभी भी उनको देखने का कष्ट करना चाहे तो मैं विरोधी पक्ष का ध्यान अभिभाषण के पृष्ठ 5, 6, 7, 8 और 9 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यही नहीं, मजदूर विरोधी दृष्टिकोण अपनाने का आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाने वाले विरोधी पक्ष ने इस अभिभाषण के पृष्ठों को अगर देखा होता तो उनके अपने आरोप, अपने तर्क अपने आप ही खोखले महसूस होते। वह देखें, पृष्ठ संख्या 16 को। अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 16 पर इस कांग्रेस सरकार ने क्या क्या किया है, मजदूरों के हित में किस किस प्रकार के बोर्डों का गठन किया है, किस किस प्रकार के आयोग का गठन किया है, कौन कौन से आयोगों का किस किस उद्देश्य से गठन किया है, अगर वह देखने की कोशिश करते तो विरोधी पक्ष में कांग्रेस सरकार पर मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाने का साहस नहीं होता।

भारतीय संस्कृति का मुखौटा लगा कर चलने वाला यह विरोधी पक्ष यदि अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 21 को देखता, इसके अंतिम पैरा की ओर देखता तो विरोधी पक्ष को प्रतीत होता कि इस वर्तमान कांग्रेस

(श्री सूर्यकुमार)

सरकार ने भारतीय संस्कृति को अक्षुण बनाये रखने के लिये और भारतीय संस्कृति के अवशेष, जो नीचे धरती की कोख में जमे हुए हैं, को निकाल कर सब के सामने लाने के लिये जिस प्रकार के प्रयत्न किये हैं उन्हीं प्रयत्नों की कड़ी में एक अलग मंत्रालय इस वर्तमान कांग्रेस सरकार ने खोला है ।

मानवता की दुहाई देकर कांग्रेस सरकार को कोसने वाला विरोधी पक्ष यदि पृष्ठ संख्या 23 पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ने की तकलीफ गवारा करता तो उसको नजर आता कि इस वर्तमान कांग्रेस सरकार ने समाज के विवश अंग विकलांगों के लिए क्या क्या कल्याण कार्य किये हैं । उस दिशा में कितने कदम बढ़ाये हैं यह विरोधी पक्ष को पता लगता लेकिन विरोधी पक्ष ने उस ओर ध्यान देने की कोशिश नहीं की ।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है यह कहते हुए कि विरोधी पक्ष ने यह तो नहीं देखा लेकिन एक बहुत महत्व की बात है जिस की ओर विरोधी पक्ष अपना ध्यान नहीं दे सका । वह यह थी "जिन्दगी उनकी है, दिन उनके हैं, दुनिया उनकी है, जिनकी जानें कौम की इज़्जत पर कुर्बान हो गई ।" आज भी हमारा सौभाग्य है स्वतंत्रता सेनानी जिन्दा हैं और उनके सम्मान के लिए मुझे फख़् है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जो कुछ किया है वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पृष्ठ संख्या 25 पर अंकित है लेकिन विरोधी पक्ष ने उस ओर भी ध्यान देने का कष्ट नहीं किया ।

मैं निवेदन करना चाहता हू, उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष ने जो कुछ किया है वह केवल अपने पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर एकपक्षीय दृष्टिकोण बनाकर अपनी बात कहने का प्रयास किया है ।

मैंने सुना अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, जो यहां विराजमान नहीं हैं, श्री कैलाश मेघवाल जी के उन कथनों को जिसमें उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि वर्तमान कांग्रेस सरकार मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर के नेतृत्व में हरिजन विरोधी है । यदि बोलने के बाद सदस्य महानुभाव ने स्वयं अपने कथन पर पुनर्विचार किया होता, अपने आप को टटोल कर देखा होता तो उनको पता लगता कि वह कितनी बेबुनियाद, कितनी असत्य बातें यहां सदन के सामने बोलकर गये हैं । उन्होंने यह भी डींग हाकने की कोशिश की कि उनकी जनता पार्टी की सरकार ने हरिजनों के पक्ष में बहुत कुछ किया लेकिन मुझे उस समय बड़ी हंसी आई, जब वह कहते कहते, कांग्रेस सरकार की आलोचना करते करते बड़े खुले शब्दों में यह कहते गये कि पहाड़िया जी मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने हरिजनों के पक्ष में बहुत कुछ काम किया । मुझे इन की

(2.55 म० प०)

(श्री सूर्यकुमार)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत,
सभापति, पदासीन)

समझ पर तरस आये बिना नहीं रहा। जब पहाड़िया सरकार ने काम किया तो क्या पहाड़िया जी की सरकार कांग्रेस सरकार नहीं थी ? आप आलोचना कर रहे है कांग्रेस सरकार की इस बात के लिए कि उस ने हरिजन विरोधी रुख अपना रखा है और आप तारीफ कर रहे है पहाड़िया जी की इस बात के लिये कि उन्होंने हरिजनों के पक्ष में बहुत कुछ काम किया है। आप अपने मुंह से अपने तर्क को झूठा साबित करते जा रहे हैं। आप ने कहा कि जनता पार्टी की सरकार ने हरिजनों के पक्ष में बहुत कुछ काम किया है। मैं सदन का ध्यान उन पृष्ठों की ओर आकर्षित नहीं करना चाहता हूं जो बोलता हुआ इतिहास है। क्या दुर्दशा हुई उस जनता पार्टी की सरकार के समय हरिजनों की हिन्दुस्तान में और इस राजस्थान में। मुझे यहां पर कवि दुष्यन्त की दो पंक्तियां याद आ जाती हैं। उनकी ओर विशेष रूप से विरोधी पक्ष का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह मेहरबानी कर के उन पंक्तियों को ध्यान में रख कर अपने जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों पर विचार करें।

दुष्यन्त ने कहा है,

"आगे निकल गये हैं
खिसकते हुए कदम।
राहों में रह गये हैं निशां
और भी खराब।।"

सुश्री पुष्पा जैन : यही तो हम पाइन्ट आउट करते हैं आप को।

श्री सूर्य कुमार : मैं कहना चाहता हूं हरिजन विरोधी आरोप लगाने वाले विरोध पक्ष, से कल का इन्तजार करें। कल जब कांग्रेस विधायक दल के नेता मुख्य मंत्री इस सदन में अपने जवाब में तथ्य उपस्थित करें तो दिल पर हाथ रखकर अपने सारे आरोपों का उत्तर सुनने की हिम्मत रखें मेहरबानी करके, क्या क्या हरिजनों के पक्ष में इस वर्तमान कांग्रेस सरकार ने किया है।

उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, श्री गुलाबचन्द जी कटारिया ने चुनावों में जो उपलब्धियां वर्तमान कांग्रेस सरकार को मिलीं और कांग्रेस संगठन को मिलीं उनको कुछ ही बातों के आधार पर नकारने की कोशिश की। उन्होंने एक तर्क दिया, एक उम्मीदवार जो एक वार्ड से नहीं जीत सका, जो एक गली से नहीं जीत सका, एक पंचायत से नहीं जीत सका उस को प्रधान बना दिया था, पता नहीं प्रमुख बना दिया था। मैं नहीं कहना चाहता, मेहरबानी करके उसे कोई अन्यथा नहीं समझें, मुझे सन् 1972 की याद आती है, सन् 1972 में विधान सभा के चुनाव हुए। विधान सभा के चुनाव में एक विधान सभा क्षेत्र से वर्तमान विपक्ष के नेता ने चुनाव लड़ा और चुनाव में हारे। वही विपक्ष के

(श्री सूर्यकुमार)

माननीय नेता, राजस्थान में जब उनको ठौर नहीं मिली तो मध्य प्रदेश गये और मध्य प्रदेश से राज्य सभा में पहुंचे। राज्य सभा से वापस आये तो वह जिस समय मुख्य मंत्री पद पर आसीन हुए, वह न किसी गली के मैम्बर थे, न वार्ड के मैम्बर थे, न पंचायत के सरपंच थे, न किसी विधान सभा क्षेत्र के विधायक थे। यदि ऐसे व्यक्ति को जनता पार्टी सरकार अपने विधायक दल का नेता बना कर मुख्य मंत्री का पद दे सकती है तो क्या कसूर हो गया कांग्रेस का कि ऐसे व्यक्ति को प्रधान या प्रमुख बना दिया। लेकिन इसके पीछे जो बातें हैं, कांग्रेस सरकार की जो मंशा थी उसको समझने की कोशिश करना विरोधी पक्ष का पहला कर्त्तव्य होना चाहिये। लोकतंत्र में आस्था विरोधी पक्ष की है या कांग्रेस सरकार की–इस आस्था के प्रतीक के रूप में अगर इस सारे प्रश्न पर विचार करेंगे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जिस प्रकार से पंचायतों के, नगरपालिकाओं के और सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाये गये और करवाये जायेंगे यह असल में कांग्रेस सरकार की लोकतंत्र में आस्था का ही प्रमाण है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। रहा सवाल कांग्रेस संगठन का, कांग्रेसी उम्मीदवारों को इन चुनावों में कितनी सफलता मिली, कितनी नहीं मिली, इसका इतिहास स्वयं साक्षी है और इतिहास के पृष्ठ साक्षी रहेंगे। आपको दुख है तो केवल इतना ही कि आप लोग जीत नहीं पाये। इसीलिये आप इसको बाड़ाबन्दी का, भ्रष्टाचार का चुनाव कहते हैं, जिसमें आप लोग जीतें वह बहुत अच्छा और जिसमें हार जायें वह भ्रष्टाचार का चुनाव और बाड़ाबन्दी का चुनाव। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपनी लोकतंत्रीय आस्थाओं का परिचय इस बात से दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल विरोधी पक्ष की इस मूल-भुलैया और आंकड़ों के मायाजाल तक सीमित न रह कर देश की नेता इंदिरा गांधी की उन उक्तियों की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि अभिभाषण पर वाद-विवाद का जो मौका होता है वह एक बड़ा गंभीर विषय है। अभिभाषण पर वाद-विवाद का मौका असल में इस बात के लिए होता है कि हम पक्ष और विपक्ष में बैठने वाले लोग हमारे देश और हमारे राज्य के सामने जो गंभीर समस्याएं हैं उन पर विचार करें। किन्तु विरोध पक्ष के सामने इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं कि वह केवल विरोध के खातिर विरोध करे। उसको इन समस्याओं से मतलब नहीं, न समस्याओं के समाधान से मतलब है।

आज सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या है। राजस्थान के सामने ओवर ड्राफ्ट की समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस ओवर ड्राफ्ट की समस्या से मुक्त होकर किस प्रकार से राजस्थान को विकास की दिशा में आगे ले

(श्री सूर्यकुमार)

जाया जाय ? मैं निस्संकोच कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से, मंत्रिमण्डल के सदस्यों से कि मेहरबानी करके राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल में होने वाले जो अपव्यय हैं उन पर अंकुश लगायें, उन पर लगाम लगायें और एक उदाहरण मंत्रिमण्डल के सदस्य स्वयं आगे आकर राजस्थान की जनता के सामने पेश करें कि किस प्रकार वह कार्यालयों में, अपने मंत्रालय में और व्यक्तिगत जीवन में सरकारी अपव्यय पर काबू करते हैं। अगर मंत्रिमण्डल के सदस्य इस मामले में निस्संकोच, साहसपूर्वक सामने आयेंगे और अपने मातहत होने वाले अपव्ययों पर काबू कर पायेंगे तो मुझे विश्वास है कि ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, अफसरशाही ने इस मामले में जो गैर-जिम्मेदारी का रुख अख्तियार किया हुआ है वह जिम्मेदारी का रुख अख्तियार करेंगे और उनकी हरकतों पर पाबन्दी लगेगी।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है, सभापति महोदया, कि जो लीकेज हैं हम उसको रोकें। हम लीकेज का अन्दाजा लगायें, जो लीकेज ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन, बिजली बोर्ड, पब्लिक सेक्टर और कार्पोरेशंस में है वह इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर उस पर काबू पा लें, पाबन्दी लगा दें, और काबू पाकर अर्थ-व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करें तो बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक प्रकार से टैक्स इवेजन को रोक सकें और टैक्स इवेजन को रोक कर रिकवरी का माकूल इन्तजाम कर सकें तो निश्चित रूप से राजस्थान की आर्थिक दशा में सुधार आयेगा।

मेरा ऐसा भी मानना है, सभापति महोदया, कि दोषपूर्ण औद्योगिक नीति और साहसहीन कृषि नीति भी हमारी आर्थिक दुर्बलता के लिये जिम्मेदार है। हमारी औद्योगिक नीति में स्पष्ट नहीं है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में किस प्रकार विभाजन करके चलाना चाहते हैं ? हम पब्लिक सेक्टर को भी सभी प्रकार के उद्योगों में होड़ लगाने की इजाजत देते हैं और प्राइवेट सेक्टर को भी सभी प्रकार के उद्योगों में होड़ लगाने की इजाजत देते हैं। इस प्रकार से ओवर लेपिंग पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में हम चालू रखना चाहते हैं, यह हमारी औद्योगिक नीति का एक दोषपूर्ण अंग है।

इसी प्रकार से हमारी कृषि नीति भी साहसहीन कृषि नीति है, सभापति महोदया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, सभापति महोदया।

साहसहीन इस प्रकार कि आपने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के माध्यम से काश्तकारों को मालिकाना हक नहीं दिये हैं। आपने केवल उनको टिनेन्ट बनाया हुआ है, मालिकाना हक राजस्थान सरकार

(श्री सूर्यकुमार)

के पास हैं। राजस्थान सरकार आज कृषि प्रसार में अधिकारियों और कर्मचारियों पर इतना खर्चा कर रही है लेकिन इनका काम क्या है? केवल सलाह देने का काम है। एग्रीकल्चर असिस्टेन्ट आफिसर, एग्रीकल्चर आफिसर और ग्राम सेवक जायेंगे और काश्तकार को केवल सलाह देकर आयेंगे। मैं कहना चाहता हूं आपके पास मिट्टी का परीक्षण करने की प्रयोगशालाएं हैं, मिट्टी के आंकड़े हैं, किस प्रकार की भूमि में कौनसी फसल अच्छी हो सकती है, कौनसी भूमि किस फसल के लिये अच्छी रह सकती है। आपके पास मालिकाना हक है तो ऐसी कौनसी साहस की कमी है जिससे साहसपूर्वक आगे बढ़ कर इन काश्तकारों को कानूनी तरीके से मजबूर कर सकें कि अमुक प्रकार की भूमि पर अमुक प्रकार की फसल करनी पड़ेगी और इस तरीके से कृषि के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता की ओर कदम आगे बढ़ा सकें। यह नीति निर्वाह करने का साहस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं समझता हूं कि वह दिन हमारे लिये सौभाग्य का दिन होगा जिस दिन राजस्थान सरकार, इस प्रकार की कृषि नीति का निर्माण करेगी और कृषि के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता का कदम बढ़ायेगी।

मैं दो शब्द शिक्षा पर भी कहना चाहता हूं। 20 संकल्प में बढ़िया शिक्षा का संकल्प लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार ने उन पक्षों की ओर ध्यान दिया है जो पक्ष वास्तव में गौण हो चुके थे। आदर्श विद्यालय की बात कही गई है, टाट पट्टियों और भवनों के निर्माण में सुधार की बात इसमें की गई है। लेकिन आज सबसे बड़ी आवश्यकता, सभापति महोदय, इस बात की है कि शिक्षणालयों के माध्यम से साम्प्रदायिकता का विष प्रसार पा रहा है। शिक्षा जगत के माध्यम से साम्प्रदायिकता जिस किस प्रकार नंगी होकर नाच रही है अगर हमने इस पर अंकुश लगाने की, प्रभावशाली ढंग से रोक लगाने की बात नहीं सोची तो चाहे कितना ही स्कूलों को आदर्श बना दें, चाहे कितना ही भवनों का निर्माण कर दें लेकिन यह साम्प्रदायिकता देश को भीषण करार पर ले जाकर छोड़ देगी और हम आपस में लड़ भिड़ कर देश की एकता को समाप्त कर देंगे और देश की एकता के लिये खतरा पैदा हो जायेगा। तो सबसे बड़ा सवाल आज शिक्षा की नीति में गम्भीरता पूर्वक सोचने का हमारे सामने कोई है तो यही है।

पंचायत चुनाव के मामले में वर्तमान सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। उसने पंचायती राज को और चुन कर आने वाले जन प्रतिनिधियों को सम्बल और आस्था देने का प्रयास किया है लेकिन मैं पूछता हूं कि आपने उनको दिया क्या? आपने कहा है एक तो समीक्षा का अधिकार उन जन प्रतिनिधियों को देना चाहते हैं। लेकिन समीक्षा तो वह पहले भी करते थे, अब आपने इसको कानूनी जामा पहना दिया। ठीक है, आपने एक कदम आगे बढ़ाया।

(श्री सूर्यकुमार)

मैं चाहता हूं कि अगर योजनाबद्ध विकास में विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि योजना के आधार पर ही ग्रामीण विकास हो तो आपको पंचायती राज को निश्चित रूप से योजना बनाने का अधिकार देना होगा और उसकी योजना के अनुसार ही आपको उच्च स्तर पर योजना को स्वीकृति देनी होगी, साथ ही उस योजना की क्रियान्विति का अधिकार भी उन्हें देना होगा। तब जाकर पचायती राज और गांधीजी का सपना सफल होगा, साकार होगा अन्यथा हमारी योजनाएं मात्र कागजी घोषणाएं रह जायेंगी। पंचायती राज का दीपक 1959 में भी प्रज्जवलित किया गया था, लेकिन 1959 में प्रज्जवलित होने के बाद भी वापस अधिकारियों को ही अधिकार देने की बात की गई थी और आज भी वापस अफसरशाही को ही अधिकार देने की बात कही गई है। जो घोषणाएं अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिलीं उनको देखकर लगता था कि पंचायती राज को बहुत अधिकार दिये जा रहे हैं लेकिन जब देखा तो मालूम हुआ कि जो कुछ घोषणाएं हुईं उनके आधार पर केवल एक समीक्षा का अधिकार पंचायती राज को दिया गया। मैं समझता हूं, वर्तमान कांग्रेस सरकार और इस सरकार के मुख्य मंत्रीजी इस दिशा में महत्वपूर्ण तरीके से सोचेंगे, गम्भीरता से सोचेंगे और पंचायती राज को वास्तव में कुछ अधिकार देने की बात कहेंगे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। कुम्भलगढ़ से निर्वाचित माननीय सदस्य, देवपुरा जी ने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। हम कितनी बात कह पायेंगे, कितनी नहीं और कितनी गलत होंगी लेकिन, सभापति महोदय, हाउस तो खाली पड़ा है। हम इन दीवारों को सुनाएं तो भले ही ठीक है। हम लोग संख्या में थोड़े हो सकते है लेकिन हम उस ग्रामीण और मेहनतकश जनता की आवाज को लेकर यहां आये हैं और कहना चाहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जो 28 पेज का लम्बा चौड़ा राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है उसमें किसी भी तरह की राजस्थान की नई योजनाएं नहीं हैं। क्या योजनाएं बनाई हैं या क्या उपलब्धियां इस वर्ष में रही हैं इसमें नहीं हैं। सबसे ज्यादा इसमें गान गाया है, सभापति महोदय, बीस सूत्री प्रोग्राम का। यह बीस सूत्री प्रोग्राम पहले इमर्जेन्सी में भी था।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : संख्या हमारी बीस नहीं है। कोरम नहीं है।

श्री सभापति : मेरे खयाल से कोरम है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप गिन लें। कोरम नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : गैलरी को गिन लें तो, सभापति महोदय, हो सकता है।

श्री सभापति : देख लीजिये, कोरम है।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदया, कोरम नहीं है तो किस को सुनावें ? दीवारों को सुनावें ? सरकार तो बैठी नहीं है, हम सरकार को सुनाने के लिए आये हैं।

श्री सभापति : बीस हैं। पूरा कोरम है। 21 हो गये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 15 हैं।

श्री सभापति : 21 हो गये। आप बोलिये।

श्री मेघराज तावड़ : पहले आपकी सरकार कहां बैठी है ?

सभापति महोदया, इस अभिभाषण में बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। जिन अधिकारियों को या आर० ए० एस० अधिकारियों को कुछ रटा हुआ है उसके आंकड़े लेकर इसमें छाप दिये गये हैं और कोई दिशा निर्देश इसमें नहीं है। सभापति महोदय, यह बीस सूत्री प्रोग्राम इन्दिराजी ने इमर्जेन्सी के पहले लागू किया था उस समय गरीबों के लिये बढ़ा चढ़ा कर 20 सूत्री प्रोग्राम का गुणगान किया गया था। मैं आप को याद दिलाऊं, सभापति महोदय, उसी बीस सूत्री प्रोग्राम में यह कहा गया था कि हरिजनों और आदिवासियों की जो जमीन गिरवी हैं उनको छुड़ावाया जायेगा, कालाबाजारी और तस्करों को जेल में रखा जायेगा लेकिन इस बीस सूत्री प्रोग्राम में यह नाम मात्र का है। इस प्रोग्राम को लेकर जब आवाज उठायी तो नतीजा यह हुआ कि हमको मीसा में बंद कर दिया गया। अब वापस उसी बीस सूत्री प्रोग्राम का गुणगान यह राजस्थान सरकार बीस संकल्प से कर रही है। सभापति महोदया, बीस संकल्प में हरिजनों और आदिवासियों को आगे बढ़ाने, पिछड़े को पहले की बात कही गई है। सभापति महोदया, आपको ताज्जुब होगा आज जो गरीब लोग हैं उनके पास जमीन नहीं है न रहने के लिए मकान हैं। जो कच्ची बस्तियां शहरों में हैं उन कच्ची बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है लेकिन उनको बसाने के लिए कोई योजना नहीं है। शहर के आस पास जितनी जमीन है, वह गरीबों से ली जा रही है। माननीय राजबहादुर जी बता रहे थे, एग्रीकल्चर लैण्ड गरीब लोगों से लेकर....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पाइन्ट आफ आर्डर। कभी बीस होते हैं, कभी 19 होते हैं। कभी 21 हो जाते है। अभी 17-18 लोग बैठे हैं....

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदया कोई नोट करने वाला नहीं है। इससे हमारा बोलना बेकार होगा। मैं नहीं बोलना चाहता।

(गण पूरक घंटी)

(गण-पूर्ति के पश्चात्,)

श्री सभापति : अब आप बोलिये ।

श्री मेघराज तावड़ : पाइन्ट आफ आर्डर इस बात का है कि कोरम का अभाव है। या तो आप कह दीजिए हम माइनोरिटी के लोग हैं, उनके पास....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कोरम हो चुका है। आप भाषण प्रारम्भ करें। फिर न कहें मुझे समय कम मिला। 15 मिनट का समय है, आप बोल जाइये ।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदया, मैं यह कह रहा था कि एग्रीकल्चर लैण्ड जिन गरीब लोगों की शहर के पास है उनकी जमीन कोड़ियों में लेकर लाखों करोड़ों रुपया कमाने के लिए लाइसेन्स देने का काम माननीय पहाड़िया जी ने किया और अब माथुर साहब भी इन पैसे वाले लोगों को लखपति बनाने की योजना बना रहे हैं फिर चाहते हैं कि घाटा पूरा हो। ताज्जुब इस बात का है कि गरीब आदमी जमीन नहीं ले सकता उनकी जमीन को लाखों रुपयों में हजारों रुपयों में बेचते हैं। न गरीब आदमी को अलाटमेंट हो सकता है न यू० आई० टी० के पास जमीन जाती है। यू० आई० टी० का नियमन का कानून है। वहां पैसा देकर नियमन करा लिया जाता है। इस प्रकार कच्ची बस्ती के लोगों को हटाया जा रहा है। सभापति महोदया, बीस संकल्प में सबसे पहले पिछड़े को पहले की बात कही गई है। सभापति महोदया, इस बात को सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि कल भी कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर रोष व्यक्त किया था। प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं, प्रजातन्त्र की बात करते हैं लेकिन यह सरकार प्रजातंत्र का गला घोटने वाली सरकार है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चुनावों में किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया है? सभापति महोदया, सत्ता पक्ष पर मेरा यह खुला आरोप है उसने पैसे का दुरुपयोग ही नहीं किया बल्कि सत्ता का भी दुरुपयोग किया है। जहां कोई। टिकट ले कर खड़ा हो जाय तो उसको रोका गया है उसको वहां से हटाया गया है, उसको आने नहीं दिया गया है। एम. एल. ए., एम. पी. के दबाव से, अधिकारियों से कह कर उनके फार्म खारिज करवाये गये हैं। यह प्रजातन्त्र की बात करने वाली और प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाली सरकार प्रजातन्त्र का गला घोटने वाली है। यह प्रजातन्त्र की रक्षक नहीं है। आप को मालूम है, यह सरकार प्रजातन्त्र की कितनी हामी है। आवश्यक सेवा अधिनियम, काला कानून लाकर यह सरकार कर्मचारियों और मजदूरों की जुबान पर ताला लगाना चाहती है। वह उनको बोलने नहीं देना चाहती है। प्रजातन्त्र की दुहाई देती है लेकिन आदमी बोल नहीं सकता। वही पुराना जमाना जैसा राजा महाराजाओं का था, एकतंत्रीय शासन लागू करना चाहती है। उस एकतंत्रीय शासन को कायम करने के लिये प्रयत्नशील है। इसलिये यह काला कानून यहां लाया गया है।

(श्री मेघराज तांवड़)

सभापति महोदया, सरकार कहती है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कौन कहता है राजस्थान की हालत अच्छी नहीं है? यह व्यवस्था का दोष है, सभापति महोदया। राजस्थान की हालत अच्छी है। बड़े बड़े पूंजीपतियों में टैक्स का पैसा बकाया है। कोई डेढ़ करोड़, दो करोड़ रुपया वसूल कर लिया लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मंत्रियों के ऊपर कितना टैक्स बाकी है? उनका भी कभी जायजा लिया है? आप राजस्थान में जमीन को बेचकर घाटा पूरा करना चाहते हैं, यह पूंजीवादी व्यवस्था है। यह पूंजीवादी व्यवस्था पूंजीपतियों को तोड़ नहीं सकती इसलिये यह घाटा है। यह घाटा 300 करोड़ का है। जब बजट आयेगा उसके बाद में कहेंगे कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया है। अभी गत वर्ष ही जब पहाड़ियाजी की सरकार थी उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया लेकिन आर्डिनेंस के जरिये भाड़ा बढ़ाकर टैक्स बढ़ाकर जनता की कमर को तोड़ा है और जनता के मुंह पर कह दिया कि हमने तो कोई टैक्स नहीं लगाया है।

सभापति महोदया, बड़ा ताज्जुब है कि एक तरफ सरकार कहती है कि गरीबों को, भूमिहीनों को राजस्व अभियान चला कर भूमि बांट दी है। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार चाहे, इधर बैठने वाली सरकार हो या उधर बैठने वाली पूर्व की सरकार हो, ने राजस्व अभियान चला कर, राजस्व अभियान की बात करके सारे किसानों को और खेतिहर मजदूरों को धोखा दिया है। उन लोगों को भूमि का अलाटमेंट नहीं किया गया है। यह सरकार कहती है कि राजस्थान कैनाल में भूमि निलाम करेंगे, फिर जमीन सेठों और बड़े बड़े पूंजीपतियों को ही मिलेगी। कौन नीलामी में लेंगे? गरीब आदमी तो खड़ा ही नहीं रह सकता है। फिर गरीब क्या करेगा? खेतिहर मजदूर होगा, बन्धुआ मजदूर होगा। यह सरकार चाहती है कि गरीब आदमी फिर बंधुआ मजदूर बने। एक तरफ कहते हैं कि बन्धुआ मजदूरों को छुड़ाने की कार्यवाही की जा रही है। आज एक प्रश्न आया था कि कितने बन्धुओं मजदूरों को छुड़वाकर पुनर्स्थापित किया गया है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया है।

सभापति महोदया, अकाल की बात करते हैं। पहले केवल 11 जिलों में अकाल घोषित किया फिर 10 जिलों में किया और फिर 26 जिलों में कर दिया। आज सुबह जिस तरह को चर्चा चल रही थी कि एक तरफ सरकार कहती है अकाल है और दूसरी तरफ केवल भीलवाड़ा में ही काम ठीक तरह से चल रहा है। केवल 2 लाख 75 हजार मजदूर ही राजस्थान में काम कर रहे हैं। और उनमें से भी 75 हजार तो केवल भीलवाड़ा में कर रहे हैं। इधर सत्ता में बैठने वाले जितने माननीय सदस्य हैं उनकी आत्मा क्या गवाही देती

(श्री मेघराज तावड़)

है ? मैं जानता हूं कि आज कोई भी विधायक जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र की जनता उनका घेराव करती है, घेराव करने को तैयार रहती है। उस क्षेत्र की जनता की स्थिति दयनीय हो जाती है और फिर वह कहती है कि हमारे यहां पर काम पूरी तरह से खोले जायं। सभापति महोदया, मुझे पता है कि आप वहां पर विराजी हुई हैं आप जानती हैं कि किसान की क्या समस्या है। आप खुद किसान हैं। तो जो थोड़ी सी बरसात हुई उससे क्या फसल अच्छी हो जायेगी ? क्या पीने के पानी की व्यवस्था हो जायेगी ? नहीं हो पायेगी। राजस्थान में लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य बड़ी तड़पड़ाहट के साथ बोल रहे थे लेकिन ऊपर से थोड़ा बहुत गुणगान भी कर रहे थे, रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि पीने के पानी की व्यवस्था की जाय। सभापति महोदया, कोई भी सरकार रही हो, चाहे हरिदेवजी की सरकार रही हो, चाहे सुखाड़िया जी की रही हो, चाहे भैरोंसिंह जी की रही हो लेकिन हमारे पश्चिमी राजस्थान के इलाके और पहाड़ी इलाको के साथ में हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया है और दूसरों के साथ समानता की दृष्टि से नहीं देखा गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, मेरा पांच मिनट का समय तो कोरम नहीं था उस समय ही चला गया था, बरबाद हो गया था।

श्री सभापति : वह तो आप ने ही बरबाद किया था।

श्री मेघराज तावड़ : मेरी पार्टी का समय तो मुझे दिया जाय।

श्री सभापति : आपकी पार्टी का समय 15 मिनट का था, वह आपने ले लिया है।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदया, सिंचाई की बात करूंगा। अब आप समय तो दे नहीं रही हैं इसलिये एक एक बात कह कर ही भागना पड़ेगा। सिंचाई की बात कही, राजस्थान नहर की लम्बी चौड़ी बात हुई। मैं आपके सामने मेरे क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, माही सिंचाई की बात करता हूं। इससे अकाल और बाढ़ की समस्या जुड़ी हुई है। इस स्थायी समस्या का हल ढूंढने के लिए कोई योजना नहीं है। इसके अलावा सोम कामला अम्बा ट्राइबल ब्लाक है, वहां बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आज वह बांध पूरा हो गया है सब कुछ तैयार हो गया है परन्तु अभी तक नहरें बनकर तैयार नहीं हुई हैं, नहरें कम्पलीट नहीं हुई हैं। ठेकेदार हड़ताल पर चले गये हैं जिससे काम बन्द पड़ा है, इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं ? सभापति महोदया, उसके जिम्मेदार एडीशनल इंजीनियर बी० सी० जैन हैं। ठेकेदारों के टेण्डर पहले खोले गये थे बाद में उनको रुकवा दिया गया जिससे ठेकेदार हड़ताल पर चले गये हैं और काम अधूरा

(श्री मेघराज तावड़)

पड़ा हुआ है। सभापति महोदया, यह काम 1981 में हो जाना चाहिए था वह 85 तक पूरा होने वाला है।

सभापति महोदया, कोई नोट नहीं कर रहा है। आप देखें सब बैठे बैठे बातें कर रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं नोट कर रहा हूं।

श्री मेघराज तावड़ : सब मजाक हो रहा है। यह कह दें कि जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वह कोई नहीं बोलें और सत्ता पक्ष वाले ही अपनी बातें कह लें।

श्री सभापति : जो नोट करने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी वह समझें।

आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।

श्री मेघराज तावड़ : कोई भी तो नहीं कर रहा है।

श्री सभापति : आपको क्या पता, दिमाग में नोट कर रहे हों तो ?

श्री मेघराज तावड़ : जो एडीशनल चीफ इंजीनियर उदयपुर डिवीजन पर हैं उन को तत्काल हटाया जाय। यह ऐसे आदमी हैं जो काफी भ्रष्ट हैं। उन्होंने लाखों रुपयों का नुकसान सरकार को पहुंचाया है जिसका कि मेरे पास प्रमाण है। सभापति महोदया, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना की बात आयी है। अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने गरीब लोगों के लिये, छोटे किसानों के लिये, खेतिहर मजदूरों के लिये कोई कहीं दिशा निर्देश नहीं दिया है, कोई बात इंगित नहीं की है। कभी 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं और कभी इधर बैठने वालों की तरफ से अन्त्योदय की बात कही जाती है, इससे क्या होगा ? एकीकृत ग्रामीण विकास योजना से गरीबों का भला होने वाला नहीं है। एक तरफ हमारी 56 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा के नीचे है। सभापति महोदया, दूसरी तरफ 6 परिवार एक पंचायत से चयनित करते हैं इस तरह से आप कितने सालों में गरीबी मिटाने की बात करते हैं ? केवल धोखा देना चाहते हैं। एक तरफ मोरारजी आये थे तो मोरारजी भाई कहते थे कि 10 साल में गरीबी मिट जायेगी, गरीबी मिटा दूंगा। वह खुद ढाई साल में चले गये और चुनावी वायदे करने वाली यह कांग्रेसी सरकार आयी है। जनता पार्टी के अन्त्योदय कार्यक्रम की तरह से एकीकृत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत परिवारों का चयन कर, उसकी अनुपालना या उसकी नकल ही कांग्रेस पार्टी कर रही है। यह दो सांप नाथ और नाग नाथ दोनों एक ही हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है जनता उनके धोखों में आ रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, अभी तो मुझे थोडा-सा और बोलने दीजिये।

मैं जंगल के बारे में दो एक महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं।

(श्री मेघराज तावड़)

जंगल के बारे में कह रहा हूं क्योंकि मैं जंगल की तरफ से, पहाड़ की तरफ से आता हूं, पहाड़ में रहता हूं। जंगल काटने की और वृक्षारोपण की बात आप करते हैं। आपके खुद के कर्मचारी ही जंगल काट कर बचते हैं। ट्रक के ट्रक गुजरात जाते हैं। वृक्षारोपण में लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं लेकिन कितने पौधे जिन्दा हैं? और तो और आपके पढ़े लिखे लोगों, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ने चन्दन के पचास पेड़ तथा आम के हरे भरे पेड़ काटे। उनको कोई काट नहीं सकता है अगर कोई काटेगा तो उस पर केस किया जा सकता है। अगर कोई काटना ही चाहता है तो उसके लिये इजाजत लेनी पड़ती है लेकिन उदयपुर में चन्दन के पेड़ किस तरह से काटे गये हैं? वह भी बहुत बड़ा अधिकारी था जिसने पेड़ कटवाये हैं। उसका क्या हुआ? उसके बारे में सरकार ने क्या एक्शन लिया है? सरकार को एक्शन लेना चाहिए।

सभापति महोदया, सहकारिता के बारे में आज एक बात कहना चाहता हूं। यह सहकारिता फेल क्यों हुई? सहकारिता में जो कर्जा दिया गया वह सारा का सारा सूदखोर ले गये और गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला। लोगों के फर्जी अंगूठे पांव के, हाथ के लगा कर उन गरीबों के नाम से कर्जा उठाया। सभापति महोदया, सहकारिता में जो घोटाले हैं उनकी गत वर्ष हमने जांच करवायी थी। गोगुन्दा तहसील की सहकारी समिति में 1,50,000 रुपये का घोटाला पाया गया। फर्जी रसीदें थीं, उसके बावजूद याद रहने वाले तत्कालीन सहकारिता मन्त्री हनुमान प्रसाद जी प्रभाकर ने वसूलियों को स्टे किया। मैं सरकार पर आरोप लगाकर कहना चाहता हूं, रजिस्ट्रार ने आदेश दिये कि जिसने घोटाला किया उनसे पैसे की वसूली की जाय, लेकिन उन्होंने उन घोटाला करने वालों को और भ्रष्ट लोगों को बचाने की कार्यवाही की। मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। आज × × × गरीबों से वसूली की जा रही है, ऐसी वसूली रोकी जाय। पैसे वालों से वसूली नहीं की जा रही है वह की जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, एक मिनट।

जहां तक बिजली संकट की बात है, मैं पूछना चाहूंगा यह बिजली संकट क्यों है? राजस्थान में कोटा ताप बिजली घर और अणु बिजली घर क्यों खराब हो रहे हैं? उनमें सी०आई०ए० के लोग बैठे हैं, मैं साफ तौर से आरोप लगाता हूं। पहले भी, आपको मालूम होगा, अखबारों में भी छपा था वहां सी० आई० ए० के लोग काम करते हैं। सरकार इसकी जांच करे और इसकी

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री मेघराज तावड़)

व्यवस्था सुधारने के लिये पूरे प्रयत्न करे तब जाकर बिजली संकट दूर हो सकता है। आज बिजली के अभाव में ब्यावर और किशनगढ़ के छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में 10 हजार मजदूर गांव छोड़कर बाहर जा रहे हैं। छोटे छोटे कुटीर उद्योग बंद हो रहे हैं और दूसरी तरफ अकाल की स्थिति है। इस अकाल की स्थिति में न तो सरकार काम खोल पा रही है और जा धंधे हैं वह भी बंद हो रहे हैं। इस ओर पूरी तरह से ध्यान रखा जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कुछ तो रिजर्व रखिये।

श्री मेघराज तावड़ : मैं चिकित्सा के मामले में कहना चाहता हूं। मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं, वह यह है कि आप चिकित्सा की बात करते हैं, गांव गांव में चिकित्सा सुविधा दिलाने की बात करते हैं। हमारे पहाड़ी इलाके के बारे में मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की गोगुन्दा तहसील में, उदयपुर और डूंगरपुर की बात नहीं करता हूं मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं, गत दो साल से बराबर वहां के लोग हॉस्पिटल की मांग करते आये हैं लेकिन किसी ने नहीं सुना। वह आदिवासी इलाका है, प्रसव की अवस्था में कई महिलायें मौत के मुंह में चली जाती हैं। आदिवासियों के नाम पर करोड़ों का बजट है लेकिन उन इलाकों में चिकित्सा की सुविधा नहीं है। अगर सुविधा है तो ठाठ नहीं है। न पूरी व्यवस्था हैं, न दवाई है। स्वास्थ्य मन्त्री जी इस ओर पूरा ध्यान दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं बार बार निवेदन कर रही हूं आपसे।

श्री मेघराज तावड़ : स्कूल के बारे में और कहना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कहने देंगी। हमारे इलाके में, खास तौर से गोगुन्दा तहसील और खोड़ला, जो आदिवासी इलाका है, को हमेशा नेग्लेक्ट किया गया है। नाम आदिवासियों का है लेकिन आदिवासी इलाके को नेग्लेक्ट कर रखा है। वहां कभी भी भवन बनाने के लिए शिक्षा के नाम पर पैसा नहीं दिया है। मुझे दुख है कि शिक्षा मंत्री यहां पर नहीं है, वहां का दौरा करें। वहां बालिकाओं का सैकण्डरी स्कूल है उसका बहुत पुराना भवन राजा महाराजाओं या ठाकुरों के जमाने का है जिसे बल्ली लगाकर खड़ा कर रखा है। कभी वहां बल्ली गिर गयी तो पढ़ने वाली पूरी क्लास खतम हो सकती है, ऐसी हालत है। ऐसी दयनीय स्थिति है। चाहे वह विरोधी सीट है, मैं चाहूंगा कि भेदभाव न किया जाय। बजट में पूरा पैसा दिया जाय।

वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था की जाये। आज साहिरा भानपुर में पीने के लिए पानी नहीं है। आप मेरी तरफ देख रही हैं मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री सभापति : 25 मिनट हो गये । मैं इजाजत नहीं दूंगी ।

श्री रामधन ।

श्री मेघराज तावड़ : अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं । राज्यपाल महोदय का अभिभाषण दिशा विहीन है । छोटे किसानों के लिए खेतिहर मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए कहीं भी कोई भी निर्देश नहीं है, कोई भी योजना नहीं है । राजस्थान का घाटा कैसे पूरा होगा इस बाबत कुछ भी नहीं है । यह केवल अधिकारियों का बनाया हुआ एक तारीफ का पुलिन्दा है ।इसलिये इस धन्यवाद प्रस्ताव को नामंजूर किया जाय । यह खाली एक ढकोसला मात्र है । धन्यवाद ।

श्री रामधन (लाडनूं) : माननीय सभापति महोदया, बीस फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस हाउस में अभिभाषण दिया है, उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री हीरालाल जी देवपुरा ने रखा, उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए इस विषय में दो शब्द कहना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदया, यहां राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद हो रहा है और विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने काफी आरोप प्रत्यारोप लगाये हैं । मैं, सभापति महोदया, आपकी मार्फत यह बात कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और तत्कालीन सरकार ने अभी बीस संकल्पों के तहत ग्राम पंचायतों और नगर पालिका के चुनाव कराये । वह पहला संकल्प था जिसे कहने की जरूरत नहीं । राजस्थान में ग्राम पंचायत से लेकर नगर पालिकाओं तक के चुनाव बड़े शांति पूर्ण ढंग से कराये, इसलिए यह सरकार बधाई की पात्र है क्योंकि यह साहसिक कार्य था । इस सरकार ने पंचायती राज को 13-14 साल बाद पुनर्जीवित करके एक उदाहरण पेश किया है । अकाल की हालत में, बाढ़ की हालत में और जो चुनौतियां हमारी सरकार के सामने रहीं उनके बावजूद जिस तरीके से हमारी सरकार ने यह कार्य किया है वह सराहनीय है और उसी का लेखा जोखा इस अभिभाषण में दिया गया है । वैसे चाहे पहाड़िया जी मुख्य मंत्री रहें, चाहे शिवचरणजी रहें, सरकार कांग्रेस की नीतियों के आधार पर चलती है । यह कोई गठबन्धन वाली या 5-7 लोगों की पार्टियों वाली सरकार नहीं है । सदन में अभी विरोधी दल के माननीय नेता बोल रहे थे कि हमारी सरकार बदलती है तो ज्यादा आदमियों को मौका मिलता है, ज्यादा मंत्री बनते हैं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है ? यह बात नहीं है कि मुख्य मंत्री बदल जाते हैं तो सरकार उधर को आ जायेगी । मात्र विरोध करने से काम नहीं होता काम करने वाले जानते हैं काम कैसे होता है । विरोधी दल के माननीय नेता यहां पर उपस्थित नहीं हैं, मुझे वह बात

(श्री रामघन)

याद आ रही है जनता शासन ने जो काम करवाये हैं।

मैं वह बात कह रहा हूं, जब वह मुख्य मंत्री बने थे उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि 4-5 साल में राजस्थान को पीने का पानी सुलभ करायेंगे। मैं यह सोच रहा था कि वार्ड से लेकर दिल्ली तक हार गये अब क्या होगा ? उस दिन घोषणा सुनी। मैंने सोचा कम से कम पीने का पानी सुलभ होगा, पार्टी हार गयी कोई बात नही। यहां तो आरोप विरोधी ही लगाते हैं, मैं आगाह करता हूं कि हमारी तहसील में ढाई साल के शासन में पाइप नहीं लगे, टूंटियां नहीं लगीं। सरकार के पास जैसा बजट होता है, साधन होते हैं, समय होता है उस हिसाब से काम कराती है। मुझे इन सब बातों में नहीं पड़ना है क्योंकि सजग सरकार है, जगाने की जरूरत नहीं है। हमने तो बीस संकल्प भी बना लिये हैं। इस विषय में क्या बताऊ ?

मेरे इलाके में न प्राइमरी स्कूल खुले हैं, न मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत किया गया है इसलिए धन्यवाद के पात्र नहीं हैं। दूसरा ही संकल्प हो रहा है। लेकिन एक बात मैं खुले दिल से कहना चाहता हूं कि सरकार ने कार्य किये हैं उसका उदाहरण इस सदन के सामने भी है और राजस्थान सरकार के सामने भी है, राजस्थान की गवर्नमेन्ट के सामने है और राजस्थान की जनता के सामने भी है। अगर सरकार काम नहीं करती तो 350 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट कहां से आता इसलिए काम तो बहुत किया है लेकिन कमजोरियां रही हैं, जो काम होता है उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं होती है। जैसा मैं आपसे निवेदन करूं जिला अधिकारी काम करते हैं, नई योजनायें जो स्वीकृत की गईं या जो आदेश मिलते हैं उस बीच में क्या होता है ? मैं आपकी मार्फत सरकार से कहना चाहता हूं कि यह अधिकारी मुझे कहने में संकोच नहीं है, जनता शासन के ढाई सालों में बिना लगाम के घोड़े की तरह रहे हैं। जब तक इनकी आदत नहीं बदलेगी तब तक हम अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से लागू नहीं कर सकते। मेरे इलाके में कम से कम 13 गांव ऐसे हैं जो आज पांच-छः साल पहले से नल योजना से जुड़े हुए हैं लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंचा। यह सरकार की कमजोरी रही है। नल योजना से तो जोड दिया लेकिन लाइन बिछाने या ठेकेदारों को ठेका देने, एक लाख या 50 हजार का काम हो जाय और फिर अगले गांवों को पानी पहुंचे, किसकी जिम्मेदारी आती है ? सरकार जो पैसा देती है उसका उपयोग ठीक तरह से जिन अधिकारियों से नहीं किया जाय उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। इसका एक उदाहरण दूं। सभापति महोदया, अभी दो फरवरी को हमारे यहां मुख्य मन्त्रीजी ने पिछड़े को पहले कार्यक्रम के तहत ऋण दिया।

(श्री रामधन)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

करीब चार सौ आदमियों को लिस्ट दी जिसमें 30-35 को अपने हाथ से ऋण दिया लेकिन बाकी लोगों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री लोन का वितरण करके आये है। वहां पर प्रभारी मन्त्री जी ने कहा था मैं देखभाल करूंगा, लेकिन 18 तारीख को जानकारी मिली कि ऋण नहीं मिला। बैंक के कर्मचारी और दूसरे अधिकारी घोटाले कर रहे हैं उन पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया तो राज के पैसे का सदुपयोग नहीं होगा।

सभापति महोदया, इतने मुख्य मंत्री हुए लेकिन मैं इस सरकार को और खास तौर से मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान का ऐसा कोई जिला बाकी नहीं होगा जहां जाकर व्यक्तिगत तौर पर समस्या नहीं सुनी हो। इस सरकार के मन्त्री जहां भी जाते हैं ऐसा अनुभव किया गया है कि व्यक्तिगत तौर पर लोगों की समस्यायें सुनकर मौके पर ही उसका समाधान करते हैं। हमारी सरकार की कमजोरियां नजर आती हैं तो वह अधिकारियों की वजह से हैं जैसा कि अकाल राहत मन्त्री जी ने बताया कि जिलाधीशों पर छोड़ दिया गया है और वह मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। इसलिए मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि इन जिला अधिकारियों के ऊपर नजर रखें और जो सूचना मिले उस पर सतर्कता से विचार करें तो कोई वजह नहीं है कि हमारी सरकार की कोई त्रुटि हो। हमारी सरकार ठीक तरह से मजबूत ढंग से अच्छे तरीके से काम कर रही है,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

चुनौतियों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रही है और राजस्थान के उज्जवल भविष्य का सपना साकार होगा, ऐसी आशा करता हूं।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं 20 फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उस पर देवपुरा जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री त्रिलोक सिंह।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : सभापति महोदया, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है मैं उसकी सख्त मुखालफत करता हूं। यहां तक कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को एक ××× समझता हूं।

इससे बड़ा मखौल कोई राजस्थान की जनता के साथ नहीं हो सकता। ऐसी हुकूमत जो आज राजस्थान की छाती पर 34 साल से बैठी है राजस्थान के अवाम को गुमराह कर रही है। अगर भगतसिंह

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री त्रिलोकसिंह)

को यह इल्म होता कि 35 साल के बाद ऐसी ××× हुकूमत होगी तो वह इस को खतम कर देता, इससे बड़े अफसोस की बात क्या हो सकती है ।

(व्यवधान)

यह हंसने की बात नहीं है । रोने की बात है ! राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता भूखों मर रही है और आप यहां जश्न मना रहे हैं ××× पेश करके यह कहते हैं और कागजों में खुशहाली दिखाते हैं । और तो और, राजस्थान की जो अनाज की मण्डी है, जो खुशहाली का इलाका गंगानगर है, वह भी चन्द सालों से बरबाद हो गया है । जो पानी गंगानगर के किसानों को मिलता था वह नहीं मिल रहा है । गंगानगर का किसान तबाह हो गया, यह हकीकत है । यह मेरी जुबान नहीं, कांग्रेसी मैम्बर के बकौल है । उन्होंने इस बात को कबूल किया तसलीम किया कि आज राजस्थान की हालत खराब है । वह डरते हैं हुकूमत से उसके बावजूद भी कहा ।

यह पंचायत चुनाव का ढकोसला क्या हुआ ? अकाल के बारे में क्या हुआ ? जैसलमेर और बाड़मेर के लोगों ने कहा कांग्रेसी मैम्बर ने कहा हम मर जाय तो हमारी कब्र पर पानी देना । हकीकत भी ऐसी है कि आज लुहारू को छोड़ते हैं तो पाकिस्थान तक भयंकर अकाल है, कहीं भी किसान के पास खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है । हरियाणा को गंगा जमुना का पानी मिल सकता है तो राजस्थान के समतल इलाके चूरू लुहारू को यह सरकारी पानी क्यों नहीं दे सकती ? चूरू झुंझनू, सीकर, नागौर और जोधपुर के समतल इलाके, जहां 50 लाख किसानों की आबादी हैं, में यह सरकार 35 साल में पानी नहीं दे सकती तो, मैं समझता हूं, उन इलाकों को पानी तब मिलेगा जब कांग्रेसी हुकूमत की कब्र खुद जायेगी । ऐसी ××× हुकूमत दुनिया में नहीं देखी, न राजाओं की, न जागीरदारों की, उन ××× जागीरदारों की हुकूमत इस हुकूमत से अच्छी थी । आज लोगों के साथ अकाल के नाम पर ढोंग रचा जाता है । अकाल राहत मन्त्री जी अभी कह रहे थे कि 40 करोड़ रुपया इस मद में आया । वह कहां गया ? मैं दावे से कहता हूं मेरे जिले में सबसे भयंकर अकाल है एक आदमी को काम नहीं दिया गया है जहां से जीतकर मैं आया हूं । मेरी तहसील फतेहपुर में सौ पर्सेन्ट अकाल है कलेक्टर ने माना है, उस इलाके में एक आदमी को काम नहीं दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं, चूरू में नहीं दिया गया, नागौर में नहीं दिया गया ? खाली, भाई लोग, कांग्रेस वाले इस डर से, भय से नहीं कहते कि आगे टिकट नहीं देंगे । अकाल की हालत ऐसी है कि अकाल से लोग त्रस्त हैं व्यापार ठप्प हो गया है और किसान तबाही का शिकार हो गया है ।

××× अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री त्रिलोकसिंह)

यह खाली धन्यवाद से पेट नहीं भरेगा उसके बच्चे रोटी के लिये तरस रहे हैं। यही हाल पानी का है। लुहारू से लेकर पाकिस्तान तक 50 लाख आदमी ऐसा पानी पीते हैं जो जानवर भी नहीं पी सकते। यह कांग्रेसी हुकूमत पर सबसे बड़ा कलंक है। अरे, कांग्रेस ने क्या किया ? जागीरदारों से, नवाबों से, × × × समझौता किया और जो ईमानदार कार्यकर्ता थे उनको डराया गया, धमकाया गया। उन्हें डरा धमका कर × × × और आज आप किसानों को धोखा देते हैं। आपने उनकी आवाज दबाई है।

आज बिजली बोर्ड क्या कर रहा है ? बिजली बोर्ड में क्या हो रहा है ? रोज घोषणायें की जाती हैं। कल-परसों भी जब मैं किसी मिनिस्टर के यहां गया था तो उसी इलाके के चार हजार किसान शाम के 8 बजे सड़क पर चक्कर काट रहे थे। मैंने पूछा था तो बोले सुबह 6 बजे आये हैं शाम के 8 बजे तक किसी ने सुनवाई नहीं की। तभी परसराम जी मिल गये और कहने लगे कि मैं कैसे बिजली दूं, बिजली तो है ही नहीं। बिजली तो टाटा, बिड़ला को भेज दी जाती है और किसान को धोखा देते हैं। एक तरफ किसान बिजली की वजह से परेशान है, बिजली बोर्ड से परेशान है। बिजली बोर्ड के × × × किसान को को लूटकर खा गये। आज बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का जैसा व्यवहार किसान के साथ है वैसा किसी जमाने में डाकू और जागीरदारों का भी नहीं था। 10-20 रुपये के बकाया के लिये उनके कनेक्शन काट देते हैं। यह हाल है बिजली बोर्ड का। आज उसके लिये कोई सुनवाई नहीं करता। अब जब किसान की फसल पकने को है तब जो किसान, जो दबा जा रहा है, आपको रोटी देता है, जो किसान देश को खिलाता है, इन निठल्ले आदमियों को खिलाता है, इन सरकारी भ्रष्ट आदमियों को रोटी देता है उस किसान की फसल बरबाद हो जायेगी तो देश का क्या होगा, किसान का क्या होगा ? यह कभी सरकार ने गौर किया ? यह गौर कहां करती है। बिजली का स्रोत, पानी का स्रोत जो रावी व्यास का था, नाथपा झाकड़ी का था, या चम्बल का था उनको तो बेच कर खा गये। यह राजस्थान सरकार के सबसे बड़े ऐसे लोग हैं जो राजस्थान को दुख देते है और हमसे धन्यवाद चाहते हैं। कैसा धन्यवाद ? किस बात का धन्यवाद ? कहते हैं हमने पंचायतों के चुनाव कराये। तुमने बड़ी मेहरबानी की है ? ध्यान आयेगा जब देश में इन्कलाब आयेगा, देश का किसान इस कटघरे में तुम्हें खड़ा करेगा तब सीधे मुकाबला किया जायेगा और पूछा जायेगा कि तुमने क्या किया ? अरे, राजस्थान का किसान भूखा मर रहा है। दिल्ली के शहजादे को बीकानेर बुलाया गया। कहते हैं पानी नहीं, कहते हैं पैसा नहीं। दिल्ली के शहजादे सलीम को बीकानेर बुला

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

[श्री त्रिलोकसिंह]

कर 20 करोड़ रुपये खर्च किये गये और 3 करोड़ की शराब पिला दी गई। मैं इल्जाम लगाता हूं।

(व्यवधान)

पंचायती चुनाव क्यों हुए उसका एक कांग्रेसी सदस्य ने ब्यौरा पेश किया। एक हरिजन बाड़मेर में सरपंच के पद के लिये खड़ा हुआ उसको जूते की माला पहना कर काला मुंह करके घुमाया गया। मैं पूछना चाहता हूं हरिजनों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को यह आपकी भेंट है। यह आपके कारनामे हैं? जो आवाज उठाता है, तुम्हारा विरोध करता है उसको तुम कतल करवाते हो। आज यदि यू. पी. और बिहार में देखें तो लाखों हरिजनों का, मुसलमानों का कत्लेआम होता है। यह कत्लेआम होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस है, इसकी जिम्मेदार जो उनको कतल करवाती है। कहते हैं कि हरिजन मन्दिर में जा सकता है, लेकिन उसको जमीन नहीं मिलेगी, मकान नहीं मिलेगा। तुम्हारा 20 सूत्री कार्यक्रम यही है कि हरिजन को जमीन नहीं मिलेगी।

(व्यवधान)

यह आवाज सुनने को तैयार नहीं हैं, गरीबों का × × × हरिजन को जमीन नहीं मिलती झोंपड़े के लिये। एक को मिली थी। मैंने कलेक्टर से पूछा उसने गांव का पता दे दिया। मैं वहां जाकर सरपंच से मिला तो उसने बताया कि यहां से तीन मील दूर पर उसे जमीन दी गयी है जिस पर झोंपड़ी नहीं बन सकती। झोंपड़ी की तो बात दूर कब्र भी नहीं बन सकती है।

(व्यवधान)

मेरी आवाज तो बुलन्द है इस सरकार को कहते हुए शर्म नहीं आती। आप पंजाब तक निगाह डाल लीजिये, गरीबों की, आदिवासियों की मां-बहनों की अस्मत लूटी जाती है, उनके घर लूटे जाते हैं। आपकी पुलिस जो लॉ एण्ड आर्डर को अमल में लाने के लिए है वह हरिजनों की मां-बहिनों की अस्मत लूटती है, उनके घर लूटती है। यह नजारा आपके सामने एक नहीं राजस्थान में हजारों ऐसे केस हैं। यह हाल है आपका....

श्री दुलाराम : पॉइन्ट ऑफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर।

श्री दुलाराम : यह लोग हमेशा हरिजनों और आदिवासियों की मां-बहिनों की अस्मत लूटने और घर लूटने की बात करते हैं, किसी ब्राह्मण का नाम क्यों नहीं लेते? कोई घटना हो, कोई बात हो, हमारी ही

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दुलाराम)

अस्मत को लूटा जाता है। अगर कोई आपके पास प्रमाण हैं तब कहें। अगर कोई घटना है, जैसा विपक्ष के माननीय नेता ने कहा है तो आप हमें बतायें लेकिन हमारी इज्जत लूटी जायें, यह हमारे बारे में ××× है।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : माननीय सदस्य मेरी भावना नहीं समझे अगर वह मेरी बात पर गौर करें तो उनकी समझ में आ जायेगा और वह मेरी बात को मानेंगे।

श्री सभापति : आपका समय समाप्त हो चुका है, माननीय सदस्य। आप भाषण समाप्त करें।

श्री त्रिलोक सिंह : नहीं, मुझे पांच मिनट और दो। मैं दरख्वास्त करूंगा। मुझे बोलना है।

यह मैंने झूठ नहीं बताया। यू. पी. में एक गांव में हरिजनों का कत्लेआम हुआ, न जाट मरा, न राजपूत मरा, न ब्राह्मण मरा न बनिया। इसलिये मैं कहता हूं यह गरीब सैक्शन, यह वीकर सैक्शन आफ सोसाइटी, वीकर सैक्शन आफ विलेज के साथ होता है।

श्री दुलाराम : वह नक्सलवादियों ने किया है।

श्री त्रिलोकसिंह : देश के अखबार कहते हैं, कांग्रेस की रिपोर्ट कहती है कि नक्सलवादियों ने नहीं किया है। कांग्रेस की रिपोर्ट कहती है कि जागीरदारों ने किया है। जिन जागीरदारों को आपने बसाया, आपने पाला, जिनसे आपने समझौता किया वही जागीरदार हैं।

एक माननीय सदस्य : बंगाल में क्या हुआ ?

श्री त्रिलोकसिंह : बंगाल में एक भी नहीं मरा। बंगाल में हरिजनों को जमीन दी, बंगाल में हमने बेजमीन को घर दिया और जागीरदारों को मुआवजा दिया। आपकी इंदिरा गांधी बंगाल से मुकाबला करके देखे। चुनाव करा लें। तीन बार चुनाव करा लिये और अब आपको भेज देवें। सबलीडर्स बंगाल में जाकर देख लें बंगाल में क्या किया है।

श्री दुलाराम : हम राजस्थान में आपको अकेला देखते हैं।

एक माननीय सदस्य : बंगाल में भुखमरी फैल रही है।

श्री त्रिलोकसिंह : मेरे भाषण में खलल पैदा हो रहा है। मैं 10–15 मिनट और बोलूंगा।

(4 00 म० प०)

(श्री अहमदबक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री त्रिलोकसिंह)

जब तक ये खलल पैदा करेंगे, मैं भी बन्द नहीं करूंगा ।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, इनको और समय दिया जाय ।

श्री त्रिलोकसिंह : यही हाल प्रदेश की शिक्षा का है । आप गांवों पर निगाह डालें, गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जा सकता और इन × × × के लड़के अमरीका में पढ़ते हैं, इन × × × के लड़के अमरीका में पढ़ते हैं, छोटे × × × का लड़का पब्लिक स्कूल में पढ़ता है पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुलाराम का लड़का स्कूल नहीं जा सकता, पढ़ नहीं सकता किसी भी जगह । यह हालत शिक्षा की है, यह ढोंग है । गरीब के लड़के को स्कूल तक जाने के लिये हालात नहीं हैं । रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है । गरीब का लड़का या तो होटलों में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त किया जाय । आपका टाइम हो गया ।

श्री त्रिलोकसिंह : नहीं, टाइम नहीं हुआ, बीच में इन्होंने खलल डाला, डिस्टर्ब किया । इन्होंने ५ मिनट खराब कर दिये ।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम हो गया ।

श्री त्रिलोकसिंह : यह गलत बात है 5 मिनट बीच में दुलाराम जी ने दखल करके मेरा टाइम खराब किया ।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है, आप बोलते जा रहे हैं । एक बार बैठ जाइये फिर बात करेंगे । दो मिनट आपको और देता हूं ।

श्री त्रिलोकसिंह : यही हालत चिकित्सा की है । यही रोजी रोटी की है । आपकी न्याय व्यवस्था कैसी है, अभी 19 तारीख को देखा । देश के मजदूरों ने × × × हुकूमत के खिलाफ जब हड़ताल की, मेरे सीकर में स्कूल व कालेजों के विद्यार्थियों ने भी हड़ताल की, विद्यार्थियों को पकड़कर जेल में धर दिया गया । दुबारा हड़ताल की 23 तारीख को, पुलिस ने बराबर लाठी चार्ज किया, खाली लाठी चार्ज ही नहीं किया रास्ते जाती औरतों को भी मारा, डाक्टरों के घरों में घुस कर, अस्पताल में घुस कर मरीजों और डाक्टरों को मारा । इसका जवाब दें, मिनिस्टर महोदय, एक नहीं सैंकड़ों लोगों को मारा । डा. के. वी. शर्मा के घर में घुस कर उसके टेक्निशियन अरुण को मारा । आप इरादा करेंगे, आप सोचेंगे कि क्या यह न्याय व्यवस्था ठीक है ? यह हालत है और क्या है ? सुन लीजिये । आप कहते हैं समाजवाद का राज है । यहां एक सिपाही सुबह से शाम तक कमर बांधकर खड़ा रहता है उसको दैनिक भत्ता 7 रुपये मिलता है और इन तमाम

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री त्रिलोकसिंह)

सदस्यों और मिनिस्टरों को 51 रुपये मिलते हैं यह समाजवाद का नक्शा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरा नाम मत लीजिये।

श्री त्रिलोकसिंह : यह गरीब पुलिस वालों की हालत है। सब कहते हैं यह समाजवाद है, इससे बड़ा समाजवाद नहीं हो सकता।

श्री दुलाराम : बंगाल में 100) रुपये दे रहे हैं।

श्री त्रिलोकसिंह : आप इनको रोको।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपका टाइम समाप्त हो गया, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोकसिंह : दो मिनट और।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, टाइम हो गया।

श्री त्रिलोकसिंह : दो मिनट। आप सबको देते हैं, मुझे नहीं देंगे? कुल लुब्बो-लुआब यह है कि यह हुकूमत गरीब की दुश्मन है और सरमायेदारों की × × × है। टाटा, बिड़ला की ××× है और मजदूर किसान की विरोधी है। नहीं तो क्या वजह है जब लुहारू में पानी आ सकता है तो राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर का किसान भूखा प्यासा मर रहा है? यह कांग्रेस की सरकार जब तक देश में रहेगी तब तक देश के लोग कभी भी खुशहाल नहीं हो सकते। यह इल्जाम है इन पर। 34 साल के इतिहास में इससे बुरी सरकार कभी आज तक नहीं आई। देश के लोग तब मुक्ति पायेंगे जब इस देश से कांग्रेस की × × × खतम होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामधन।

(अनुपस्थित)

श्री बाबूराम।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20 तारीख को सदन में राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो योजनायें गत साल चलाई और आगे जो कार्यवाहियां करनी हैं उस बारे में पूरा विवरण इस अभिभाषण में आया है। अभिभाषण में कहा गया है शिक्षा के बारे में, आदर्श शिक्षा के बारे में, सिंचाई के बारे में बड़ी छोटी योजनाओं के बारे में और पंचायतों को सड़क से जोड़ने के बारे में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, उससे ज्यादा उपलब्धि हुई है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नाथूराम)

अभिभाषण दिया गया है वह बहुत अच्छा है। इस अभिभाषण में यह भी है हमारे राज्य के दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले जो किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनके बारे में भी काफी प्रयास किये हैं, किये जा रहे हैं। जहां कहीं भी जिस प्रकार की गलतियां रही है, हमारे स्थानीय नेता या अफसरों के कारण जहां भूलें हुई हैं उनमें सुधार करने की जरूरत है। उसके बदले राज्य सरकार ने दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हुए अधिकारियों के जिम्मे के जो क्षेत्र हैं, उनकी जिम्मेदारियां आंकी हैं। विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने यह बताया कि हमने अल्पसंख्यक और हरिजनों के साथ पंचायत चुनाव में न्याय नहीं किया, यह बिलकुल गलत है। अगर परिणामों को ध्यान से देखा जाय, मै दूसरों का नहीं मगर उदयपुर डिवीजन के बारे में बताना चाहता हूं, डूंगरपुर में 5 में से 2 प्रधान आदिवासी आये। इसी तरह बांसवाड़ा में जिला प्रमुख आदिवासी आया। डूंगरपुर में नगरपालिका का अध्यक्ष अल्पसंख्यकों में से आया है।

इसी तरह अल्पसंख्यकों में से उपाध्यक्ष जी भी आये हैं। सागवाड़ा नगरपालिका में भी अल्पसंख्यक वोहरा जाति का एक आदमी आया है। यह बिलकुल सत्य है। यह केवल टीका टिप्पणी करने के कारण ही इस प्रकार की आलोचनायें की जाती हैं। यह इनकी आदतों में शुमार है। ढाई साल के इनके कार्यकाल में इन्होंने दिल्ली में समाधि पर यह नियम लिया था कि हम भ्रष्टाचार और गरीबी को दूर करेंगे। सौगन्ध खाई थी। उस सौगन्ध के बारे में भी इन्होंने कुछ दिन अपना केवल आदर्श बनाये रखा लेकिन क्षेत्र में जाकर देखें। मेरे गांव में एक धूलेश्वर करके आदिवासी काश्तकार है उसको कर्ज दिया गया था, 30 साल के दरमियान में कभी कुर्की नहीं होने दी इन्होंने कुर्की की और मशीनों को बिकवाया, उसके कुएं पर फलदार पेड लगे हुए थे वह बरबाद हो गए।

भरतपुर में लोक सेवा दल का कार्यक्रम हुआ था उनके सामने मैंने बताया कि इस तरह की जो सरकार है वह हमारे लिए ठीक नहीं है। उन्होंने एकदम से कह दिया कि यह सरकार के विरोध में हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय योजना, जो सर्वोदय के हिसाब से कुछ शब्दों को अन्त्योदय में परिवर्तन करके बनायी थी, में काश्तकार जरूर चुन लिए गए लेकिन वह सक्षम हैं या नहीं उनको मशीन की आवश्यकता है या नहीं, वाटर पम्प की आवश्यकता है या नहीं यह नहीं देखा। जितने भी वाटर पम्प दिये हैं वह सैकेण्ड हैंड हैं और लोगों की उससे तबाही हो गयी है। उन्हें तीन-तीन हजार, पांच-पांच हजार रुपये कर्ज के रूप में दिये गये, वह सरकार का पैसा दिया गया था, बिना सोचे समझे दिया गया था, बिना योजना से दिया गया

(श्री नाथूराम)

था इसलिए आज किसान तबाह हैं। इसलिए तबाह हैं कि योजनाबद्ध कार्य नहीं हुए। कर्ज तो मिल गया लेकिन कुएं नहीं है। अगर वाटर पम्प ले तो कहां चलायेगा? क्या धूल में चलायेगा? इसी तरह जिस किसान के पास जमीन नहीं है उसको कुए का कर्ज 5 हजार रुपये का दे दिया तो वह क्या करे? मेरे कहने का मतलब यह है आफिसर्स उस समय बेलगाम हो गए थे।

इन्होंने पंचायतों के चुनाव करा कर हजारों सरपंचों को प्रशासन के शिकंजे में कस दिया और दिशाहीन हो गए। जब इन्हें पता लग गया कि सरपंचों के हमने चुनाव करा लिए और आगे हम सफल नहीं होंगे तो इन्होंने सारे कार्यक्रम बिलकुल बन्द कर दिये।

इसी तरह कांग्रेस सरकार ने जो सोना इकट्ठा किया था इन्होंने अपने राज में सोचा कि यह तो बांटो। यह तो अपने पास धन आ गया है। इसी तरह अनाज किस समय दिया जाता है? भुखमरी होती है, अकाल होता है उस समय अनाज दिया जाता है लेकिन इन्होंने सारा काम अनाज के बेसेज पर करवाया और वाहवाही ले ली। हमारे पास भण्डार भरा हुआ था। यह उस पर कूदते हैं। मगर इन्होंने क्या किया, इनके ढाई साल के कार्यकाल में आरक्षण के खिलाफ कार्यवाही की गयी और यहां तक कि आन्दोलन शुरू कर दिये। हमारे उदयपुर और डूंगरपुर तक आन्दोलन आ गया। गुजरात तक आ गया। बड़ी मुश्किल से उसको काबू में किया गया।

इसके साथ ही हमारे साथी माननीय सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी के कहते हैं कि इतने झगड़े हो गए, इतने अत्याचार हो गए। यह तो इनके माध्यम से हुए हैं। मैंने अच्छी तरह देखा है। हमारे यहां अशांति फैल गयी थानेदार को ठोकने लग गए, एस.पी. को ठोकने लग गए तो फिर वह क्या करें। आखिर यह अशांति फैलाने की प्रक्रिया ही अपनाई है।

मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि हमारी जो योजनायें हैं वह बहुत ही अच्छी हैं मगर उनमें जहां-जहां भी खामियां हैं उन खामियों को ध्यानपूर्वक दूर किया जाय तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस के जो सिद्धांत हैं उन पर बड़ी आसानी से हम चल सकेंगे।

डूंगरपुर जिले में जो परिस्थितियां हैं, जो कार्य चल रहे हैं उनके बारे में मैं थोड़े सुझाव आपके सामने पेश करूंगा। डूंगरपुर में कई ऐसे नदी नाले हैं जहां दो-दो, तीन-तीन साल तक पानी नहीं बरसता है फिर भी उनमें पानी रहता है। उस पानी का सही उपयोग करने के लिए जहां ऐसे नाले हैं उन पर सरकार की तरफ से बिजली पहुंचाई जाय और जो काश्तकार हैं, उन काश्तकारों को बिजली दी जाय, और सरकार की तरफ से उनको सहयोग दिया जाय। जहां-जहां भी इस प्रकार की सम-

(श्री नाथूराम)

स्यायें हैं, जहां नहरें नहीं पहुंच सकती हैं, नदी नाले भी नहीं हैं उस जगह ट्यूबवेल की योजना मन्जूर कराई जाय जिससे किसान अपनी उन्नति कर सकें।

चार-पांच साल पहले जनता पार्टी के समय में एक राष्ट्रीय योजना डूंगरपुर में चलाई गई थी कुओं का ब्लास्टिंग कराने के लिए। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस साल क्योंकि सूखा है और पानी कम है, अतः उस योजना के तहत कुओं में ब्लास्टिंग कराया जाय। चाहे चार-पांच और छह घरों के एक कुनबे में एक ही कुआं आ जाय मगर सामूहिक रूप से उस कुएं में ब्लास्टिंग कराया जाय जिससे आठ दस घरों के मजदूर भी उसी कुएं पर लग जायें और उनको मजदूरी भी जाय और सदा के लिए उन्हें पानी की उपलब्धि हो जाय। मान्यवर, पानी अगर मिल जाता है तो मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि हमारे वहां का किसान आराम से बड़ी सुविधापूर्वक जिन्दगी बिता सकता है। कई जगह जहां पानी की सुविधा हो गयी है कुओं के द्वारा, रहट के द्वारा या बिजली देकर या नहरों के द्वारा वहां किसान अभी ठीक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे यहां जो जंगलों में काम चलाये जा रहे हैं उसमें भी कुछ सुधारें करने की जरूरत है। मजदूर लगाये जायं वह अधिक संख्या में जरूर लगाये जायं लेकिन समदृष्टि से जिस पंचायत में काम नहीं हुआ है उसमें काम चालू करके हर पंचायत को हर क्षेत्र को ध्यानपूर्वक और नक्शे में देखकर काम करवाया जाय तो हमारी भुखमरी की समस्या दूर हो सकती है।

इसके साथ ही हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा डिवीजन में एक जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना चल रही है। उस योजना में थोड़ा दुरुपयोग जरूर हो रहा है। उसके बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उसमें जो लोग लगे हुए हैं उनके स्थान पर कम से कम आदिवासी की स्थिति को जानने वाले आदिवासी एरिया के वासी हों, ऐसे लोगों को लगाया जाय। मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है लेकिन मैंने जानकारी प्राप्त की तो मालूम हुआ है कि वहां आदिवासी लोग बहुत ही कम हैं। चार या पांच ही लगे हुए हैं। आदिवासी योजना के लिए आदिवासी लोगों को ही लगाया जाना चाहिए। आदिवासी लोग क्या पढ़े लिखे नहीं हैं? पढ़े लिखे कई हैं। लेकिन उनका चयन करके अच्छी तरह से देखकर उस योजना में लगाया जाय तो मेरा मानना है कि अच्छी तरह से विकास हो सकता है।

इसके साथ ही हमारी राजस्थान सरकार ने या केन्द्रीय सरकार ने जो आरक्षण निर्धारित कर रखा है उसमें भी, श्रीमन्,

(श्री नाथूराम)

सुधार करने की जरूरत है। जो आज आरक्षण की संख्या है वह नहीं के बराबर है। हमारे वहां 80-85 प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं लेकिन वहां आरक्षण की संख्या कम है 15 या 12 प्रतिशत है। इससे कुछ नहीं होगा। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि ज्यादा नहीं तो जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाय। जब तक उन लोगों, जो आज बी०ए०, मैट्रिक पास और एम०ए० हैं, कई ऐसे हैं जो बेकार भटकते हैं, को लगाने के लिए आरक्षण नहीं बढ़ाया जायेगा तब तक उनकी समस्या हल नहीं हो सकती है। छात्रवृत्ति के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन मालूम हुआ है कि छात्रवृत्ति कम कर दी गयी है। यह गलत है। उस छात्रवृत्ति को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि हर जगह हम वेतन बढ़ाते हैं और कई-कई समस्यायें आगे ही बढ़ती जाती हैं। तो छात्रवृत्ति बढ़ाने की आज आवश्यकता है, घटाने की आवश्यकता नहीं है। बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है वह फर्स्ट क्लास के ही विद्यार्थी को दिया जाता है। श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि सैकेण्ड क्लास और थर्ड क्लास वालों को भी कुछ मात्रा में दें तो हमारा काम हो सकता है।

हमारे यहां जंगल की समस्यायें हैं। जंगलात की जो लकड़ी है उस लकड़ी को व्यापार मण्डल द्वारा दिया जाता है। इससे गरीब किसानों को लकड़ी नहीं मिलती है। जो रुपया, 8 आना या 2 रुपया में पालड़ा मिलता था आज 17 रुपये में व्यापार मण्डल से मिलता है। उस पर रोक लगानी चाहिए और जंगलात विभाग द्वारा उचित दाम पर उन्हें लकड़ी मिलनी चाहिए। इसके साथ ही जंगलात की जमीन के पास, वन विभाग की भूमि के पास किसानों की जमीन है घर बने हुए हैं, खेती-बाडी की गई है और कुएं खोदे गये हैं। उन्होंने उन जमीनों को बाउण्ड्री में ले लिया है परन्तु उसमें कोई भी पेड़ नहीं है, लकड़ी नहीं है फिर भी जंगलात विभाग वाले उन लोगों को परेशान करते हैं। राज्य सरकार को हमारी इस समस्या को दूर करना चाहिये क्योंकि यहां इतने वर्षों से काम चल रहा और अभी तक इनको कब्जे नहीं दिलाये गये हैं। सन् 1960 से भी कब्जे नहीं मिले। महेन्द्र कुमार जी का घर है उनको भी अगर नोटिस मिल सकता है तो आम जनता का क्या होगा, यह सोचने की बात है।

श्री नंदलाल मीणा : यहां काहे के लिये आये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बातें नहीं।

श्री नाथूराम : इससे हमारी समस्या समाप्त होगी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम : श्रीमन, इसी तरह अभी जो काम चल रहे हैं सोम-कामला अम्बा वगैरह के उसमें कुछ मजदूर दब गये थे जिन में से 6 मर गये हैं। हम यहां आये, वहां से खबर आई है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि सिंचाई विभाग के या मुख्य मंत्री फण्ड से उन्हें सहायता दी जाय क्यों कि जो 6 व्यक्ति मर गये हैं वे राज्य सरकार की जो योजना चल रही थी उसके तहत मरे हैं। इसलिए मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि जो व्यक्ति मरे हैं उनके परिवार हैं उन्हें सहायता दी जाय।

इसके साथ ही, अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं समय ज्यादा नहीं है, जो अभिभाषण 20 तारीख को राज्यपाल महोदय ने दिया है उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं और मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव श्री हीरालाल जी देवपुरा ने प्रस्तुत किया ...

श्री अध्यक्ष : Ten minutes.

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : उस के बारे में अपने चन्द सुझाव आप के माध्यम से गूंगी बहरी सरकार को सुनाना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस प्रदेश की बहुत ही गम्भीर हालत चल रही है उसके सुधार के लिये मेरे विचार से यह सरकार कुछ भी नहीं कर रही। सिर्फ एक काम जरूर कर रही है, 20 संकल्प एक ऐसा षड़यन्त्र है जिसके माध्यम से यह अपनी मनमानी और मनचाही बातें पूरी कर सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस बीस संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत जो आपने घोषणायें की हैं, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किये हैं उनमें से आपने क्या प्राप्त कर लिये ? राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, जो कि एक थोथे आडम्बर की पुस्तक लिख दी है, जिसकी उपलब्धि कुछ नहीं है, में केवल थोथे आंकड़े दिये हैं, वह तथ्य रहित व निराधार हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस 20 संकल्प कार्यक्रम का आकलन मेरे जिले में 20 संकल्प कार्यक्रम के तहत जो काय हुए हैं उनके द्वारा आप के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस 20 संकल्प कार्यक्रम के तहत आज तक झुंझुनू जिले में कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। जो एक दो मीटिंग हुई हैं वह हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री शीशराम ओला के घर पर हुई हैं। क्या बीस संकल्प के कार्यक्रम में सिर्फ यही है कि जो प्रभारी मंत्री हैं वह वहां जायें और जो वहां अधिकारी हैं वे उनकी ××× करें और जो उनके मन में आये करें। इस बीस संकल्प कार्यक्रम में

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

शिवचरण जी माथुर ने पहला संकल्प दिया है 'चुनाव'। मैं कहता हूं इस माथुर बुद्धि का सबसे बड़ा कौशल यह है कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता को इस चुनाव में उलझा दिया है। इन्होंने इस तरह से धोखा देकर इस समय जो अकाल और गम्भीर समस्यायें थीं उससे ध्यान सुन्दरता से विमुख किया है, मैं इसके लिए इन्हें बधाई का पात्र मात्र मानता हूं और धन्यवाद देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अपने इस अभियान में सफल हो गये क्योंकि इनके पास सत्ता थी और इन्होंने इस चुनाव में उसका खुल कर दुरुपयोग किया। ठीक है, यह अंग्रेजी की एक कहावत है—Everything is fair in love and war.

ठीक है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस जनता को, इस भोली जनता को गुमराह करके, आपने इन सभी को प्रलोभन दे करके, आपकी चकाचौंध में लाकर आपने यह कर दिया। हालत यह है कि विपक्ष को 60 प्रतिशत वोट मिले थे परन्तु सत्ता के दुरुपयोग के कारण आप लोग प्रधान और प्रमुखों में स्थापित हो गये। इसके लिये बधाई के पात्र हैं क्योंकि आपके पास जनता को गुमराह करने के बड़े तरीके हैं, क्योंकि सत्ता आपके पास है। इस संकल्प को पूरा करने के लिये बधाई के पात्र हैं।

अब दूसरे संकल्प के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक संकल्प दिया है कि अच्छी शिक्षा देंगे। उस अच्छी शिक्षा के बारे में मैं बताता हूं कि हमारे जिले में आदर्श स्कूलों का चयन हुआ है उसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार को चुनौती देना चाहता हूं कि वह सिद्ध करे कि किस क्राइटेरिया से उनका चयन किया। वह क्राइटेरिया सिर्फ एक ही था कि हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, श्री शीशराम ओला के × × × सरपंच और उनके भ्रष्ट कार्यकर्ताओं ने जिस स्थान के सुझाव दिये वहीं आदर्श स्कूल चयनित हुए। इसका सबसे बड़ा नमूना आपको देता हूं कि हमारे जिले के ग्राम धोमकी में, मेरे क्षेत्र में जहां पर 6.50 लाख रुपये की लागत से छात्रावास बनना चाहिये था, उसका प्रस्ताव भेजा गया था, आज से दस दिन पहले उसको निरस्त कर ग्राम किटारिया, जहां कि श्री शीशराम जी ओला की ससुराल है, में बदल दिया गया। श्री शिवचरण जी माथुर को × × × सरकार को मैंने कहा था कि यह जो चयन हुआ है बहुत ही छलपूर्ण नीति से हुआ है। उसकी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है। उस मीटिंग में हम सब एम० एल० एज० उपस्थित होते हैं, एक्स आफीशियो मेम्बर हैं, इसीलिये मीटिंग नहीं बुलाई हम लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे।

× × × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

हमारे सामने उनकी यह छल कपट नहीं चल सकती थी। उन्होंने अपने ग्राम में मीटिंग बुलाई और उसके बाद ऐसे स्कूलों के नाम चयनित करके भेज दिये जहां पर आज की तारीख में आदर्श स्कूल स्थापित हो नहीं सकते क्योंकि उनकी सरकार है तो जी भरकर दुरुपयोग करें परन्तु जो उन्होंने निर्णय लिया उसके बावजूद सरकार घोषणा कर चुकी है कि आदर्श स्कूल होंगे। मैं यहां उनसे कहता हूं कुछ भी नहीं हुआ है। आज से 15 दिन पहले जो वहां पर निर्णय हुए थे उसकी जगह माननीय मन्त्री महोदय के चहेते स्थान में बदला गया है। यह इस 20 संकल्प का एक सूत्र है जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, इनकी क्या भावना है वह इससे दृष्टिगोचर होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह और कहा गया है कि 5 हजार से अधिक आबादी वाले, जनसंख्या वाले, ग्रामों को सड़कों से जोड़ दिया गया है।

मैं आपके माध्यम से निवेदनकरना चाहूंगा कि मेरे जिले में ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी पांच हजार है लेकिन वह अभी तक सड़क से नहीं जोड़े गये हैं और मेरे पड़ोसी जिले, जो कांग्रेस (आई) के सदस्य का जिला है, में जोड़ दिये गये हैं। मेरे क्षेत्र गुढ़ा में 5 हजार की आबादी है वह सड़क से नहीं जोड़ा गया है। इस तरह थोथे भाषण देने वाले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का हम लोग किस बूते पर समर्थन करें? अगर कोई बात होती तो हम जरूर समर्थन करते। यह हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम केवल विरोध ही प्रकट करें। सदन का और इस देश का बहुमूल्य समय मात्र विरोध प्रकट करने में ही जाया नहीं करना चाहते हैं मगर, उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में जो कमियां हैं, जो आडम्बर हैं और जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं उनकी सही आलोचना करना हमारा धर्म है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है अकाल राहत के अन्तर्गत 23, 246 गावों में अकाल की घोषणा की गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या घोषणा करने मात्र से ही इस प्रदेश की जनता को कार्य उपलब्ध हो गया? जैसा विपक्ष के नेता महोदय ने अभी कहा था कि हमारे मुख्य मंत्रीजी घोषणायें करने में बहुत तेज हैं, इस प्रकार की घोषणायें तो जरूर हो गई परन्तु आज कहीं भी अकाल राहत कार्य चल रहे हैं तो वह केवल एक भीलवाड़ा जिला है। इस सदन में जो मंत्री परिषद् में बैठे माननीय सदस्य हैं उन सबकी नजर श्री शिवचरणजी माथुर की तरफ लगी रहती है, कोई भी मंत्री यह नहीं कह सकता है कि भीलवाड़ा के बजाय और भी कई स्थान हैं जहां अकाल की गम्भीर स्थिति है और 70 हजार मजदूर भीलवाड़ा में इसलिये लगे हुए हैं कि वहां से श्री शिवचरणजी माथुर निर्वाचित हुए हैं। क्या यह गंभीर प्रश्न नहीं है? आपकी सब की सम्मिलित

124

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

जिम्मेदारी है। क्या यहां पर बाड़मेर जिला नहीं है, झुंझुनू जिला नहीं है, नागौर जिला नहीं है। जहां अकाल की गम्भीर स्थिति नहीं ? परन्तु यह कहने की इन ××× में से किसी की हिम्मत नहीं है। उनकी तो सिर्फ एक ही हिम्मत है ××× करना । यदि नहीं तो यह आपका और हमारा दायित्व है कि प्रदेश की जो समस्या है उसकी तरफ मंत्री परिषद् या सरकार का ध्यान आकर्षित करें। अगर वह नहीं करेंगे तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। जैसी पहाड़िया जी की स्थिति हुई वह इनकी भी हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के महत्वपूर्ण विषय पर कहना चाहूंगा। इस सरकार को अब कान खोलकर सुन लेना चाहिये कि जल्दी से जल्दी काम शुरू होने चाहिये नहीं तो भयंकर स्थिति पैदा हो जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से इस सरकार का ध्यान इस बात की तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा कि यहां पर घोषणायें करी गई हैं कि हम 1500 गांवों का विद्युतीकरण करेंगे। यह कितना बड़ा मजाक है इस देश के किसान के साथ। जब इस देश के 80 प्रतिशत किसानों को टाइम पर बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो क्या 25 हजार कुओं का विद्युतीकरण करके देंगे ? या तो वह बिजली माननीय श्री शिवचरणजी माथुर में से पैदा होगी या माननीय परसरामजी मदेरणा में से पैदा होगी। अगर यह थर्मल पावर स्टेशन हैं तो फिर हमें कोई उम्मीद नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बहुत बढ़िया सुझाव सुनिये, मंत्री परिषद् के लिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रदेश में मुख्य मंत्री बनते ही माननीय श्री शिवचरणजी माथुर ने एक उत्साह दिखाया था कि इस प्रदेश की विद्युतीकरण की समस्या को हटा कर रहूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने जो घोषणा की है उसको पूरा करिये। उसमें जो भी सहयोग आप हमारा चाहते हैं, वह हम देंगे परन्तु घोषणा को घोषणा ही मत रखिये नहीं तो अगर कभी इस प्रदेश का किसान जाग उठा तो भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ेगा और लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब हो जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से हमारे प्रदेश में जो पीने के पानी की समस्या है ...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। टाइम ज्यादा ले लिया है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : नहीं, शुरू ही किया है। दो मिनट।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष की आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : 15 मिनट हो गये, 10 मिनट दिये थे।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाने के पानी की समस्या के बारे में अब मैं अपने जिले की तरफ़ इस मंत्री परिषद् का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे जिले की प्लानिंग कमेटी ने आज से करीब एक साल पहले जो प्रस्ताव भेजे थे उनमें से आज तक एक भी क्रियान्वित नहीं हुआ है। हमारे प्रभारी मंत्रीजी भी उस कमेटी में बैठे हुए थे और भाषण दिया था कि यह हो जायेगा वह हो जायेगा किन्तु कुछ भी नहीं हुआ। आज तक एक भी योजना क्रियान्वित नहीं हुई है। क्या कारण है? उसका कारण एक ही है कि इस प्रदेश में शासन किसका है? इस प्रदेश में शासन श्री शिवचरण जी माथुर का नहीं है, इस प्रदेश में एक लॉबी है उसका शासन है जिसके मुख्य अभिनेता श्री आदर्श किशोर सक्सेना हैं। अपने भाई भतीजों को स्थापित करना है उसमें फिर भले ही इस प्रदेश का विकास हो या विनाश हो उससे उनका कोई लेना देना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो इस सदन में मौजूद नहीं हैं, जवाब नहीं दे सकते हैं उनकी आलोचना करना उचित नहीं है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Not by name.

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा उदाहरण है श्री गोविन्द लाल जी माथुर जैसे व्यक्ति को चीफ इन्जीनियर के पद पर बैठाया गया है जो कि चीफ इन्जीनियर नहीं हैं, न डिपार्टमेंट की उनको कोई जानकारी है। वहां पर कनफर्म चीफ इन्जीनियर, जो पहले राजवंशी थे, को इसलिये हटा दिया गया कि उनका मंत्री परिषद् से तालमेल नहीं बैठ सका। यह क्यों नहीं बैठा, आप स्वयं समझ सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी के बारे में जो घोषणायें हैं उनमें से कुछ भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : बहुत भयंकर समस्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारी समस्या है। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी हमारे जिले हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माफ कीजिये, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : यह आपसे तालमेल नहीं बैठ रहा है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : हमारे जिले की प्लानिंग कमेटी ने जिन गांवों की स्कीम भेजी है उनमें आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाने

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

की कृपा करे ताकि हमारे जिले की पीने के पानी की समस्या हल हो सके।

इसके बाद आपके माध्यम से लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति के बारे मे निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : लॉ एण्ड आर्डर तो बहुत हो गया है, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मेरे क्षेत्र म एक दो कतल हो चुके है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मेरे क्षेत्र मे अभी कुछ दिनों पहले ग्राम चीतल के पास मे एक जाट की हत्या हो गई जिसका आज तक इसलिये पता नही चला क्योंकि वहा पर जो जिला अधिकारी महोदय है पता नहीं किस तरह उसको दबाये बैठे है और उस पर कोई कार्यवाही नही की गई है। मेरे यहां ग्राम रोली मे पिछले एक महीने पहले जो व्यक्ति गायब हो गया था उसका आज तक पता नहीं चला। उसके घर वालों को सन्देह है कि उसकी हत्या हो गई....

श्री उपाध्यक्ष : आप भी पता लगाने की कोशिश कीजिये।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मेरा इन्वेस्टीगेशन का जॉब थोड़े ही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि जो मुख्य निष्कर्ष निकला है वह यह है कि इस सरकार की सिर्फ एक ही इच्छा है कि येन-केन प्रकारेण जो सत्ता इनको हांसिल हो चुकी है, जो जनता के द्वारा मिली है उसको बनाये रखना है। उसके लिये नीचे स्तर के काम कर सकते है परन्तु कोई भी विकास के लिये और इस प्रदेश की बहबूदी के लिये कदम नहीं उठा सकते हैं। सिर्फ अपना और अपने साथियों का भरण-पोषण करने का उद्देश्य है। इसलिये इस सरकार द्वारा प्रस्तुत राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उसकी कटु शब्दों में निन्दा करता हुआ यह कहता हूं कि यह केवल एक सफेद कागज मात्र है और इसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। इसमें सब निरुद्देश्य बातें लिखी गई हैं।

सिर्फ थोथे शब्दों का, थोथे आंकड़ों का संकलन किया गया है इसलिये मैं इसकी निन्दा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजपाल।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण 20 तारीख को दिया और माननीय देवपुरा जी उसके ऊपर प्रस्ताव किया है, उसी संदर्भ में मैं खड़ा हुआ हूं।

एक माननीय सदस्य : बैठ जाओ।

श्री तेजपाल यादव : अभिभाषण के अन्दर जिन बातों का जिक्र किया है, अकाल के बारे में, बिजली के बारे में, सहकारिता के बारे में, कृषि के बारे में....

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इधर से भी नम्बर लगाओ।

श्री दाऊदयाल जोशी : चौमूं वाले तो चेम्बर में ही मिल लेते—

श्री तेजपाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस को पंचायतो के चुनावों में सफलता मिली। कांग्रेस पार्टी को गांव वालों ने जिताया और समर्थन दिया। हमारी सरकार ने जो घोषणाएं, जो काम इस अभिभाषण के जरिये बताये हैं मुझे एक कहानी याद आ जाती है। एक राजा के साथ....

श्री दाऊदयाल जोशी : शेख चिल्ली की तो नहीं।

श्री तेजपाल यादव : एक राजा के पास एक गवैया बहुत अच्छा आया। राजा ने उसको एक हजार बीघा जमीन दे दी और अपने कारिन्दे को कहा कि इनको एक पट्टा जारी कर दो। जब वह गवैया ट्रेक्टर लेकर और साधन लेकर पहुंचा तो वह जमीन कहीं नहीं है....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर। यह अभिभाषण पर चर्चा हो रही है ?

श्री तेजपाल यादव : इस प्रकार की जो हमारी सरकार ने..

श्री दाऊदयाल जोशी : चौमूं के हैं न, साहब।

श्री तेजपाल यादव : हमारी सरकार ने इस अभिभाषण में अकाल राहत, बाढ़, कृषि उत्पादन का जिक्र किया है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि जो नीचे के स्तर पर इनका एग्जीक्यूशन किसी तरह से नहीं हुआ....

श्री उपाध्यक्ष : यह कहानी किस संदर्भ में कही थी आपने ?

श्री तेजपाल यादव : आपने घोषणाएं तो कर दीं लेकिन उनकी पूर्ति कहीं नहीं हुई।

एक माननीय सदस्य : जमीन नहीं मिली।

श्री तेजपाल यादव : इससे तो अच्छा है कि यह घोषणाएं ही नहीं करें। उसको राजा ने हालात को देखते हुए यह कह दिया कि यह इनाम कैन्सिल किया जाता है। हमारी जो योजनाएं हैं चाहे अकाल राहत की हों, चाहे बिजली की हों, चाहे सहकारिता का हों, हम गांव के लिए, किसानों के लिए यह कहा ही नहीं करें तो अच्छा है ताकि उनके नाम से यह अधिकारी और कर्मचारी जो नाजायज फायदा उठाते हैं उससे तो बच जायं। हमारे देश का जो खजाना....

श्री उपाध्यक्ष : You are opposing the Resolution ?

श्री तेजपाल यादव : मैं तो निवेदन कर रहा हूं लेकिन मैं सुझाव भी दे रहा हूं। आज जयपुर जिले में जितना बाढ़ से नुकसान हुआ अकाल में कामों की घोषणा हुई लेकिन हमारे जिले के अन्दर अभी तक कोई काम चालू नहीं हुए हैं। बहुत अकाल

(श्री तेजपाल यादव)

है और अकाल से ग्रसित लोग दिल्ली, पंजाब और हरियाणा चले गये हैं काम के अभाव में।

श्री रामसिंह बिश्नोई : बाड़मेर तक पहुंच गये।

श्री तेजपाल यादव : दूसरी बिजली वाली बात है। किसानों के लिये बिजली की घोषणा बोर्ड ने कर रखी है। सरकार ने 4 घण्टे की घोषणा की किन्तु 4 घण्टे में भी किसानों को 2 घण्टे बिजली नहीं मिलती जिससे पूरी पिलाई नहीं होती है। दूसरे, विपक्ष के सदस्यों ने उद्योगों की बात कही। लेकिन हम लोगों को जैसा कि माननीय उद्योग मन्त्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था 16-16 घण्टे बिजली मिल रही है, केवल एग्रीकल्चर में कटौती हुई है, क्योंकि फीडर 4 घण्टे के लिए खोला जाता है। इस तरह से किसान का सारा का सारा उत्पादन चौपट हो गया है, फसलें गल गयी हैं। यह तो भगवान ने एक मदद कर दी, मेहरबानी कर दी, जो वर्षा हो गयी और फसल बच गयी अन्यथा आज किसान को कोई ठिकाना नहीं मिलता, किसान को रोजी रोटी कमाने की जगह नहीं मिलती, यह स्थिति है किसानों की। हमें दुख होता है कि किसान, गांव के हरिजन, अल्पसंख्यक हमको चुनकर भेज देते हैं फिर सारी विधान सभाओं में ऐसा वातावरण बनाकर, अखबारों में वातावरण बनाकर, दबाव डालकर चाहे उद्योगपति हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे इनका समर्थक हो, इस देश की दौलत इस देश के गरीबों का शोषण करके इनको दे दी जाती है। 14 प्रतिशत लोगों की × × ×यह चाहते हैं। हमें यह सोचना है, हमारी सरकार को सोचना है कि जो हमें इस जगह भेजते हैं हममें विश्वास व्यक्त करते हैं, तो कम से कम हमें उनकी रोजी रोटी और उनके उत्पादन की व्यवस्था करनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की जड़ किसान और खेती है और इस सरकार की जड़ और जिन्दगी भी किसान है। किन्तु इस तरह अखबारों के जरिये वातावरण बनाकर, विधान सभाओं में हाका करके बिजली कटौती करके दी उससे हमारे कृषि उत्पादन का ह्रास हुआ है, किसानों को नुकसान हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस समय कम से कम फसल बचाने के लिए 10 घण्टे किसानों को बिजली दें। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि टोटल एग्रीकल्चर लोड 8.5 लाख यूनिट प्रति घण्टे का है। एक घण्टे में सारा एग्रीकल्चर लोड दिया जाय तो 8.5 लाख यूनिट बिजली खर्च होती है। अभी कम से कम एक करोड़ यूनिट से ज्यादा बिजली आ रही है। अगर हम 60-65 लाख यूनिट भी किसानों को दें तो 8 घण्टे उनको बिजली मिल सकती है। यदि उद्योगों में बिजली

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री तेजपाल यादव)

कटौती करके कृषि को नहीं बचाया गया तो हमारे प्रान्त की क्या हालत होगी? दूसरी बात, आज हम कृषि उत्पादन की बातें करते हैं, कृषि उत्पादन के जरिये उत्पादन बढ़ाते हैं लेकिन मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो बीज निगम का सरकार ने गठन किया है, यह सबसे बड़ा किसानों का दुश्मन बन गया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किसान विरोधी है, उसी तरीके से यह बीज निगम किसानों का सबसे बड़ा खून चूसने वाला है। उसने इस साल बिजाई के टाइम पर सड़ा गला बाजरा दिया, गेहूं दिया और चना दिया। सूरतगढ़ से सस्ते दामों पर अनाज खरीद करके 150 रुपये की सब्सिडी प्राप्त करके भी किसानों को इन्होंने 538 रुपये क्विंटल के हिसाब से बीज की सप्लाई की है। इस तरह 1–1 के 2–2 कमाये हैं। इसी तरह किसानों से जो उन्नत गेहूं, जो बीज तैयार करवाया है वह 210 रु० क्विंटल में खरीद कर उसके 340 रुपये किसानों से लिये हैं। जौ 170 रु० क्विंटल में लेकर 290 में वापस किसानों को देते हैं। चना 380 रु० क्विंटल में लेकर 150 सब्सिडी मिलाकर 538 रुपये में देते हैं। सरसों 550 रु० क्विंटल में खरीदकर 880 में देते हैं। दूसरे, एक पर्सेन्ट चुंगी कर और सेल्स टैक्स किसानों से खाद और बीज पर लिया जाता है। यह भी आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा यदि उत्पादन हमको बढ़ाना है, काश्तकारों को प्रोत्साहन देना है तो शहरों का विकास कर, चुंगी कर बीज के ऊपर एक पर्सेन्ट नहीं लगाकर हमें किसानों का विकास करना चाहिए। किसानों के ऊपर कर लगाकर शहर में सुविधा प्रदान करें यह कहां तक उचित है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विचारणीय विषय है।

इसी प्रकार मैं सहकारिता के बारे में आपसे निवेदन करूंगा। सहकारिता में 78 पर्सेन्ट को ले लिया गया है, ऐसा अभिभाषण के अन्दर है। यह संख्या केवल चुनावों के लिये लोगों ने फर्जी मैम्बरशिप बढ़ाकर की है। वास्तव में सहकारिता के अन्दर 50 पर्सेन्ट लोग भी नहीं आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री तेजपाल यादव : दूसरे यह जो सहकारी संस्थाएं हैं, चाहे ग्राम सहकारी समिति हो, चाहे क्रय विक्रय सहकारी समिति हो, चाहे दूसरी हों। केवल सहकारी समितियों के अधिकारियों की यह संस्थाएं जागीर मात्र बन गयी हैं, इनमें रजिस्ट्रार ब्रह्मा विष्णु महेश है। नियम उप-नियम सर्क्युलर रजिस्ट्रार द्वारा निकाल निकाल कर सोसाइटी के अन्दर जगह-जगह अड़चन डाली जाकर काश्तकारों की जो पूंजी है उसका सही तरीके से लाभ उनको नहीं मिल रहा है, उनकी सेवा नहीं हो रही है। यह किसानों की समस्या है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि एक ही आदेश के

(श्री तेजपाल यादव)

जरिये जो अधिकारियों की धन्धेबाजी है इसको दूर करें।

दूसरी डेयरी की समस्या है। डेयरी के के अन्दर हमारी सरकार ने कुछ रेट बढ़ाई थी उससे काश्तकारों को लाभ भी हुआ लेकिन आज भी काश्तकार को बारह आना किलो कड़वी मिलती है, चार रुपया किलो बाटा मिलता है और दूध दो रुपया और डेढ़ रुपया किलो लिया जाता है, यह हमारे गांव वालों का एक तरह से शोषण है। सरकार ने कुछ दूध की कीमत में वृद्धि की थी लेकिन अधिकारियों ने एक तरीका निकाला है। वह तरीका निकाल कर कहा असंगत होगा तो दूध की कीमत यह होगी। कहीं दूध बिलकुल शुद्ध दूध हो तो भी संगत नहीं बैठता है। असंगत के नाम पर पैसा काट काट कर जो वृद्धि सरकार ने भाव में की थी वह तक वापस ले ली गई है। आज किसानों को डेढ़ रुपया, सवा रुपया किलो के भाव दूध का पैसा मिल रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि किसानों पर यह असंगतता जो अधिकारियों ने, विभागीय इंजीनियरों ने लगा रखी है उसको हटा करके कम से कम तीन रुपया किलो डेयरी के माध्यम से कीमत दिलाई जावे।

राजस्थान कैनाल के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान कैनाल के अन्दर जितना भी हमारा पैसा खर्च हो रहा है और जिस ढंग से राजस्थान कैनाल आगे जा रही है उससे हमारे किसानों का जितना भला हम करना चाहते हैं, हमारी सरकार करना चाहती है, उतना भला नहीं हो रहा है। एक भूडोल गांव पर सोलह करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी आज तक उसमें एक भी अलाटमेंट नहीं हुआ। एक भी काश्तकार ने वहां जाकर जमीन नहीं ली है। केवल अधिकारियों ने किसी तरह से कैनाल को निकाला है। अलाटमेंट एक तरह से लाटरी सिस्टम से होता है उस हालत में एक भाई को कहीं मिलती है, दूसरे भाई को कहीं जमीन मिलती है। उससे गांव आबाद नहीं होते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा, मेरा सरकार को सुझाव है कि जो राजस्थान कैनाल में अलाटमेंट रूल्स हैं उसमें यह हो एक ही गांव के लोगों को एक जगह बसाया जावे, एक ही चक में बसाया जावे, एक ही जगह जमीन दी जावे और उसमें जो जमीन उबड़ खाबड़ है और समतल है, उसकी अलग अलग तरीके से कीमत तय की जावे ताकि राजस्थान की गरीब जनता और काश्तकार लोग जमीन ले सकें और उसमे आबाद हो सकें।

आपके माध्यम से मैं पुनः निवेदन करूंगा क्योंकि माननीय बिजली मन्त्रीजी पधार गये हैं एक महीने के लिए कम से कम आठ घण्टे तो किसानों को बिजली दी जावे ताकि किसानों की यह आई हुई फसल बच जावे।

आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : भाषण का विरोध कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह सब मांग पत्र रखे हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने समय तो जरूरत से ज्यादा ले लिया है लेकिन चूंकि दाऊदयाल जोशी का नाम....

श्री बंसीलाल पटवा : बंसीलाल पटवा का नाम दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : दाऊदयाल जोशी का नाम है।

श्री बंसीलाल पटवा : बंसीलाल पटवा का नाम भी दिया है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप पांच मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। श्री बंसीलाल पटवा।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण जो यहां पर पढ़ा गया वह एक प्रकार से डेकोरेटिव लेंग्वेज में प्रशस्ति पत्र था। वैसे यथार्थ में विचार किया जावे तो यह पायेंगे कि राजस्थान की जो स्थिति है यह सरकार उसको सम्भाल नहीं पाई है। स्वयं मुख्य मन्त्रीजी जिस क्षेत्र के हैं वहां के हालात बुरे हैं। आज सवेरे फेमिन के बारे में कहा गया कि फेमिन के काम खोलने में कहीं भेदभाव नहीं बरता गया है। करता है, मैं यह कहता हूं, निश्चित रूप से भेदभाव बरता गया है। एक तरह से विषम स्थितियां राजस्थान में खड़ी कर दी गई हैं। फेमिन के नाम पर जितनी करप्ट प्रेक्टिस की जा सकती है वह की गई है। भीलवाड़ा जिला भी उससे अछूता नहीं है। आज कहा जाता है कि कहीं भेदभाव नहीं बरता जाता है लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि भेदभाव बरता गया है। आज सवेरे यहां पर चर्चा हुई थी और कहा गया था फेमिन के नाम पर कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत कुछ हो रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वहां पर क्षेत्रीयवाद फैलाया जा रहा है। जहां पर अधिकांशतः अकाल है, सौ फीसदी अकाल है जिस कांस्टीट्यूएन्सी और जिस क्षेत्र में वहां पर लेबर कम लगी हुई है। यह मेरा आरोप है खुले रूप से वहां पर भेदभाव बरता गया है। तीन चार कांस्टीट्यूएन्सीज ऐसी हैं जिनमें मुख्य मंत्री की कांस्टीट्यूएन्सी भी शरीक है, वहां पर अधिकांश लेबर लगाई गई है। 65-70 हजार लेबर की बात कही जाती है लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी स्वयं की कांस्टीट्यूएन्सी है इस नाते वहां पर दो ढाई हजार लेबर काम कर रही है। बाकी की सारी लेबर आसींद, मांडलगढ़, मांडल और गंगापुर क्षेत्र में लगी हुई है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि लेबर की कमी है फिर भी यह कहा जाता है कि भेदभाव नहीं बरता जा रहा है। राजनैतिक दृष्टि के आधार पर काला गोरा लिखा जाता है। सौ फीसदी अकाल मेरे क्षेत्र में है लेकिन वहां पर लेबर की संख्या केवल ढाई हजार है गिनती किस तरीके से करायेंगे। मैटल रोड पर ढाई हजार आदमी लगे हुए

(श्री बंसीलाल पटवा)

हैं और ढाई हजार आदमी यहां लगे हुए हैं। इस तरह से पांच हजार गिना देंगे लेकिन यथार्थ में विचार करें कि जहां पर जितना प्रतिशत अकाल है वहां उतने प्रतिशत लेबर लगाई जानी चाहिए। लेकिन वहां लेबर नहीं लगा करके भेदभाव बरता जा रहा है। जहां पर राजस्थान में अकाल है वहां पर लेबर लगाई जानी चाहिए लेकिन वहां पर लेबर की व्यवस्था नहीं की गई। साथ साथ मैं आपको एक अनुनय विनय करना चाहता हूं कि जिस तरह का व्यवहार भीलवाड़ा जिले में हो रहा है, वह व्यवहार इस तरह का है कि स्वयं आज मांडलगढ़ क्षेत्र में तनाव की स्थिति है फिर भी इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

राज्यपाल के अभिभाषण में उपलब्धियों की बात कही गई, पंचायतों के चुनाव की बात कही गई, नगरपालिकाओं के चुनावों की बात कही गई। बीकानेर में जो जलसा हुआ, जिसको मैं तमाशा कहता हूं, उस तमाशे की बात कही गई। वहां पर लाखों रुपया खर्च किया गया और कहा यह जा रहा है कि कहीं पर किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि राजनैतिक चश्मे के आधार पर पंचायतों के चुनावों के बाद भीलवाड़ा जिले के अन्दर इस तरह का रवैया अपनाया गया सरकार की ओर से कि अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार से अलग किया गया है। कहने को तो यह कहा जाता है कि रोजगार से अलग नहीं किया जाएगा लेकिन लेबर रिट्रेन्च कर दी है। इस तरह के आदेश राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं। मेरा यह स्पष्ट रूप से आरोप है, मैं सड़कों के नाम लेना चाहता हूं दानथल के मंगरोप रोड, दानथल से मांडिया, जीतिया से पीरनिया, कान्दा से सियार रोड चलती है, वहां पर मजदूरों को निकाल दिया गया है। आए दिन तरह-तरह की कमेटियां बनाई जाती हैं जिनके आधार पर कहा जाता है कि मैट को नहीं निकाला जाएगा, मिस्त्री को नहीं निकाला जाएगा। मेरा यह कहना नहीं है कि मैट पर मानलो आरोप हैं, यदि वह पक्षपात करता है, घपला करता है, चोरी करता है तो भी नहीं निकाला जाय लेकिन वहां वहां पर इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है, केवल राजनैतिक संरक्षण देने के लिए, किसी तरह से अपनी रोटी बाटी सेकी जाय इस आधार पर मैट और मिस्त्रियों को आए दिन रिट्रेन्च किया जाता है। इस तरह की स्थिति आज भीलवाड़ा जिले में है।

कुओं को गहरा कराने की बात राज्यपाल महोदय ने कही है लेकिन नये कुओं को गहरा कराया गया। नए कुएं गहरे कराये गये उसके रिजल्ट आपने देखे होंगे। कोटा की तरफ जब राज्यपाल देखने गए तो एक कुएं में पानी नहीं निकला। तीन टंकी पानी डाल दिया गया। इस तरह की स्थिति है आज भी हमारा कहना है कि नये

(श्री बंसीलाल पटवा)

कुएं खोदने के बजाय पुराने कुओं को गहरा करवाया जाय, क्योंकि पहले अकाल भुगत चुके, दूसरा अकाल भुगत चुके और तीसरा अकाल हमारी छाती पर है। इस तरह की विषम स्थितियां हैं जिनका मुकाबला करने के लिए सामूहिक दृष्टि से विचार करना पड़ेगा।

पंचायत चुनावों की बात कही जाती है। कहा जाता है कि हमने विजय प्राप्त की। म्यूनिसिपैलिटियों के चुनावों की बात कही जाती है कि हमने विजय प्राप्त की। लेकिन 143 म्यूनिसिपैलिटियों में चुनाव हुए थे जिसमें आठ सौ कांग्रेसी जीत कर आए, साढ़े छः सौ निर्दलीय जीत कर आए, तीन सौ बी०जे०पी० के जीत कर आए। इससे साफ साफ नजर आता है कि कांग्रेस का भट्टा इस राजस्थान में बैठ चुका है। केवल दल बदलुओं को प्रोत्साहन देकर के म्यूनिसिपैलिटियां बना लेना और फिर कहना, शेखी बघारना कि कांग्रेस ने विजय प्राप्त की, मैं समझता हूं कि××× है, ××× आधार है, ××× नारा है। मुख्य मंत्री शिवचरण जी माथुर ने केवल मात्र दलबन्दी के आधार पर चुनाव लड़े। इन चुनावों में केवल 43 स्थानों पर कांग्रेस की म्यूनिसिपैलिटीज बनी फिर 93 म्यूनिसिपैलिटी कांग्रेस की किस तरीके से हो गई? यह बिल्कुल दलबदलुओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से किया गया है। मेरे क्षेत्र में पंचायत के चुनाव हुए हैं। कांग्रेस के तीस-तीस वर्ष के कर्मठ कार्यकर्त्ता हारे हैं। मुख्य मंत्री जी ने पड़ाव डाला। पड़ाव डालने के बाद मैं सोचता हूं कि दो लाख रुपया मेरी कांस्टीट्यूएंसी में खर्च किया गया प्रधान के लिए। एक भूतपूर्व कांग्रेसी मंत्री के लिए बी०जे०पी० और दूसरे प्रकार के लोगों को खरीदा गया, मेरे क्षेत्र में।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर दें अतः दस मिनट का समय बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वादविवाद

श्री बंसीलाल पटवा : इस तरह से आपने पड़ाव डाल दिया। मैं बताऊं उपाध्यक्ष महोदय, तेल मालिश से लेकर, गर्म पानी तक सारी व्यवस्था की गई। यहां तक कि सरपंचों को मुंह मांगे ड्राफ्ट दिये। अब पता चला है कि दो लाख रुपये खर्च कर के प्रधान बनना चाहा।

आप हैण्ड पम्प की बात करते हैं हैण्ड पम्प की व्यवस्था [आप कर रहे हैं। मैं आप को अर्ज करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में 160 गांवों में हैण्ड

: ×××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बंसीलाल पटवा)

पम्प लगाये गये लेकिन राजनैतिक भेदभाव के आधार पर लगाये गये। मेरी कांस्टीट्यूएंसी है, मैं बी०जे० पी० का आदमी हूं, मैं विरोधी आदमी हूं इस कारण से वहां पर 8 गांव में हैंड पम्प लगाये गये हैं। इस तरह की व्यवस्था है। आज भी मैं आप को बताऊं, भीलवाड़ा जिला एक ऐसा जिला है, जहां पर इस तरह की फिजा बना रहे हैं कि वहां पर बहुत से काम चल रहे हैं। किन्तु मैं समझता हूं कोईभी काम नहीं चल रहा है। दूसरी कांस्टीट्यूएंसीज हैं, वहां पर काम चल रहे हैं। आपर भीलवाड़ा नगर में पानी का संकट इतना व्यापक है कि मेजा डेम कार्माशियल पर्पज के काम में आता है। पानी की दृष्टि से पानी भीलवाड़ा को सप्लाई करता है लेकिन आज उस मेजा डेम क्षेत्र में सत्ता पक्ष के लोगों ने मिल जुल कर साढ़े तीन सौ, साढ़े चार सौ बीघा धरती पर नाजायज कब्जा कर लिया। मेजा बांध में पानी नहीं है। उसका पानी पीने के काम आता है। उस पानी का वहां पर नाजायज कब्जा करने वाले लोग किस तरह से काम में ले रहे हैं। टंकियां एक तरह से खड्डे में उतार लीं और खड्डे में इंजन और पम्प वगैरह लगाकर उस पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। निरन्तर हम इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं लेकिन इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं बताऊं, भीलवाड़ा जिले में इस तरह की स्थिति बनी रही तो आगामी महीने में या इससे अगले महीने में पानी का व्यापक संकट खड़ा होगा और उस आधार पर त्राहि त्राहि मचेगी। जो हैंड पम्प लगाये हैं, वह पर्याप्त नहीं हैं। आज भी कई ऐसी बस्तियां हैं, जहां हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं। अनुसूचित जाति, कमजोर लोग और गरीबों की ऐसी बस्तियां हैं, जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की जायगी तो मैं समझता हूं त्राहि त्राहि मचेगी। नाजायज तरीके से जितने भी एग्रीकल्चर लैण्ड पर मकान बनाये गये हैं। माण्डलगढ़ जो भीलवाड़ा में है, में कृषि उपज मण्डी से लेकर सांगानेर दरवाजे तक व्यापक रूप से नाजायज मकान बनाये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। ढाई तीन मिनट से ज्यादा दे दिया।

श्री बंसीलाल पटवा : उन को नियमित करने को बातें कह दी गई। नियमित करने की बात हो रही है तो हम चाहते हैं कि वहां पर हैण्ड पम्प लगाये जायें। हजारों आदमी वहां पर हैं। किसी व्यक्ति को जेलखाने में बन्द कर दिया जाये तो भोजन की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था बराबर की जाती है। लेकिन वहां पर हैण्ड पम्प लगा कर पानी की व्यवस्था की जाये इस तरफ आज भी कोई ध्यान नहीं जाता।

पिछली साल जितने अकाल राहत कार्य, एन०आर०सी० वर्क खोले गये, काम खोले गये, वह केवल चार पंचायतों में खोले गये। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में बन्द कर दिये

(श्री बंसीलाल पटवा)

गये। पुराने कुंओं को गहरा नहीं करवाया गया। आज भी दूसरे गांवों को ले लीजिये। हरिजनों का नाम लिया जाता है, कमजोर वर्ग के हितों की बात कही जाती है लेकिन हरिजन जाति के क्षेत्रों में कुइयों को गहरा नहीं करवाया गया है। अनुसूचित जाति के लोगों की कुइयों को गहरा नहीं कराया गया है। आज हरिजनों को पीने का पानी नहीं मिलता है।

श्री परसराम मदेरणा : भीलवाड़ा शहर में हैण्ड पम्प ड्रिल हुए थे या नहीं ? अभी आप क्लिलत की बात कर रहे हैं।

श्री बंसीलाल पटवा : मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 8 हैण्ड पम्प हैं।

(व्यवधान)

हैण्ड पम्प लगाये हैं, लेकिन तीन बस्तियां ऐसी हैं, जहां पर हैण्ड पम्प लगाया जाना आवश्यक है। कई हरिजन बस्तियां ऐसी हैं, जहां पर हैण्ड पम्प लगाना आवश्यक है लेकिन वहां पर नहीं लगाये गये।

मैं यह कह रहा था कि 160 गांवों में हैण्ड पम्प लगे, लेकिन मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 8 गांवों में लगाये हैं। बाकी के कहां लगाये हैं ? आप देखिये 17-17 हजार मजदूर माण्डलगढ़ कांस्टीट्यूएंसी में लगे हुए हैं और हमारी कांस्टीट्यूएंसी में 2500 मजदूर लगे हुए हैं, यह कहां का न्याय है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप के वहां नगरपालिका है।

श्री बंसीलाल पटवा : नीतिगत काम करिये। हम चाहते हैं नीतिगत काम हो। लेकिन नीतिगत काम नहीं हो रहा है। इस पर आप गम्भीरता से काम करिये।

मैं आप से अर्ज कर रहा था, पिछली बार जो कुए खोदे गये उनके रिजल्ट ठीक नहीं हैं। मेरा यह निवेदन है कि पुराने कुओं को गहरा करवाया जाये। अकाल के दिनों में पुरानी कुइयों को एक तरह से गहरा करवाया जा सकता था।

श्री बंसीलाल पटवा : दो मिनट।

मैं अर्ज कर रहा था पुरानी कुइयां गहरी करवाई जायें, उनके रिजल्ट लिये जायें। अकाल के दिनों में रोजगार मुहैया होना चाहिये, घास की व्यवस्था होनी चाहिये और उसके साथ अनाज की व्यवस्था होनी चाहिये, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि रोजगार, घास और अनाज की आज भीलवाड़ा में विषम स्थिति है। आज घास के डिपो नहीं खोले गये हैं, मवेशी पलायन कर रहे हैं। वहां पर रोजगार नहीं खोले गये। मुझे अधिकृत रूप से जानकारी मिली कि परसों के दिन इस तरह के आदेश निकाले गये हैं, जिसके अन्तर्गत मैटीरियल कम्पोनेन्ट के काम बन्द कर दिये। इसके साथ ही

(श्री बंसीलाल पटवा)

पुराने सैक्शन्ड काम हैं, वह काम भी बन्द कर दिये। इस आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि भीलवाड़ा जिले में अकाल के समुचित काम बन्द कर दिये जायेंगे। आज ऐसी स्थिति है कि सबसे ज्यादा अकाल से प्रभावित वह जिला है, मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी है। वहां पर यदि अकाल राहत कार्य नहीं खोले गये तो मैं सोचता हूं कि हालात खराब होंगे। स्थिति भयंकर हो गई है कि मजदूर पलायन कर गये हैं। मजदूरों और गरीबों को काम नहीं मिल रहा है। अनुसूचित जाति के लोगों को काम नहीं मिल रहा है, कमजोर वर्ग के लोगों को काम नहीं मिल रहा है। वह पलायन करके दूसरी जगह जा रहे हैं। मेरा निवेदन है, पेयजल, घास, रोजगार और अनाज की व्यवस्था की जाये। जो अनाज वितरित किया जा रहा है, वह नगण्य है। जो अनाज वहां पर जाता है वह अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग और गरीब लोगों को नहीं मिलता है। इस तरह वितरण प्रणाली की व्यवस्था में सुधार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में लॉ एण्ड आर्डर टूट रहा है।

परसों 22 तारीख को माण्डलगढ़ तहसील गाव नन्दराय में महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया। मैं आपको बताऊं माण्डल में नन्दराय गांव में शिव पूजा करने गयी औरतों पर लाठी चार्ज किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों के विरोध करने पर वहाँ किसी माली जाति की लड़की मर गयी थी, उसके पास बैठने आई औरतों को पुलिस ने घर में जाकर पीटा। यह अन्याय हुआ है वहाँ पर।

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि लॉ एण्ड आर्डर को सुधारा जाय और बाकी की व्यवस्था को ठीक किया जाय। अकाल का मुकाबला करने के लिये शान्तिपूर्ण नीति से काम किया जाता है। हमारा यह निवेदन है कि सब मिलकर यदि काम करें, नीतिगत काम करें तो मैं सोचता हूं उस आधार पर कुछ सुधार हो सकता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सुधार किया जाय अन्यथा मैं सोचता हूं भट्टा बैठने वाला है इस सरकार का।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पृथ्वीसिंह।

(अनुपस्थित)

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 27 फरवरी के सुबह 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० 5.08 बजे शनिवार दिनांक 27 फरवरी, 1982 के म० पू० 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

———

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 99 की सूची

माह अप्रेल, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक विभिन्न श्रेणी के उद्योगों पर की गई विद्युत कटौती का विवरण

माह	बड़े (एच टी) उद्योग जिनकी अनु० मांग 125 के. वी. ए. से अधिक है ।	मध्यम उद्योग जिनका कुल भार 25 एच. पी. से ज्यादा तथा अधिकतम मांग 125 के. वी. ए. से अधिक नहीं है ।	लघु उद्योग (जिनका कुल भार 25 एच. पी. से ज्यादा नहीं है) (यूनिट्स उपभोग पर कोई कटौती नहीं)		
			ग्रामीण फीडर्स पर आने वाले उद्योगों को विद्युत उपलब्धि अवधि	शहरी फीडर्स पर आने वाले उद्योगों को विद्युत संबंधी उपलब्धि अवधि	औद्योगिक फीडर्स पर आने वाले उद्योगों को विद्युत उपलब्धि अवधि
1	2	3	4	5	6
अप्रेल, 81	50%– 3 दिन 60%– 1 दिन 80%– 5 दिन 100%– 5 दिन कोई कटौती नहीं– 16 दिन	100%– 2 दिन कोई कटौती नहीं– 28 दिन	24 घंटे– 20 दिन 18 घंटे– 2 दिन 14 घंटे– 8 दिन	24 घंटे– 30 दिन	24 घंटे– 30 दिन
मई, 81	30%– 7 दिन 40%– 2 दिन	कोई कटौती नहीं– 31 दिन	14 घंटे– 7 दिन 18 घंटे– 2 दिन	24 घंटे– 31 दिन	24 घंटे– 31 दिन

1	2	3	4	5	6
	60%— 5 दिन 70%— 3 दिन कोई कटौती नहीं— 14 दिन		16 घंटे— 17 दिन 10 घंटे— 5 दिन		
जून, 81	30%— 2 दिन 40%— 1 दिन 50%— 5 दिन 70%— 21 दिन 100%— 1 दिन	50%— 18 दिन कोई कटौती नहीं— 21 दिन	10 घंटे— 30 दिन	24 घंटे— 30 दिन	24 घंटे— 30 दिन
जुलाई, 81	20%— 1 दिन 40%— 11 दिन 50%— 7 दिन 60%— 2 दिन कोई कटौती नहीं— 20 दिन	कोई कटौती नहीं— 31 दिन	11 घंटे— 30 दिन 10 घंटे— 1 दिन	24 घंटे— 31 दिन	24 घंटे— 31 दिन
अगस्त, 81	50%— 3 दिन कोई कटौती नहीं— 28	कोई कटौती नहीं—31 दिन	24 घंटे— 15 दिन 14 घंटे— 16 दिन	24 घंटे— 31 दिन	24 घंटे— 31 दिन

1	2	3	4	5	6
सितम्बर, 81	35%– 2 दिन 50%– 2 दिन कोई कटौती नहीं– 26 दिन	कोई कटौती नहीं–30 दिन	14 घंटे– 29 दिन 13 घंटे– 1 दिन	24 घंटे– 30 दिन	24 घंटे– 30 दिन
अक्टूबर, 81	35%– 7 दिन 45%– 7 दिन 50%– 4 दिन कोई कटौती नहीं– 13 दिन	कोई कटौती नहीं–31 दिन	14 घंटे– 13 दिन 10 घंटे– 11 दिन 8 घंटे– 4 दिन 6 घंटे– 3 दिन	24 घंटे– 31 दिन	24 घंटे– 31 दिन
नवम्बर, 81	40%– 8 दिन 45%– 2 दिन 60%– 7 दिन 70%– 5 दिन कोई कटौती नहीं– 8 दिन	50%– 5 दिन कोई कटौती नही–25 दिन	24 घंटे– 7 दिन 7 घंटे– 20 दिन 6 घंटे– 3 दिन	24 घंटे– 30 दिन	24 घंटे– 30 दिन
दिसम्बर, 81	70%– 31 दिन	50%– 31 दिन	7 घंटे– 30 दिन 5 घंटे– 1 दिन	24 घंटे– 16 दिन 16 घंटे– 15 दिन	24 घंटे– 31 दिन

परिशिष्ट 2.

तारांकित प्रश्न संख्या 100 की सूची

राहत कार्यों पर अलग अलग जिलों में 31-12-81 तक हुए

व्यय का विवरण

क्र. स.	नाम जिला	व्यय की गई राशि (लाखों में)
1.	बाड़मेर	776.57
2.	भीलवाड़ा	659.53
3.	डूंगरपुर	28.97
4.	जैसलमेर	सूचना उपलब्ध नहीं है।
5.	जोधपुर	33.70
6.	पाली	369.37
7.	उदयपुर	16.00
		योग- 1884.14

केन्द्र सरकार से अग्रिम आयोजना सहायता के अन्तर्गत प्राप्त अधिकतम व्यय सीमा का विवरण

PLAN :

1. Employent Generation Works	(Rs. in Lacs)
1. Roads	1600·00
2. Irrigations	500.00
3. Afforestation And Soil Conservation	280.00
Total	2380.00
2. Drinking water supply arrangements in the Drought Affected Areas.	
1. Purchase of Truck Tankers	52.00
2. Digging Deepening & Desilting of wells.	67.70
3. Community Tanks	16.00
4. Public Health Department (PHED)	
A. Rural Water Supply Schemes.	586.96
B. Urban Water Supply Schemes.	277.40
Total—	1000.06
3. Augmentation Of Suppldmentary Nutrition Programme	75.00
4. Subsidy For Growing Fodere	5.00
5. Bull Subsidy	13.50
6. Piped Water Supply For Catlle	85.00
7. Subsidy For Agricultural Inputs (Plant Protection)	28.00
8. Supply Of Nitrogenous Fertilcrisers	30.00
Total :-	3616.50

(142)

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 101 की सूची

राजस्थान में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत स्थानीय क्षेत्रों की सूची

क्रम सं०	जिला	स्थानीय क्षेत्र का नाम
1	2	3
1.	अजमेर	1. अजमेर
		2. ब्यावर
		3. किशनगढ़
		4. नसीराबाद
		5. केकड़ी
		6. पुष्कर
		7. विजयनगर नगरपालिका
		8. सरवाड़
		9. अजमेर छावनी एरिया
2.	अलवर	10. अलवर
		11. बहरोड़
		12. राजगढ़
		13. तिजारा
		14. खैरथल
		15. बड़ौदा
		16. खेरली नगरपालिका
3.	बाड़मेर	17. बाड़मेर
		18. बालोतरा
		19. पचपदरा साल्ट एरिया
4.	भरतपुर	20. भरतपुर
		21. डीग
		22. बयाना
		23. कामां
		24. राजाखेड़ा
		25. नदबई नगरपालिका
		26. कुम्हेर
		27. भुसावर

1	2	3
		28. नगर
		29. वेयर
		30. श्रीनगर (पी० एस० सांवा)
5.	धौलपुर	31. धौलपुर
		32. बाड़ी
		33. सरमथुरा
6.	भीलवाड़ा	34. भीलवाड़ा
		35. गुलाबपुरा
		36. माण्डलगढ़
		37. शाहपुरा
		38. जहाजपुर नगरपालिका
		39. माण्डल
		40. हुरड़ा
		41. बनेड़ा
		42. गंगापुर
7.	बीकानेर	43. बीकानेर
		44. कोलायत
		45. गंगाशहर
		46. नौखामण्डी
		47. देशनोक नगरपालिका
		48. नापासर
8.	बूंदी	49. बूंदी
		50. नैनवा
		51. लाखेरी
		52. केशवराय पाटन नगरपालिका
9.	बांसवाड़ा	53. बांसवाड़ा
		54. कुशलगढ़
		55. माही बजाज सागर प्रोजेक्ट क्षेत्र
10.	चूरू	56. चूरू
		57. सरदार शहर
		58. रतनगढ़
		59. सुजानगढ़

1	2	3
		60. तारानगर
		61. राजगढ़
		62. डूंगरपुर
		63. राजलदेसर
		64. बीदासर
		65. छापड़ नगरपालिका
11.	चित्तौड़गढ़	66. चितौड़गढ़
		67. बेगू
		68. कपासन
		69. निम्बाहेड़ा
		70. प्रतापगढ़
		71. छोटी सादड़ी नगरपालिका
		72. बड़ी सादड़ी नगरपालिका
		73. भोपालसागर
		74. नोटिफाइड एरिया चित्तौड़गढ़ सीमेंट फैक्ट्री
		75. रावत भाटा अणु बिजली घर क्षेत्र
12.	गंगानगर	76. गंगानगर
		77. हनुमानगढ़
		78. करनपुर
		79. नोहर
		80. रायसिंहनगर
		81. सूरतगढ़
		82. भाहदड़ा
		83. सांगरिया
		84. प्मोरा विजयनगर
		85. अनूपगढ़ नगरपालिका
13.	डूंगरपुर	86. डूंगरपुर
		87. सागवाड़ा
		88. गलियाकोट
14.	जयपुर	89. जयपुर
		90. आमेर
		91. दौसा

145

1	2	3
		92. कोटपुतली
		93. सांभर
		94. फुलेरा
		95. बांदीकुई
		96. सांगानेर
		97. चाकसू
		98. लालसोट
		99. चौमूं
		100. शाहपुरा
		101. किशनगढ़ रेनवाल
		102. विराटनगर
		103. विश्वकर्मा क्षेत्र
15.	जोधपुर	104. जोधपुर
		105. फलौदी
		106. मथानियां
		107. पीपारसिटी
		108. बिलाड़ा
		109. ओसिया
		110. भोपालगढ़
		111. आर्मी एवं सिविल एरिया जोधपुर
16.	जैसलमेर	112. जैसलमेर
		113. पोकरण
		114. रामदेवड़ा
		115. झालावाड़
		116. अकलेरा
		117. झालरापाटन
		118. भवानीमण्डी
		119. नगरपालिका क्षेत्र पिड़ावा
		120. नगरपालिक क्षेत्र सुनेल
17.	झुन्झुनूं	121. झुन्झुनूं
		122. नवलगढ़
		123. खेतड़ी

1	2	3
		124. खेतड़ी कोपर प्रोजेक्ट
		125. चिड़ावा
		126. बिसाऊ
		127. पिलानी
		128. उदयपुर वाटी
		129. मुकन्दगढ़
		130. पिलानी विद्या बिहार
		131. सुरजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र
		132. मण्ड़ावा
19. जालोर		133. जालोर
		134. भीनमाल
		135. साचोर
		136. रानीबाडा
20. कोटा		137, कोटा
		138. बांरा
		339. छबड़ा
		140. राजगंज मण्डी
		141. नगरपालिका क्षेत्र सागोंद
		142. नगरपालिका क्षेत्र मांगरोल
		143. छीपाबडोद
		144. ब्रन्ता
		145. कंथून
21. नागौर		146. नागौर
		147, लाडनू
		148. डीडवाना
		149. मेडतासिटी
		150. परवतसर
		151. कुचामन
		152. मकराना
		153, मन्डावा
		154. नगरपालिका क्षेत्र नांवा
		155. डीडवाना साल्ट
		156. गुढ़ा साल्ट
		157. गुढ़ा साल्ट प्रोडक्टिव

1	2	3
		158. परवतसर क्षेत्र
		159. कुचामनसिटी साल्ट ऐरिया
22. पाली		160. पाली
		161. देई
		162. जयतारन
		163. सोजत
		164. रानी
		165. सादड़ी
		166. सुमेरपुर
		167. फालना
23. सीकर		168. सीकर
		169. फतेहपुर
		170. नीम का थाना
		171. रामगढ़
		172. लक्ष्मणगढ़
		173 खण्डेला
		174. श्रीमाधोपुर
		175. रींगस नगरपालिका क्षेत्र
		176. लोसल नगरपालिका क्षेत्र
24. सवाई माधोपुर		177. सवाई माधोपुर
		178. गंगापुर
		179. करौली
		180. हिण्डोन
		181. कैलादेवी
		182. टोडाभीम
		183. मानटाऊन
		184. महुवा
25. टोंक		185. टोंक
		186. मालपुरा
		187. निवाई
		188. टोडारायसिंह
		189. देवली
26. सरोही		190. सिरोही

1	2	3
		191. आबूरोड
		192. शिवगंज
		193. पिन्डवाड़ा
		194. मण्डार
		195. माऊन्ट आबू
27. उदयपुर		196. उदयपुर
		197. भीम
		198. झाडोल
		199. राजसमन्द
		200. सलूम्बर
		201. बल्लभनगर
		202. नाथद्वारा
		203. सनवाड़ नगरपालिका फतेहनगर
		204. आमेट नगरपालिका
		205. भीन्डर नगरपालिका
		206. कानौड़
		207. देवगढ़
		208. रिखबदेव
		209. झावर माइन्स क्षेत्र

परिशिष्ट 4.

समयाभाव के कारण सदन में पूछे नहीं जा सके प्रश्न व उनके उत्तर

जिला जालोर का इलेक्ट्रोमेगनेटिक सर्वे

104. श्री सूरजमल सिंह (भीनमाल) क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या जिला जालोर का इलेक्ट्रोमेगनेटिक सर्वे किया गया है ? यदि हां, तो भीनमाल व सांचोर तहसील के किन-किन गांवों में पीने व सिंचाई का पानी कितनी कितनी मात्रा में उपलब्ध हुआ है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो तो सर्वे कब तक करवा दी जायेगी ?

उत्तर

भू-जल विभाग इलेक्टोमेगनेटिक सर्वे नहीं करता है। जालोर जिले के अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए भू-जल उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करने हेतु भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किया गया है। भीनमाल एवं सांचोर तहसीलों के विभिन्न ग्रामों में पेयजल एवं सिंचाई हेतु उपलब्ध भू-जल की मात्रा की जानकारी वर्तमान में किए जा रहे विस्तृत भू-जल अन्वेषण योजना का कार्य समाप्त होने पर दी जा सकेगी। वर्तमान जानकारी से जहां भू-जल उपलब्धी की संभावना है उन ग्रामों की सूची दी जा रही है।

जालोर जिले में विस्तृत भू-जल अन्वेषण योजना के अन्तर्गत भू-भौतिकीय सर्वेक्षण कार्य में सर्वेक्षित ग्रामों की सूची :-

क्र. सं.	ग्रामों का नाम
1.	तखतगढ़, गोगरा, रोडला, अकुतीखातला, मालगढ़, चवारड़ा, डिवांडी, (पाली) गोराबास, रन, उवरी, गोरालिया, जैतपुर
2.	जालोर, विशनगढ़, नरवाना
3.	सायला, छराउ, बालोतरा, तलियाना
4.	गुडारामा, नामला, भंवराकुन, रेलरी, रामा, कोरामा, सुगालिया, नसरा,
5.	हम्बडिया, नरखाना, डूंगरवा, मेडा, बारा, कुका, पागोतरा
6.	बागोरा, राजोता, बामेतरा, बानकिया, शजाला, रेंगाला, खोका की ढाणी, गेरावाड़, खेतलावा, कुशल एवं बागोड़ा
7.	भागली, रेवात, बाकरा
8.	राजोतरा, आलखन
9.	केसवाना
10.	सोनकड़ा
11.	तरवो

(150)

1	2
12.	गोल उठवाला
13.	कुम्रावेर
14.	एलाना डागरा, रतुना, मंडवाला
15.	ग्राम्रोलाज–बलबारा
16.	ओडवाडा
17.	डंगाना अलवारा
18.	जिराना
19.	बघुवा–भाकवा–मेघेलवा
20.	पुनावा–खुराना
21.	हरमू
22.	कोमता–कोरा–वेथेरी–तरवारा, घनानी, सुकड़ी नवी
23.	धनानी–तुरा
24.	राजनवाड़ी–पंडारा
25.	जेतपुरा–धानोल–भर्वरिया
26,	कालरो की ढाणी, कुनावारडा, भाड़राजूम
26.	कासखो की ढाणी, नीबंसा
28.	भेंसबाड़ा–छीपाड़ा, बुघरा–भाणोरण–हुणी
29.	बाग्रोतरा, आयला, मोयवाला
30,	बागोडा–नानरीया
31,	बागोड़ा–रावता
32.	भीनमाल–गुजानी–मेवाड़ी
33.	मोरसीम–नाकीया–छजाला
34.	सायला
35.	मिठिया
36,	झोंपड़ा
37.	विछवाड़ी
38.	बरनवा
39,	खासरपी
40.	नलररा
41.	भाटकी
42,	बाटेरा
43.	सरवाना
44.	जानवी
45.	गालोवा

1	2
46.	खजडीयाली
47.	बबातरा
48.	डथवा
49.	टापो
50.	होती गांव
51.	रबड़िया
52,	सेसवा
53.	अगड़ेवा
54.	सयारका
55,	होलीवाल
56.	बड़गांव
57.	निम्बला
58.	चाण्डा
59.	आहौर
60.	बड़ा
61.	डोडियाली
62.	च्वराड़ा

जालौर जिले की भीनमाल एवं सांचोर तहसीलों में विस्तृत भू-जल अन्वेषण योजना के अन्तर्गत निर्मित परीक्षणात्मक नलकूपों की सूची:-

क्र. सं.	ग्रामों का नाम	नलकूप की जल क्षमता (लीटर प्रति घण्टा)	सफल अथवा असफल	टिप्पणी
1.	भीनमाल	1,000	असफल	—
2.	साकड	13,500	सफल	उपलब्ध पानी सिचाई योग्य
3.	वागौरा	45, 500	असफल	पीने एवं सिचाई योग्य
4.	हरियाली (सांचौर)	56,000	असफल	
5.	मेडा	36,000	सफल	सिचाई योग्य
6.	कोलार	5,000	सफल	सिचाई योग्य
7.	जसवन्तपुरा	--	असफल	
8.	रानीवाड़ा	63,000	सफल	पीने एवं सिचाई योग्य
9.	डीगांव (रानीवाड़ा) पं.सं.	30,000	सफल	सिचाई योग्य
10.	मोडरान	54,000	सफल	सिचाई योग्य
11.	पनसेरी	37,000	सफल	पीने एवं सिचाई योग्य
12.	जेतपुरा-बड़गांव	37,000	सफल	पीने एवं सिचाई योग्य
13.	प्लाकर	36,000	सफल	पीने एवं सिचाई योग्य
14.	कासपा	46,125	असफल (मैकेनिकल)	सिचाई योग्य
15.	पुनासा	27,00ड़	सफल	सिचाई योग्य
16.	खानपुर	15,800	सफल	सिचाई योग्य
17.	कोटीटा	4,500	सफल	सिचाई योग्य
18.	पाउली	18,000	सफल	सिचाई योग्य
19.	जोधावास	67,000	सफल	सिचाई योग्य
20.	डूगरी	8,00	असफल	सिचाई योग्य

प्रत्येक पंचायत हैड क्वार्टर को पक्की सड़कों से जोड़ना

- 105. श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही हैं कि गत सत्र में सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक पंचायत हैड क्वार्टर को पक्की सड़को से जोड़ने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो मार्च 1981 से जनवरी 1982 तक पुरानी सडकों को छोडकर कितनी ग्राम पंचायतों के हैड क्वार्टर्स को नयी सडकों का निर्माण कर जोड़ा गया है ? कृपया जिलेवार संख्या बतायें ।

(2) राज्य में कितनी ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर्स को सड़को से जोडना बाकी है और क्या उनकी वित्तीय स्वीकृति सरकार द्वारा दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार ने 20 संकल्प योजना के अन्तर्गत पंचायत हैड क्वाटरों को सड़को से जोड़ने की घोषणा की है। अप्रेल, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक पुरानी सड़को को छोड़कर 341 नये पंचायत मुख्यालयों को विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की सड़कों से जोडा गया है; जिसकी जिलेवार संख्या प्रपत्र (क) में संलग्न है।

(2) दिसम्बर, 1981 के पश्चात् 3324 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोडना शेष हैं। इनकी कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गई है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत धन की उपलब्धता के अनुसार ये मुख्यालय जोड़े जावेंगे।

प्रपत्र (क)

क्र. सं.	नाम जिला	1 अप्रेल 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक सा. नि. विभाग द्वारा जोड़े गए ग्राम पंचायत मुख्यालयों को संख्या
1.	अजमेर	6
2.	अलवर	46
3.	बांसवाड़ा	5
4.	बाड़मेर	17
5.	भरतपुर	7
6.	भीलवाड़ा	49
7.	बीकानेर	4
8.	बून्दी	9
9.	चित्तौड़गढ़	27

(154)

1		2
10.	चूरू	1
11.	डूंगरपुर	—
12.	गंगानगर	4
13.	जयपुर	7
14.	जैसलमेर	—
15.	जालौर	22
16.	झालावाड़	9
17.	झुन्झनू	5
18.	जोधपुर	2
19.	कोटा	1
20.	नागौर	7
21.	पाली	57
22.	सवाई माधोपुर	4
23.	सीकर	—
24.	सिरोही	15
25.	टोंक	4
26.	उदयपुर	33
	कुल	341

बांगड़ चिकित्सालय पाली के चिकित्सकों के विरुद्ध शिकायतें

107. श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या बांगड़ चिकित्सालय, पाली के चिकित्सकों के विरुद्ध जनता की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किस किस के विरुद्ध एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

बांगड चिकित्सालय पाली के निम्नलिखित डाक्टरों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई :–

1. डा० पी० एल० शर्मा, वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) ।

2. डा० तपन बनर्जी, क. वि. (आर्थोपेडिक्स)

3. डा० सुधा गहलोत, क. वि. (गाइनी)

4 डा० एम. एल. लोढा, सी.ए.एस.

5. डा० भटनागर, सी.ए.एस.

6. डा० पी. एन. माथुर, सी.ए.एस.

7. डा० आर. के. शर्मा, सी.ए.एस.

8. डा० श्रीमती दया शर्मा, सी.ए.एस.

1. डा० पी० एल० शर्मा का पाली से स्थानान्तरण कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय जांच की प्रक्रिया चालू है ।

2. डा० तपन बनर्जी के विरुद्ध जांच की गई परन्तु जांच अधिकारी ने उन पर लगाये गये आरोपों को सही नहीं माना ।

3. डा० सुधा गहलोत के विरुद्ध भी जांच की गई किन्तु जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सही नहीं पाया ।

इसके अलावा श्रीमती सुधा गहलोत एवं शेष 5 डाक्टरों के विरुद्ध सामान्य किस्म की भी शिकायत प्राप्त हुई जिनके विषय में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली द्वारा जांच की जा रही है ।

जिला बांसवाड़ा में बसों की यथोचित व्यवस्था

108. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला बांसवाड़ा में रेल के अभाव में परिवहन निगम की बसों की उचित व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) बांसवाड़ा डिपो में इस समय कितनी बसें हैं ? कितनी बसों की मांग है तथा वे कब तक डिपो को आवंटित कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(156)

(श्री बहादुर सिंह)

(2) बांसवाड़ा आगार में वर्तमान में 51 वाहनें हैं। वर्तमान में निर्धारित 50 अनुसूचित सेवाओं के संचालन हेतु 50 वाहनों तथा सामयिक रख रखाव एवं दैनिक अनुबन्धों हेतु 10 प्रतिशत अर्थात् अतिरिक्त 5 वाहनों सहित कुल 55 वाहनों की आवश्यकता है। 4 वाहनों की पूर्ति यथा शीघ्र कर दी जायेगी।

भीलवाड़ा में अतिक्रमण व अनधिकृत निर्माण के मामलों में चालान

109. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा नगर परिषद् व नगर विकास न्यास ने अपने अपने क्षेत्रों में सन् 1980-81 व 1981--82 में अतिक्रमण व अनधिकृत निर्माण के मामलों में चालान किये हैं ? यदि हां, तो कितने अदालतों में प्रस्तुत किये गये तथा अदालतों में प्रस्तुत कितने मामले निर्णीत हो गये हैं और कितने विचाराधीन हैं ?

उत्तर

हां, यह सही है कि भीलवाड़ा नगर परिषद् व नगर विकास न्यास ने अपने अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण व अनधिकृत मामलों में चालान बनाये अदालतों में प्रस्तुत किये जिनका निर्णय हुआ तथा विचाराधीन की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

परिशिष्ट 'क'

सूची

		वर्ष	चालान बनाये	चालान अदालत में प्रस्तुत किये	निर्णय हुआ	विचाराधीन
1. नगर परिषद्	(1)	1980-81	1075	1075	1002	73
भीलवाड़ा	(2)	1981-82 (16/2/82) तक	37	37	22	15
2. नगर विकास न्यास		1980-81	—	—	—	—
भीलवाड़ा		1981-82	198	--	—	--

सरपंचों का निलम्बन

110. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत डेढ़ वर्ष में कितने सरपंचों को निलम्बित किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। इन्हें निलम्बित करने के क्या कारण थे ? क्या निलम्बित करने से पूर्व उन्हें अपने पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ सरपंचों को जिन्हें जनता शासन में निलम्बित किया गया एवं जिनके खिलाफ गम्भीर आरोप थे तथा विभाग द्वारा उनके विरुद्ध रिपोर्ट देने पर भी उन्हें बहाल कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत डेढ़ वर्ष में 156 सरपंचों को निलम्बित किया गया था जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। सरपंचों के निलम्बित किये जाने के कारण सूची में अंकित कर दिये गये हैं। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सरपंचों को निलम्बित किये जाने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जाना आवश्यक हो।

(2) जी नहीं। सरपंचों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए निलम्बित किये गये सरपंचों को राज्य सरकार द्वारा बहाल किया जाता है।

ग्राम मूंगसका (अलवर) के निकट कुटीर हाउस के समीप की भूमि का प्रकरण

112. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वन विभाग द्वारा अलवर में ग्राम मूंगसका के निकट कुटीर हाउस के साथ लगी जमीन श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल को 1955 में ठेके पर दी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि श्री लक्ष्मीनारायण ने सन् 1956 में उक्त जमीन के खातेदारी हकूक अपने नाम करा लिये थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री लक्ष्मी नारायण के विरुद्ध वन विभाग द्वारा न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था ? यदि हां, तो क्या उच्च न्यायालय का फैसला वन विभाग के पक्ष में हुआ ?

(4) यदि हां, तो क्या वन विभाग द्वारा उक्त जमीन का कब्जा ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कौन अधिकारी इसके लिये दोषी है ?

(5) क्या उक्त जमीन का कुछ हिस्सा श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा बेच दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

(6) सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात् जमीन का कब्जा लेने के

(श्री जीतमल जैन)

लिये क्या क्या कदम उठाये गये हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) जमीन पर कब्जा लेने हेतु वैधानिक कार्यवाही जारी है ।

(5) इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

(6) लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही जेरकार है । न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा बेदखल सम्बन्धी कार्यवाही पर स्थगन आदेश जारी किये हुए हैं । अतः बेदखली की कार्यवाही न्यायालय के फैसले के बाद ही सम्भव हो सकेगी ।

भीलवाड़ा नगर के लिये हवाई अड्डा

113. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि भीलवाड़ा नगर राज्य का प्रमुख औद्योगिक नगर है और यहां पर हवाई अड्डा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को भेजा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित हो जायेगा ?

(2) क्या भीलवाड़ा हवाई अड्डा स्थापित करना तकनीकी एवं औद्योगिक विकास की दृष्टि से दिये गये सर्वे में उचित माना जा चुका है ? यदि हां, तो क्या इस बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है ?

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा इसके लिए पर्याप्त भूमि एवं स्थान का चयन किया जा चुका है ? यदि हां, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें ।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा नगर राजस्थान का औद्योगिक नगर है । यहां पर हवाई अड्डा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को नहीं भेजा है ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुशलगढ़ क्षेत्र में भूमिहीनों को भूमि आवंटन

114. श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला बांसवाडा के कुशलगढ़ क्षेत्र में 1980-81 में भूमिहीनों को भूमि आवण्टित की गई

(श्री फतेसिंह)

है ? यदि हां, तो कब-कब व किन-किन को कितनी भूमि आवण्टित की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि भूमिहीन कृषकों ने राज्य की राजस्व भूमि पर कई वर्षों से कब्जा कर रखा है और सरकार हर साल उनसे दण्ड के रूप में राशि वसूल कर रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि बन्दोबस्त के वक्त से ही काबिल काश्त भूमि को नाकाबिल काश्त की सूची में दर्ज कर रखी है जब कि मौके पर भूमि काबिल काश्त है ?

(4) क्या राज्य सरकार नाकाबिल काश्त भूमि को काबिल काश्त में परिवर्तन कर नाजायज कब्जे करने वाले भूमिहीनों को आवण्टित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980–81 में 109 व्यक्तियों को 176.52 एकड़ भूमि भूमिहीनों को आवंटित की गई । सूची सदन की पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां, कुछ अंश तक ।

(4) जो भूमि वर्तमान में मौके पर काबिल काश्त है और रिकार्ड में नाकाबिल काश्त दर्ज है, उसे बाद बन्दोबस्त कृषकों ने अतिक्रमण कर नाकाबिल काश्त से काबिल काश्त में परिवर्तन कर दिया है, उक्त पड़त भूमि को नियमानुसार भूमिहीनों में आवंटन किया जाता है ।

सूची भूमि आवंटन दिनांक 1–4–80 से 31–3–81 तक

क्रम सं.	नाम व्यक्ति/पिता का नाम	ग्राम	रकबा	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री घुलिया पिता टीटा	पडवाल उंकार	11)	17-6-80
2.	श्री टीटा/नानजी	,,	1)	,,
3.	श्री सुरपाल/मन्ना	,,	111)2	,,
4.	श्री देवजी/हीरा	कानपुरा	1)9	,,
5.	श्री करमा/हीरा	आम्बा	1)	,,
6.	श्री वालू/घाघरा	भीलकुआं	111)	,,
7.	श्री भाघु/नारजी	,,	111)	,,
8.	श्री कालिया/ओखिया	लकोशीमा	2)	,,

(160)

1	2	3	4	5
9.	श्री तेजहींग/पतरा	पेपालखेड़ा	2ı11)1	17-6-80
10.	श्री देवा/करमा	कसोडिया	2)	,,
11.	श्री कमजी/हीमा	टाण्डमंगला	3ıı)1	,,
12.	श्री कारू/दलजी	खुराजीमा	1ıı)1	,,
13.	श्री भीमजी/हरेग	भड़वेल	1ıı)3	,,
14.	श्री हरदार/कड़ला	,,	1)	,,
15.	श्री देवचन्द/नारेग	पाड़ला	0–34	18-6-80
16.	श्री चौखा/रावजी	,,	1–00	,,
17.	श्री कुंवरिया/पूजा	,,	1–00	,,
18.	श्री मुरिया/भीमजी	,,	0–50	,,
19.	श्री दीपा चोखा, कलहींग, जीधीन पुत्र वरसिंह	,, ,,	1–17	,,
20.	श्री बदा/रामा	,,	0–50	,,
21.	श्री तवु/विजीया	चन्देरी	0–90	,,
22.	श्री परथेन/नाथू	,,	0–18	,,
23.	श्री खेमा/लीमजी	टिम्बेडाछोटा	0–09	,,
24.	श्री भलिया/कुरिया	बाकानेर	0–78	,,
25.	श्री कालिया/वरसिंह	टिमेडाछोटा	0–18	,,
26.	श्री चुनिया/लीमजी	मारकुण्डी	0–58	,,
27.	श्री वेलजी/विजीया	भूमिवाड़ा	0–60	,,
28.	श्री सकन/जवता	भूमिपाड़ा	0–28	19-6-80
29.	श्री लवजी/हीमा	,,	0–66	,,
30.	श्री हमरसिंह/वरसिंह	,,	0–40	,,
31.	श्री रूपा/पलजी	,,	0–90	,,
32.	श्री गवजी/जतरा	,,	0–20	,,
33.	श्री हरिया/पड़िया	भारमहुडी	0–75	,,
34.	श्री कलसिंह/खेमा	कुण्डवाड़ा	[illegible]	,,
35.	श्री वालजी/जेतिया	लुजावाड़ा	3–59	,,
36.	श्री देवचन्द/जेवा	,,	1–83	,,
37.	श्री हीरा–रूपेग	,,	0–27	,,
38.	श्री हयजी/दलजी	,,	3–22	,,
39.	श्री राजीया/दलजी	,,	3–73	,,
40.	श्री मोतन/नाथा	,,	1–20	,,

1	2	3	4	5
41.	श्री तरसिंग/मोती	लूजावाड़ा	3-00	19-6-80
42.	श्री धुलजी/गजेग	,,	4-48	,,
43.	धीरजी/मोना	भारमखुड़ी	1-45	,,
44.	धानु/हरिया	भामजी	0-70	24-6-80
45.	श्री हरिया/नबला	हुंटाला	313	,,
46.	श्री हीरा, वीरा/कालिया	,,	1)	,,
47.	श्री मधा/वरसिंग	बेडा अनाथा	11)	21-1-81
48.	श्री नाथु/पूंजा	बेडा अनाथा	11)	,,
49.	श्री खातु/रंगला	,,	111)	,,
50.	श्री रूपा/हरिका	,,	1111)	,,
51.	श्री नानजी/जोती	खरोड़चतरा	1)1	,,
52.	श्री हुकरा/कमजी	,,	11)	,,
53.	श्री मनना/फता	,,	1)	,,
54.	श्री पीधवाई/पत्नी पूंजा	,,	1)	,,
55.	श्री वागजी/वेलजी	,,	)8	,,
56.	श्री सवजीह/रजी	,,	1)1	,,
57.	श्री पूजा/कड़वा	,,	1)	,,
58.	श्री राजेन्ग/ज्योति	,,	2)	,,
59.	श्री हीरा/कालू ढोली	गलधर	6-54	24-1-81
60.	श्री आसमानी/सरदार	,,	8-06	,,
61.	श्री गौतम/धीरजी	,,	5-93	,,
62.	श्री सुखराम/धीरजी	,,	4-57	,,
63.	श्री सरदार वीरजी	,,	4-63	,,
64.	श्री लक्ष्मण/खेमचन्द	,,	7-36	,,
65.	श्री पूंजा/वीजा	गलधर	4-43	,,
66.	श्री हमीरा/हेमचन्द	,,	4-12	,,
67.	श्री धूला/हेमचन्द	,,	4-20	,,
68.	श्री वरसिंग/देवा	,,	6-08	,,
69.	श्री भूरजी-भेरजी	,,	1-29	,,
70.	श्री रुघनाथ/गौतम	,,	6-15	,,
71.	श्री वीजा/मगन	अमलीपाडा	7-25	,,
72.	श्री लक्ष्मण/वाला	गधलर	2-90	,,
73.	श्री सुरूखा/लालचन्द	गलधर	3-81	,,
74.	श्री वजी/सुखराम	आमलीपाडा	9-08	,,

(162)

1	2	3	4	5
75.	श्री गमना/भरिया	बाकानेर	0–16	28-1-81
76-	श्री सत्यवीर/सरदार	वड़लीपाड़ा	0–12	,,
77.	श्री गमना/जोती	,,	1–02	,,
78.	श्री जोरसिग/हुरतेग	,,	0–28	,,
79.	श्री मन्नू/हरिया	,,	0–29	,,
80.	श्री मानसिह/हेमचन्द	,,	1–00	,,
81.	श्री हेमचन्द/वीरजी	,,	1–00	,,
82.	श्री रामचन्द/नारेग लवाना	टिमेडा छोटा	0–55	,,
83.	श्री हामजी/हकजी	,,	0–20	,,
84.	श्री हुरेतेग/नापजी	रामापाड़ा	0–48	,,
85.	श्री मडिया/फता	,,	0–71	,,
86.	श्री लक्ष्मणसिह/सोहनसिह	विहारीपुरा	1–80	,,
87.	श्री चंपा/रूपेग	,,	1–00	,,
88.	श्री पुनिया/धुलजी	,,	2–00	,,
89.	श्री नरेन्द्रसिह/हरिसिह	वडवास बर्डी	0–10	,,
90.	श्री किडिया/हलिया	,,	1–52	,,
9[illegible].	श्री रूपजी/पूजा	वडवास	0–82	,,
92.	श्री हकरा/भीमजी	निसनावट	0–60	,,
93.	श्री हरिसिह/घावरा जोर्गी	,,	0–31	,,
94.	श्री माणजी/कोरी भील	घाटा	0–20	,,
95.	श्री दलीया/होमजी	,,	1–52	,,
96.	श्री वदिया/होमजी	,,	0–76	,,
97.	श्री मंगला/घावरा	,,	2–15	,,
98.	श्री वेस्ता/जिघीग	,,	1–50	,,
99.	श्री हुनिया/कालू	,,	0–27	,,
100.	श्री जोरसिग/हीरजी	,,	1–50	,,
102.	श्री हरजो/दलजी	,,	2–50	,,
102.	श्री ताजू/जोखमा	,,	1–00	,,
103.	श्री कालू/जीधा	,,	0–50	,,
104.	श्री कबी/कायिा	,,	1–00	,,
105.	श्री मेघजी/दूदा	,,	1–00	,,
106.	श्री जेघा/काला	सारण	0–86	,,
107.	श्री रामजी/वदा	,,	6–00	,,
108.	श्री ददा/जेघा	,,	2–00	,,
109.	श्री पूना/चौखा	बस्सी	0–52	,,

बाड़मेर व जैसलमेर जिलों के उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ की समुचित व्यवस्था

115. श्री अमीन खाँ (शिव) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) बाड़मेर व जैसलमेर जिलों के गांवों में कुल कितनी डिस्पेंसरीज और कितने सब-सैन्टर्स हैं ? कृपया पंचायत समितिवार संख्या बतायें ।

(2) बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में कितने व कौन-कौन से सब-सैन्टर्स में स्टाफ कतई नहीं है ? अब यहां कब तक स्टाफ पदस्थापित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर के गांवों में 19 डिस्पेन्सरीज एवं 72 उपकेन्द्र और जैलसमेर जिले के गांवों में 7 डिस्पेन्सरीज एवं 21 उपकेन्द्र स्वीकृत है । सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) बाडमेर में 42 सब सेन्टर्स व जैलसमेर में 18 सबसेन्टर्स पर स्टाफ नहीं है ।

सूची संलग्न है । योग्य एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने पर पदस्थापित कर दिया जायेगा ।

बाडमेर व जैलसमेर में डिस्पेन्सरी और सब सेन्टर्स की सूची

क्र०सं०	जिला	पंचायत समिति	डिस्पेन्सरी	सबसेन्टर
1.	बाडमेर	1. सिवाना	2	10
		2. बालोतरा	4	10
		3. सिधडी	2	9
		4. धरियामाना	2	10
		5. बायतू	2	9
		6. शिव	3	7
		7. चोहटन	2	8
		8. बाडमेर	2	9
2.	जैसलमेर	1. साकरा	3	7
		2. सम	2	7
		3. जैसलमेर	2	7
		कुल	26	93

भाग (2) की सूची

क्र० सं०	जिला	पंचायत समिति	प्रा० स्वा० केन्द्र	नाम उपकेन्द्र
1.	बाड़मेर	1. सिवाना	समदडी	1. कर्मावास
				2. मेली
				3. कोटोडी
				4. इन्द्राना
				5. राखी
				6. जेतनतारी
		2. बालोतरा	माडलो	7. दुदवा
				8. केलवा
				9. कूडी
		3. सिघरी	सिघरी	10. नोख
				11. नोकाडा
				12. बेड
				13. दाखा
				14. भाटाला
		4. घरियामाना	गुडमलानी	15. भाखरापुरा
				16 पिपराली
				17 उडसर
				18. बिसारनीया
				19. ग्रोजाला
				20. मुनिया
				21. लुहारवा
				22, भगंता
		5. बायतू	बायतू	23. भक
				24. परेऊ

क्र०सं०	जिला	पंचायत समिति	प्रा०स्वा०केन्द्र	नाम उपकेन्द्र
				25. हीरो की ढाणी
				26. होडम की ढाणी
				27. कानोड
		6. शिव	गूंगा	28. हरसानी
				29. गहूरारोड
				30. बलेवा
				31. कोटरा
				32. उन्डू
				33. देवका
				34. गिराब
		7. चोहटन	चोहटन	35, सोभाला
				36. सारला
				37. बेजाराड
		8. बाडमेर	रामसर	38. लीलसर
				39. काडीन
				40. सनवारा
				41. गागरीया
				42. तारातरा
2.	जैसलमेर	1. साकतडा		1. उजला
				2. छापरा
				3. लोहरकी
				4. साकडा
				5. भेसडा
		2. जैसलमेर		6. नेडाई
				7. डाबाय

क्र०सं०	जिला	पंचायत समिति	प्रा०स्वा० केन्द्र	नाम उपकेन्द्र
				8. रूपसी
				9. बडोडागांव
				10. असकन्द्रा
			3. सम	11. चेलक
				12. हाबूर
				13. रासला
				14. सम
				15. रणथा
				16. खुडी
				17. डांगरी
				18. झिनझिनयाली

रावी-ब्यास नदी जल बंटवारे सम्बन्धी समझौता

116. श्री राज बहादुर (भरतपुर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

रावी-ब्यास नदियों के जल के बंटवारे के सम्बन्ध में हाल ही में जिस समझौते पर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के मुख्य मन्त्रियों के हस्ताक्षर हुए हैं, उसकी मुख्य-मुख्य शर्तें क्या हैं? कृपया समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

समझौते की पूर्ण प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है जिसमें मुख्य-मुख्य शर्तों का भी समावेश है।

AGREEMENT REGARDING ALLOCATION OF SURPLUS FLOWS OF THE RIVERS RAVI AND BEAS OVER AND ABOVE THE PRE-PARTITION USES AND IMPLEMENTATION OF THE SUTLEJ-YAMUNA LINK CANAL PROJECT.

WHEREAS under the Indus Waters Treaty of 1960, the waters of the three rivers. namely Sutlej, Beas and Ravi became available for unrestricted use by India after 31st March, 1970, and

WHEREAS while at the time of signing of the said treaty, the waters of the Sutlej and already been planned to be utilised for the Bhakra-Nangal Project, the surplus flow of rivers Ravi and Beas, over and above the pre-partition use, was allocated by agreement, in 1955 (hereinafter called the 1955 Agreement), between the concerned States as follows, namely :

Punjab	....	7.20 MAF (including 1.30 MAF for PEPSU)
Rajasthan	....	8.00 MAF
Jammu & Kashmir	....	0.65 MAF
		15.85 MAF

and, for the purpose of the said allocation, the availability of water was based on the flow series of the said rivers for the year 1921-1945, and

WHEREAS the Central Government issued a notification on 24th March, 1976, allocating 3.5 MAF of the water becoming available as a result of Beas Project to Haryana and the balance not exceeding 3.5 MAF to Punjab out of the total surplus Ravi-Beas waters of 7.2 MAF falling to the share of erstwhile State of Punjab after setting aside 0.2 MAF for Delhi drinking water supply; and

WHEREAS the Punjab Government sought a review of the aforesaid notification for increasing the allocation to Punjab and linked

this matter to the construction of the Sutlej-Yamuna Link Canal for Haryana in Punjab teritory; and

WHEREAS the Government of Haryana filed a suit in the Supreme Court praying inter alia that a directive be issued to Punjab for expeditiously undertaking construction of the Sutlej-Yamuna Link Canal in Punjab territory and for declaring that the notification of the Government of India allocating the waters becoming available as a result of the Beas Project issued on 24th March, 1976 is final and binding; and

WHEREAS the Punjab Government also filed a suit in the Supreme Court challanging the comptetence of the Central Government to enact Section-78 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 and notwithstanding this, questioning the notification issued under Section-78 of the said Act; and

WHEREAS adjournment has been sought from time to time in hearing of the suits filed in Supreme Court by Haryana and Punjab to enable the Parties to arrive at a mutually acceptable settlement of the differences that have arisen, and

WHEREAS discussions have been held by the Prime Minister of India and Union Minister of Law, Justice and Company Affairs with the Chife Minister of Haryana, Punjab and Rajasthan.

Now therefore, we, the Chief Ministers of Haryana, Rajasthan and Punjab keeping in view the overall national interest and desirous of speedy the optimum utilisation of the waters of the Ravi and Beas Rivers and also having regard to the imperative need to resolve speedly the differance relating to the use of these waters in a spirit of give-and-take do here by agree as under:-

(i) According to the flow series 1921-60, the total mean supply of Ravi-Beas waters is 20.56 MAF. Deducting the pre-partition uses of 3.13 MAF and transit losses in the Madhopur Beas Link of 0.26 MAF the net surplus Ravi-Beas waters according to the flow series 1921-60 is 17.17 MAF as against the corresponding figures of 15185 MAF for the flow series 1921-45, which forms the

(169)

basis of water allocation under the 1955 Agreement. It is now here by agreed that the mean supply of 17.17 MAF (flow and storage) may be re-allocated as under:-

Share of Punjab	4.22 MAF
Share of Haryana	3.50 MAF
Share of Rajasthan	8.60 MAF
Quantity earmarked for Delhi water snpply	0.20 MAF
Share of Jammu & Kashmir	0.65 MAE
	17.17 MAF

In case of any variation in the figure of 17.17 MAF in any year, the shares shall be changed prorata of the above revised allocations subject to the condition that no change shall be made in the allocation of Jammu & Kashmir which shall remain fixed as 0.65 MAF as stipulated in the 1955 Agreement. The quantity of 0.20 MAF for Delhi water supply stands as already allocated.

(ii) Until such time as Rajasthan is in a position to utilise its full share. Punjab shall be free to utilise the waters surplus Rajasthan's requirements. As Rajasthan will soon be able to utilise its share, Punjab shall make adequate altenative arrangements expeditiously for irrigation of its own lands, by the time Rajasthan is in a position to untilise its full share. As a result, it is expected that during this transitional period when Rajasthan's requirements would not exceed 8.0 MAF. 3.82 MAF of water should be available to Punjab in a mean year when the availability is 17.17 MAF.

iii) The Bhakra and Beas Management Board (BBMB) shall be permitted to take all necessary measures for carrying out meas-urements and for ensuring delivery of supplies to all the concerned States in accordance with their entitlements

such as rarting the gauge discharge curves, installation of self-recording gauges, taking observations without any hinderance of the discharge measurements. The selection of the control points at which the Bhakra and Beas Management Board would take appropriate measures as mentioned above shall include, but be not limited to, all points at which Bhakra and/or Ravi-Beas discharges are being shared by more than one state and all regulation points on the concerned Rivers and Canals for determining the shareable supplies. The decision of the Bhakra Beas Management Board would be binding in so far as the selection of the control points is concerned for the purposes of taking discharge measurements to facilitate equitable distribution of the waters but it any State Government contests the decision, the Central Government shall decide the mater with 3 months and this decision shall be final and binding. All the concerned State Government shall co-operate fully and shall promptly carry out day-to-day directions of the Bhakra Beas Management Board in regard to regulation and control of supplies, operation of gates and any other matters, in their territories, for ensuring delivery of supplies as determined by Bhakra Beas Management Board in accordance with their entitlements as Provided under the Agreement.

(iv) The Sutlej-Yamuna Link Canal Project shall be implemented in a time bound manner so far as the canal and appurtenent works in the Punjab territory are concerned within a maximum period of two years from the date of signing of this Agreement so that Haryana is enabled to draw its allocated share of waters. The canal capacity for the purpose of design of the canal shall be mutually agreed upon between Punjab and Haryana within 15 days, failing which it shall be 6500 cusecs, as recomended by the former chairman, Central Water Comission.

Regarding the claim of Rajasthan to convey 0.57 MAF of waters through Sutlej-Yamune Link/Bhakra System, Secretary Ministry of Irrigation, Government of India will hold

discussions with Punjab, Haryana and Rajasthan with a view to reaching an acceptable solution. These discussions shall be concluded in a period of 15 days from the date of affixing signatures herein and before the work starts. If no mutually acceptable agreement is reached, the decision of Secretary, Ministry of Irrigation to be given within this period shall binding on all the pasties. It is found necessary to increase the capacity of Sutlej-Yamuna Link Canal beyond that decided under above Sub-parain any or entire reach thereof, the States concerned shall implement the Link Canal in a time bound manner with such increased capacity at the cost of Rajasthan Government.

The differences with regard to the alignment of the Link Canal and appurtenant works in the Punjab territory would be discussed by the Haryana and Punjab Governments who should agree to a mutually acceptable canal alignment in Punjab territory including appurtenant works within a period of three months from the date of signing of this Agreement. If, however, the State Govts. are unable to reach complete agreement within this period, the matter shall be decided by the Central Government within a period of two weeks. Both the State Governmnt shall co-operate fully to enable Central Govt. to take timely decision in this regard. The decision of the Central Governement in this matter shall be final and binding on both the Governments and the Canal and appurtenant works in punjab territory shall be implemented in full by Punjab Government. However, work on the already ageed reaches of the alignmeat would start within fifteen days of the signing of the agreement and work within the other reaches immediately after the alignment has been decided. Haryana shall Provide necessary funds to the Punjab Government for surveys, investigations and construction of the Link Canal and appurtenant works in Punjab territory. Whereas a result of acquisition of land, extreme hardship is caused to families, the Punjab Govt.

shall forward to the Haryana Government suitable proposals for reliveing such hardship in line with such schemes in Punjab undertaken in respect of similar Canal works in Punjab territory. The Haryana Government shall arrange to bear the cost of such proposals. In the event, however, of any difference of opinion arising on the question of sharing cost the parties shall abide by the decision of the Secretary, Ministry of Irrigation, Government of India. The progress of the work shall not, however, be delayed on this account. The Central Government will be requested to monitor the progress of the works being carried out in Punjab territory.

(v) The Agreement reached in paras (i) to (iv) above shall be implemented in full by the Government of Haryana, Rajasthan and Punjab. If any signatory State feels that any of the provisions of the Agreement are not being complied with the matter shall be referred to the Central Government whose decisions shall be binding on all the States. In this respect, the Central Government shall be competent to issue such directions or take such measures as may be appropriate to the circumstances of the case to facilitate and ensure such compliance.

(vi) The suits filed by the Governments of Haryana and Punjab in the Supreme Court would be withdrawn by the respective Government without any reservations whatsoever but subject to the terms of this Agreement.

(vii) The notification of the Government of India allocting the waters becoming available as a result of the Beas Project issued on 24th March, 1976, and published in the Gazette of India, Part-II, Sections-3 Sub-section (ii) as well as the 1955 Agreement stand modified to the extent varied by in force as modified herein.

In case of any difference on interpretation of this Agreement, the matter will be referred to the Central Government whose decision shall be final.

We place on record and gratefully acknowledge the assistance and advise given by our respected Prime Minister, Smt. Indira Gandhi in arriving at this expeditious and amicable settlement.

NEW DELHI, the 31st December, 1981.

Sd-	Sd-	Sd-
(BHAJAN LAL)	(SHIV CHARAN MATHUR)	(DARBARA SINGH)
Chief Minister of Haryana,	Chief Minister of Rajasthan.	Chief Minister of Punjab.

In the presence of :

Sd-

(INDIRA GANDHI)

PRIME MINISTER OF INDIA.

उदयपुर नगर परिषद् द्वारा संचालित पुस्तकालय का भौतिक सत्यापन

117. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर परिषद् द्वारा संचालित पुस्तकालय का भौतिक सत्यापन 1970 से 1981 तक कितनी बार किस अधिकारी ने किया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सच है कि भौतिक सत्यापन समय पर नहीं होने से हजारों रुपयों की पुस्तकें गायब हो गई हैं ? यदि नहीं, तो पुस्तकालय का भौतिक सत्यापन आखिरी बार कब हुआ था ? कृपया उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1977-78 से 1981-82 तक प्रत्येक वर्ष कितनी राशि की पुस्तकें खरीदी गई थीं ? क्या यह सही है कि पुस्तकों की खरीद में अनियमिततायें हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर परिषद् द्वारा संचालित पुस्तकालय का भौतिक सत्यापन 1970 से 1981 तक नहीं किया गया है।

(2) अब भौतिक सत्यापन कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। सत्यापान के बाद ही गायब पुस्तकों के बारे में कहा जा सकेगा।

(3) वर्षवार पुस्तकों की खरीद का विवरण निम्न प्रकार है–

1977-78	3409	49,826.16
1978-79	2785	59,182.27
1979-80	3880	74,480.42
1980-81	3247	79,877.46
1981-82	2348	72,255.80

सितम्बर तक

पुस्तकें नियमों के अनुसार ही क्रय की गई है। अभी तक कोई अनियमितता का मामला प्रकाश में नहीं आया है।

———

गत डेढ़ वर्ष में निलम्बित व बहाल किये गये सरपंचों का विवरण—कारणों सहित

क्र०सं०	नाम सरपंच	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	निलम्बित किये जाने के आदेश क्रमांक एवं दिनांक	निलम्बित किये जाने के कारण	बहाल किये जाने के आदेश क्रमांक एवं दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
				जिला अजमेर			
1.	श्री हेमराज	सिरोंज	अराई	5966-73 । 8-8-80	राशि का गबन एवं पद का दुरुपयोग	—	समाप्त
2.	,, रामनाथ	नवां	किशनगढ़	5974-81 । ,,	,, ,,	—	6418 ।
3.	,, तेजपाल	मोगादीत	अराई	6835-42 । 26-9-80	100 बोरी सीमेन्ट का अपहरण	—	22-10-81
4.	,, रंगलाल	रामगढ़	मसूदा	2442-49 । 12-5-81	राशि का दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग		सुनवाई में
5.	,, नोरतमल	करनोस	पीसांगन	5345-52 । 31-8-81	राशि का गबन	7511-16	
6.	,, विरोन्द्र सिंह	बादनबाड़ा	भिनाय	6939-46 । 10-11-81	प्लाटों का निःशुल्क आवंटन पद का दुरुपयोग, पंचायत को आर्थिक क्षति पहुंचाई	2-12-81	
7.	,, घीसासिंह	अंधोदेवरी	मसूदा	1836-44 । 14-4-81	राशि का गबन		

1	2	3	4	5	6	7	8
					जिला अलवर		
8.	श्री जयसिंह	कुतीना	नीमराना	3836-43 । 8-7-81	राशि का गबन		जिलाधीश अलवर के पत्रांक (341) पंचा । 81 । 7483 दिनांक 21-7-81 के अनुसार 27-6-81 को सरपंच का स्वर्गवास हो गया है परन्तु आरोपों से संबंधित राशि बकाया हो उसक वसूली बाबत जिलाधीश, अलवर को पत्रांक एफ. 3 । एजे । 1 अल. । 81 । 5131 दि० 24-8-81 द्वारा लिखा जा चुका है।
9.	,, करतारसिंह	गंज	किशनगढ़वास	5161-68। 25-8-81	राशि का गबन, राशि का फर्जी भुगतान., पद. का दुरुपयोग		
					जिला जोधपुर		
10.	,, हिन्दूसिंह	डागियावास	मण्डोर	5561-68। 7-9-81	अनाज का गबन, पद का दुरुपयोग		
11.	,, मांगीलाल	सतलाना	लूणी	5477-74। 11-9-81	गेहूं का गबन, राशि का गबन, रेकार्ड में हेरा फेरी		

(177)

1	2	3	4	5		7	8
					जिला झुन्झुनू		
12.	श्री खेमचन्द	बीवासर	झुन्झुनू	2116-23। 29-4-81	गेहूं का दुरुपयोग	2644-51 16-5-81	निलम्बित 4709-16 10-8-81
13.	,, हनुमानसिंह	पिपली	सूरजगढ़	4699-4706/ 10-8-81	गेहूं व राशि का गबन		
14.	,, सरदाराराम	छतरवास	चिढ़ावा	4645-52। ,,	गेहूं का दुरुपयोग	7050-55 18-11-81	
					जिला भरतपुर		
15.	,, रामजीलाल	कोटरा	धौलपुर	523। 24-1-81	पंचायत कोष की राशि का दुरुपयोग		
16.	,, रामसहाय	भूतोली	वैर	1463। 26-[illegible]-81	राशि का गबन, आदेशों की अवहेलना, पद का दुरुपयोग	2942-59/ 29-5-81	
17.	,, तुलसिंह	बोडोली	नगर	1928-36। 22-4-81	फर्जी हस्ताक्षर, राशि का गबन, पद का दुरुपयोग	2119-26/ 7-5-81	
18.	,, श्यामलाल	ईटामदा	वैर	2304-11/ 6-5-81	व्यय से अधिक राशि दिखाने बाबत		

1	2	3	4	5		6	7	8
19.	श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता	महूलपुर चुरा	रूपवास	5541-48।	7-9-81	निर्धारित राशि से अधिक व्यय, आदेशों की अवहेलना, पद का दुरुपयोग	5783-89/ 23-9-81	
20.	,, हरिशंकर	गुरवारा	सेवर	5551-58।	7-9-81	गेहूं की राशि का अपहरण, मस्टरौल में हाजरी दर्ज न करना	7533-39/ 2-12-81	
21.	,, रामसहाय	कासोट	डीग	5451-58।	19-9-81	गेहूं का अपहरण, पंचायत कोष को हानि, राशि का अपहरण	6854-60/ 9-11-81	
22,	,, छिद्दासिंह	हिनोता	धौलपुर	5459-66।	,,	राशि का गबन, अधूरा कार्य, पद का दुरुपयोग	6003-9/ 12-10-81	
23.	,, हेतराम	घुस्यारी	सेवर	5643-50।	18-9-81	अनाज की राशि का गबन		
24.	,, मुरलीसिंह	सतवास	कामां	6931-38।	10-11-81	पद का दुरुपयोग	6715-22/	
25.	,, नत्थीसिंह	बालेखेड़ा	,,	6960-67	,,	,, ,,	12-11-81	

जिला सीकर

26.	,, रामेश्वर विद्यार्थी	दांतारामगढ़	दांतारामगढ़	6166-71।	11-8-80	राशि का दुरुपयोग		राज०उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दि० 6-7-81

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	श्री बोदूराम	खण्डेलसर	दांतारामगढ़	2219-26। 2-5-81	राशि का दुरुपयोग	3990-97/ 16-7-81	
28.	,, गुमानाराम	श्यामपुरा	घोंद	2320-36। 7-5-81	आदेशों की अवहेलना, पद का दुरुपयोग		
29.	,, रामस्वरूप	काबट	दांतारामगढ़	5353-60। 31-8-81	न्यायालय में केस	7576-81/ 3-12-81	
					जिला पाली		
30.	,, भंवरसिंह	हेमावास	पाली	7444-50। 12-11-80	फौजदारी मुकदमा विचाराधीन होने से		
31.	,, गिरधारीलाल चौधरी	चावण्डिया	,,	1403-10। 18-3-81	गबन संबंधी		
32.	,, हरिसिंह	डरी	,,	5253-60। 27-8-81	पंचायत के कार्यों में लापरवाही	6450-57/ 24-10-81	
					जिला जालौर		
	—	—	—	—	—		

1	2	3	4	5	6	7	8
					जिला जयपुर		
33.	श्री नाथूसिंह	मांकरोटा	फागी	4-11-80	पंचायत कोष का गबन एवं पद का दुरुपयोग	2494/ 13-5-81	
34.	,, नारायणलाल	मासेल	,,	,,	रेकार्ड में कांट-छांट कर पद का दुरुपयोग	26-87/ 19-5-81	
35.	,, रघुनाथसिंह	दूदू	दूदू	8586। 18-12-80	भूमि विक्रय में अनियमितता, पद का दुरुपयोग	—	
36.	,, नेरनूराम	रामनगर	चाकसू	8780। 26-12-80	राज्यादेश की अवहेलना कर भूमि विक्रय में अनियमितता	—	
37.	,, सत्यनारायण	हंसमहल	बस्सी	26-12-80	पंचायत की राशि का गबन	—	
38.	,, गोर्धनलाल	हिरनोदा	दूदू	23-12-80	पंचायत रिकार्ड में कांट-छांट करना, मनमानी करना, पद का दुरुपयोग करना	—	
39.	,, रामेश्वर प्रसाद	धूलारावजी	जमवारामगढ़	8902। 11-1-81	दोहरी हाजरी भरना, पद का दुरुपयोग	—	
40.	,, लादूराम	चांदमाकलां	फागी	114। 5-1-81	फर्जी हाजरी भरना, पंचायत कोष को नुकसान	6842 7-11-81	

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	श्री महादेव	नावन	शाहपुर	125। 5-1-81	दोहरी हाजरी बनाना, पद का दुरुपयोग		
42.	,, बजरंगदास	चकवाडा	फागी	138। 5-1-81	अनाधिकृत भूमि विक्रय, आदेशों की अवहेलना		
43.	,, भगवानसहाय	बूरथल	बस्सी	6542। 26-10-81	गलत नामान्तरकरण एवं पंचयत कोष का गबन कर पद का दुरुपयोग, दोहरा फर्जी भुगतान उठाना।	7470 1-12-81	
44.	,, प्रह्लादराय	आतेला	विराटनगर	504। 24-1-81	मस्टररोल में कांट-छांट, गंभीर अनियमिततायें।	771 9-2-82	
45.	,, रेवड़मल	डोंगरवाडा	जमवारामगढ़	1062। 27-2-81	पंचायत रेकार्ड में कांट-छांट, पद का दुरुपयोग		
46.	,, रामदयाल	फुटोलाव	,,	1094 ,,	रेकार्ड में हेरा-फेरी, पंचायत कोष का गबन		
47.	,, बद्रीनारायण	नांगलराजावतान	दौसा	1636-44। 1-4-81	पंचायत कोष का गबन, पद का दुरुपयोग	2264 6-5-81	
48.	,, कानाराम	खिजरिया ब्राह्मन	बस्सी	2133। 29-4-81	गंभीर अनियमिततायें, पद का दुरुपयोग		

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	श्री भंवरसिंह	रहलाना	दूदू	3441। 18-6-81	मस्टररोल में कांट-छांट, मजदूरी का भुगतान नहीं करना, रेकार्ड में हेरा-फेरी		
50.	,, मदनसिंह	जयसिंहपुरा	विराटनगर	5141। 24-8-81	पंचायत में अनियमित कार्य करना, पद का दुरुपयोग		
51.	,, शिवप्रसाद मीना	सवासा	लालसोट	5321। 9-9-81	रेकार्ड में कांट-छांट, पंचायत कोष का दुरुपयोग		
52.	,, भंवरसिंह	पाथरेडी	कोटपूतली	5330। ,,	नैतिक पतन, दुराचरण		
53.	,, नाथूलाल	लखना	सांगानेर	18-9-81	मस्टररोल में कांट-छांट, गलत भुगतान, पंचायत कोष का गबन		
54.	,, बजरंगलाल	वेगस	झोटवाड़ा	5536। 22-7-80	रेकार्ड में कांट-छांट व हेरा-फेरी, मजदूरी का भुगतान न करना।	2696 19-5-82	
55.	,, गोर्धनलाल	हीदाथली	लालसोट	6583। 30-10-81	रेकार्ड में हेरा-फेरी एवं फर्जी भुगतान उठाना, पद का दुरुपयोग		

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	श्री बजरंगलाल	महारिया	लालसोट	6899। 9-11-81	रेकार्ड में कांट-छांट, गलत रूप से भुगतान लेना		
57.	,, प्रभातीलाल	बिरासना	जमवारामगढ़	6460। 24-10-81	पंचायत कोष का गबन, आदेशों की अवहेलना, मनमाने ढंग से कार्य करना	7757 8-12-81	
58.	,, गोकुलचन्द यादव	उदयपुरिया	गोविन्दगढ़	7186। 19-11-81	अनियमित कार्य कर पद का दुरुपयोग		
59.	,, श्रवणराम	ऐचेड़ी	बांदीकुई	6971। 10-11-81	मस्टरोल में गलत हाजरी, पंचायत कोष को हानि		
60.	,, भगवानसहाय	ठीकरिया गुजरान	चाकसू	6551। 26-10-81	अनियमित कार्य करना, पंचायत कोष का गबन		
61.	,, रामलाल पालीवाल	सिकन्दरा	सिकराय	7655। 5-12-81	पंचायत कोष का गबन, रेकार्ड में कांट-छांट, गलत भुगतान उठाना।		
62.	,, शिवदयाल	घोला	जमवारामगढ़	7645 ,,	रेकार्ड में कांट-छांट, गलत भुगतान व पंचायत कोष का गबन।		

1	2	3	4	5	6	7	8
					जिला जैसलमेर		
63.	श्री खुशवन्तसिंह	तेजरावा	सम	5373। 1-9-81	काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत मजदूरों को भुगतान नहीं कर पंचायत कोष का गबन ।		
					जिला बाड़मेर		
				कुछ नहीं			
					जिला उदयपुर		
64.	श्री विजयसिंह	फानोल	कुंभलगढ़	5876। 5-8-80	पद का दुरुपयोग, अनियमित कार्यवाही		
65.	,, नाहरसिंह	पीपरड़ा	राजसमन्द	6522। 12-9-80	भूमि का नाजायज आंवटन	3857-63/8-7-81	
66.	,, शिवनारायण	बुभड़ा	गिर्वा	7280-86। 22-10-80	सीमेन्ट गबन, पद का दुरुपयोग		
67.	,, रतनसिंह	केलवा	राजसमन्द	6957। 1-10-80	अनियमित कार्यवाही व पद का दुरुपयोग		

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	श्री भंवरलाल	सांकरोदा	गिर्वा	7910-17। 5-10-80	गेहूं का गबन, फर्जी मस्टरोल, अनियमित कार्यवाही		
69.	,, पन्नालाल	बड़गांव	बड़गांव	415-24। 21-1-81	,, ,,		
70.	,, सन्तोषलाल	मूवाणा	,,	403-12। ,,	भूमि विक्रय, अनियमितता पद का दुरुपयोग		
71.	,, धर्मनारायण	कैलाशपुरी	,,	1694-1701। 3-4-81	पंचायत को आर्थिक हानि ,,		
72.	,, चन्दूलाल	खैरवाड़ा	खैरवाड़ा	5504। 5-9-71	अनियमित टेन्डर आमन्त्रित, फर्जी मस्टरोल		
73.	,, नाथूलाल	कारछा	,,	5459-65। 5-4-81	गेहूं का अपहरण, राशि का दुरुपयोग		
74.	,, दूलीचन्द	सुलई	,,	5494। 5-9-81	पंचायत की राशि अनियमित रूप से अपने पास रखना, अस्थाई गबन।		
75.	,, रतनसिंह	डेरी	,,	5181-87। 7-9-81	फर्जी हाजरी, फर्जी इन्द्राज, अनियमित कार्यवाही		
76.	,, वेणीराम चौधरी	मावली	मावली	2883-91। 27-5-81	पंचायत राशि का अपहरण, पद का दुरुपयोग, आर्थिक हानि।		

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	श्री सुरेन्द्रकुमार मैहता	नाई	गिर्वा	3240-46। 24-4-80	गेहूं का गबन, सीमेन्ट का अपहरण, राशि का दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग	7094 10-11-81	
78.	,, केसूलाल	बड़ीउदरी	,,	6340। 20-10-81			
					जिला चित्तौड़गढ़		
79.	,, शान्तिलाल	भोपालसागर	भोपालसागर	664-72। 23-2-81	नि:शुल्क अनियमित भूमि का आवंटन, राशि का दुरुपयोग		
80.	,, भैरूलाल	पुठोली	चित्तौड़गढ़	1722-30। 4-4-81	पंचायत को आर्थिक हानि, अनियमित कार्यवाही		
81.	,, शान्तिलाल विराणी	पहुना	राशमी	6578। 3010-81			
				जिला श्रीगंगानगर			
82.	श्री हरचन्दराम	लालगढ़ जाटान	गंगानगर	698-707। 3-2-81	अनियमित भूमि का आवंटन, पद का दुरुपयोग		
83.	,, ईसरराम	भाडी	भादरा	1465-73 26-3-82	अनियमित कार्यवाही ,,	6688-94 12-10-81	

1	2	3	4	5	6	7	8
84.	श्री रामस्वरूप भाखू	रिडमलसर	पदमपुर	1816-24। 13-4-81	राशि का अपहरण, अनियमित भूमि आवंटन		
85.	,, सूरजमल	मोजासर छोटा	भादरा	2968। 30-5-81	पद का दुरुपयोग, अनियमित कार्यवाही		
86.	,, अनूपसिंह	हिन्दूमलकोट	गंगानगर	5450।56। 5-9-81	राशि का अपहरण, पद का दरुपयोग, रेकार्ड में हेराफेरी		
87.	,, शिवराम आर्य	रामगढ़	नोहर	2671-86: 18-5-81	अनियमित कार्यवाही ,,		
88.	,, शिवचन्द वर्मा	किशनपुरा दिखनादा	हनुमानगढ़	43-47। 21-11-79		6650-69	
				जिला डूंगरपुर			
89.	श्री बद्रीनारायण	गलियाकोट	सिमलवाड़ा	5228। 26-8-81	राशि का अपहरण, अनियमित क्रय, पद का दुरुपयोग		
				जिला बीकानेर			
90.	श्री अर्जुनसिंह	रोडा	नोखा	3405। 20-6-81	अनियमित भूमि आबंटन, पद का दुरुपयोग अनियमित कार्यवाही	5575 7-9-81	
91.	,, हाजीखां	शिवबाड़ी	बीकानेर	6568। 30-10-81			

(187)

1	2	3	4	5	6	7	8
				जिला टोंक			
92.	श्री तजेन्द्रसिंह	नगर	देवली	1653-60। 2-4-81	अनियमित कार्यवाही पद का दुरुपयोग	57-80 22-9-81	
93.	,, जगदीशप्रसाद धाकड़	बगड़ी	टोंक	3122-29। 11-6-81	काम के बदले अनाज. योजनान्तर्गत पद का दुरुपयोग		
94.	,, सुवालाल घंन	आंवा	देवली	3252। 12-6-81			
				जिला चुरू			
95.	,, गुमानसिंह	खाडवा	सुजानगढ़	5132-38। 24-8-81	पद का दुरुपयोग, राशि को हानि, अनियमित बेदखली	7232-37 18-11-81	
96.	,, शेरसिंह	नांवा	राजगढ़	5444। 10-9-80	नैतिक पतनयुक्त दुराचरण		
97.	,, बालूराम	गौरीसर	रतनगढ़	5640। 18-9-81	राशि को अनियमित रूप से अपने पास रख कर अस्थायी गबन	6478-84 26-10-81	
				जिला सवाई माधोपुर			
98.	श्री प्रतापसिंह	सोरण	बोली	7161। 10-10-80	फर्जी रिकार्ड साधारण कर्त्तव्य पालन की उपेक्षा।	8566 18-12-80	

1	2	3	4	5	6	7	8
99.	श्री देवनारायण	खेड़लीं	बामनवास	7153-60 13-10-80	राज्यादेशों की अवहेलना, अनाज का आहरण।		
100.	,, प्रभूदयाल	लिवाली	,,	7201-7। 14-10-80	,, ,,		
101.	,, श्यामलाल	खिलचीपुर	सवाईमाधोपुर	7477-83। 28-10-80	राशि का दुरुपयोग, कर्त्तव्य पालन में उपेक्षा।	8717-24 23-12-80	
102.	,, रामफूल मीणा	लोरवाड़ा	,,	7621। 4-11-80	काईन हाउस में मवेशीयों का नियमित इंद्राज न करना, पंचायत की आमदनी को गोल मोल करना, कर्त्तव्य पालन में उपेक्षा।		
103.	,, रमेशचन्द गोयल	बहरावण्डाखुर्द	खंडार	7692। 5-11-80	राशि का दुरुपयोग, काईन हाउस में राशि का गबन।	1001 21-2-81	
104.	,, हंसराज	कुंवेरा	सवाईमाधोपुर	3056-63। 4-11-80	राशि एवं गेहूं का दुरुपयोग, कर्त्तव्य पालन में उपेक्षा।		
105.	,, श्रीमूलचन्द्र	रेडावत	खण्डार	8650। 22-12-80	सार्वजनिक सम्पत्ति एवं आबादी भूमि का अवैध स्थानान्तरण।	495 24-1-81	
106.	,, नाथूलाल	पाचोलास	,,	8667। 22-12-80	पद का दुरुपयोग, अनाज व राशि का दुरुपयोग फर्जी रिकार्ड संधारण करना।		

1	2	3	4	5	6	7	8
107.	श्री गिर्राजप्रसाद	नादोती	नादोती	210। 7-1-81	राशि का गबन, कर्त्तव्य पालन में उपेक्षा।		
108.	,, नाथूलाल	बरधाना	,,	197। 7-1-81	राशि का दुरुपयोग, आदेशों की अवहेलना, कार्य में मनमानी।		
109.	,, पृथ्वीराज	जाहरा	बामनवास	222। 17-3-81	राशि का गबन, फर्जी मस्टरौल, गेहूं का गबन।		
110.	,, रमेशचन्द गोयल	बहरबाड़ाखुर्द	खंडार	1375। 17-3-81	,, ,, कर्त्तव्य पालन में उपेक्षा।		
111.	,, ठंडीराम	उमरबास	सपोटरा	1475। 26-3-81	,, ,, ,,		
112.	,, रामजीलाल	बहादुरपुर	,,	2302। 6-5-81	,, ,, मस्टरौल ,, फर्जी तैयार करना।		
113.	,, कुलभानसिंह	सुनेल	बामनवास	3201। 26-8-81	पद का दुरुपयोग, कर्त्तव्य पालन में उपेक्षा।		
114.	,, रामखिलाड़ी	सलीमपुर	महुआ	5211-18। 26-8-81	,, ,,		
115.	,, नसीबा	कोटा	,,	5404-12। 3-9.81	पंचायत राशि का गबन ,,		
116.	,, बृजमोहन	नानपुर	सपोटरा	5515। 5-9.81	पद का दुरुपयोग ,, ,,		
117.	,, घासीराम	दूमोदा	खंडार	5524। 5-9-81	पंचायत कोष का अपहरण, कर्त्तव्य पालन में दुराचरण।		
118.	,, मिश्रीलाल	पाल	नादोती	5502। 11-9-81	,, ,,		

1	2	3	4	5		7	8
119.	श्री राधेश्याम	पाल	नादोली	5202। 11-9-81	पंचायत कोष का अपहरण, कर्तव्य पालन में दुराचरण		
120.	,, घनश्याम	ओडमीना	महुवा	5490। 11-9-81	,, ,,		
121.	,, बीरबल	कोयला	बामनवास	5737। 22-9-81	राशि का गबन, आदेशों की अवहेलना		
122.	,, रामविलास	नीमोदराठौड़	बोंली	5757। 22-9-81	राशि एवं गेहूं का गबन		
123.	,, बद्रीनारायण	ओणाडा	सवाईमाधोपुर	6642।30-10-81	राशि का गबन, कर्त्तव्य पालन में दुराचार		
124.	,, रामप्रसाद	पीलोदा	गंगापुर	6652। ,,	,, ,,		
125.	,, बद्रीलाल	जोगापुर	सवाईमाधोपुर	6622। ,,	,, ,,		
126.	,, विजयसिंह	नाहिड़ा	महुवा	6632। ,,	पंचायत राशि का दुरूपयोग, फर्जी मस्ट्ररोल		
127.	,, परमात्मा	सांचोली	बामनवास	7325-32। 23-11-81	राशि का दुरूपयोग		
128.	,, भगवंतसिंह	चौथकाबरवाड़ा	सवाईमाधोपुर	7672। 5-12-81	,, ,,		

जिला नागौर

1	2	3	4	5		7	8
129.	श्री रामकरण खेमनिया	डोंगावास	मेड़तासिटी	5512। 11-9-81	राशि का दुरूपयोग		

1	2	3	4	5	6	7	8
				जिला भीलवाड़ा			
130.	श्री गणेशलाल	दांथल	सुवाना	6689। 18-9-80	निर्माण कार्य में राशि का गबन	—	
131.	,, गोकुलचन्द शर्मा	गागेड़ा	हुरडा	5232। 8-7-80		7292 29-10-80	
132.	,, रामप्रसाद शर्मा	गुलाबपुरा	,,	7435-41। 27-10-80	राशि का गबन		
133.	,, ओंकारलाल	सबवारनगर	बनेड़ा	453। 2-1-81	निर्माण कार्य में राशि का दुरुपयोग, मस्ट्रोल में फर्जी हाजरी।		
134.	,, करणसिंह चौधरी	नन्दराय	कोटड़ी	4294। 14-11-78		1434-41 19-3-81	
135.	श्रीमती प्रेमकंवर	रोपा	जहाजपुर	2626। 15-5-81	,, गंभीर अनियमितता,	3448-22 22-6-81	
136.	श्री देवकरण सोमानी	कालियास	आसिन्द	1981। 23-4-81	अनाजका गबन		
137.	,, हरकचन्द कावरा	बासेड़ा	जहाजपुर	3078। 3-6-81	निर्माण कार्य में अनियमितता, फर्जी हाजरी भरना।		
138.	,, शिवनारायण तिवारी	आकोला	कोटड़ी	3087 ,,	अनाज व मजदूरी बांटने में घोटाला, फर्जी हाजरी		

(193)

1	2	3	4	5	6	7	8
139.	श्री भोज्यांराम	दहीमथा	माण्डल	3737। 4-7-81	रिश्वत प्राप्त की श्रमिकों से	4468 3-8-81	
140.	,, कल्याणमल मीणा	इटूण्दा	जहाजपुर	5272। 27-8-81	पंचायत राशि का गबन, पद का दुरुपयोग	6428-34 23-10.81	
141.	,, लालूराम	बागोलिया	रामपुर	5434। 3-9-81	फर्जी हाजरी व चंदे की राशि का अपहरण	5869 26.9.81	
142.	,, उगमलाल	बरेणा	आसिन्द	5426। 3-9-81	फर्जी हाजरी भर अनाज का घोटाला	5994 1-10-81	
143,	,, राजमल विजय वर्गीय	बड़ा महुवा	सुवाना	5374। 9-9-81	निर्माण कार्य में घोटाला एवं अनियमिततायें		
144.	,, नाथूसिंह	कोडूकोटा	,,	5392। 10-9-81	गेहूं का गबन, पद का दुरुपयोग	—	
145.	,, सोहनदास	गागलास	आसिन्द	5401, ,,	फर्जी हाजरी भरना, भू-खण्डों का विक्रय पेटे राशि प्राप्ति कर पंचायत कोष में जमा न करना।	6000 1-10-1981	
146.	,, रघुबीरसिंह	तसवारिया बासा	शाहपुरा	5411। ,,	गेहूं एवं राशि का गबन (दुरुपयोग)		
147,	,, मोहनसिंह	पासल	सुवाना	5420 ,,	मजदूरों की फर्जी हाजरियां गेहूं का घोटाला	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
				जिला बाँसवाड़ा			
148.	श्री नवनीतलाल	सेनावासा	घाटोल	7686। 5-12-81	गेहूं का घोटाला एवं राशि का अपहरण।		
				जिला बूंदी			
149.	„ पदमसिह	टोकड़ा	हिन्डोली	3744। 9-10-79	„ „	2352 7-5-82	
				जिला झालावाड़			
150.	श्री रामनारायण पालीवाल	रटलाई	बकानी	43600।21-11-79	„ „	8575 18-12-80	
				जिला सिरोही			
151.	श्री हरिसिंह	जावाल	सिरोही	5382-86। 1-9-81	काम के बदले अनाज योजनान्तंगत अनियमिततायें, पद का दुरुपयोग एवं अपमान कारक आचरण की परिभाषा के आरोप पाये जाने के कारण।		

1	2	3	4	5	6	7	8
152.	श्री सीताराम	रोहिड़ा	पिण्डवाड़ा	5365। 9-9-81	सरपंच द्वारा अपने भाई का अनियमित रूप से भवन निर्माण कराने एवं पद का दुरुपयोग।		
				जिला कोटा			
153.	,, रामप्रसाद सोनी	अटरू	अटरू	3425। 22-6-81	अनाज का घोटाला तथा फर्जी हाजरी	6769-74 3-11-81	
154.	,, बृजमोहन	बडोद	सुल्तानपुर	3525। 26-6-81	नैतिक पतन युक्त दुराचरण समाविष्ट होने के कारण।		
155.	,, हरदीशसिंह	रेलावन	शाहबाद	6766। 3-11-81	निर्माण कार्य में फर्जी हाजिरी, गेहूं व राशि का गबन।		
156.	,, रामेश्वरप्रसाद	उन्डवा	खेराबाद	7071। 18-11-81	मजदूरों की फर्जी हाजरी, भर कर स्वयं को लाभान्वित कर राज्य सरकार को हानि पहुंचाने के गंभीर आरोप पाये गये।		

(196)

जिला झुन्झुनू के ग्रामों का विद्युतीकरण

118. श्री लच्छूराम (भण्डावा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) जिला झुन्झुनू में पंचायत समितिवार विद्युतीकरण ग्रामों की संख्या क्या हैं ?

(2) पंचायत समिति अलसीसर, जिसके सबसे कम गांव विद्युतीकृत हैं, को अधिक बिजली उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) ग्राम पंचायत क्षेत्र कोटेसर, कालियासर, भूदा का बास, ककड़ेऊ को कब तक और किस योजना के तहत विद्युतीकृत किया जाना है ?

उत्तर

(1) झुन्झुनू जिले में पंचायत समितिवार माह जनवरी 1982 के अन्त तक विद्युतिकृत ग्रामों का विवरण निम्नानुसार हैं :—

क्र०सं०	पंचायत समिति	विद्युतिकृत ग्रामों की संख्या
1.	झुन्झुनू	1.0
2.	अलसीसर	44
3.	चिड़ावा	68
4.	सूरजगढ़	95
5.	बुहाना	105
6.	खेतड़ी	50
7.	नवलगढ़	61
8.	उदयपुरवाटी	68
	कुल योग	601

(ऊर्जा मन्त्री)

(2) पंचायत समिति श्रलसीसर के कुल 98 ग्रामों में से 44 ग्रामों को मरु विकास कार्यक्रम तथा मण्डल के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकृत किया जा चुका है। शेष अविद्युतिकृत ग्रामों के लिये अभी कोई स्वीकृत योजना नहीं है।

(3) ग्राम ककडेऊ खुर्द व ककडेऊ कलां का विद्युतिकरण किया जा चुका है तथा ग्राम कोदेसर, कालियासर, मुदा का बास, के विद्युतीकरण हेतु अभी कोई स्वीकृत योजना नहीं है।

कोटा-शाहबाद मार्ग पर कालीसिंध व पार्वती नदी पर पुल निर्माण

119.

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बांरा):

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या कोटा-शाहबाद मार्ग पर कालीसिंध व पार्वती नदी पर पुल बनाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो यह पुल कब तक बना दिया जावेगा?

उत्तर

कोटा-शाहबाद मार्ग पर काली सिंध एवं पार्वती नदियों पर पुल बनाने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं।

कृषि प्रयोजनार्थ प्रदाय विद्युत् में कटौती

120.

श्री माधवसिंह दीवान (सोजनत)

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण)

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

श्रीमती उजला परोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)—क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में कृषि कार्य हेतु दी जा रही बिजली में भारी कटौती की गई है? यदि हां तो क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल इस वर्ष न्यूनतम चार्जेज माफ करेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(2) क्या यह सही है कि कृषि कार्य हेतु फ्लेट रेट लागू करने में मण्डल ने प्रतिदिन कुछ घण्टे बिजली देने का वायदा किया है? यदि हां, तो कितने घण्टे बिजली देना आवश्यक है?

(3) क्या सरकार विद्युत सप्लाई किये गये घण्टों अनुपात के अनुसार विद्युत् शुल्क लेने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल प्रशासन ने किसानों को दी जाने वाली बिजली की रेट बढ़ाने तथा किसानों की फ्लेट रेट को समाप्त

(माधवसिंह दीवान)

करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा है ?

(5) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार विद्युत् मण्डल के प्रस्ताव से सहमत है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

(1) कृषि कार्य के लिये दी जा रही बिजली में कोई कटौती नहीं की गई है। हां विद्युत माँग व उपलब्धि में सन्तुलन बैठाने हेतु कृषि उपभोक्ताओं के लिये विद्युत उपलब्धि की अवधि अवश्य निर्धारित की गई है। अतः न्यूनतम चार्जेज माफ करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी हां। फ्लेट रेट वाले उपभोक्ता टेरिफ के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम 135 घण्टे प्रति माह सप्लाई प्राप्त करने के लिये आस्वस्त हैं।

(3) जी नहीं। सभी कृषि उपभोक्ताओं को प्रति मास अपेक्षित घण्टों से अधिक समय के लिये विद्युत दी गई हैं। अतः विद्युत शुल्क (फ्लेट रेट) में कमी करने का कोई औचित्य नहीं हैं।

(4) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार ही मण्डल को कार्यवाही करनी होती हैं।

(5) उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को ही उचित निर्णय लेना होता है।

जोधपुर रेडियो स्टेशन पर प्रोग्राम देने जयपुर से गई महिला के साथ बलात्कार

121. श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या जोधपुर रेडियो स्टेशन पर प्रोग्राम देने जयपुर से गई एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था ? कृपया इस संदर्भ में दर्ज कराई एफ. आई. आर. की नकल सदन की मेज पर रखें।

(2) इस बलात्कार काण्ड के संदर्भ में अब तक कितने बलात्कारियों को गिरफ्तार किया गया है ? कृपया सूची नामवार पते व पदों (यदि कोई हों) के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस काण्ड में कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लिप्त थे ? यदि हां, तो वे कौन थे तथा अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध की एक रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज हुई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर पर रख दी गई है।

(2) इस बलात्कार केस में चार मुलजिम गिरफ्तार हुए थे। सूची सदन को मेज पर रख दी गई है।

(3) इस काण्ड में श्री लक्ष्मण कृपलानी, उप अधीक्षक पुलिस वायरलेन्स लिप्त पाये गये थे जिनको गिरफ्तार कर चालान दिनांक 28-7-81 की सी. जे. एम, कोर्ट जोधपुर में अन्य अभियुक्तों के साथ किया जा चुका है, तथा श्री लक्ष्मण कृपलानी को निलम्बित भी किया जा चुका है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति

नकल मु०सं० 110/81 धारा 376,366,354 ता०हि० थाना शास्त्री-नगर जिला जोधपुर।

सेवा में,

श्री मान इन्चार्ज साहब, पुलिस थाना सरदारपुरा, जोधपुर श्रीमान् जी निवेदन है कि मैं जयपुर की रहने वाली हूं और मैं जयपुर में रेडियो स्टेशन में युवावाणी सेक्शन में गाने का प्रोग्राम देती हूं तथा मेरे माता-पिता नहीं हैं। और हम लोग तीन भाई, दो बहिनें हैं जोधपुर में सहकारी बाजार के मैनेजर हिम्मत सिंह से गहरी दोस्ती है। मैं इनके विश्वास पर इनके रेस्टोरेन्ट में इनसे मिलने आयी थी। फिर ये मुझे रात में ठहरने के लिये अपने दोस्त के बंगले पर ले गये। मुझे एवं नाथू सिंह नाम वाले व्यक्ति के साथ टैक्सी में सहकारी बाजार से रवाना कर दिया। तथा बाद में, मैं हिम्मत सिंह तथा दो इनके साथ आदमी और थे ये तीनों जीप में बैठकर बाद में आये थे। तथा वहां पर उन दोनों आदमीयों ने मेरे साथ गलत काम किया। मेरी मर्जी के खिलाफ। उन दोनों आदमियों को हिम्मत सिंह ही जानते हैं। नाम पता ठिकाना उन लोगों का हिम्मत सिंह जानते हैं। सहकारी बाजार से उस बंगले में मैं अपनी इच्छा से नाथूसिंह के साथ हिम्मतसिंह जी के कहने से गई थी। बंगला मेरे ख्याल में शास्त्रीनगर ऐरिया में है। आज सुबह 3 बजे उस बंगले में से हिम्मतसिंह जी के साथ रवाना होकर बहुत दूर गोल सर्किल के पास पहुंचे। तब टैक्सी मिली उस टैक्सी में बैठ कर हम दोनों पब्लिक पार्क में पहुंचे टैक्सी का किराया हिम्मतसिंह ने दिया। उसके बाद हम पांच मिनट तक हम पब्लिक पार्क में बैंच पर बैठे थे। फिर हिम्मतसिंह जी आटोरिक्शा में बैठकर मुझे छोड़ चले गये। मैं होटल में ठहर गई। मैं शाम को चार बजे आज सहकारी बाजार रेस्टोरेन्ट में गई। हिम्मतसिंह नहीं मिला तथा नाथूसिंह ने मुझे यों कहा कि यहां पर कोई हिम्मतसिंह नहीं है। यहां का मालिक मैं हूं तथा तुम यहां से दफा हो जाओ नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम अपने ठिकाने जाओ। इसलिये रिपोर्ट करने आई हूं। हिम्मतसिंह ने बंगले के बाहर रात में 200।- रुपये मुझे दिये थे। यह कहा था कि यह रेल का किराया है (आज जयपुर चली जाना)

एस0डी0।-

करूणां चतुर्वेदी पुत्री
स्व0 विषेश्वर दयालपुरी
चतुर्वेदी।

मेरा जयपुर का पता :-
करूणां चतुर्वेदी, बांडो के बालाजी,
का मन्दिर, पुरानी बस्ती, जयपुर।

(200)

कार्यवाही पुलिस

1. यह रिपोर्ट कु० करूणा चतुर्वेदी पुत्री के स्व० विशेश्वर दयाल चतुर्वेदी निवासी बडी के बालाजी का मन्दिर पुरानी बस्ती, जयपुर उम्र 30 वर्ष हाल कमरा नं० 14 चन्द्रलोक होटल नई सड़क, जोधपुर ने हाजिर थाना पेश होकर ग्रादि दरियाफत पर बताया कि मैं ग्रजमेर से कल प्रात: 9 बजे रेल से जोधपुर ग्राई व सीधे सहकारी बाजार होटल पर गयी। दिन भर वहीं रेस्टोरेन्ट पर बैठी रही। मैं वहीं से करीब 10-30 बजे नाथूसिंह के साथ टैक्सी में रवाना हुई थी। जो मुझे हिम्मतसिंह के दोस्त के बंगले पर ले गया। वहां मेरे पहुंचने के 5-7 मिनट बाद ही जीप में हिम्मतसिंह दो ग्रादमियों के साथ ग्राया था। उनमें एक ग्रादमी करीब गोरा सा 40-45 साल की उम्र सिर के बालों में खिजाब व छाती पर सफेद बाल, कद लम्बा, ग्राखें कंजीवाला था व दूसरा करीब 35 वर्ष का था। जिसका कद दरम्यानी, तौंद निकली हुई थी रंग सांवला सा था। इस सांवले व्यक्ति ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया व उस समय हिम्मतसिंह व दूसरे व्यक्ति दूसरे कमरे में बैठे रहे। फिर गोरा सा व्यक्ति मेरे पास ग्राया व उसने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उस समय सांवला व्यक्ति दूसरे कमरे में हिम्मतसिंह के पास चला गया था। रात के करीब तीन बजे या 3-30 बजे हिम्मतसिंह मुझे उस बंगले से लेकर मुझे निकले। वह पैदल काफी चलने के बाद ग्राटोरिक्शा में बैठे हम दोनों पब्लिक पार्क गये। फिर मैं चन्द्रलोक होटल गई वहां कमरा लेकर ठहरी। इस शहर में ग्रनजान होने से पुलिस में इतला करने नहीं ग्राई।

2. मजमून इतला व मजीद दरयाफत कु० करुणा चतुर्वेदी को पढ़ कर सुनाया तो सही होना तस्दीक किया।

3. मजमून इतला से इलाका थाना शास्त्रीनगर में होना पाया जाता है। ग्रत: वास्ते कायमी मुकदमा व जुर्म दफा 376 ता०हि० इतला हाजा बाद दर्ज रपट रोजनामचा, ग्राम हमरा कान्सिटेबिल श्री सूरजसिंह 1171 के ग्राना किया जारिये वाइकल मय ड्राइवर थाना शास्त्रीनगर रवानगी की गई।

दिनांक 27-6-81 समय 8.30 पी०एम०

एस०डी०/-करूणां चतुर्वेदी

एस०डी०/-ग्रमीनउला एस०एच०ग्रो० थाना सरदारपुरा

इस समय श्री सूरजसिंह एफ०सी० नं० 1171 ने यह प्रथम सूचना कु०करूणां चतुर्वेदी मुस्तगीसा के थाने में पेश की। मुस्तगीसा ने बताया कि मेरे साथ तारीख 26-10-81 व 27-10-81 की रात्रि मे बलात्कार उन दो ग्रादमियों के ग्रलाबा श्री हिम्मतसिंह सहकारी बाजार वाले ने भी किया था। हिम्मतसिंह ने मुझे कहा कि इन

दोनों आदमियों के साथ भी तुमको बुरा काम करना पड़ेगा। यह मेरी इज्जत का सवाल है। तब मैंने मना किया मगर जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया। मैं हिम्मतसिंह के अलावा जिन 2 आदमीयों ने मेरे साथ बलात्कार किया था उनको मैं अयंदा देखकर पहचान सकती हूं। नाथूसिंह ने मुझे कहा कि हिम्मतसिंह पीछे आ रहा है। तुमको बंगले छोड़ दूंगा। फिर उसने मुझे आटोरिक्सा में बैठादिया। शास्त्रीनगर ऐरिया में उस बंगले के सामने छोड़कर नाथूसिंह चला गया। मजमून रिपोर्ट व तकरीन दरियाफत पढ़कर सुनाया गया। सुन व समझकर सही माना हस्ताक्षर कराये गये।

एस०डी०/-कु० करूणा चतुर्वेदी।

कार्यवाही पुलिस

मजमून रिपोर्ट तकरीन दरियाफत के अपराध धारा 376, 116 ता०हि० का वकू में आना पाया जाने से मु०सं० 110 दिनांक 27-6-81 धारा 376,114 ता०हि० में कायम कर तफतीश हवाले ए.एस.आई. श्री बिहारीलाल के की गई।

एस.डी./-करूणा चतुर्वेदी।

एस.डी./-सूरजसिंह-

एस.डी.-पुलिस थाना शास्त्रीनगर। एस. एच.ओ.।

सूची मुलजिमान मु.सं. 110/81 धारा 376,366,354 भा.द.सं. पुलिस थाना शास्त्रीननर जिला जोधपुर।

1. श्री लक्ष्मण कृपलानी, उप अधीक्षक पुलिस वायरलैस।
2. श्री नाथूसिंह, मैनेजर, श्री हिम्मतसिंह, की टी स्टाल, सहकारी बाजार, जोधपुर।
3. श्री आर.एन. मेहरा, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, वाटर वर्क्स निवासी जी-137, शस्त्रीनगर, जोधपुर।
4. श्री हिम्मतसिंह कान्ट्रैक्टर, सहकारी बाजार जोधपुर।

पंचायत समिति अन्ता की काचरी लिफ्ट सिंचाई योजना

122. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा जिले की पंचायत समिति, अन्ता की काचरी लिफ्ट सिंचाई योजना के सरकार ने टेन्डर आमन्त्रित किये थे ? यदि हां, तो कार्य प्रारम्भ के देरी के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने दीगोद एवं पीपल्दा लिफ्ट योजना को तो प्रारम्भ कर दिया है किन्तु काचरी तथा सोरखंड को छोड़ दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या काचरी लिफ्ट सिंचाई योजना पर कार्य प्रारम्भ करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता की काचरी लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण कार्य की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल की उपलब्धि के विषय में उठाई गई आपत्ति एवं आवश्यक धनराशि के अभाव के कारण नहीं दी गई है।

(2) जी हां।

विश्व बैंक एवं केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उठाई गई आपत्ति के कारण काचरी तथा सोरखण्ड लिफ्ट योजना के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(3) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदन प्राप्ति और समुचित धन-राशि की उपलब्धि पर ही योजना को प्रारम्भ किया जाना निर्भर करेगा।

आमेर विधान सभा क्षेत्र के गांवों का विद्युतीकरण

123. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आमेर विधान सभा क्षेत्र को कितने गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ?

(2) राज्य सरकार कब तक इनको बिजली उपलब्ध करावे का इरादा रखती है और किस योजना के तहत ?

(3) क्या यह भी सच है कि इन गांवों के कुछ काश्तकारों ने ऊर्जा विभाग में बिजली प्राप्त करने हेतु कुछ राशि अग्रिम जमा करवाई हुई है ?

उत्तर

(1) आमेर विधान सभा क्षेत्र के 49 गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

(2) क्षेत्र के दो गांव पंचायत समिति झोटवाड़ा की स्वीकृत एस. पी. ए. श्रेणी की योजना में सम्मिलित हैं। शेष ग्रामों की

(ऊर्जा मन्त्री)

योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है। अतः इनके विद्युतीकरण के संबंध में निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं। कुछ काश्तकारों ने विद्युतिकरण हेतु सर्वेक्षण के लिए 100-100 रुपये अवश्य विद्युत मण्डल के सम्बन्धित कार्यालय में जमा कराये थे।

ग्राम बेंड कलां तहसील जैतारण (पाली) में एलोपैथिक औषधालय खोलना

124. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण)
श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)
श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :
क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने तहसील जैतारण में गत वर्ष व इस वर्ष भी अब तक एक भी ऐलोपैथिक औषधालय किसी भी ग्राम में खोलने की स्वीकृति नहीं दी है? यदि हां, तो क्यों?

(2) ग्राम बेंड कलां तहसील जैतारण (पाली) में क्या सरकार इस वर्ष एलोपैथिक औषधालय खोलने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो यह स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। आवश्यकता नहीं समझी गई।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

भगवानदास खेतान अस्पताल झुंझुनू की एक्स-रे मशीन

125. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है, कि झुन्झुनू स्थित भगवान दास खेतान अस्पताल की एक्स-रे मशीन विगत 15-6-1981 से खराब पड़ी है और इसको अभी तक ठीक नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) इस मामले में अब क्या कार्यवाही की जा रही है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तकनीकी रिपोर्ट समय पर प्राप्त न होने के कारण।

(2) मशीनों को सुधारने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रसारित कर दी गई है।

नगरपालिका सांचोर के कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों पर कार्यवाही

126. श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री सुनील कुमार विश्नोई)

(1) क्या यह सत्य है कि श्री अम्बाराम, कनिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, सांचौर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कई शिकायत लोगों द्वारा की गई थीं ? यदि हां, तो कब-कब एवं किनके द्वारा शिकायत की गई थी ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त शिकायतों की जांच के दरमियान श्री अम्बाराम, लिपिक को सांचौर से हटाने की भी मांग की गई थी ? यदि हां, तो उनको वहां से हटाकर दूसरे स्थान पर अब तक क्यों नहीं लगाया गया है ?

(3) क्या सरकार अब उक्त लिपिक को शीघ्र सांचौर से हटाकर उसके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की शीघ्र जांच करना उचित समझेगी ? यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

1) जी हां। श्री अम्बाराम के विरुद्ध (1) दिनांक 18-12-80 को ग्राम जनता सांचौर की तरफ से सर्वश्री शंकरा, मांगीलाल, तेजाराम, खुलाला मोची वगैरा।

2) दिनांक 19-1-81 को ग्राम जनता सांचौर की तरफ से सर्वश्री जोगाराम, चूनाराम, जैताराम, बीटा, खुलाश मोची वगैरा।

3) दिनांक 9-10-81 को मंगलाराम व धनाराम विश्नोई द्वारा।

4) दिनांक 9-10-81 को धन्नाराम पुत्र रामाराज विश्नोई द्वारा की गई थी।

(2 व 3) जी हां। इन शिकायतों की जांच कराई जा रही है तथा इसके पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

एम. एस. आई., श्री रतनलाल नैनावत (रानीवाड़ा) के विरुद्ध शिकायतों की जांच

127. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

श्री हरिसिंह (फुलेरा)

श्री भरतलाल (गंगापुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि एम. एस. आई. श्री रतनलाल नैनावत, रानीवाड़ा जिला जालौर के विरुद्ध भ्रष्ट चरित्र के बारे में लोगों द्वारा कई शिकायतें की गई थी ? यदि हां, तो कब-कब एवं किन-किन लोगों के द्वारा ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त एम. एस. आई. के विरुद्ध शिकायतें होने के कारण उनका जिले के बाहर तबादला भी कर दिया गया था ? यदि हां, तो कब ? क्या यह भी सत्य है कि उनके खुद के निवेदन पर फिर उनका तबादला रद्द कर दिया गया ? यदि हां, तो कब एवं क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि जब वे सरणाऊ ग्राम तहसील सांचौर में तैनात थे,

(श्री सूरजपालसिंह)

तब भी उनके विरुद्ध सैंकड़ों शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो कब एवं किनके द्वारा? क्या यह भी सत्य है कि शिकायतों के कारण उनका तबादला भी कर दिया गया था ? यदि हां, तो कब एवं कहां ? उनके विरुद्ध शिकायतों के बारे में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि श्री रतनलाल नैनावत, एम.एस.आई., रानीवाड़ा के विरुद्ध अब भी कई शिकायतें प्राप्त हुई है ? क्या यह भी सत्य है कि शिकायतों की जांच के पूर्व उनका तबादला जिले के बाहर दूरस्थ स्थान पर किया जाकर फिर शिकायतों की निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उनका तबादला कब तक कर दिया जावेगा ?

(5) उक्त एम. एस. आई. के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कब तक की जाकर उनको कब तक दण्डित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। माह अगस्त, सितम्बर, नवम्बर व दिसम्बर, 1980 में सरपंच, ग्रामवासी सरनाऊ द्वारा शिकायतें की गई थी।

(2) जी हां, प्रथम स्थानान्तरण माह 16-10-80 को किया गया जो 14-11-80 को निरस्त किया। पुनः स्थानान्तरण माह 20-12-80 को किया गया जो 3-3-81 को निरस्त किया। स्थानान्तरण निरस्त प्रार्थी की प्रार्थना पर किये गये।

(3) जी नहीं।

(4) स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रश्न के भाग (2) में दर्शायी अनुसार की गई। अब इसकी जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

(5) जी नहीं। अब एक शिकायत दि० 8-2-82 को प्राप्त हुई है। जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

राज मार्ग नं. 8 उदयपुर–अहमदाबाद रोड पर उंडा नाला पर नये पुल का निर्माण

128. श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज मार्ग नम्बर 8–उदयपुर से अहमदाबाद रोड पर उदयपुर से 11 किलोमीटर पर उंडा नाला है जिसपर आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं क्योंकि इस नाले पर पुल सकड़ा है और चढ़ाई भी है ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले तीन-चार वर्ष से नया पुल बनाने की योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो पुल कब तक तैयार हो जावेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि उंडा नाला बहुत गहरा होने से कोई बाई-पास

(श्री भैरूंलाल मीणा)

नही है जिससे यातायात ठप्प हो जाता है और यहां पर पीने को पानी भी नहीं है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि उंडा नाला के पुल की कम चोड़ाई और सड़क में चढ़ाई के कारण कभी कभी दुर्घटनायें हो जाती हैं।

(2) राष्ट्रीय राज मार्ग पर निर्माण कार्यों का कराया जाना भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है अतः भारत सरकार को इस समस्या से अवगत करा दिया गया है। भारत सरकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कार्य किया जाना संभव हो सकेगा।

(3) पुल बना होने के कारण बाई-पास का प्रश्न ही नहीं उठता है। पेयजल की समस्या का संबंध इस विभाग से नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बस सेवायें

129. श्री हरीसिंह (कुम्हेर)—क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कौन-कौन से राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस की सेवायें लाभ में चल रही हैं और कौन-कौन से मार्गों पर घाटे में चल रही हैं ? कृपया दोनों प्रकार के मार्गों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राष्ट्रीयकृत सभी मार्गों पर निगम द्वारा आवश्यकतानुसार अपनी स्वयं की बसें लगा रखी हैं ? यदि नही, तो कौन-कौन से मार्गों पर अनुबन्धित बसें चल रही हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के राष्ट्रीय मार्गों पर निगम के विभिन्न आगारों द्वारा समन्वित संचालन होने से यह सही ढंग से बताना सम्भव नहीं है कि किन विशिष्ट राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालन लाभ में चल रहा है और कहां घाटे में चल रहा है।

(2) जी नहीं। निगम द्वारा नई बसों के लिए पूंजी नियोजन करने के बजाय पुरानी बसों के स्थान पर कुछ अनुबन्धित बसों को राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलाया जा रहा है। जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान परिवहन निगम से अनुबन्ध पर चल रही निजी वाहनों की मार्ग वार सूची ।

क्र. सं	वाहन संख्या	माडल	मार्ग का नाम
1.	आर आर बी 7569	1981	जयपुर–बयाना
2.	आर आर बी 5631	1981	जयपुर–बयाना
3.	आर आर जी 3875	1978	लवाण–घाटगेट
4.	आर एस बी 5082	1979	घाटगेट–बालाजी
5.	आर एस बी 5077	1979	घाटगेट–महुआ
6.	आर आर बी 5154	1981	,, – ,,
7.	आर आर जी 8074	1978	महुआ–बालाजी–जयपुर
8.	आर एस बी 5084	1979	घाटगेट–बालाजी
9.	आर आर बी 7848	1981	दौसा–घाटगेट
10.	आर आर जी 5172	1978	,, – ,,
11.	आर एस बी 5076	1979	,, – ,,
12.	आर आर जी 2348	1978	,, – ,,
13.	आर आर जी 5367	1978	,, – ,,
14.	आर एस बी 5129	1979	,, – ,,
15.	आर आर जी 354	1978	सिकराय–घाटगेट
16.	आर आर जी 1032	1978	घाटगेट–लवाण
17.	आर आर एल 511	1977	,, – ,,
18.	आर एस जी 2469	1975	जयपुर–बीलवा
19.	आर आर जी 2132	1978	जयपुर–पदमपुर
20.	आर एस बी 1438	1979	जयपुर–केकड़ी
21.	आर जे आई 922	1970	जयपुर–टोडा
22.	आर आर एल 6378	1970	जयपुर–केकड़ी
23.	आर एस जी 40	1976	जयपुर–बयाना
24.	आर एस बी 4299	1979	जयपुर–उदयपुर
25.	आर एस बी 7620	1979	जयपुर–नोखा
26.	आर आर बी 6078	1981	जयपुर–बीकानेर
27.	आर एस बी 1251	1979	जयपुर–बीकानेर

क.सं. 1	वाहन संख्या 2	माडल 3	मार्ग का नाम 4
28.	आर आर बी 8844	1981	जयपुर–उदयपुर
29.	आर आर बी 5685	1981	जयपुर–रामगंजमण्डी
30.	आर एस बी 3103	1979	जयपुर–जोधपुर
31.	आर एस बी 2973	1979	जयपुर–करोली
32,	आर जे एक्स 2197	1980	जयपुर–बीकानेर
33.	आर एस बी 4151	1979	जयपुर–जोधपुर
34.	आर एस बी 5255	1979	जयपुर–बीकानेर
35.	आर एन बी 1051	1981	जयपुर–पिलानी
36.	आर एस बी 2388	1979	जयपुर–नोखा
37.	आर एस बी 2153	1979	जयपुर–नोखा
38.	आर एस बी 945	1979	जयपुर–लवाण
39.	आर एस बी 2106	1979	जयपुर–मण्डावर
40.	आर एस बी 1217	1979	जयपुर–झुंझुनु
41.	आर एस बी 9251	1979	जयपुर–अजमेर
42.	आर एस बी 2140	1979	जयपुर–अजमेर
43.	आर एस बी 7446	1979	जयपुर–मकराना
44.	आर एस बी 2036	1979	जयपुर–मकराना
45.	आर एस जी 2511	1975	जयपुर–अलवर
46.	आर आर एम 8 51	1975	जयपुर–अलवर
47.	आर आर एल 1924	1970	जयपुर–केकडी
48.	आर आर एम 8661	1975	जयपुर–केकडी
49.	आर जे एफ 9507	1979	राजगढ़–अलवर
50.	आर एन बी 1921	1981	जयपुर–अलवर
51.	आर एस ए 3637	1981	अलवर–जयपुर
52.	आर एस बी 4427	1979	भरतपुर–नदबई
53.	आर एस बी 7731	1979	जयपुर–भरतपुर
54.	आर एस डी 2551	1981	भरतपुर–जयपुर
55.	आर एस बी 4488	1979	भरतपुर–नदबई
56	आर एस बी 3081	1981	जयपुर–कामां
57.	आर एस डी 3105	1981	कामां–जयपुर
58.	आर एस बी 6087	1979	जयपुर–कोटपूतली–बहरोड़
59.	आर आर जी 9842	1978	,, ,, ,,
60.	आर एन बी 368	1981	कोटपूतली–जोधपुर

क.सं. 1	वाहन संख्या 2	माडल 3	मार्ग का नाम 4
61.	आर एस जी 5277	1971	जयपुर–कोटपूतली
62.	आर जे बी 3123	1979	सीकर–डीडवाना
63.	आर एस बी 3768	1979	फतेहपुर–सीकर
64.	आर एस बी 1956	1979	डीडवाना–सीकर
65.	आर एन बी 339	1981	सीकर–अजमेर
66.	आर एन बी 1655	1981	,, ,,
67.	आर जे बी 3946	1981	सीकर–चुरू–जयपुर
68.	आर जे पी 3918	1981	झुंझुनू–जोधपुर
69.	आर जे पी 3903	1981	,, ,,
70.	आर एस बी 4479	1979	चिड़ावा–खेतड़ी
71.	आर एस बी 7817	1980	बीकानेर–गंगानगर
72.	आर आर के 8653	1979	बीकानेर–सूरतगढ़
73.	आर आर के 6828	1979	सैंथल–बीकानेर
74.	आर आर के 8215	1979	बीकानेर–सूरतगढ़
75.	आर एस बी 1436	1979	बीकानेर–जयपुर
76.	आर आर के 8177	1979	गंगानगर–करणपुर
77.	आर आर के 4967	1978	गंगानगर–अनूपगढ़
78.	आर एस एल 5285	1981	गंगानगर–अजमेर
79.	आर आर आर 9105	1980	कोटा–रावतभाटा
80.	आर एन बी 914	1981	कोटा–अलवर
81.	आर जे एक्स 2528	1981	,, ,,
82.	आर जे जी 2439	1979	बून्दी–नैनवा
83.	आर एस जी 3005	1981	कोटा–टौंक–जयपुर
84.	आर एन बी 117	1981	कोटा–टोंक–जयपुर
85.	आर एन बी 2547	1981	कोटा–जयपुर
86.	आर एस बी 5484	1979	जयपुर–पाटन
87.	आर एस बी 4427	1979	जोधपुर–बिलाड़ा
88.	आर एस बी 1437	1979	जयपुर–जोधपुर
89.	आर आर एन 3004	1981	जोधपुर–तखतगढ़
90.	आर एस जी 6821	1978	जोधपुर–जयपुर
91.	आर आर एन 4148	1981	जोधपुर–गंगानगर
92.	आर आर एम 4135	1981	जोधपुर–अजमेर
93.	आर एस एल 2883	1977	जोधपुर–

क्र.सं. 1	वाहन संख्या 2	माडल 3	मार्ग का नाम 4
94.	आर आर जैड 289	1981	जोधपुर–कोटा
95.	आर आर जैड 287	1981	,, ,,
96.	आर एस जैड 5165	1979	शाहपुरा–अजमेर
97.	आर एस बी 1244	1979	अजमेर–देवली
98,	आर एस जैड 9731	1981	अजमेर–कोटा
99.	आर आर जैड 85	1981	अजमेर–कोटा
100.	आर एस जैड 4755	1979	अजमेर–जयपुर
101.	आर एस जैड 2151	1978	ब्यावर–नसीराबाद
102.	आर एस जैड 171	1976	नसीराबाद–ब्यावर
103.	आर एस जैड 9156	1981	ब्यावर–उदयपुर
104.	आर एस जैड 9624	1981	ब्यावर–नसीराबाद
105.	आर एस जैड 9714	1981	ब्यावर–फलसूण्ड
106.	आर आर जैड 183	1981	ब्यावर–पाली
107.	आर एस बी 4515	1981	हनुमानगढ़–गंगानगर
108.	आर एस बी 5493	1981	जयपुर–बांसवाड़ा–प्रतापगढ़
109.	आर एस जैड 4278	1979	बांसवाड़ा–जयपुर–प्रतापगढ़
110.	आर एन बी 224	1981	पाहुना–जयपुर
111.	आर एम बी 1072	1981	जयपुर–जालौर
112	आर जैड डब्लू 3211	1981	जयपुर–बाड़मेर
113.	आर एन बी 2607	1981	बाडमेर–जयपुर
114.	आर जे ई 7619	1981	जयपुर–उदयपुर–ब्यावर
115.	आर एन बी 1971	1981	जयपुर–आबूरोड़
116.	आर एन बी 1952	1981	जयपुर–हिण्डौन–करौली
117.	आर एन बी 1955	1981	,, ,, ,
118.	आर आर जैड 311	1981	जयपुर–डूंगरपुर
119.	आर आर वाई 3215	1981	डूंगरपुर–अजमेर

स्नातक एवं अधिस्नातक बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना

130.

श्री मालाराम (खेतड़ी)

श्री हरीसिंह (कुम्हेर)—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) राज्य के कुल कितने ग्रेज्यूएट एवं पोस्ट ग्रेज्यूएट बेरोजगार हैं ?

(2) जून, 1980 तक इस प्रकार के बेरोजगारों की संख्या क्या थी एवं इसके पश्चात् अब इनमें कितनी वृद्धि हुई ?

(3) दिनांक 31-12-1198 को राज्य में स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कितने युवक बेरोजगार पंजीकृत थे और दिनांक 31-12-1980 को कितने थे ?

(4) वर्ष 1981 में कितने स्नातकों राजकीय सेवाओं में तथा कितनों को अन्य राजकीय योजनाओं के माध्यम से रोजगार दिया गया है ?

(5) क्या सरकार बेरोजगार स्नातकों को रोजगार दिलाने की मंशा रखती है ? कृपया सरकार की नीति एवं योजना बतायें।

(6) खेतड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं ? इनको कब तक रोजगार उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) 31 दिसम्बर, 1981 को 48069 स्नातक एवं 4707 अधि स्नातक प्रार्थी रोजगार कार्यालयों की चालू पंजिका पर पंजीकृत थे।

(2) जून, 1980 को 43375 स्नातक आशार्थी एवं 4983 अधि स्नातक आशार्थी पंजीकृत थे, जून, 1980 से दिसम्बर 1981 की अवधि में स्नातकों की संख्या में 4694 आशार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई तथा 276 अधि स्नातक आशार्थियों की संख्या में कमी हुई है।

(3) राजस्थान के नियोजन कार्यालयों में दिनांक 31, दिसम्बर 1980 की कुल 39447 बेरोजगार स्नातक पंजीकृत थे व दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 को 49069 स्नातक पंजीकृत थे।

(4) वर्ष 1981 में कुल 2796 स्नातकों को नियोजन कार्यालयों के माध्यम से नियोजन दिलाया गया। यह नियोजन सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों का है। राजकीय एवं अन्य राजकीय योजनाओं के पृथक पृथक आंकड़े तुरन्त ही उपलब्ध नहीं है।

(5) जी नहीं।

(6) 31 दिसम्बर, 1981 को खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में अनुमानित 90 स्नातक एवं 7 अधिस्नातक बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत थे। इन्हें कब तक नौकरियां उपलब्ध करवा दी जावेगी, यह कहना सम्भव नहीं है।

(212)

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 64 की सूची

जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1981 तक राजस्थान में हुई डकैतियों का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	मु० सं०	थाना	घटनास्थल	तारीख घटना	लूटी हुई सम्पत्ति	बरामद सम्पत्ति	नतीजा अभियोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बूंदी	106/80	सदरबूंदी	रिबारियापुरा	2-8-80	4500/-रु.	500/-रु.	चालान
		105/81	पाटन	लाखेरी खुर्द	5-9-81	65000/-रु.	33000/-	चालान
		25/81	बून्दी	कोटा डेम	29-5-81	—	—	अदम वकू
2.	डूंगरपुर	3/80	आसपुर	जवाटायरा	31-1-80	6730/रु	—	एफ. आर. अदमपता
		21/80	घम्बोला	चाडोली	7-3-80	6452/रु.	6452/-रु.	चालान
		28/80	आसपुर	आसपुर	13-3-80	50/रु.	50/-	चालान
3.	कोटा	3/80	ताहरगढ़	खेडली	19/20-1-80	30745/-रु.	30400/-रु.	चालान
		2/80	कराई	टांचा	5/6-1-80	2,30,000/-रु.	2,20,000/-रु.	चालान
		8/80	खातोली	रामपरिया	18/19-1-80	50,000/-रु.	49,000/-रु.	चालान
		59/80	अन्ता	लबवाडा	5/6-1-80	1000/-रु.	1000/-रु.	चालान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		100/80	ईटांवा	गणेशखेडा	19/20-8-80	4000/-रु.	—	एफ. आर. अदमपता
		74/80	अन्ता	बावड़ीखेडा	10/11-6-80	60000/-रु.	—	एफ. आर. अदमपता
		5/81	बारबेचा	मोतीपुरा	18/19-1-80	2000/-रु.	—	चालान
		234/81	गुमानपुरा	रावतभाटा कोटा सडक	11/12-7-81	300/-रु.	100/-रु.	जेर तफतीश
4.	सीकर	20/81	शाहबाद	मोजीबेट	6/7-10-81	4000/-रु.	—	जेर तफतीश
		20/81	रघुनाथगढ	पीपराली	11/12-3-81	33000/-रु.	—	एफ. आर. अदमपता
		42/81	नीमकाथाना	ढाणी-भूठाराम	11/12-3-81	3080/-रु.	—	एफ. आर. अदमपता
5.	नागौर	2/80	खिवसर	खिवसर	11-1-80	—	—	एफ. आर. अदम वकू
		1/80	कुचामनसिटी	कुचामनसिटी	14-1-80	260/-रु.	—	चालान 299 जा. फौ.
		10/80	खिवसर	बिलोका	17-2-80	—	—	एफ. आर. अदम वकू
		15/80	मेड़तारोड़	रेटा	25-2-80	—	—	,, ,,
		15/80	मारोठ	मन्डा	2-5-80	—	—	,, ,,
		96/80	नागौर	खरनाल	30-5-80	—	—	,, ,,
		109/80	मेडतासिटी	मगदडा	28-7-80	पत्थर 16000/-रु.	पत्थर 16000/-रु.	चालान
		122/80	डेगाना	चानणी	16-11-80	—	—	एफ. आर. अदम वकू
		10/81	श्रीबालाजी	रोहीली	1-2-81	—	—	,, ,,
		37/81	मकराना	नावांसिटी	2-7-81	—	—	,, ,,
		63-81	जायल	तरनाऊ	13-3-81	—	—	,, ,,

(213)

(214)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		55/81	पिलवा	बासडा	2-8-81	—	—	एफ. ग्रार. ग्रदमवकू
		288/81	नागौर	खरनाल	18-12-81	मतपेटियां	—	जेर तफतीश
6.	बांसवाड़ा	33/80	बांसवाड़ा	ठिकरिया	2/3-2-80	जेवरात	—	एफ. ग्रार. ग्रदमपता
		7/80	लोहाडिया	लसाडा	1-2-80	432-50/-	—	,, ,,
		18/81	गढ़ी	टामटिया	10-2-81	5000/-	—	,, ,,
7.	पाली	26/81	बाली	सवाडी	3-3-81	43000/-रु.	—	चालान
		27/81	बाली	विजापुरसरहद	4-3-81	6000/-रु.	5000/-रु.	चालान
		54/81	बाली	कोवाकी सरहद	27-4-81	2000/-रु.	2000/-रु.	चालान
		42/81	बाली	ग्राटियागांव	25-7-81	41000/-रु.	41000/-रु.	चालान
		72/81	तख्तगढ़	सान्डेराव	25-11-81	9340-05/-रु.	6975.20/-रु.	चालान
8.	झुन्झुनू	16/81	गुढ़ा	बड़ागांव	30-3-81	30400/-रु.	30385/-रु.	चालान
		119/81	चिड़ावा	सारी	10-12-81	मतपेटियां	—	जेर तफतीश
		102/81	उदयपुरवाटी	चिराना	14-12-81	वायरलैस सैट ले गये	—	चालान 299 जा.फौ.
		150/81	सिंघाना	पबाना	14-12-81	मतपेटियां	—	जेर तफतीश
9.	जालौर	14/80	चितलवाना	रजोदर	9-3-80	1200/-रु.	—	एफ.ग्रार. ग्रदम वकू
		85/81	चितलवाना	हालीसाव	24/25-11-81	168000/-रु.	—	जेर तफतीश
10.	झालावाड़	34/80	सुनेल	सामरिया	15-4-80	तांबा व 35 रु.	तांबा व 35 रु.	चालान
		15/80	जावर	गणेशपुर	23-4-80	5629/-रु.	—	एफ.ग्रार. ग्रदमपता

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	चित्तौड़गढ़	32/80	रथजना	कालवी	22/23-4-80	50000/-रु.	—	एफ.आर. अदमपता
		265/80	प्रतापगढ़	गंधर	31-10-81	37350/-रु.	19850/-रु.	,, ,,
		5/81	विजयपुर	विजयपुर जंगल	6-1-81	500/-रु.	500/-रु.	चालान
		14/81	,,	पालचा जंगल	5-3-81	4782/-रु.	1050/-रु.	चालान
		25/81	घोलापाली	गरियावास	10-9-81	5000/-रु.	5000/-रु.	जेर तफतीश
12.	गंगानगर	109/80	विजयनगर	सेहर	22-1-80	1175/-	124/-रु.	चालान
		213/80	सूरतगढ़	बीकानेर मार्ग	17-10-80	1787/-रु.	—	चालान
		158/80	पीलीबंगा	रोही	—	490/-रु.	—	एफ.आर. अदमपता
		67/80	गजसिंहपुर	रोही चक	—	—	—	जेर तफतीश
13.	भीलवाड़ा	91/81	गंगापुर	गणेशपुरा	27-5-81	3000/-रु.	—	एफ.आर: अदमपता
		97/81	करेड़ा	अलेया	23-9-81	—	—	एफ.आर. अदम वकू
		131/81	बिजौलिया	बंका	2-12-81	18000/-रु.	—	जेर तफतीश
14.	चूरू	2/80	भानीपुरा	भोजासर	20-1-80	10000/-रु.	9100/-रु.	चालान
		18/80	राजगढ़	ग्वालीसर	17-2-80	21000/-रु.	2400/-रु.	चालान
		14/81	चूरू	चूरू	8-2-81	25000/-रु.	25000/-रु.	,,
		58/81	भानीपुरा	सड़क सरदारशहर	4-10-81	2000/-रु.	—	चालान
		165/81	राजगढ़	सड़क राजगढ़	23-9-81	50000/-रु.	50000/रु.	जेर तफतीश
		58/81	भादवा	सड़क सुजानगढ़	17-10-81	91[illegible]/-रु.	—	चालान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		198/81	राजगढ़	रामसरतालस्कूल	19–12–81	मतपेटियां	—	जेर तफतीश
15.	अजमेर	17/80	बिजयनगर	क्वाटर एस.एच.ओ.	4–4–80	780/–रु.	—	जेर तफतीश
		28/81	रामगंज	डी.ए.वी.कालेज	22/23-1-81	तोड़फोड़	—	चालान
		29/81	गेगल	रामकी ढाणी	19–4–81	—	—	एम,आर. अदम वकू
		35/81	मांगलियावास	सराधना	4/5–5–81	5000/–रु.	—	,, अदमपता
		43/81	आदर्शनगर	बडगांव	5/6–5–81	6000/–रु.	—	,, ,,
		44/81	,,	पोलीटेक्नीक कालेज	5/6-5-81	7000/–रु.	—	,, ,,
		39/81	भिनाय	केरियाखुर्द	3/4–6–81	107500/–रु.	107000/–रु.	चालान
		164/81	कोतवाली	डिग्गी बाजार	1–7–81	400/–रु.	400/–रु.	,,
		155/81	ब्यावरसिटी	मिल्स कालोनी	5–7–81	1130/–रु.	500/–रु	,,
		66/81	जवाजा	जंगल जवाजा	11/12-10-81	50000/–रु.	—	एफ आर. अदमपता
		97/81	नसीराबाद	श्रीनगर रोड	14/15-10-81	200000/–रु.	—	,, ,,
16.	सिरोही	5/80	वरलोत	मानदेर	20/21–2–80	4000/–रु.	—	,, अदम वकू
17	सवाईमाधोपुर	11/80	खण्डार	कालाडाडा	27–.–80	—	—	चालान
		14/80	गढमोरा	रौसी	12/13–2–80	75000/–रु.	—	एफ.आर. अदमपता
		118/80	हिण्डोन	क्यारदा	28–4–80	2400/–रु	—	चालान
		162/80	हिण्डोन	खानगुढ़ा	31–5–80	57000/–रु,	57000/–रु.	,,
		12/80	टोडाभीम	नंगला	15/16–2–80	20000/–रु		एफ.आर अदमपता

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		73/80	टोडाभीम	दांतली	6–8–80	10000/–रु.	250/–रु.	एफ.आर., अदम सबूत
		72/80	,,	नौबिस्वा	7–9–80	जेवर–नकदी	—	चालान
		73/80	करौली	हाजीपुरा	15–4–80	—	—	,,
		4/80	मासलपुर	उमरी	13–1–80	23000/–रु.	3000/–रु.	,,
		5/80	,,	बीजेजा	17–1–80	170000/–रु.	150800/–रु.	,,
		90/80	केलादेवी	केलादेवी	30–10–80	10000/–रु.	1030/–रु.	,,
		97/80	,,	भवनखान केला देवी	31-12-80	150000/–रु	150000/–रु.	,,
		7/80	सपोटरा	इनायती	23–1–80	100000/–रु.	—	एफ.आर., अदमपता
		98/80	,,	गैरई	8–11–80	15000/–रु.	6000/–रु.	चालान
		16/81	खण्डार	खीदरपुर	22–1–81	—	—	जेर तफ्तीश
		43/81	हिण्डोन	मटीलाकीखान	13–2–81	397000/–रु.	397000/–रु.	चालान
		10/81	मण्डरायला	घुरसीपुर	20/21–12–81	जेवर नकदी	—	,,
		32/81	सलेमपुर	वाजनापुर	5–4–81	1500/–रु.	—	एफ.आर., अदमपदा
		40/81	वोली	गिन्नपुरा	7–4–81	—	—	चालान
		27/81	रवाजनाडूंगर	फिरोजपुरा	22-5-81	7000/–रु.	3000/–रु.	,,
		75/81	बौली	खडा	12–7–81	2000/–रु.	—	,,
		77/81	,,	भीमपुरा	13–7–81	6000/–रु.	—	,,
		294/81	हिण्डोन	हाडौती	14–9–81	65,000/–रु.	—	जेर तफ्तीश
		86/81	सपोटरा	जाखोदा	,, ,,	नकदी जेवरात	—	,, ,,

२१७

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		106/81	गढमोरा	मोहीकमपुरा	2-11-81	30000/-रु.	—	जेर तफतीश
		108/81	टोडाभीम	पाटोली	30-12-81	नकदी जेवरात	—	,, ,,
		158/81	खण्डार	तालडा	6-12-81	4500/-रु.	—	,, ,,
18.	उदयपुर	207/80	सूरजपोल	कीर्ति होटल	14-7-80	150000/-रु.	150000/-रु.	एफ.आर अदम सबूत
		36/81	खेरवाड़ा	बावलवाडा	23-3-81	4021/-रु.	—	चालान
		133/81	डबोक	गनोली	30-9-81	225/-रु.	—	चालान
		343/81	सूरजपोल	उदयपुरसिटी	30-9-81	420/-रु.	—	जेर तफ्तीश
		350/81	उदयपुर	उदयपुरसिटी	3-10-81	200/-रु,	—	चालान
		65/81	सयरा	दहन	20-12-81	30000/-रु.	3000/-रु.	जेर तफ्तीश
19.	बीकानेर	12/80	गजनेर	कोलायत	16-3-80	—	—	चालान मुलजिम मौके पर गिरफ्तार हुए।
		55/80	बीकानेर	बीकानेर	29-7-80	कोई माल नहीं लूटा	—	चालान डकैती में नहीं।
		104/80	नयाशहर	नयाशहर	26-10-80	,, ,,	—	,, ,,
		130/81	गंगाशहर	गंगाशहर	—	—	—	एफ.आर., अदम वकू
		34/81	पलाना	पलाना	12-10-81	450/-रु.	—	चालान
		23/81	जामसर	जामसर	15-6-81	90302/-रु.	90302/-रु.	,,
		48/81	जामसर	कावमी	13-8-81	अनाज	—	जेर तफ्तीश
		99/81	जामसर	मरुपाद	11-12-81	माल लूटना नहीं पाया	—	,, ,,
		69/81	लूणकरणसर	लूणकरणसर	10-8-81	209-40/-रु.	—	चालान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	बीकानेर	53/81	नोखा	नोखा	31-3-81	50/-रु.	--	चालान (डकैती नहीं)
		261/81	नोखा	मैमसर	10-12-81	मतपेटियां	मतपेटियां	चालान
		67/81	गजनेर	अकासर	14-12-81	,,	,,	,,
20.	जोधपुर	11/80	भंवर	खण्डाला	29/30-3-80	सोने का फूल	—	,,
		105/80	उदयमंदिर	स्टेडियम	27-4-80	315/-रु.	300/-रु.	,,
		353/80	,,	फैलाकचंडी	14-11-80	8/-रु.	—	चालान
		92/80	सदरबाजार	त्रिपोलिया बाजार	7-8-80	175/-रु.	160/-रु.	,,
		18/80	भाप	कानसिंह मीड़	19-6-80	4500/-रु.	—	,,
		119/80	उदयमंदिर	तेजा होस्टल	14-6-80	210/-रु.	—	,,
		59/81	सदरकोतवाली	चित्रा सिनेमा	14-7-81	3890/-रु.	—	,,
		222/81	महामंदिर	लक्ष्मीनगर	28-9-81	2500/-रु,	—	एफ.आर., अदमपता
		154/81	शास्त्रीनगर	बासनी कृषिमण्डी	7-9-81	100/-रु.	100/-रु.	चालान
		35/81	भोजासर	सुवाय	17-7-81	—	—	एफ.आर. अदम वकू
		58/81	अंगीयावास	खाखेरिया	4-7-81	—	—	,, ,,
21	जयपुर	36/80	प्रयागपुरा	भोनावास	9-4-80	2500/-रु.	—	चालान
		52/80	फागी	मन्डावरा	12-5-80	125000/-रु.	17000/-रु.	,,
		28/80	चन्दवाजी	लखेर	8-6-80	13600/-रु.	8600/-रु.	एफ.आर. अदमपता

219

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जयपुर	108/80	बस्सी	पडासौली	17-6-80	6000/-रु.	4000/-रु.	चालान
		81/80	लालसोट	कलावास	15-7-80	45000/-रु.	2208/-रु.	,,
		82/80	मानपुर	चान्दसा	4-8-80	10000/-रु.	—	एफ.ग्रार ग्रदमपता
		68/80	रेनवाल	भावता	8-8-80	2500/-रु.	2200/-रु.	चालान
		38/80	ग्रामेर	छीतरपुरा	19-3-80	4000/-रु.	200/-रु.	,,
		193/80	चाकसू	कीलकिपुरा	28-9-80	300/-रु.	300/-रु	,,
		120/80	प्रागपुरा	मुनावास	6-10-80	63000/-रु.	—	,,
		380/80	बनीपार्क	बनीपार्क	6-11-80	—	—	चालान धारा 452 ता०हि०
		324/80	ग्रशोकनगर	ग्रशोकनगर	8-9-80	9171/-रु.	583/-रु,	चालान
		15/81	शाहपुरा	ग्रलवर तिराहा	18-1-81	210000/-रु.	200000/-रु.	एफ.ग्रार. ग्रदमपता मुलजिमान
		24/81	,,	जोगियों की ढाणी	4-2-81	60845/-रु.	60000/-रु.	,, ,,
		72/81	सांगानेर	जोहरियों का बाग	8-3-81	1475/-रु.	—	चालान
		45/81	सोडाला	शातीपुरा	6-3-81	2000/-रु,	—	,
		66/81	चौमू	रोजदा	22-3-81	350/-रु.	—	ग्रदम वकू
		119/81	शाहपुरा	निठारा	21-6-81	35000/-रु.	2000/-रु	जेर तपतीश
		41/81	लालसोट	लाडपुर	8-4-81	154000/-रु.	154000/-रु.	चालान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		86/81	शाहपुरा	मनोहरपुर	28-4-81	—	—	एफ.आर., अदमवकू
		216/81	सांगानेर	शिवदासपुरा	16-7-81	20000/-रु.	18000/-रु.	चालान
		235/81	बनीपार्क	बनीपार्क	28-7-81	—	—	एफ.आर., अदमवकूवा
		237/81	,,	,,	,,	—	—	,, ,,
		212/81	अशोकनगर	एम.एम.एस. के सामने	26-8-81	—	—	चालान (डकैती नहीं)
		431/81	रामगंज	बालाजी की कोठी	16-9-81	50,00,000/-रु,	50,00,000/-रु	चालान
		246/81	चौमूं	उदयपुररिया	17-9-81	—	—	एफ.आर., अदमवकू
		298/81	सांगानेर	सांगानेर	1-10-81	250000/-रु.	—	जेर तपतीस
		189/81	विश्वकर्मा	विश्वकर्मा रोड	2-10-81	10000/-रु.	—	,,
		176/81	बांदीकुई	काच की ढाणी	28-10-81	14000/-रु.	9000/-रु.	चालान
		356/81	बजाजनगर	बजाजनगर	20-11-81	—	—	,,
		314/81	गांधीनगर	टोंक रोड	2-12-81	43/-रु.	43/-रु.	,,
		95/81	गोविन्दगढ	किशन मानपुरा	11-12-81	मतपेटियां व पत्र	—	जेर तपतीश
		153/81	प्रागपुरा	टोरडा	10-12-81	,,	—	,,
		154/81	,,	,,	11-12-81	,,	—	,,
		219/81	बगरू	ढाणी हजारीलाल	21-11-81	2400/-रु.	2400/-रु.	चालान
22.	भरतपुर	252/80	सेवर	घौर	8-12-80	2000/-रु.	—	चालान
		262/80	सेवर	इकरनम	31-12-80	1500/-रु.	—	एफ.आर., अदमपता
		3/80	नदबई	कस्बानदबई	22-1-80	60350/-रु	20000/-रु.	चालान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भरतपुर	12/80	उच्चैन	बारहमाकी	21/22-2-80	—	—	एफ.ग्रार., ग्रदमपता
		46/80	उच्चैन	केपासी	14/15-6-80	6000/-रु.	—	एफ.ग्रार., ग्रदमपता
		86/80	उच्चैन	बन्सी	4/5-12-80	20000/-रु.	—	एफ.ग्रार., ग्रदमपता
		68/80	बयाना	महरावत	14-3-80	4000/-रु.	—	चालान
		152/80	बयाना	नगलार	24/25-5-80	15000/-रु.	—	एफ.ग्रार. ग्रदमपता
		184/80	बयाना	घरेरी	29-6-80	500/-रु.	—	चालान
		353/80	बयाना	नगला	31-11-80	3000/-रु.	—	चालान
		7/80	मुसावर	मुन्डिया	16/17-1-80	50000/-रु.	—	चालान
		8/80	मुसावर	सिर	16-1-80	1000/-रु.	—	चालान
		14/80	मुसावर	फुलेना	24-1-80	7000/-रु.	3500/-	चालान
		13/80	गडीवाजना	बसेडी जंगल	15-4-80	500000/-रु.	450000/-रु.	चालान
		18/80	गडीवाजना	नगंला धर्मपुरा	29-6-80	3000/-रु.	—	चालान
		25/80	गडीवाजना	सड़क गडीवाजना	13-8-80	5000/-रु.	2200/-रु.	चालान
		26/80	गडीवाजना	नगंला पोखरान	18-8-80	—	—	चालान
		57/80	मणिया	मण्डा	20-6-80	1540/-रु.	—	एफ.ग्रार., ग्रदमपता
		33/80	मणिया	बकचोलीखान	22-4-80	3000/-रु.	1000/-रु.	चालान
		21/80	सेपऊ	कसौपा	26-2-80	10,000/-रु.	—	चालान
		55/80	सेपऊ	पेकरी	21-4-80	1000/-रु.	—	चालान
		9/80	सेपऊ	चीलपुरा	22/23-1-80	4000/-रु.	2000/रु.	चालान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		166/80	सेपऊ	केथरी	7–12–80	3000 –रु.	—	एफ.ग्रार., ग्रदमपता
		114/80	धौलपुर	जी. टी. रोड	29–5–80	1800/–रु.	400/–रु.	चालान
		206/80	,,	धौलपुर	21–8–80	5000/–रु.	—	,,
		81/80	सरमथुरा	सरमथुरा घाटी	26–10–80	125000/–रु.	125000/–रु.	,,
		252/80	बाड़ी	रोडवाडा	27–10–80	64000/–रु.	—	,,
		232/80	,,	सहेडी	4/5–10–80	3000/–रु.	1000/–रु.	,,
		83/80	डीग	सडक डीग कांमा	6–6–80	6000/–रु.	300/–रु.	,,
		13/80	सीकरी	नांगल	11/12–3–80	200000/–रु.	—	एफ.ग्रार., ग्रदमपता
		79/80	बाडी	पिडावली	16/17–4–80	300/–रु.	—	चालान
		409/81	भरतपुर	भौरोली	28–6–81	10000/–रु.	—	एफ.ग्रार., ग्रदमपता
		67/81	सेवर	ग्राम नोह	31–3–81	3000/–रु.	3000/रु.	चालान
		189/81	सेवर	पिपाना	28–8–81	2500/–रु.	—	एफ.ग्रार., ग्रदमपता
		1/81	नदबई	ग्रखेगढ	2–1–81	15000/–रु.	3000/–रु.	,, ,,
		119/81	,,	नंगला	25–6–81	2500/–रु.	—	,, ,,
		35/81	कुम्हेर	ग्रजयपुरा	26–2–81	600/–रु.	40/–रु.	चालान
		129/81	,,	करोया	9–6–81	15000/–रु.	—	,,
		161/81	,,	ग्रावार	12–7–81	15000/–रु.	—	,,
		248/81	,,	ग्रामकोठी	31–10–81	10000/–रु.	—	एफ.ग्रार., ग्रदमपता
		273/81	,,	रीठोटी	31–11–81	30000/–रु.	—	जेर तफ्तीश

223

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भरतपुर	47/81	डीग	नसवाडा	5–3–81	3000/–रु.	—	एफ.ग्रार. ग्रदमपता
		190/81	,,	सीसवाडा	27/28–8–81	1500/–रु.	—	,, ,,
		136/81	,,	सावई	2–7–81	2500/–रु.	—	चालान
		264/81	,,	ए ग्रोसवली	30–12–81	6000/–रु.	—	जेर तफ्तीश
		186/81	कांमा	सहेडा	14–9–81	26000/–रु.	—	,,
		131/81	पहाड़ी	रांक	22–8–81	15000/–रु.	—	,,
		15/81	सीकरी	सिरथला	23–2–81	7000/–रु.	1200/–रु.	चालान
		309/81	बाडी	ग्रब्दुलपुर	22–9–81	5000/–रु.	3600/–रु.	,,
		348/81	,,	हासई	3–11–81	—	—	एफ.ग्रार., ग्रदमपता
		37/81	सरमथुरा	सरमथुरा	18–4–81	3000/–रु.	—	जेर तफ्तीश
		38/81	,,	,,	,,	,,	—	,,
		236/81	धौलपुर	जी. टी. रोड	30–8–81	—	—	एफ.ग्रार., ग्रदमवकू
		250/81	,,	केसरबाग	11–9–81	—	—	एफ ग्रार., ग्रदमवकू
		31/81	राजाखेड़ा	तोचपुरी	15–3–81	2500/–रु.	1500/–	चालान
		51/81	,	जगमोहनपुरा	12–5–81	1000/–रु.	—	,,
		19/81	मणीया	जी. टी. रोड	2–2–81	6572/–रु.	427/रु.	,,
		81/81	,,	सियापुर	12–8–81	4000/–रु.	500/–रु.	जेर तफ्तीश
		119/81	,,	चैनापुरा	2/3–11–81	500/–रु.	—	एफ.ग्रार., ग्रदमपता
		22/81	सेपऊ	कापुरा	26/27–2–81	1000/–रु.	—	,, ,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6/81	नगर	तरोडर	12/13-1-81	18000/-रु.	16000/-रु.	चालान
		187/81	स्यवास	पुरा	1/2-12-81	4000/-रु.	—	जेर तफ्तीश
		184/81	,,	नागलतुर्सी	22/23-12-81	2000/-रु.	—	,,
		69/81	,,	खिलोका नंगला	7/8-6-81	1500/-रु.	400/-रु.	चालान
		395/81	बयाना	नयावास	21/22-12-81	6000/-रु.	—	जेर तफ्तीश
		18/81	उच्चैन	कुर्का	12-3-81	30000/-रु.	—	एफ.आर., अदमपता
		33/81	,,	हीरापुरा	10/11-5-81	12000/-रु.	—	,, ,,
		36/81	,,	सैयदपुरा	17/18-5-81	5000/-रु.	—	,, ,,
		104/81	,,	सुपुरा	25/26-7-81	1000/-रु.	—	जेर तफ्तीश
23.	अलवर	20/80	राजगढ	जंगल माचाडी	10-2-80	7000/-रु.	—	चालान
		9/80	गोविन्दगढ	ग्राम न्याणा	16-2-80	22600/-रु.	—	एफ.आर. अदमपता
		39/80	तिजारा	ग्राम बालोज	20-3-80	20000/-रु.	1000/-रु.	चालान
		32/80	किशनगढ	धमुकड	2-[illegible]-80	7700/-रु.	6400/-रु.	चालान
		25/80	गोविन्दगढ	निजामनगर	18/19-4-80	10500/-रु.	8100/-रु.	चालान
		70/80	बहरोड	ढाणी नंगलाहथ	9/10-5-80	—	—	,,
		142/80	राजगढ	मौजा उकेरी	11-9-80	30000/-रु.	27565/रु.	,,
		75/81	लक्ष्मणगढ	तिबारा जापली	13-5-81	—	—	एफ.आर. अदमपता मुलजिमान
		7/81	राजगढ	परपेणी	11-1-81	700/-रु.	—	,, ,,

225

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		35/81	खैरथल	ग्राम जंगल श्याम का	10-4-81	डकैती के लिए जमा हुए	—	चालान
		112/81	सदर	ग्राम चाहलूथर	7/8-5-81	5150/-रु.	—	एफ.ग्रार.,ग्रदमपता
		135/81	सदर	पहाड़ी बगड मेव	6-6-81	—	—	चालान
		96/81	खैरथल	ततारपुर चौराहा	18-8-81	1325/-रु.	—	चालान
		144/81	मालाखेडा	खेडली पिचनौत	6/7-11-80	30000/रु.	—	एफ.ग्रार.,ग्रदमपता
		89/80	शाहजहांपुर	नेशनल हाइवे	17-11-80	40000/-रु.	—	,,
		93/81	कठूमर	छोटा बधिरा	6/7-9-81	4000/-रु.	—	जेर तफतीश
24.	जी.ग्रार.पी. (ग्रजमेर)	2/80	बांदीकुई	ग्राऊटर सिग्नल	18-1-80	110/-रु. सब्जी ग्रादि	—	चालान
		31/80	ग्रजमेर	रेल्वे स्टेशन	19-2-80	टी स्टाल की काकरी तोड़ी		एफ.ग्रार.159जा.फौ.
		48/80	गंगापुरसिटी	रेल्वे यार्ड	1-8-80	बैंगन में मवेशी		चालान
						110000/	11000-रु.	चालान
		6/81	नीमकाथाना	माधो का बास	25-3-81	वर्दी फाड़ना व रु. छीनना		
						800/-रु		जेर तपतीश
		3/81	डूंगरपुर	जयसमंद व जावर के बीच	28-4-81	200000/-रु.	45000/रु.	चालान
		15/81	सीकर	नवलगढ़-डूंडलोद	19-6-81	2500/-रु.	—	जेर तपतीश
		56/81	हनुमानगढ	हनुमानगढ-बोलीपाल	20-8-81	5859/-रु.	5000/-रु.	चालान
		59/81	हनुमानगढ	सादुलपुर-बनवाली	10-1-81	2285/-रु.	1800/-रु.	,,
		67/81	हनुमानगढ	हनुमानगढ-शेरेका	1-10-81	20000/-रु.	12125/-रु.	,,
		89/81	बांदीकुई	कोटा	5-12-81	195/-चुनाव सामग्री	—	,,
		139/81	जयपुर	जयपुर	21-11-81	845/-रु.	—	जेर तपतीश
		68/81	कोटा	रेल्वे स्टेशन कोटा	26-6-81	सोने की चेन	—	चालान (डकैती नहीं)

(227)

परिशिष्ट '६

अतारांकित प्रश्न संख्या 70 का परिशिष्ट

तहसील बौंली एवं बामनवास में चलाये जा रहे परीक्षण राहत कार्यों की सूची :-

क्र. सं.	नाम अभिकरण	कार्य का नाम	आवंटित राशि	लाभान्वित श्रमिक संख्या
तहसील बौंली :-				
1.	सा० नि० विभाग	1. सम्पर्क सड़क कोडयाई से गालद कलां	10,000	192
		2. गंगावाड़ा से पीपलवाड़ा सड़क	10,000	96
2.	भू-संरक्षण विभाग	3. शीशोलावा चारागाह विकास कार्य	10,000	50
		4 जेलालपुरा चारागाह विकास कार्य	10,000	50
		5. जटावती चारागाह विकास कार्य	10,000	68
3.	सिंचाई विभाग	6. भीमसागर बन्ध	10,000	कार्य शुरू नहीं किया गया है।
तहसील बामनवास :—				
1.	सा० नि० विभाग	1. बामनवास से लिवाली सड़क	10,000	30
		2. सम्पर्क सड़क कडराला बामनवास लिवाली	10,000	66
2.	सिंचाई विभाग	3. बंध राणीला	10,000	कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किये गये हैं।
		4. बंध नागतलाई	10,000	

———

परिशिष्ट ७

अतारांकित प्रश्न संख्या 73 की सूची

तहसील पंचायत समिति, कोलायत में विद्युतिकृत/स्वीकृत ग्रामों की सूची :-

क. सं.	ग्राम का नाम	विद्युतिकृत	क. सं.	ग्राम का नाम	विद्युतिकृत
1.	कोलायत	विद्युतिकृत	28.	कोटडा	विद्युतिकृत
2.	गजनेर	,,	29.	खारीचारनान	,,
3.	कोदम देसर	,,	30.	मोटावला	,,
4.	भांमू	,,	31.	गंगापुर मय पिलाप	,,
5.	मड	,,	32.	होडला भाटियान	,,
6.	चन्दासर	,,	33.	टोकला	,,
7.	चानी	,,	34.	नोखडा	,,
8.	कोटरी	,,	35.	मंडाल चारनान	,,
9.	मोलासर बन्ध	,,	36.	मंडाल भाटियान	,,
10.	अकासर	,,	37.	हाडला रावलोतान	,,
11.	वज्जू खालसा	,,	38.	सालासर	,,
12.	वज्जू तेजपुरा	,,	39.	नाईयों की बस्ती	,,
13.	कोलासर पूर्वी	,,	40.	भाने का गांव	,,
14.	गुडा	,,	41.	देहू	,,
15.	ग्रांधी	,,	42.	खजोडा	,,
16.	गदियान्ता	,,	43.	दासोड़ी	,,
17.	मिठरीया	,,	44.	मोखा खालसा	,,
18.	खेन्दासर	,,	45.	मोखा चारणान	,,
19.	दियातरा	,,	46.	चक विजयसिंह पुरा	,,
20.	रावनेरी	,,	47.	सियाना भाटियान	,,
21.	बीकमपुर	,,	48.	सियाना जोधासर	,,
22.	गोडू	,,	49.	सियाना कबाडियान	,,
23.	रणजीतपुरा	,,	50.	सियाना चारणान	,,
24.	मोडायत	,,	51.	सियाना कुडलियान	,,
25.	हंदा	,,	52.	सियाना सांखलान	,,
26.	नान्दड़ा	,,	53.	सियाना सुथारान	,,
27.	ईदा का बाला	,,	54.	मोटासर	,,

1	2	3
55.	गोबिंदसर	विद्युतिकृत
56.	चक बन्धा नं. 2	,,
57.	लालेरा	,,
58.	मेघासर	ग्रा. वि. यो. में स्वीकृत
59.	खारालोहान	,,
60.	झझूबास नाथोतान	,,
61.	खेतोलाई बुर्ज	,,
62.	खेतोलाई मुलवान	,,
63.	खेतोलाई सिंभू	,,
64.	लोहिया	,,
65.	खाखूसर	,,
66.	हुंदा	,,
67	मोडायत	,,
68.	नेनिया	,,
69.	बाला का गोल	,,
70.	लम्बाना मूलवान	,,
71.	लम्बाना भाटियान	,,
72,	छनेरी	,,
73.	लाडखान उर्फ नया गांव	,,
74.	मोडिया	,,
75.	खारीया मलीनाथ	,,
76.	खारिया पतावतान	,,
77.	भीम हेमसिंह	,,
78.	ऊडट	,,
79.	खोखनिया पट्टा खिदासर	,,
80.	मिया खोर	,,
81.	खिखनिया कूंडोलियान	,,
82.	रणधीसर	,,
83.	नोखा उर्फ दईया	,,
84.	सूरजड़ा	ग्रा. वि. या. में स्वीकृत
85,	राणासर	,,
86.	पाबूसर	,,
87.	अगनेऊ	,,
88.	मानकासर	,,
89.	पंवार वाला	,,
90.	भाटियों की ढाणी	,,
91.	कान्धरली	,,
92.	छीला का समीर	,,
93.	बरसलपुर	,,
94.	सादोलाई	,,
95.	गोकल	,,
96.	रावबाला	,,
97.	वागडसर	,,
98.	गांटा	,,
99.	पाबूसर	,,
100.	कोलासर पश्चिमी	,,
101.	सेवड़ा	,,
102.	दादू का गांव	,,
103.	बेरा देवावतान	,,
104.	चारनवाला	,,
105.	नारायणसर	,,
106.	गज्जेवला	,,
107.	रावलोतान का बेरा	,,
108.	भालूरी	,,
109.	जगासर	,,
110.	गुलाम बाला	,,
111.	बिजेरी	,,
112.	शेरू वाला	,,

1	2	3
113.	ढड खुर्द	ग्रा.वि.यो. में स्वीकृत
114.	विकेन्द्री	,,
115.	दंडकलां	,,
116.	मेघली का ताला	,,
117.	केहरली	,,
118.	पूरण वाला	,,
119.	पृथ्वीराज का बेरा	,,
120.	बुर्ज चोपदासन	,,
121.	शरह मियानी मानी	,,
122.	शरह गेरु लाल	,,
123.	शरह पावो ब्राह्मणी	,,
124.	शरह जुगलदास	,,
125.	शरह कुलेरा	,,
126.	शरह किराड	,,
127.	बस्ती चौहान	,,
128.	सरह गुजरायत	,,
129.	बलाला	,,
130.	खेत चाण्डसर	,,
131.	किशनायत खालसा	,,
132.	रेख राणासर	,,
133.	शिव सुथारान	,,
134.	मगरे वाला	,,
135.	अराजी जीतूसिंह	,,
136.	किशनायत बुघान	,,
137.	चक नं0 8	,,
138.	चक नं0 7	,,
139.	चक नं0 1	,,
140.	चक नं0 5	,,
141.	चक नं0 6	,,
142.	चक नं0 2	,,
143.	चक नं0 3	ग्रा.वि यो. में स्वीकृत
144.	चक नं0 4	,,
135.	शरह जोड़ की	,,
146.	शरह भलेरी	,,
147.	समिरखी	,
148.	लुम्बासर	,,
149.	बेरासर	,,
150.	चक भाटियान बन्ध	,,
151.	मंडाल भाटियान	,,
152.	शरह पुनोलाव	,,
153.	चक मंडाल बन्ध	,,
154.	शरह भीखोलोई	,,
155.	चक बीट नोख	,,
156.	चक खूट्टी	,,
157.	चक खालिया	,,
158.	चक डाडर	,,
159.	चक बन्धा नं0 4	,,
160.	चक बन्धा नं0 3	,,
161.	चक बन्धा नं0 1	,,
162.	चक चानी	,,
163.	अराजेनाला	,,
164.	शीशा	,,
165.	भोलासर चौहान	,,
166.	भायला	,,
167.	शरह कबाडियान	,,
168.	चक सेठियान	,,
169.	खेतोलाई बुघान	,,
170	चक मुलाजमान	,,
17८.	चक गूजर सिंह वाला	,,
172.	शरह अम्बायत	,,

1	2	3	1	2	3
173.	चक कन्या बाघं	ग्रा.वि.यो. में स्वीकृत	183.	शरह ग्रडवायत	ग्रा.वि.यो. में स्वीकृत
174.	शरह संडायच	,,	184.	शरह गगेरी	,,
175.	शरह किकलेत	,,	185.	शरह लम्बायत	,,
176.	शरह करनेत	,,	186.	खेत भेल	,,
177.	शरह कुम्भोलाई	,,	187.	बीठ नोक	,,
178.	किन्यां की बस्ती	,,	188.	चक माधोगढ़	,,
179.	भोम ग्रखेसिंह	,,	189.	गिरजांसर	,,
180.	भोम नाहरसिंह	,,	190.	नगरासर	,,
181.	शरह थोमूली	,,	191.	फूलासर खुर्द	,,
182.	शरह एकलिया	,,	192.	फूलासर कलां	,,

सूची (ब)

वर्ष 1981-82 में कोलायत तहसील के निम्नलिखित ग्रामों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है :-

क्र०सं०	ग्राम का नाम	क्र० सं०	ग्राम का नाम
1.	टोकला	20.	देहू
2.	नोखडा	21.	फुलासर खुर्द
3.	गोविन्दसर	22.	फुलासर कलां
4.	मोटासर	23.	नान्दडा
5.	बीठनोख	24.	कोटड़ा
6.	चक माधोगढ़	25.	चक बन्धा नं0 2
7.	भाने का गांव	26.	इन्दा का बाला
8.	खारी चारनान	27.	हाडला भाटियान
9.	गंगापुर मय पिलाप	28.	हाडला रावलोतान
10.	मोटावता	29.	मोखा खालसा
11.	भेलू	30.	मोखा चारनान
12.	दासोडी	31.	चक विजयसिंह पुरा
13.	खजोडा	32.	सीयाना भाटियान
14.	गिराजसर	33.	सीयाना जोधासर
15.	नगरासर	34.	सोयाना चारनान
16.	नाईयों की बस्ती	35.	सोयाना कुण्डलियान
17.	सालासर	36.	सीयाना सांखलान
18.	मंडाल भाटियान	37.	सीयाना सुथरान
19.	मंडाल चारनान	38.	खारा लोहान

परिशिष्ट 8.

अतारांकित प्रश्न संख्या 76 का ज्ञापन

RESIDENT DOCTORS ASSOCIATION

J. L. N. Medical College and Association Group of Hospitals
AJMER
(1981-82)

To

Dated 13-11-1981

The Hon'ble Health Minister,
Government of Rajasthan, Jaipur.

Subject–Regarding increment of house job seats and the new Residency scheme to be introduced in December, 1981.

We the Resident doctors including interns of J. L. N. Medical College and Hospital want to draw your kind attention towards the existing discrepency in No. of House job seats in different Medical Institution of our state which is as under—

1–Jaipur	96
2–Bikaner	61
3–Udaipur	56
4–Jodhpur	52
5–Ajmer	43

Regarding the above we submit as under that:–

1. We once again welcome and thank for your honour's decision of new Residency system to be implemented from December, 1981 (but not yet implemented).

2. The Post graduation is decided not by the general merit but by the availability of the No. of seats in different Colleges although the selection for M. B. B. S. is on general merit and the student chooses the different colleges not on basis of merit but according to his/her condition (financial problem, service of parent etc.), but due to disparity of the No. of seats many merritious students loose the opportunity

to get one which they could have got in other Institution of the state with the same merit, for example 44 students of J. L. N. Medical College (having least No. of seats but almost equal no. of candidate being admitted for M.B.B.S. course) can get house job if he had been in other institution of state. Sir, then why 44 students onward be treated as if step sons in a democratic country like India.

3. Regarding the new Residency system we met hon' ble Health Secretary for the opposition of the system by the students of S. M. S. Medical College, Jaipur that there is disparity of marks, the students of Ajmer being getting more marks. The learned Secretary told our representative that he would compare the statistics. Sir, the question of comparing the marks of P.M.T. and M.B.B.S. course does not arise as:-

(a) There is common paper for all colleges a and uniform system of examination.

(b) Secondly, the very fact of accepting this plea points towards the favourable partial and unjustfy attitude of Government towards the Jaipur students (college of V.I.P.'s and their sons). But, Sir, this we will not allow to happen as they are, nobody to guide the policy according to their needs and play with the career of students of other colleges.

4. The House job is going to start on December, Ist, but till today neither the seats have been increased nor the new Residency system have been implemented.

5. In Ajmer highest No. of students 137 are fighting for House job for least no. of seats in Rajasthan i.e. 43.

6. Keeping the above points in view we bag to say that:-

(a) The new Residency system should be implemented with immediate effect.

OR

The No. of seats should be made equal to other Colleges in proportion to the No. of students admitted for M.B.B.S. course.

We request for your honour's urgent action in the matter least we mav have to go for an indefinite strike out of desperaton.

Thanking you, Sir,

Yours faithfully
Resident Doctors including
Interns of JLN Medical
College, & Hosp. Ajmer

Copy to:-

1-The Chief Minister, Govt. of Rajasthan, Jaipur
2-The Health Secretary,Govt. of Rajasthan, Jaipur
3-The Principal, JLN Medical College, Ajmer
4-Governor of Board of New Residency systems
5-The Dean facuity of Medicine.
6-The Health Minister, Govt. of India, New Delhi
7-The Law and Labour Minister,Govt. of Raj.

MEDICAL AND HEALTH DEPARTMENT

(Group-I)

No. F.6 (14) ME/Gr-1/81 Jaipur Dated the 26th Nov. 1981

To

The Principal
Medical College, Jaipur/Jodhpur/Ajmer/Bikaner/Udaipur.

Subject–Guidelines for the selection and appointment of Residency staff.

Sir,

In the Principal's meeting held on 24th Nov. 1981 in the Chamber of the Health Secretary for discussions the draft guidelines for the selection and appointment of the residents in the Five State Medical Colleges of Rajasthan the agreed guidelines for the selection of Residency staff for the year 1981 are enclosed herewith alongwith copy of the existing guidelines.

These guidelines may be displayed on the notice board and the selections be made accordingly. A separate letter is being issued for the selection and appointment of foreign nationals who have done their M.B.B.S. course from state Medical Colleges as Govt. of India Nominees.

Yours faithfully

sd/-

G.P.Nagar

Deputy Secretary to the Government

Selection and appointment of the Residents in the five state Medical Colleges of Rajasthan:-

The restriction in the selection o Resident House Officers, Registrars and senior Registrars to the Medical graduates of the parent institution has been struck down by the Hon'ble Rajasthan High Court, Jaipur Bench, Jaipur vide their order dated 20th November, 1981 considering it as violative of the provisions of Article 14 of the Constitution of India. Further the Government has approved that the Residency system be introduced from the year 1981. Therefore, all future selections to the Residency posts will be done through a Central Selection Board on the basis of common pooling of the applications.

But the present batch will be completing their one year rotating internship on 30th November, 1981, as such not much time is left to complete the Process of Central Selection. Therefore, it has been decided that for the year 1981, the selection be made College wise on the basis of existing guideline with the following modification regarding the eligibility of the candidates.

A-1 The following categories of Indian National Doctors will be eligible for the selection and appointment of the resident:-

(a) Those who have passed M.B.B.S. degree exmination from Rajasthan University.

(b) Those who have been nominated by the State Government to the M.B.B.S. Course as State Nominees in the Medical College outside the State.

(c) Those who are the bonafied resident of the State of Rajasthan and have passed their M.B.B.S. degree examination from the Medical College where they have secured amission of all India basis.

A-2 Reservation for SC/ST candidates-

8% of the total seats are reserved for the natural born scheduled caste candidated and 6% of the total seats are reserved for the natural

born scheduled tribe candidates as notifed by the Government of Rajasthan. But the salection to these reserve seats will be as per roster system and any vacancy left out will automatically be transferred to general seats.

A-3 MODE OF SELECTION.

The Principal of the respective medical college will advertise immediately the vacancies of the residents in the various specialities at their college. The selection will be made strictly in order of the merit. For this purpose, the merit list shall be prepared as follows:—

(a) The academic performance in the undergraduate course at the first, second and final MBBS Examinations shall be taken together with the modification as follows for the attemptors.

"In the subject (s), in which the applicant has failed once, the minimum pass marks will be taken into consideration in the subject (s), irrespective of the marks secured by the applicant. For the subsequent failure in the subject, a 20 marks per subject per failure will be deducted

The total marks so obtained by the applicants shall be converted into the percentage. The percentage so obtained by the applicant shall be increased as follows:-

(1) by 5% if the applicant belongs to the parent institution, where the seletions are being made.

(2) by another 5%, if the applicant has passed the MBBS Examination from the Rajasthan University

(Note:-This benefit is to be given to all the applicants who have passd their final MBBS examination from a specific college/University irrespective of the First and Second MBBS Exam. not passed from that college/Rajasthan Univ.)

A- The tenure of appointment of residents will be of 3 years duration, but all these appointments will be made for the first year in the first instance, renewable for the further period of second year and third year

238

provided their work and post graduation studies undertaken by them are found satisfactory at the end of rest year and second year as the case may be.

A-5 POST GRADUATE REGISTRATION

Under the Residency scheme no seperate applications will be invited from the residency staff for the post graduate registrations but they will be automatically registered in the speciality in which appointed and in the speciality in which the post graduate registration is not available th n either they will be registered in the speciality available at the college through rotation for six months in that speciality or under Co-guide system with other Medical College as per existing arrangement-

The selections to the post graduate courses will be done by a selection Committee consisting of the Head of the Institution and the various guides in the subject/speciality concerned at the end of completing one year residency.

NB-The reshuffling will be permitted as per existing preceduere but there will be no advertisement of midterm vacancies, if any,as the residents so appointed on mid-term vacancies, will not be completing one year residency at the time of regular selection for the post graduations.

NB-2 For the appointment of Registrar and Sr. Registrars and also for the selection of post graduates from the present batch doing house jobs will also be done on the basis of above guidelines.

परिशिष्ट 'क'

अतारांकित प्रश्न संख्या 82 की सूची

क्र० सं०	नाम योजना	रिजर्व प्राइस	दिनांक वर्ष स्वीकृति	न्यूनतम/उच्चतम बोली राशि		
				अवधि	न्यूनतम	उच्चतम
1.	स्कीम नं0 6 (कोली कोलनी)	15/–रुपये प्रति वर्ग गज एवं 34/–रुपये ,, ,, ,,	/1975	1978	64/–रुपये	100.50
2.	स्कीम नं0 13 सी. ई. बी.	40/–रुपये ,, ,, ,,	30–1–78/1978	1978 से 1979	70/–रुपये	125.00
3.	स्कीम नं0 5 ,,	36/–रुपये ,, ,, ,,	30–1–78/1978	1979 से 1980	66/–रुपये	121.00
4.	स्कीम नं0 4 ,,	60/–रुपये ,, ,, ,,	27-12-78/1978	1979 से 1980	61/–रुपये	112.00
5.	स्कीम नं0 7 ,,	60/–रुपये ,, ,, ,,	27-12-78/1978	1979 से 1980	81/–रुपये	166.00
6.	स्कीम नं0 2 ,,	42/–रुपये ,, ,, ,,	20–1–79/1979			
7.	साउथ वेस्ट ब्लॉक	70/–रुपये ,, ,, ,,	20–5–80/1980	1980	73/–रुपये	102.00
8.	स्कीम नं0 8	83/–रुपये ,, ,, ,,	20–5–80/1980	1980	85/–रुपये	137.00

239